खण्ड-316, अंक-9
शुक्रवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1897
(25 अप्रैल, 1975 ई0)

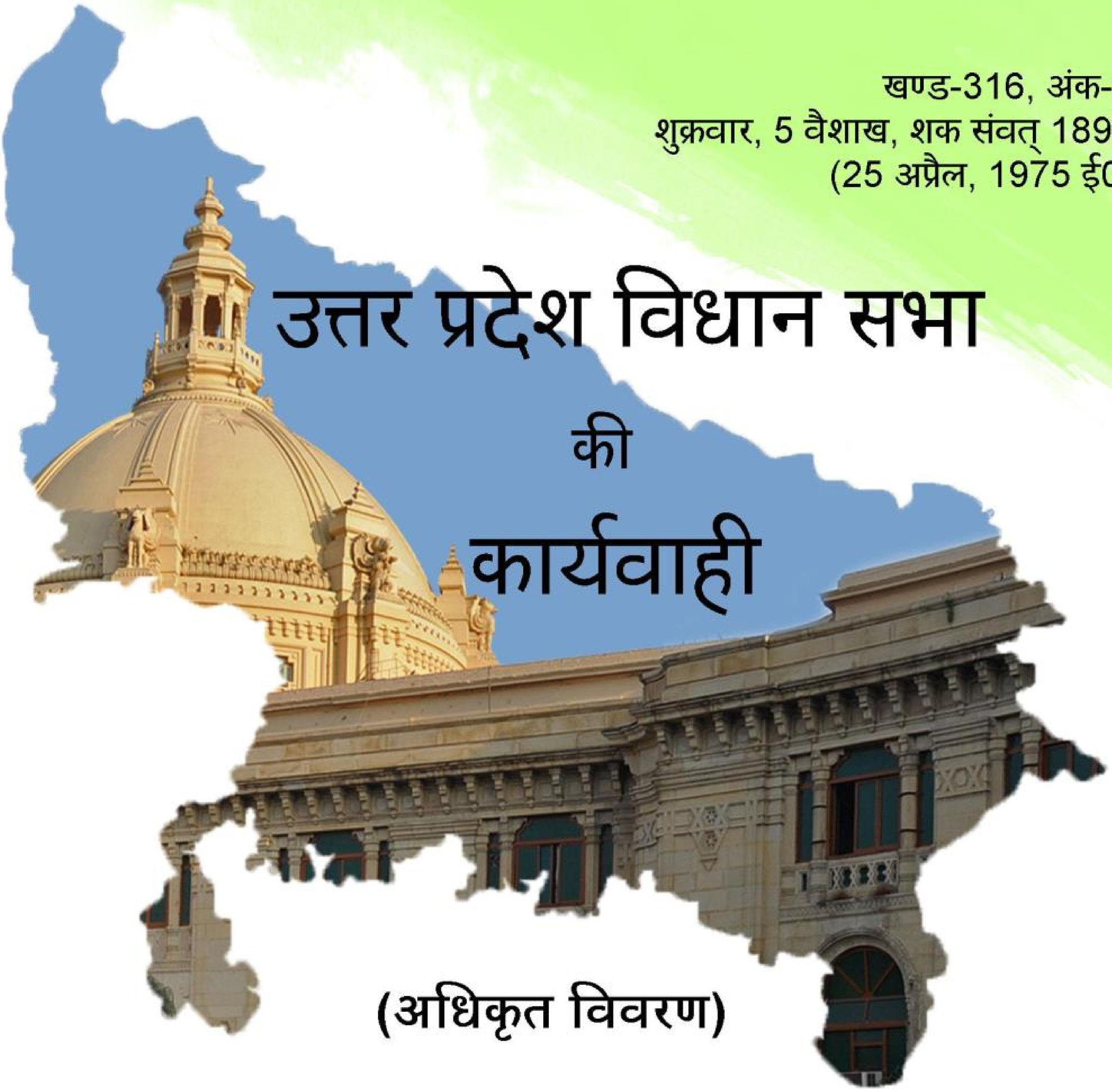

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

प्रदेश में अग्निकांडों के सम्बन्ध में वक्तव्य 884–893

प्रतिभा चित्र मंदिर को स्थाई सिनेमा-गृह बनाने की अनुमति शासन द्वारा मिलने के बावजूद भी लाइसेन्स न दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 894–896

चिनहट के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में वक्तव्य 896–904

थानाध्यक्ष, रामकोला जिला देवरिया द्वारा मुनीब, पुत्र देवराज, निवासी ग्राम बढ़हरा बाबू एवं हरिजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार किए जाने से हरिजनों में व्याप्त क्षोभ के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 905–906

अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को बिजली की सप्लाई बन्द करने से कानपुर के विभिन्न उद्योगों के मजदूरों की बकारी के सम्बन्ध में वक्तव्य 906–910

उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमाओं के विषय में न्यायाधिकरण एवं निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य 910–913

नस्थियां 914–922

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—337

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
अरुम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विरारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तगी, श्री
दीपनारायण वन महन्थ, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजू राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरगी प्रसाद विशारद, श्री
बशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री

भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम , श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह श्री
मंजूर अहमद, श्री
मक्कर दिघे , श्री
मनोराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट,
मानबहादुर सिंह, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफाउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजंय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जू देव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
रामनाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द, श्री एडवोकेट

रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाडेय श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नारायण पाडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धूसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1975

अनुसूचित तारांकित प्रश्न

सी० पी० एम० टी० की परीक्षा से सम्बन्धित जारी किया गया कथित आदेश

**1—श्री त्रिवेणी सहाय, (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सी0पी0 एम0टी0 की परीक्षा के लिए इस तरह के आदेश प्रसारित किए गए हैं कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनके नम्बर 50 प्रतिशत से अधिक हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इस तरह के आदेश 1 वर्ष पूर्व क्यों नहीं जारी किए गए?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

जी नहीं। इस प्रकार का कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितने छात्रों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उसमें से कितने रिजेक्ट हुए हैं, इस समय तक?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, त्रिवेणी सहाय जी विद्वान् आदमी हैं। उनका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं पूछना चाहता हूं कि सी0पी0एम0टी0 में कितनी एप्लीकेशन आपको प्राप्त हुई और उसमें से क्या कुछ रिजेक्ट हुई हैं, यह जानना चाहता हूं?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, अभी तो एप्लीकेशन की डेट का सवाल ही नहीं है। नया प्रश्न जो उठा रहे हैं तो किसी का रिजक्शन नहीं हुआ है, यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, क्या इस तरह का कोई आदेश पहले प्रसारित हुआ और जब उसका विरोध हुआ तब फिर से दूसरा आदेश किया गया है?

श्री अध्यक्ष—

क्या फिर से किया गया है? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, आप इजाजत दें तो 2 मिनट में स्थिति स्पष्ट कर दूं, माननीय मित्र को।

"मेडिकल काउंसिल आफ इन्डिया की यह सिफारिश रही है कि एम0बी0बी0एस0 कोर्स के प्रथम वर्ष में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय जिनके इन्टरमीडिएट के साइंस विषयों में 50 प्रतिशत अंक हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट थी। मेडिकल काउंसिल आफ इन्डिया की इस सिफारिश को वर्ष 1971 के कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट के लिए स्वीकार कर लिया गया था और आदेश भी जारी हो गए लेकिन अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त होने के कारण उस वर्ष इस शर्त मे छूट दी गयी और प्रत्येक अभ्यर्थी को जो इन्टरमीडिएट, बायलोजी ग्रुप उत्तीर्ण था, कम्बाइन्ड प्री मेडिकल टेस्ट में बैठने दिया गया।

इसी तरह की छूट वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 के कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट के लिए दी जाती रही।

मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया, नई दिल्ली ने अपने परिपत्र दिनांक 13 अगस्त, 1974 में 1971 में संस्तुत उपरोक्त सिफारिश के सम्बन्ध में प्रगति पूछी। इस विषय को राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में हुयी दिनांक 19 नवम्बर, 1974 को कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट की बैठक में रखा गया था जिसमें यह निर्णय हुआ कि मुनासिब तो यही होगा कि इस सम्बन्ध में जो इन्डियन मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया की सिफारिश हो उस पर अमल किया जाय परन्तु यह बात आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव के ऊपर छोड़ दी गयी कि वे इस विषय पर इन्डियन मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया से पत्र-व्यवहार करके इस शर्त से छूट प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

1975-76 के शैक्षिक सत्र के लिए कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट 1975 के लिए शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 1975 को आदेश जारी किये गए थे और उस आदेश के पैरा 2(1) में निम्नलिखित आदेश भेजे गये थे :—

(1) गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप, परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे लेकिन शर्त यह होगी कि उनके इन्टरमीडिएट परीक्षा के साइंस विषयों में प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत होंगे जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उक्त विषयों में न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होंगे क्योंकि मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया की ऐसी संस्तुति है। जिन अभ्यर्थियों के इन्टरमीडिएट साइंस विषयों में इससे भी कम प्राप्तांक होंगे वे टेस्ट में प्राविजनली इस शर्त के साथ बैठ सकेंगे कि मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया जिन्हें राज्य सरकार उपरोक्त संस्तुति पर पुनर्विचार करने के के लिए अनुरोध कर रही है, को ऐसे अभ्यर्थियों के कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट के फलस्वरूप मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिए जाने पर आपत्ति न हो।"

तो मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले आदेश जो थे उसमें भी कोई बन्दिश नहीं थी कि 50 प्रतिशत या 45 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी नहीं बैठ पायेंगे, तो बैठने की छूट थी। साथ ही साथ मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया को 31 जनवरी, 1975 को छूट देने के लिए अनुरोध भेजा जा चुका है। इसलिए थोड़ी कन्डीशन की बात थी लेकिन बाद में मान्यवर, 31 जनवरी को छूट देने के लिये अनुरोध किया गया है। इस बीच शासन ने निर्णय देकर 24 मार्च, 1975 को एक शासनादेश जारी किया है कि वर्ष 1975-76 के शैक्षिक सत्र के लिए इन्टरमीडिएट/बायलोजी ग्रुप के साइंस विषयों में 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांक की शर्त न रखी जाय और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्टरमीडिएट (बायलोजी ग्रुप) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

इस तरह वह स्पष्ट हो जाएगा कि जो पहले आदेश 31 जनवरी, 1975 को जारी किए थे उसके अनुसार भी सभी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते थे हालांकि कम अंक वालों के लिये प्राविजनली बैठने की शर्त थी जो कि अब 24 मार्च, 1975 की राजाज्ञा द्वारा वह शर्त भी हटा दी गयी है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, लास्ट का मतलब क्या था। मैं समझता हूं कि मेडिकल कौंसिल से जिस तरह से परीक्षा हो रही है उसमें किसी को विश्वास नहीं रह गया है। इसलिये जो सरकार निश्चित धारणा बनाए जैसे कि व्यक्त किया है कि जो भी लड़के बैठना चाहते हैं उसको सी0 पी0 एम0 टी0 में बैठने की छूट दी जाय, चाहे मेडिकल कौंसिल एप्रूव करे या न करे?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मेडिकल कांउसिल चूंकि मेडिकल कालेजों को रिकगनीशन देती है, इसलिये पूछा गया है। लेकिन मौजूदा सरकार की नीति है कि परिगणित जाति और अनुसूचित जाति के लिए हमने रिजर्वेशन किया है, इसलिए मेडिकल कांउसिल अपने सुझाव को हटा लें, ऐसा लिखा है, वरना इससे आरक्षण का जो विशेष अवसर पाया है, वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार की नीति है कि इस तरह के मेडिकल कांउसिल का सुझाव जो है, वह उनको वापस कर देना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि 50 प्रतिशत से जिनके मार्क्स कम होंगे उनको प्राविजनली करेंगे। इसमें साधारण अभ्यर्थी जिनको एलाऊ किया गया है, वह अच्छे मार्क्स पा जायेंगे तो क्या उनको चान्स आप देंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, टेस्ट का प्रश्न है.....।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, 50 प्रतिशत से कम होंगे उनको प्राविजनली एक्सेप्ट करेंगे लेकिन...

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि चूंकि आरक्षण परिगणित जाति का 18 प्रतिशत है और 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिये है, एक-एक प्रतिशत पोलिटिकल सफरर और सीमा के शहीद लोगों के लिये है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्तांक के अंकों के अनुसार यदि परीक्षा में बैठने की बन्दिश लगायी जायेगी तो जो मंशा सरकार की है, वह डिफीट होगी। इसलिये मेडिकल कांउसिल से अनुरोध कर रहें हैं कि जो शर्त लगायी थी 50 प्रतिशत मार्क्स की, तो इस नियम की वह छूट दे दें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

लखीमपुर खीरी जिले में सरकारी उच्च अधिकारियों और अवकाश प्राप्त पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सीलिंग से निकली भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखीमपुर-खीरी में कतिपय वर्तमान तथा अवकाश प्राप्त उच्च सरकारी अधिकारियों व उनके परिवार के सदस्यों ने तथा राज्य के एक अवकाश प्राप्त पुलिस महानिरीक्षक तथा उसके सम्बन्धियों ने सीलिंग कानून से बची लगभग साढ़े चार सौ एकड़ जमीन पर अवैध अनधिकृत कब्जा कर रक्खा है और जिला प्रशासन ने मार्च, 1975 से सरकार से बेदखली की कार्यवाही करने हेतु पी0 ए0 सी0 की मांग की थी ? क्या यह सही है कि गत मार्च, 1975 में राजस्व मन्त्री ने लखीमपुर-खीरी जिलाधिकारी को आश्वासन भी दिया था कि राज्य सरकार पुलिस की मदद देगी किन्तु फिर भी अभी तक बेदखली की कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

केवल श्री टी0 पी0 भल्ला, अवकाश प्राप्त पुलिस महानिरीक्षक तथा उनके सम्बन्धित सम्बन्धियों की जोत के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त हो सका है। सर्वश्री टी0 पी0 भल्ला, आर0 पी0 भल्ला, बी0 पी0 भल्ला, वी0 पी0 भल्ला तथा एम0 पी0 भल्ला के पास बराबर बराबर हिस्सों में कुल 1,111.95 एकड़ भूमि थी। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा

आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत इस परिवार की कुल 446.94 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई। चूंकि इस भूमि पर काफी संख्या में पेड़ खड़े थे तथा यह भूमि वनीकरण के लिये उपयुक्त थी, शासन के आदेशों के अधीन इस भूमि को वन विभाग को वनारोपण हेतु उपयोग में लाने के लिये दे दिया गया। इस भूमि की भली प्रकार देख-रेख नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप अतिरिक्त घोषित भूमि में से 23.50 एकड़ भूमि पर भल्ला परिवार ने ही अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया तथा 72 एकड़ भूमि पर थारू जाति के लोगों को कब्जा करा दिया। इसी वर्ष भूमि की पैमाइश दोबारा करा दी गई है और वन विभाग ने तूड़े गा ; दिए हैं।

जो भूमि अनधिकृत कब्जे में है उस पर काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्यवाही की जानी है। पुलिस की मदद देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो उत्तर आया है वह अपूर्ण है क्योंकि मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि कुछ अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों के अलावा कुछ अधिकारी जो उच्च पदों पर आसीन हैं, श्री टी0 पी0 भल्ला को छोड़कर, उन्होंने भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, लेकिन दुःख की बात यह है कि जो उत्तर आया है, वह केवल श्री टी0 पी0 भल्ला के ही सम्बन्ध में आया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में 'केवल' शब्द इसलिये लिख दिया है, सूचना केवल उन्हीं के बारे में मिल सकी है।

श्री अध्यक्ष—

अभी ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ, है, आप इसी पर प्रश्न करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भल्ला परिवार ने और जो कुछ लोगों ने लगभग एक हजार भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है, वह कब्जा कब किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब से सीलिंग की जमीन निकली है, तभी से वह भूमि उन्हीं के कब्जे में है। निश्चित तिथि की सूचना मेरे पास नहीं है। जो सीलिंग की भूमि निकली वह वन विभाग ने ले ली क्योंकि वह भूमि वनों के लिए उपयुक्त थी क्योंकि उसमें पेड़ काफी लगे हुए थे। जो जमीन बची उस पर थारू लोगों ने कब्जा कर लिया और वह फसल बो रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

विगत मार्च, 1975 में माननीय राजस्व मन्त्री स्वयं लखीमपुर-खीरी गए थे और वहां के जिलाधिकारी ने इस बात की शिकायत की थी चूंकि अवकाश प्राप्त पुलिस महानिरीक्षक का मामला है, इसीलिये जब तक राज्य सरकार विशेष पुलिस की मदद नहीं देगी, तब तक उनको बेदखल कराने में दिक्कत होगी। माननीय राजस्व मन्त्री ने तत्काल पी0 ए0 सी0 देने के लिये कह दिया था। लगभग 2 माह बीत रहे हैं, अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह बात सही है कि मैं लखीमपुर-खीरी गया था और वहां पर पुलिस की मांग की गई थी, लेकिन इसलिये नहीं कि मारपीट कर अवैध कब्जा हटवा लिया जाय, बल्कि इसलिए मांग की गई थी ताकि जो माहौल अवैध कब्जा करने का हो रहा था, भविष्य में लोग अवैध कब्जे न कर सकें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी और जो अवैध कब्जे हटाने का सवाल है, उसके बारे में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

6 मई, 1968 को यह भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी और उसके बाद वन विभाग ने राजस्व विभाग से यह कहा कि यह भूमि वन के लिए उपयुक्त जमीन है, उसके बाद वन विभाग को वह जमीन कुछ अर्से के बाद दे दी गई। वन विभाग ने उस पर कुछ कोशिश नहीं की तो भल्ला जी ने थारू लोगों को जमा दिया और फसल करने लगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सन् 1968 में अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी और अभी तक मन्त्री जी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर आपने बेदखली करने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर में ही है कि बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मन्त्री जी ने कहा कि सन् 1968 में डिक्लेयर कर दिया गया था। मन्त्री जी को और मुझे भी सूचना है कि वन विभाग से मिलकर भल्ला साहब ने लाखों रुपये के पेड़ बेचे हैं। मन्त्री जी कहते हैं कि बेदखली करने का माहौल बना रहे हैं। अभी लखनऊ में हमने देखा कि दारुलशफा के सामने एक साहब ने अनधिकृत कब्जा कर लिया था, तो नगरपालिका की गाड़ी आयी और उसे गिराने में कुछ देर नहीं लगी। तो आप शक्ति रखते हुए भी भल्ला के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करते। उन्हें और उनके परिवार के सारे लोगों को जेल भेजने में कौन सी कठिनाई है। जबकि मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा है कि तमाम नोटिसेज बेदखली के जारी कर दिए हैं। क्या भल्ला साहब से आपकी दोस्ती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सही है कि जो जमीन सीलिंग से निकली थी, उस पर भल्ला साहब ने थारुओं को बसाया। नगरमहापालिका की बात कही, तो उनके यहां रूल्स हैं। हमारे यहां रूल्स नहीं हैं। यह कर नहीं सकते कि फौज भेज कर उनको मारे पीटें और निकाल दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो आई0 जी0 रह चुका है, वही कानून को तोड़ता है तो मन्त्री जी को ऐसे आदमी को जेल भिजवा देना चाहिए। इससे कम पनिशमेंट हो नहीं सकता। मन्त्री जी कहते हैं कि कोई कानून नहीं है, तो इस सदन में ले आवें। ऐसा कानून पास करने में क्या दिक्कत हो सकती है ?

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

हजारों गरीबों को आप पी0 ए0 सी0 से पिटवाते हैं और जेल भिजवाते हैं। मेरे जैसे आदमी को भी जेल भेजा जाता है। भल्ला साहब को क्यों नहीं बन्द कर सकते ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो प्रदेश का आई0 जी0 रह चुका है, वही ऐसा कर रहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मन्त्री जी के यहां गल्ला और करमकल्ला आता होगा।

श्री राजब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

मुझे निश्चित खबर है कि कितने दिन से इनके कब्जे में यह जमीन है और किस पार्टी से इनका सम्बन्ध है। यह कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हैं और इनका लड़का वहां संयोजक है। 72 एकड़ जमीन पर थारूओं का कब्जा लिखा आ है। यह उनके कब्जे में नहीं है, बल्कि उनके जो मुलजिमान हैं, उनके कब्जे में है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मन्त्री जी आप बहुत ईमानदार हैं। लेकिन आज यहां पर आप कीही ईमानदारी देखी जाएगी। एक आई 0 जी0 एक हजार एकड़ जमीन मार दे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सभी की भावना एक ही मालूम पड़ती है। आप लोग उत्तेजित हैं। एक-एक करके प्रश्न करें।

श्री मधुकर दिघे—

सिविल डिफेन्स का इन्चार्ज उनको बना दिया। कहीं बाहर से हमला होगा तो वह रक्षा करेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को हमारे सिर पर बैठा रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो देने दें?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, अभी मन्त्री जी का जवाब नहीं आया। क्या माननीय मन्त्री जी जैसा कि अभी पूछा गया है, बताने की कृपा करेंगे कि उस आदमी का सत्ता पक्ष से सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी तक आप लोगों की उत्तेजना तो समझ रहा हूं, लेकिन किसने क्या प्रश्न किया, वह नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आप लोग एक साथ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी भावना तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या सवाल किसने किया, यह समझ में नहीं आता? अतः कृपया एक-एक करके पूछें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इससे तो प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी उत्तेजित हैं। कृपया एक-एक करके पूछें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दफा आई0 पी0 सी0 447 को श्री भल्ला के खिलाफ इस्तेमाल किया गया या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, दफा 447 उस वक्त लागू होता है, जब बेदखली के बाद दुबारा कब्जा कर लिया हो।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी वकील भी हैं, दफा 447 उस वक्त लागू हो सकता था, जिस वक्त सीलिंग से जमीन निकलकर गवर्नमेंट के कब्जे में गयी थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब तक जमीन कब्जे में न आये, तब तक उस दफा से फायदा नहीं होता। यह बात सही है कि अब तक उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आपने बेदखल करने के लिये कौनसी कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, शायद यह कब्जा उस वक्त का है जब चौधरी चरण सिंह साहब मुख्य मन्त्री थे और संविद सरकार थी—1968 का कब्जा है। उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं हुयी ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी साइडट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, जिस गांव के साहबजादे ऐसे हैं, वहां के हरामजादे कैसे हो सकते हैं। जब ईमानदार मन्त्री ऐसे हो सकते हैं, तो भ्रष्ट मन्त्री इस सरकार के कैसे होंगे, इसका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो पूरा सुन लें। कुछ मौका देंगे, तभी तो जवाब देंगे न ?

श्री बांके लाल—

मान्यवर. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कार्यवाही कुछ नहीं करते, भ्रष्ट काम करते हैं। जवाब ठीक नहीं देते, तो इस्तीफा दे दें, मन्त्री जी। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश को।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं सदन में कुछ इत्तला देना चाहता हूं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस नाजायज कब्जे को किस राजस्व मन्त्री ने ओपेन किया। यह सही है कि वन विभाग ने इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, क्या बात थी। इसकी जांच करा लूंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

30 मार्च, 1974 को यू0 पी0 सिक्ख बोर्ड द्वारा डाक्टर चरण सिंह तथा माननीय बहुगुणा के स्वागत के लिये आयोजन आयोजित किया गया था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि लखीमपुर, नैनीताल और तराई के लोगों ने जो जमीन पर कब्जा कर रखा है, जब

से बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री हुए हैं, उन लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता और नेशनल हेराल्ड में उस समय यह निकला था कि शासन की यह नीति है कि इन बड़े-बड़े आदमियों को बेदखल नहीं किया जायगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सरकार की यह नीति नहीं है कि बड़ों को छोड़ दिया जाय और छोटों को बेदखल कर दिया जाय।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

बेदखली के लिए आवश्यक है कि पटवारी के कागजात में खसरे में नाम दर्ज हो और ऐसा न हो तो 120–122 चलती नहीं। क्या सरकार हमको जानकारी देगी कि इस वक्त जिस जमीन पर नाजायज कब्जा है, उस पर किस का कब्जा पटवारी ने लिखा है, खसरे में दर्ज किया है और कब से किया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य सही कहते हैं। उनसे कागजात की नकल लेने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

इस वक्त जो विवादग्रस्त भूमि है और अनधिकृत कब्जे है तो खसरे में किसका इन्दराज है, लेखपाल के ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लेखपाल को खसरे की सूचना नहीं है, इसलिए उसे नहीं बतलाया जा सकता।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

फिर 122 की कार्यवाही कैसे चलाई जा सकती है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री मधुकर दिघे—

खसरा नहीं देखा तो किस बुनियाद पर यह स्वीकार किया कि अनधिकृत कब्जा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वहां के जिलाधिकारी से तथा लोगों से दरियाफ्त किया। सब कहते थे कि अनधिकृत कब्जा है और उसके हिसाब से जिलाधिकारी की रिपोर्ट थी और उसके बेसिस पर मैं कहता हूं कि उनका अनधिकृत कब्जा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सारा सवाल बेमतलब हो जाता है, जब माननीय मुख्य मन्त्री तथा मंगलदेव विशारद कमेटी ने कह दिया कि ये सारे अनधिकृत कब्जे हैं और मुख्य मन्त्री की घोषणा भी हो चुकी है कि मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट को वह मानते हैं और उसे मानते हुए नोटिसेज भी जारी हो चुकी हैं। तो यह कह कर कि अनधिकृत कब्जे की जमीन भूमिहीनों में बांट दी जायगी सरकार मुलायमियत की नीति ही बरतती चली जायगी या दन्ड प्रक्रिया के अधीन ऐसे लोगों को वह दन्ड के हवाले भी करेगी और उनको जेल भिजवायेगी और भूमि को फिर भूमिहीनों में बंटवा येगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन कानून में हमको अधिकार नहीं है कि सख्ती बरतें और बेदखली के अलावा कोई चारा नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन में यह घोषणा की है कि नोटिसेज जारी की गयी हैं तो क्या माल मन्त्री उनसे भी बढ़ कर मन्त्री हो गए जो कहते हैं कि सख्त कार्यवाही नहीं की जा सकती ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

डी० पी० भल्ला को रोशनी में लाया तो केवल मैं लाया। राज्य सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं हो सकती कि जितने अवैध कब्जे हैं, वे बड़े-बड़े आदमियों के पास रहें। आज तक कोई भी राजस्व मन्त्री ऐसे अवैध कब्जों को रोशनी में नहीं लाया है। माननीय सदस्य मेरी नीयत पर आक्षेप करते हैं तो मुझे अफसोस होता है।

चौधरी चरण सिंह (जिल मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया कि चरण सिंह के जमाने के अवैध कब्जे चल रहे हैं.....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके समय से चल रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे समय से ये अवैध कब्जे चल रहे हैं। मैं तो नाकाबिल आदमी हूं और अपनी नाकाबलियत मानता हूं.....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं कहा मानता हूं। मैं तो ड्यूरेशन बता रहा हूं। मैं आपके साथ रहा हूं। आपके साथ काम कर चुका हूं। आपकी नीयत पर आक्षेप नहीं करता हूं। मैं तो स्थिति बता रहा हूं..... (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

मंत्री जी बीच में खड़े हो गये, इसलिये मैं बैठ गया। मेरी शिकायत यह है कि आपने मेरा नाम लिया और ऐसा कह कर आप अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। मतलब यह है कि जिसके जमाने में यह हुआ उसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने इसे क्यों होने दिया। मैंने अवैध कब्जा हटाने के लिये क्या-क्या किया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जब यह आपकी नोटिस में आ गया तो उसको दूर किया जाना चाहिये, बार-बार मेरा नाम लेने से क्या फायदा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब छोटे पर वजन नहीं रहता है तो बड़ आदमी की मदद लेनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—

यह असुविधा (डिसएडवान्टेज) तो आपको रहेगी ही।

चौधरी चरण सिंह—

तब तो मुझे सारी कहानी बतानी पड़ेगी कि कैसे मैंने अवैध कब्जे हटाये, किस तरह चीफ मिनिस्टर ने दखल दिया. . . . . मेरा सहारा क्यों लेना चाहते हैं। यह इतना बड़ा सवाल है, मर्डर भी मेरे जमाने में हुये होंगें तो उसके लिये भी आप कह देंगे कि यह तो उनके जमाने के हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जितने अवैध कब्जे हैं चाहे वे छोटे आदमी हों या बड़े आदमी हों, किसी को बख्शा नहीं जायगा।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे मुताबिक काम करें बहुत कुछ ठीक हो जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह भी आपने ही सिखाया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी को पहले-पहले यह गड़बड़ी कब मालूम हुई ? मुझे पता चला है कि 3 वर्ष पहले मालूम हुई थी जब से आपका कार्यकाल है। क्या यह बात सही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब मैं लखीमपुर खीरी गया था तब मालूम हुई।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जबसे मंत्री जी को यह मालूम हुआ, तब से लेकर आज तक बेदखली के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उसका नम्बर नोट करके, बेदखली का प्रोग्राम बनाकर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, नम्बर रकबा, बेदखली आदि तय करने में कुछ मसाला लेना पड़ता है रेवेन्यू विभाग ऐसे ही बेदखली नहीं चलाता है। जब मेटीरियल हो जायेगा तब उसकी पुष्टि करके बेदखली होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि जंगल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और रिटायर्ड आई0 जी0 भल्ला साहब ने साजिश करके यह जमीन जंगल विभाग को ट्रांसफर कर दी और तब भल्ला साहब ने इसे कब्जे में लिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, 28 तरीख को एसेम्बली उठ जायेगी और इतना बड़ा यह सवाल है। मंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा लगता है वह गोली खा कर आ गये हैं। आप घोषणा कराइये उनसे क्योंकि 28 तारीख को एसेम्बली उठने वाली है, जैसे मुख्य मंत्री जी ने धड़ल्ले से घोषणा की थी। तो मान्यवर, इस किस्म के मामले प्रदेश में एक नहीं कई हैं, जिसमें लोगों ने चालाकी से कब्जा कर लिया है। तो आप घोषणा कीजिये कि आप स्वयं या किसी आफिसर को भेजकर इस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

एकार्डिंग टु रूल्स एण्ड ला जो कुछ होगा कार्यवाही की जायेगी इसका आश्वासन मैं देता हूं।

श्री मधुकर दिघे—

जब सुमर सिंह का मामला आया तब भी यही जवाब आया, चिनहट का वन मंत्री जी का मामला आया उसमें भी इसी तरीके से कहा गया।

श्री अध्यक्ष—

अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बरेली जिले के ग्राम पचपेड़ा की हरिजन बस्ती में अग्निकांड

*1—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 27/28 फरवरी, 1975 की रात को ग्राम पचपेड़ा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में कुछ हरिजनों (अनुसूचित जाति के नटों) के घर पर आग लग जाने के फलस्वरूप अनेक जानवर, अनाज और नोट जल गये? यदि हां, तो अलग-अलग लोगों का कितना-कितना नुकसान हुआ और सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों की क्या सहायता की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। 27/28 फरवरी की रात को अकस्मात् आग लग जाने के फलस्वरूप 4 नटों के घर प्रभावित हुये जिसमें एक गाय, कुछ अनाज तथा 791 रुपये के नोट जल गये। उक्त अग्निकांड के पीड़ित व्यक्तियों की अलग-अलग अनुमानित हानि इस प्रकार है:—

पीड़ित व्यक्तियों के नाम	अनुमानित हानि
	रु०
1—श्री रामलाल	975
2—श्री जय सिंह	450
3—श्री गंगाराम	533
4—श्रीमती चम्पा	892
कुल ..	रु० 2,850

प्रत्येक व्यक्ति को 200 रु० की दर से कुल 800 रु० गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

टिहरी-गढ़वाल जिले की तहसील देवप्रयाग के पुनर्गठन की मांग

*2—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये विस्तृत क्षेत्रफल वाली तहसील देव प्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल में से एक नयी तहसील बनाने

की योजना शासन के विचाराधीन थी और शासन ने 1971-72 में जिलाधिकारी, टिहरी-गढ़वाल की संस्तुति सहित परामर्श-दात्री समिति के सुझाव मांगे थे ? यदि हां, तो क्या कोई निर्णय इस सम्बन्ध में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील देव प्रयाग के विस्तृत क्षेत्रफल को देखते हुये इस जिले की मौजूदा तहसीलों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी टिहरी-गढ़वाल से राजस्व परिषद् के माध्यम से प्राप्त हुआ था जो शासन के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त सूचना विशेष कर उसके वित्तीय पहलुओं पर राजस्व परिषद् से मांगी गई है। परिषद् से सूचना प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जाना संभव होगा।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी ने राजस्व परिषद् को जो प्रस्ताव भेजा है उस पर परिषद् की क्या संस्तुति है और सरकार उस पर कितनी सहमत है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जिला अधिकारी ने कहा है कि तहसील का क्षेत्र बहुत बड़ा है, आबादी और एरिया लिखा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होता दो तहसील हों। तो बजाय इसके कि दो तहसील हों उसके लिये पूरे जिले का सर्वे करके पुनर्गठन होगा कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा। तो उस पर राजस्व परिषद् देखेगी कि कितना खर्च होगा, कितने पद होंगे। वह सारी चीजें तय होंगी उस पर विचार होगा तब यह तय होगा कि पुनर्गठन किया जाय या जो मौजूदा हालत है उसी को रखा जाय।

जालौन जिले के कतिपय ग्रामों के हरिजनों द्वारा आवास भूमि के आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र और हरिजनों को आबंटित की गई भूमि पर कब्जा

*3-4--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 को परगनाधिकारी, कोंच को तहसील कोंच के ग्राम खैरावर, खकल्ल, तजिपुरासानी, खैरा तथा कुंवरपुरा के हरिजनों का कोई पत्र इस आशय का कि वहां पर आवास भूमि तथा बचत की कृषि भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जालौन का शासन को ग्राम राजपुरा, परगना व जिला जालौन के हरिजनों का कोई पत्र माह जनवरी, 1975 में इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें मिली पट्टे की आवास भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

इस पर जवाब तलब करेंगे कि क्यों देर से इत्तला आती है।

डाक्टर मलखान सिंह--

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पहले भी इस सदन में आया था और मंत्री जी ने कहा था सूचना एकत्र कर रहे हैं आपने स्पष्ट आश्वासन दिया था आज फिर आपने वही उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे।

डाक्टर मलखान सिंह---

मान्यवर, यह मामला अक्तूबर 1974 का है इस पर कई प्रश्न हुए। 3, 4, 8, 9 प्रश्न हुए। इनमें अभी तक उन लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है तहसीलदार और एस0 डी0 ओ0 कुछ नहीं करना चाहते हैं और महीनों तक वह लटकाये रखे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

20 तारीख मार्च की है और 24 तारीख मार्च को हमारे यहां आया और 5 अप्रैल को जिले को भेज दिया गया। 11 अप्रैल और 19 अप्रैल को बराबर तार भेजे गये। इसमें जबाब तलब करेंगे।

डाक्टर मलखान सिंह---

माननीय मंत्री जी रिमाइन्डर भेजते हैं और आपके अधिकारी उसका जबाब नहीं देते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कार्यवाही करेंगे।

कानपुर शहर में गंगा नदी से निकली भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*5--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि कानपुर शहर में गंगा के कटाव में आयी भूमि पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है। यदि हां, तो उनके नाम, पद और पता क्या हैं और अलग-अलग कितनी भूमि पर ये कब्जा जमाये हुये हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 914-917 पर।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का अपूर्ण उत्तर आया है, वह यह बताएं कि जो लोग अनधिकृत कब्जा किए हैं, वे किस-किस पद पर हैं? क्योंकि मंत्री जी ने जानबूझकर छिपा दिया है इसलिये मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये अनधिकृत लोग कब से कब्जा किए हुए हैं और उनसे खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही मंत्री जी कर रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्य ने जो कहा है, जो लिस्ट है उसमें ऐसी बात है नहीं, उससे कोई पता नहीं किया जा सकता है, मैंने कुछ छिपाया नहीं है। पद के बारे में स्पष्ट प्रश्न था, लेकिन पद नहीं आया, इसलिये उत्तर नहीं दिया गया। यह परिस्थिति तब पैदा हुई जब उन्नाव की तरफ गंगा का बहाव हो गया। इससे कानपुर वालों ने जहां चाहा जोत लिया है। बेदखल ऐसे लोगों को किया जाता है तो चूंकि वहां वह गांव समाज की जमीन नहीं है, इसलिये

नहीं हो सकता है। ऐसी हालत में हमारे जिलाधिकारी ने यह कहा है कि जब इनको नहीं हटा सकते तो आसामी करके उनका लगान लेंगे। वह लगान लेंगे, बेदखली करने में चूंकि गांव समाज है नहीं, इसलिये कर नहीं सकते। इसलिये अब सर्वे-रिकार्ड कराकर कार्यवाही करनी है और यह कार्य आखिरी चरण में आ गया है।

मथुरा जिले के ग्राम भैंसा में बिरला को दी जाने वाली भूमि का मुआवजा

*6--श्री ठाकुर राधाचरण सिंह (जिला मथुरा) तथा श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत ग्राम भैसा, तहसील मथुरा की ग्राम समाज को 18 एकड़ के लगभग चरागाह की जमीन बिरला को किसी कारखाने के लिये दी जा रही है? यदि हां, तो इस जमीन का मुआविजा किस रेट से बिरला से लिया जा रहा है और क्या सरकार तेल शोधक कारखाने द्वारा ली गयी जमीन के बराबर ही इस जमीन का भी मुआविजा दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, यह प्रश्न 24 मार्च, 75 को प्राप्त हुआ था और 29 मार्च को जिले को प्राप्त हुआ है, सूचना मंगाने के संबंध में 11 अप्रैल को रिमाइन्डर भी भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। अतः अब हम जवाब-तलब करेंगे कि क्या कारण है कि अब तक उत्तर नहीं भेजा।

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित किसानों का नाम लेखपाल के कागज से खारिज किया जाना

*7--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 74 में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित किसानों को सहायता देने हेतु दिया गया पत्र शासन द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आवश्यक सहायता देने हेतु भेजा गया, जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता को राजस्व (10) अनुभाग के अर्ध शासकीय पत्रांक 6351 राजस्व 10-14, दिनांक 3-9-74 द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी--आजमगढ़ ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नकर्ता द्वारा सन्दर्भित पत्र घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित किसानों को सहायता देने केलिये नहीं बल्कि उनका नाम लेखपाल के कागज से खारिज न करने के सम्बन्ध में दिया गया था।

यह सही है कि प्रश्न में सन्दर्भित शासकीय पत्र जिलाधिकारी को तथा प्रश्नकर्ता को भेजा गया था।

प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित 86 तजवीजसानी की दरख्वास्त में न्यायालय में दायर हुई, जिनमें से एक का निस्तारण हो चुका है तथा शेष न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित किसानों की जमीन का नाम लेखपाल के कागज से खारिज हो चुका है ? और क्या यह भी सही है कि जो पंचसाला बन्दोबस्त किया गया था, उसमें 99 परसेंट फसलें खराब हुए हैं और उस पर उनके अधिकारियों ने भी इस प्रकार की सूचना सरकार को दी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सूचना से मालूम हुआ कि जो पहले रिकार्ड हुआ वह गलत हुआ, इसलिये उसकी निगरानियां कर रहे हैं। लेकिन अब यह विचार किया जा रहा है कि दुबारा उसका सर्वे करा लिया जाए। रिकार्ड आपरेशन में जो निगरानियां हैं उनका सुझाव है कि गांव में इससे फैसला हो जायगा। वैसे रेवेन्यु रूल यह है कि जिसकी कटाव से जमीन चली जाए उसका लेखपाल के कागज में नाम नहीं कटना चाहिये। उसमें गलत हुआ है, इसलिये किसानों को तकलीफ हुई है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

जिन किसानों का नाम कटा है और जिन अधिकारियों ने उसे काटा है, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

दोष मालूम पड़ेगा, तो जरूर की जाएगी।

जालौन जिले के ग्राम खेड़ा मुस्तकिल और बरसेस के हरिजनों को आवास भूमि का आबंटन

*8-9---डाक्टर मलखान सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 12-12-74 को ग्राम खेड़ा मुस्तकिल, परगना व जिला जलौन के हरिजनों के प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से इस आशय के कि लेखपाल ने गांव समाज की कृषि भूमि अनधिकृत काश्तकारों को दे दी और उन भूमिहीन हरिजनों को नहीं दी, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दिनांक 24-1-75 को ग्राम बरसेस, परगना कोंच, जिला जालौन के हरिजनों का पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उन्हें आवास भूमि तथा रास्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

इसमें बड़ा अफसोस है कि आपके प्रश्न में अभी सूचना एकत्र की जा रही है। इसमें तकलीफ हुई है, और मैं सख्त कार्यवाही करूंगा।

डाक्टर मलखान सिंह---

साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जिला जलौन के जिलाधिकारी और एस0 डी0 ओ0 हरिजनों की भूमि में बड़ी ढिलाई करते हैं और उनमें से एक का भी उत्तर नहीं मिला है। इसलिये इनके उपर कुछ अंकुश लगाइये।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे ।

ककरा कम्पार्टमेंट की वन भूमि और शारदा नहर की भूमि के बीच डिमारकेशन

*10—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि ककरा कम्पार्टमेंट के अन्तर्गत जिस 224.82 हैक्टर वन भूमि को वृक्षारोपण करने की योजना से लीज आउट किया गया है इसमें शारदा नहर विभाग की कितनी भूमि है और इस लीज पर दी गयी भूमि का शारदा नहर की भूमि के मध्य क्या कोई डिमारकेशन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

ककरा कम्पार्टमेन्ट में जो क्षेत्र 274.82 हेक्टर लीज पर उठाया गया है उसमें शारदा नहर विभाग की कोई जमीन नहीं है ।

चूंकि कोई क्षेत्र नहर विभाग का नहीं है इसलिये वन विभाग व शारदा नहर की भूमि के मध्य कोई डिमारकेशन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में कम्बल और कपड़े का वितरण

*11—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के गत वर्ष बाढ़ ग्रस्त गांवों में बाढ़पीड़ितों के लिये कम्बल और कपड़े का जो वितरण किया गया वह सहायता राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थाओं में अथवा निजी क्षेत्र की औद्योगिक फर्मों ने दी ? पड़रौना तहसील को इसका कितना अंश प्राप्त हुआ तथा कौन-कौन से गांव इससे लाभान्वित हुये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बाढ़ पीड़ितों को वितरित किये गये कम्बल और कपड़े का प्रबन्ध प्रधान मंत्री सहायता कोष तथा रेड्कास सोसाइटी, जिला आपदा सहायता कोष तथा हिन्डालको ट्रस्ट से किया गया । पडरौना तहसील के ग्रामों को इसका जो अंश प्राप्त हुआ उसके विवरण इस प्रकार है :—

कम्बल	264
धोती	370
साड़ी	370
फ्राक	137
कमीज	62
पेंट	44

लाभान्वित ग्रामों की सूची †माननीय अध्यक्ष के कक्ष में रख दी गई है । इसके अतिरिक्त लगभग 7500 मीटर मरकीन 5 मीटर प्रति असहाय व्यक्ति के हिसाब से वितरित किया गया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इस उत्तर में लिखा है कि लाभान्वित ग्रामों की सूची श्री अध्यक्ष के कक्ष में रख दी गई है । मान्यवर, यह झूठ है । यह नहीं रखी गई है । यह पहले ही झूठ बोल रहे हैं । मैं अपील करूंगा कि आप इनको दण्डित करें ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, झूठ और असत्य में क्या अन्तर है ? वैसे सूची रखी नहीं गई है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, सूची मैंने आपके कक्ष में भिजवा दी है । अध्यक्ष जी से पता पड़ेगा कि वह है या नहीं । वैसे सूची रखवा दी गई है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपके कक्ष में गांवों की सूची नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं देख लूंगा । अगर इस तरह से गल्ती हुई है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, बाढ़ ग्रस्त गांवों में सहायता के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो भी सहायता वगैरा दी जायेगी वह जन-प्रतिनिधियों की देखरेख में दी जायेगी । फिर यह विभिन्न उद्योगों या सरकार द्वारा सहायता दी गई है । क्या जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस सामान का वितरण हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, न तो मुझे इस बात की सूचना है और न इल्म है कि मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा था और किन के सामने बटेगा ।

श्री बांके लाल--

यह कहा गया था कि जन प्रतिनिधियों के सामने बांटा जायेगा और सूची भी नहीं मिली । पता नहीं कैसे वितरण हुआ । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन तहसीलों में कितने कम्बल और साड़ियों का वितरण किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य का ऐसा खयाल नहीं कि समय के अन्दर सहायता दी जाय । सूचना माननीय सदस्यों को भेजेंगे तब तो कारण भी खत्म हो जायेगा । बाढ़ या आग इस तरह की चीजें हों तो तत्काल सहायता होनी चाहिये । यह मतलब नहीं है कि सूचना न दी जाये । लेकिन इन्तजार करने में उसका लाभ ही खत्म हो जायेगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैंने स्वयं जिलाधिकारी, देवरिया तथा एस० डी० एम०, देवरिया और पडरौना से कहा था कि आप जिस समय वितरण करें तो उस समय हम यहां हों यानी हमारे सामने वितरण होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

हमने पता लगाया कि सूची हमारे कक्ष में है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं आप के कक्ष में गया था ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि यह सब को थोड़े ही बताते हैं। सचिव के पास सूची होती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो 264 कम्बल, 370 साड़ियां, 370 धोतियां और 7,500 मीटर मारकीन का वितरण हुआ है उसमें 90 प्रतिशत असहाय व्यक्तियों और बाढ़ ग्रस्त लोगों को नहीं मिला है यह राजनैतिक उद्देश्य से इसका प्रयोग किया गया है। कांग्रेस की रैली में 85 प्रतिशत कम्बल आये हैं। तथा मेरी सूचना को सही मान कर कि असहाय लोगों को यह कम्बल नहीं प्राप्त हुए हैं क्या माननीय मंत्री जी इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूची देख लें। आपने देखा नहीं, यह सूची है। ये जो नाम हैं, इसको देख लें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने हमको झूठ कहा था, इस पर उनको अफसोस करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य मुझसे मिले नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह कहना गलत बात थी।

श्री अध्यक्ष—

हां, वह तो गलत बात थी।

बलिया जिले के पीपशार कलां ग्राम के हरिजनों को आवास भूमि का आबंटन

*12—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया व तहसील बलिया के पीपशार कलां ग्राम के भूमिहीन हरिजनों को आवास हेतु 1974 में कितनी भूमि आबंटित की गयी है तथा कितनों को उस पर कब्जा दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुनाथ—

मान्यवर, मैं तो खड़ा था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है। उसके बाद आप तो उठे ही नहीं।

गोरखपुर जिले के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों को दी गयी सहायता एवं अनदान

*13—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र सहजनवां, पाली, खजनी व कौड़िया के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की जनता को चालू वर्ष में सहायता एवं अनुदान सरकार द्वारा कितनी मात्रा में और किन-किन तिथियों में दिया गया ? क्या यह सही है कि कोई सूचना जन प्रतिनिधियों को नहीं दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जिला गोरखपुर के विकास क्षेत्र सहजनवां, पाली, खजनी व कौड़िया के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में वर्ष 1974-75 में वितरित सहायता एवं अनुदान संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। वितरण की सूचना सम्बन्धित प्रधान तथा ब्लाक प्रमुखों को दी गई थी और वितरण प्रधानों की उपस्थिति में किया गया था।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 918 पर।)

(श्री शारदा प्रसाद रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुनाथ---

मान्यवर, 12 नम्बर का जो सवाल है वह अभी आया ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आया भी और गया भी। आप खड़े हुये और वह पढ़े। इसके बाद हम इधर देखें; आप खड़े नहीं हुये, तब मैं दूसरे सवाल पर गया।

श्री रघुनाथ---

नहीं मान्यवर, मैं खड़ा था यहां पर।

श्री अध्यक्ष---

तो समय से खड़े होने की कला सीखिये।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, 15-3-75 और 21-3-75 को जो भी सहायता वितरित की गई, उसकी सूचना, किन कारणों से तहसीलदार ने या आप के विशेष अधिकारी ने इन ब्लाकों के जन प्रतिनिधि जो इस माननीय सदन के सदस्य भी होते हैं, उनको सूचना क्यों नहीं दी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, यह शिकायत आती तो मैं उनसे सूचना ले लेता। माननीय सदस्य को यह प्रश्न पहले ही उठाना चाहिये था कि हमारे सामने बंटे। उस समय कोई आवश्यकता नहीं समझी होगी इसलिये नहीं सूचित किया होगा।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि जो भी सहायता दी जायगी, उसकी सूचना सर्वप्रथम विधायक को दी जायगी। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिनको सहायता दी जायगी, उसकी सूचना दी जायगी, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई ? वैसे यह मान्यवर, सही है कि तहसीलदार सदर ईमानदार अफसर हैं और दूसरे तहसीलदार भी ईमानदार अफसर हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन लोगों से कहेंगे कि संबंधित ब्लाक के विधायक को सूचना दी जाय, जो सहायता बांटी जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हर ऐसे कार्य में वहां के माननीय सदस्यों को भी बुला लिया जाया करे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के तो कहने की कोई वकत नहीं है आपसे कहने की क्या बात होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, बार-बार माननीय कौशिक जी ने कहा है कि मैं झूठ बोलता हूं। क्या कौशिक जी के पेट में यह भरा है जो निकलता है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, उस दिन जिला परिषद् का चुनाव हो रहा था। मैंने जिलाधिकारी से कहा कि जिला परिषद् के सब लोग हेड क्वार्टर पर हैं। आप दूसरी तिथि को यह कार्य कीजिये लेकिन वे नहीं माने क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करना था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो भ्रष्टाचार होता है, वह ही मन से निकलता है।

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों के ग्राम समाज एवं सीलिंग से निकली भूमि का आबंटन

*14—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज गुजर बलिया, तथा लेहड़, परगना हवेली, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर तथा ग्राम समाज कजरी, परगना विनाकपुर, तहसील फरेंदा और ग्राम समाज पैसिया बाबू तथा मस्ववार, परगना विनाकपुर, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में ग्राम समाज और सीलिंग से निकली हुयी कितनी एकड़ भूमि है तथा क्या इसका आबंटन कर दिया गया है, या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित सभी ग्रामों में स्थित गांव के क्षेत्रफल के 8 प्रतिशत से अधिक गांव सभा से उपलब्ध भूमि और सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया जा चुका है। भूमि संबंधी वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 919 पर।)

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

मान्यवर, उत्तर की जो प्रतिलिपि हमें मिली है, वह ठीक से पढ़ी नहीं जाती है। लेकिन जो जानकारी हो रही है उससे मालूम पड़ता है कि गुजर-बलिया, तहसील फरेन्दा में 173 एकड़ भूमि गांव समाज की है, जिसका आवंटन गांव समाज ने किया है। यदि हां, तो किस गांव के लोगों को किया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, गांव सभा में निहित केवल 173 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी। इसमें सीलिंग से जो जमीन निकली वह बिल्कुल नहीं ली गई। माननीय सदस्य ने केवल यह प्रश्न किया था कि इन ग्राम समाजों में ग्राम समाज और सीलिंग से निकली हुई कितनी एकड़ भूमि है तथा क्या इसका आवंटन कर दिया गया है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों ? यदि माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ लेते कि किन-किन को पट्टे किये गये तो वह भी सूचना मंगाकर माननीय सदस्य के सूचनार्थ बता देता। अब हम कहते हैं कि हो गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को मिली है वह गलत है। इस जमीन का आबंटन नहीं हुआ है। इसे दूसरे गांवों के लोगों को दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं इसकी इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय---

मान्यवर, सीलिंग से जो जमीन निकली है वह उस गांव के या आसपास के लोगों को न देकर उनको दी जा रही है जो उस जमीन पर नहीं रहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, यदि लिख कर दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय---

मान्यवर, इन तीनों गांवों के सम्बन्ध में मैंने 4-4 बार माननीय मुख्य मंत्री, जिलाधिकारी और माल मंत्री को इन गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में लिख कर दिया है। अब फिर वे कहते हैं कि लिख कर दे दिया जाय तो वे जांच करवायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पहले जो आपने लिख कर दिया होगा उसको भी दिखवा लूंगा।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे गांवों में रहते हैं, और जिनका पता नहीं है कि वे कहां के रहने वाले हैं, उनको वहां पर बसाया जा रहा है और जो भूमि सीलिंग से निकली है, कैसे उनको वह दी जा रही है ? बिक्री नामे से भी मालूम हो रहा है कि आस-पास के लोग लेने को तैयार नहीं हैं, क्यों कि वे जानते हैं कि अगर जमीन ले भी ली तो वे उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी विस्तृत जांच करवा लें तो आपको मालूम हो जायगा कि वहां के तहसील वालों ने कितनी बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार किया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

हल्का कठिराव, जिला वाराणसी के चकबन्दी कानूनगो के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*15---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए० सी० ओ०, हल्का कठिराव, जिला वाराणसी के चकबन्दी कानूनगो (श्री उपाध्याय) के खिलाफ जिला परिषद् वाराणसी के सदस्य, श्री जगदीश सिंह की दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक 28 फरवरी, 1975 को अपने पत्र के साथ दिया है जिसमें घूस लेना तथा चकों को बिगाड़ने और चकों को कम या ज्यादा नापने के आरोप हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां।

आरोपों की जांच कराई गई जिसमें भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप निराधार पाए गए। श्री जायता सिंह के चक नम्बर 46 का रकबा मौके पर 9 डैसीमल नाप मे कम पाया गया। श्री सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है, जिस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 3-10-74 के आदेश द्वारा श्री जायता सिंह के चक में रिट याचिका के निर्णीत होने तक कोई परिवर्तन न करने के निर्देश दिये हैं।

नोट:--नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गाजीपुर जिले के कतिपय विकास खंडों में सूखे का प्रभाव

*16—श्री रामजी सिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के जमनिया, भदौरा और रेवतीपुर विकास क्षेत्रों में किन-किन गांवों में रबी की बुआई नहीं हो सकी है और गांव लगातार सूखे से प्रभावित रहे हैं ? क्या गाजीपुर के जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में शासन को कोई सूचना दी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जमानियां, भदौरा और रेवतीपुर विकास क्षेत्र मिर्जापुर जिले में नहीं गाजीपुर जिले में हैं ये सूखे से प्रभावित हुये। जमानियां तथा भदौरा विकास क्षेत्रों के क्रमशः 13 तथा 59 गांवों में सूखे के कारण रबी की बुवाई क्रमशः 26 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत क्षेत्रफल में नहीं की जा सकी।

जिला अधिकारी सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में शासन को सूचना देते रहे हैं। इन पर सिंचाई के साधनों के पूरी क्षमता से चलाये जाने, खोये गये ट्रान्सफार्मरों को शीघ्र लगाने, सिंचाई के लिये बिजली अधिकाधिक उपलब्ध कराने के आदेश शासन द्वारा किये गये।

मुरादाबाद जिले के ग्राम भौरा के हरिजनों को कथित भूमि का आबंटन

*17—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले की तहसील मुरादाबाद के ग्राम भौरा में दिनांक 23 फरवरी, 1973 को जिन 18 हरिजन बन्धुओं को मकान बनाने के लिये नई आबादी जेरामपरी, सैदपुर, खद्दर में भूमि दी गयी थी क्या उन्हें भूमि पर कब्जा प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो सरकार कब्जा दिलाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

कोई भूमि नियमानुसार आवंटित नहीं की गई थी। भूमि पर कब्जा दिलाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

[25 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ क्रीड़ांगन में एशिया और भारत के बीच खेले गये हाकी मैच के टिकटों की बिक्री में कथित गोलमाल

*1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 23 अक्तूबर, 1974 को लखनऊ में एशिया हाकी मैच के सम्बन्ध में बेचे गये टिकटों में गोल माल की शिकायत आयी है ? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें हैं तथा उन पर कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किसके द्वारा और जांच के क्या परिणाम हैं ?

खेलकूद मंत्री (श्री लोकपति)—

अक्टूबर 23, 1974 को लखनऊ क्रीडांगन में हुये एशिया और भारत के बीच खेले गये हाकी मैच के टिकटों में गोल माल की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ जिले के ग्राम दातल में सीलिंग से निकली भूमि को अनियमित पट्टों

*2—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार की जानकारी में हाल में कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मेरठ के जिला प्रशासन ने आयुक्त, मेरठ संभाग से सिफारिश की है कि मेरठ तहसील में सीलिंग कानून के अन्तर्गत सरप्लस जमीनों के सम्बन्ध में की गयी लगभग पचास पट्टों (लीज) को, जिनका आबंटन अवैध ढंग से करके किसी वरिष्ठ अधिकारी ने लगभग 40 लाख रुपया नाजायज ढंग से पैदा किया, को निरस्त किये जाने की मांग की है ? क्या उक्त घोटाले की जांच राजस्व परिषद् के किसी सदस्य ने भी की है ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? दोषी लोग कौन-कौन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोतसीमा आरोपण अधिनियम की धारा 27(4) में अनियमित सीलिंग भूमि के पट्टों को निरस्त किये जाने का प्राविधान है। मेरठ तहसील के ग्राम दातल में पाये गये 32 अनियमित पट्टों को निरस्त करने के लिये आयुक्त, मेरठ मंडल के न्यायालय मे रिपोर्ट भेजी गई है। इन पट्टों के बारे में राजस्व परिषद् के किसी सदस्य ने तो जांच नहीं की बल्कि राजस्व परिषद् के अतिरिक्त उप भूमि व्यवस्था आयुक्त ने जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार परगनाधिकारियों ने ने 37 पट्टे अक्तूबर, 1971 से नवम्बर, 1973 के बीच किये जो अनियमित हैं। राजस्व परिषद् के परामर्श पर ही उक्त 32 पट्टों को निरस्त करने हेतु मण्डलायुक्त को रिपोर्ट भेजी गई है, आयुक्त द्वारा इन मामलों में निर्णय होने के बाद ही जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

बाराबंकी जिले की ग्राम सभा जोड़ौरा के प्रधान के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*3—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या शासन को ज्ञात है कि ग्राम सभा जोड़ौरा, पो० राम नगर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में प्रधान के अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन उठाने व फायदा लेने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र गांव के निवासियों के साथ प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ जिलाधिकारी, बाराबंकी को 1 मार्च, 1975 को दिया गया ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप हैं और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी जिले की तहसील राम सनेही घाट के रजिस्ट्रार कानूनगो की शैक्षिक योग्यता

*4—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के वर्तमान रजिस्ट्रार कानूनगो हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं और इनका असली नाम रामफल है परन्तु फर्जी नाम व फर्जी सर्टिफिकेट पेश करके कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो सही है कि प्रश्नगत रजिस्ट्रार कानूनगो हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षा पास नहीं हैं किन्तु इनके संबंध में अन्य बातें जो प्रश्न में कही गयी हैं वह सही नहीं हैं।

बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

*5—श्री जंगबहादुर वर्मा तथा श्री शिव कैलाश—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके ऊपर अधिकतम जोत सीमा अधिनियम लागू हुआ है और कितने काश्तकारों की अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित की गयी ? यदि अभी तक घोषित नहीं हुयी, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत 151 खातेदारों पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। 133 खातेदारों की भूमि अतिरिक्त घोषित की गई। 18 खादेदारों की भूमि अतिरिक्त नहीं घोषित हुई। 2 खातेदारों के सम्बन्ध में मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है।

गोंडा जिले के ग्राम फतेहपुर के हरिजनों को भूमि आबंटन संबंधी शिकायती-पत्र

*6—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम फतेहपुर, परगना बूढ़ापार, तहसील उतरौला, जिला गोंडा के निवासियों की ओर से हरिजन आवास हेतु आबंटित भूमि के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 1 फरवरी, 1975 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

जांच कराने पर शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जसड़ा एवं विशुनपुर में ओले से क्षति

*7—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ के ब्लाक रानीपुर के अन्तर्गत ग्राम जसड़ा, विशुनपुर तथा ग्राम पचिस्ता मौलनापुर में दिनांक 10/11 मार्च, 1975 की दरम्यानी रात अतिवृष्टि तथा बड़े-बड़े पत्थर पड़ने के कारण सारी फसलों तथा मकानों की जबरदस्त क्षति हुयी है जिसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक तथा ग्राम प्रधानों ने जिलाधीश, आजमगढ़ को 11 मार्च को लिखित दी है ? यदि हां, तो किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। इन गांवों में ओलावृष्टि हुई थी जिससे फसल को ग्राम जसड़ा एवं विशुनपुर में 75 प्रतिशत से अधिक तथा ग्राम पचिस्ता मौलनापुर में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई। मकानों को कोई विशेष क्षति नहीं हुई। क्षेत्रीय विधायक तथा ग्राम प्रधानों द्वारा जिलाधिकारी को पत्रक दिया गया था। ग्राम जसड़ा तथा विशुनपुर के 89 व्यक्तियों को 1520 रू0 अहेतुक सहायता वितरित की गई। इन दोनों गांवों की मालगुजारी तथा विकास कर की वसूली स्थगित कर दी गई है और छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

पीलीभीत जिले की रामनगर कालोनी का शारदा नदी से कटाव

*8—श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार को जानकारी है कि पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील की राम नगर कालोनी में बसे विस्थापित परिवारों की बस्ती की भूमि तथा कृषि भूमि शारदा नदी की बाढ़ से कट चुकी है तथा इन परिवारों के पास कोई भूमि नहीं रही है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें अन्यत्र बसाये जाने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी जिले की माल की अदालत में लम्बित मुकदमें

*9—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शासन को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में 4 परगनाधीशों की माल की अदालत में माल के हजारों मुकदमें 10-10 साल पुराने पड़े हैं जिसके कारण जनता में व्यापक असंतोष है ? यदि हां, तो शासन इनको जल्द निर्णय कराने हेतु क्या कदम उठा रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ तहसील में बाढ़ अनुदान के वितरण में भ्रष्टाचार

*10—श्री दशरथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ तहसील में सन 1971, 1972 के बाढ़ अनुदान के वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सतर्कता आयोग द्वारा जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है उनका स्थानान्तरण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना चार्ज देकर नये स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लखनऊ तहसील में सन 1971-72 के बाढ़ अनुदान के वितरण के भ्रष्टाचार के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा केवल एक अधिकारी जो वहां के भूत पूर्व तहसीलदार हैं के विरुद्ध जांच की जा रही है। उनका वहां से स्थानन्तरण हो गया था और दिनांक 24 अप्रैल, 1972 को वह लखनऊ तहसील से अवमुक्त भी हो चुके हैं। वहां से उन्होंने अपने नये स्थान पर चार्ज भी ग्रहण कर लिया था।

देहरादून की तहसील चकराता के अन्तर्गत ग्रामीण जंगल की भूमि तथा हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*11—श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि देहरादून जिले की चकराता तहसील के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जंगल की भूमि तथा हरिजनों की भूमि पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में वहां के एस० डी० एम० ने कोई रिपोर्ट अभी हाल में दी है ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पहले एस० डी० एम० ने कोई भी रिपोर्ट दी थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एटा जिले की कतिपय तहसीलों में ओला-वृष्टि

*12—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा—)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में तहसील कासगंज तथा तहसील अलीगंज में एक-एक किलो का ओला पड़ा है और रबी की फसल मटर, गेहूं, चना, सरसों, तम्बाकू आदि का 70 प्रतिशत नुकसान हुआ है? यदि हां, तो वहां के किसानों को सरकार क्या सुविधा देने जा रही है? क्या जिलाधिकारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिससे सरकार को जानकारी हो गयी हो कि कितने ग्रामों में कितना-कितना नुकसान हुआ है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पीलीभीत जिले के ग्राम लगभगा और गोरख डिब्बी की वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*13—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के ग्राम लगभगा और गोरख डिब्बी में वन विभाग की कितनी भूमि है उस पर कितने लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है और इस भूमि को खाली कराने की क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या कुछ भूमि शारदा नदी के घेरे में भी है जिस पर अनधिकृत कब्जा हो गया है? यदि हां, तो कितनी?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पाइन्दाबाद में अग्नि-कांड

*14—श्री झाम लाल अहिरवार, (जिला फर्रुखाबाद)—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पाइन्दाबाद, तहसील कनौज जिला फर्रुखाबाद में दिनांक 28 फरवरी, 1975 को भयंकर आग लग जाने के परिणाम स्वरूप 34 मकान जल कर पूर्णतया नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो कुल नुकसान का अनुमानित योग क्या है? साथ ही क्या राहत प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम पाइन्दाबाद में दिनांक 28-2-75 को अचानक आग लग जाने के कारण 27 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये। क्षति का अनुमानित मूल्य 26,828 रुपया के लगभग है क्षतिग्रस्त परिवारों के सदस्यों ने अनुदान तथा तकावी लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें सस्ते रेट पर ईंट तथा सीमेन्ट सुलभ कराने के लिये परमिट दिये जायें जिसकी व्यवस्था जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है।

लखीमपुर खीरी जिले में टी० पी० भल्ला के कृष्णानगर फार्म से निकली सीलिंग की भूमि

*15—श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में टी० पी० भल्ला के कृष्णानगर फार्म की 446.94 एकड़ भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियत अधिकारी द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 1973 को अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी थी? भूमिहीनों में न वितरित करके शासनादेश, दिनांक 6 मई, 1968 के अनुसार वन विभाग को दे दी गयी थी? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर वन विभाग ने पूर्णरूपेण कब्जा कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के ग्राम चौखड़ा की सार्वजनिक भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

*16—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौखड़ा, थाना इटवा, जनपद बस्ती में हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के निवास स्थानों के समीप सार्वजनिक भूमि भूतपूर्व जमींदारान जबरदस्ती अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

कार्यवाही करनेका प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के संग्रह अमीनों को कार्यमुक्त करने का कथित निर्णय

*17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जिला प्रशासन, गोरखपुर ने 150 संग्रह अमीनों को कार्यमुक्त करने का कोई निर्णय इस वर्ष लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है गोरखपुर जिले में एकीकृत संग्रह योजना के अन्तर्गत कोई संग्रह अमीन कार्यमुक्त नहीं किया गया है। सवा छः एकड़ के जोतों पर पुनः मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में 65 सहायक अमीन और नियुक्त किये गये हैं और यह कार्य कर रहे हैं।

गोरखपुर जिले के ग्राम बेइली के हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे से संबंधित प्रार्थना पत्र

*18—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) तथा श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव, परगना चिल्लुपार के अन्तर्गत ग्राम बेइली के हरिजनों ने अपने उक्त मौजा में स्थित आराजी नं0 162, 163/1 व 163/2 आदि को नेशनल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज बड़हलगंज गोरखपुर द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो हरिजनों के भूमि के रक्षार्थ अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर जिले के बासिल बाकी नवीस और क्लर्कों को इन्टीग्रिटी सर्टीफिकेट और इन्क्रीमेंट

*19—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिले के कितने और कौन-कौन बासिल बाकी नवीस और क्लर्क ऐसे थे जिनको इन्टेग्रिटी सार्टीफिकेट 1966-67 में नहीं दिया गया

था तथा इन्क्रीमेन्ट भी रोक दिये गये थे और डिपार्टमेंट की जांच भी करायी गयी थी ? क्या वह जांच खत्म हुई या नहीं ? अगर नहीं, तो इन जांचों की रिपोर्ट्स अभी तक न आने से इन कर्मचारियों की तनख्वाहों और पेंशन पर जो असर पड़ा उसका जिम्मेदार कौन है ? और सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जाफराबाद, नजीबाबाद (गढ़वाल) के बीच वन व रेल विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन का अवैध रूप से कटान

*20—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या जाफराबाद, नजीबाबाद (गढ़वाल) के बीच वन व रेल विभाग के कर्मचारी अवैध रूप से वन काट रहे हैं और काटे गये यूक्लिपटस के पेड़ रेलगाड़ी में नजीबाबाद पहुंचाये जाते हैं ? यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में चकबन्दी

*21—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि जनपद मुरादाबाद के जिन ग्रामों में चकबन्दी क्रिया समाप्त हुये एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है उन ग्रामों को अभी तक चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत गजट क्यों नहीं किया गया ? इन ग्रामों के नाम क्या-क्या हैं तथा उन्हें कब तक धारा 52 के अन्तर्गत गजट कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। मुरादाबाद जिले के 38 ग्राम ऐसे हैं जिनमें चकों का पुष्टिकरण एवं कब्जा परिवर्तन हुए एक वर्ष पूरा हो चुका है किन्तु धारा 52 के अन्तर्गत अधिसूचना अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इन ग्रामों की सूची संलग्न है। इन ग्रामों का धारा 52 का प्रकाशन जैसे ही अवशेष कार्य पूरा हुआ, करा दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 920 पर।)

देवरिया जनपद में भूख से मृत्युएं

*22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद में नवम्बर, 1974 से 20 मार्च, 1975 तक भूख से कुल कितने लोग मरे हैं ? तथा सरकार ने ग्रामीण अंचलों में राशन की क्या व्यवस्था की है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले के विशुनपुरा विकास खंड में उपल वृष्टि से क्षति

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1975 तथा 11 फरवरी, 1975 को देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के विशुनपुरा विकास खंड के गांवों में उपल वृष्टि से रबी की फसल की कितनी क्षति हुयी है ? यदि हां, तो कितनी तथा क्षति-ग्रस्त गांवों को राहत के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

10 तथा 11 फरवरी को उपलवृष्टि से बिलकुल मामूली क्षति हुई थी जिसके लिये किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

तहसीलदार चुनार (मिर्जापुर) के विरुद्ध शिकायत

*24—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि चुनार तहसील (मिर्जापुर) के तहसीलदार को वर्ष 1974 में प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों की ग्राम मगरहा में चक रोडों के अतक्रिमण व स्थान निर्धारण तथा प्रश्नकर्ता के खेतों पर अतिक्रमण सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं ? इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रश्नकर्ता की शिकायत सम्बन्धी अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*25—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[10वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 42 पर स्थानान्तरित ।]

*26—श्री इन्द्र लाल—

[11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 पर स्थानान्तरित ।]

बलिया जिले की रसड़ा तहसील के अन्तर्गत चकबन्दी

*27—श्री रघुनाथ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के कितने ग्रामों की चकबन्दी हो चुकी है और कितने ग्रामों की चकबन्दी होना अवशेष है ? और अवशेष ग्रामों की चकबन्दी सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो काम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद बलिया के रसड़ा तहसील के 858 ग्रामों में से केवल 782 ग्राम चकबन्दी के अन्तर्गत लिये गये थे इनमें से 773 ग्रामों में चकबन्दी का पुष्टिकरण हो चुका है । एक ग्राम में धारा 20 का प्रकाशन तथा 3 ग्रामों में धारा 9 का प्रकाशन हो चुका है । शेष 5 ग्रामों में कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जावेगा ।

वन विभाग द्वारा डाकूमेन्टरी फिल्म बनाने हेतु खरीदा गया संयंत्र

*28—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में क्या कई लाख रुपये के खरीदे हुए ऐसे संयन्त्र बेकार पड़े हैं जिनकी खरीद डाक्यूमेन्टरी तथा अन्य वन शोभा की सिनेमा

फिल्में बनाने के लिए की गयी थी ? यदि हां, तो इन संयन्त्रों का सदुपयोग न होने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिले में रामगंगा के किनारे के कतिपय ग्रामों की काश्त की हदबन्दी व पैमाइश

*29—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर, परगना खेड़ा बझेड़ा में रामगंगा के किनारे के ग्रामों डभौरा, सरसवां, लोहर गढ़ी (गैर आबाद) नगरा देहा एतमाली की काश्त जो दरिया बुर्द पड़ी है उसकी हदबन्दी तथा पैमाइश की कार्यवाही चल रही है तथा कब से ? और कब तक इस पैमाइश के पूरी हो जाने की सम्भावना है ? क्या सरकार शीघ्र इस कार्य को पूरा कराने के निश्चित आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच जिले के भिनगा व सुहेलवा के जंगलात के माफीदार गांवों को लकड़ी न मिलना

*30—श्री सुखदराज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के भिनगा व सुहेलवा जंगलात के माफीदार गांवों को तीन वर्ष से माफी लकड़ी देना बन्द कर दिया है और इस सम्बन्ध में दिनांक 26 फरवरी, 1975 को कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी साथही वे कौन-कौन माफीदार गांव हैं जिन्हें माफी लकड़ी नहीं दी गयी और किन-किन गांवों को दी दे गयी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखीमपुर जिले में सीलिंग से निकली भूमि

*31—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1975 को जिला लखीमपुर में सीलिंग से निकली जमीन अलग-अलग तहसीलों में कितनी है ? क्या यह भी सही है कि निधासन तहसील में लगभग 20 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अवैधानिक कब्जा है ? यदि हां, तो सरकार ने उनको हटाने की क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*32—श्री गोरे लाल शाक्य—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित ।]

*33—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 पर स्थानान्तरित ।]

गोंडा जिले के चकबन्दी कर्मचारी, श्री रोहन सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*34—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला बलरामपुर इकाई में एक चकबन्दी कर्ता (श्री रोहन सिंह जब तप्पा पेड़वा में तैनात थे) के विरुद्ध जनता ने कई शिकायती-पत्र एस० ओ० सी० बलरामपुर, गोंडा को विगत वर्ष में दिया था जिसमें भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें थीं ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें मिलीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री रोहन सिंह के विरुद्ध केवल एक गुमनाम शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनके स्थानान्तरण का अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि वह चुनाव में एक दलीय उम्मीदवार में दिलचस्पी ले रहे हैं ? जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई ? अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*35—श्री भगवती सिंह विशारद—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

*36—श्री ऊदल तथा श्री जफर आजमी—

[11वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

*37—श्री मंजूर अहमद—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के ग्राम भूसाडोही एवं चक्की भूसाडोही के लेखपाल एवं कानूनगो का निलम्बन

*38—श्री राम सुन्दर पांडेय—

दिनांक 21 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कब से दोनों कर्मचारी निलम्बित हैं और अब तक विभागीय कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लेखपाल दिनांक 21 दिसम्बर, 1974 से तथा कानूनगो दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 से निलम्बित हैं। विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा निलम्बित कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समय दिया गया है।

तहसीलदार फरेन्दा, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*39—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी करने, तकावी वितरण में धांधली करने, टेस्टवर्क को मनमाने ढंग से स्थगित करदेने, ग्राम समाज सम्पत्ति अपहरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने तथा सरकारी दूकान के कोटेदारों से कमीशन लेने, सीमेन्ट के वितरण आदि कई अभियोगों के सम्बन्ध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 और 30 दिसम्बर, 1974 को शासन को लिखित शिकायतें दी गयीं तथा उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, तहसीलदार फरेंदा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें शासन में प्राप्त हुयी थीं। राजस्व परिषद् को ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि वह इस सम्बध में जांच कराएं।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम गोविन्दपुर में बहगल नदी से कटाव

*40—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ाबझेड़ा के ग्राम गोविन्दपुर के हरिजनों के 17 मकान गत वर्ष बहुगुल नदी की बाढ़ से कट गए थे और उनके बसने की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी? यदि हां, तो ऐसा क्यों और निकट भविष्य में सरकार इन गरीब हरिजनों को बसाने की क्या व्यवस्था करेगी? क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, 1974 में इन हरिजनों ने राजस्व मन्त्री को अपनी दुर्दशा के सम्बन्ध में तार व प्रार्थना-पत्र भेज कर अवगत कराया था? उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी? कब तक होगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*41—श्री राम मूर्ति—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*42—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

*43—श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री हिम्मत सिंह—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

फर्रुखाबाद जिले के ब्लाक कमालगंज और कायमगंज में ओला-वृष्टि

*44—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज ब्लाक व कायम गंज ब्लाक में अभी हाल ही में हुए ओला वृष्टि से कितने का नुकसान हुआ और सरकार जिन लोगों का ओले से नुकसान हुआ है, की सहायता के लिए क्या कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*45—श्री जंग बहादुर सिंह पटेल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*46—कामरेड चन्दन सिंह—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

उन्नाव जिले के तहसील हसनगंज के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की बकाया सरकारी वसूली और उक्त तहसील के तहसीलदार का स्थानान्तरण

*47—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में खाद बीज, तकावी, विकास कर, लगान, सिंचाई आदि का काफी रुपया वसूल करने को पड़ा है ? यदि हां, तो यह रुपया कब से बकाया है और तकावी के 5,000 रुपये या उससे ऊपर कितने बकायेदार हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं और इसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*48—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील में 1971-72 व 1972-73 तक वितरित होने वाली सहायता धनराशि में किए गए गोलमाल में सम्बन्ध में तहसीलदार (श्री श्याम लाल श्रीवास्तव) का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ? कितने का गोलमाल है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, किसी गोलमाल के सम्बन्ध में तहसीलदार का स्थानान्तरण नहीं किया गया । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के अन्तर्गत भूख से तथाकथित मृत्युएं

*49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरि केवल—

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि विगत कुछ महीनों में गोरखपुर जिला की तहसील बांसगांव में भूख से दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या प्रबन्ध किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*50—श्री राम सजीवन—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित ।]

बुन्देलखंड वन प्रभाग, झांसी के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*51—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 अक्तूबर, 1973 से लेकर 31 दिसम्बर, 1974 तक सरकार को जिला प्रभागीय तथा प्रान्तीय स्तर पर बुन्देलखंड वन प्रभाग झांसी के डी0एफ0ओ0 (श्री जगत नारायण), एस0डी0ओ0 फारेस्ट (श्री जयन्ती प्रसाद) तथा इनके अधीनस्थ काम करने वाले रेंज अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य में विलीनीकृत देशी रियासतों की भूमि पर मालगुजारी की दर

*52—श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विलीनीकृत देशी रियासतों की भूमि पर अभी तक वही मालगुजारी पड़ रही है जो कि विलीनीकरण के पहले बंधी हुयी थी और जो राज्य द्वारा निर्धारित रेट के कई गुना अधिक है, जिसके कारण विलीनीकृत क्षेत्र के काश्तकारों में बड़ा क्षोभ तथा असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असामानता को दूर करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों का बन्दोबस्त करा के राज्य के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित दरों पर ही यहां भी मालगुजारी बांधने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर जिले के हरिजनों को आबंटित आवास स्थल

*53—श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में हरिजनों को आवास के लिए जो भूमि मिली है उस पर दूसरे व्यक्तियों के प्लाट काट दिये गए हैं ? फलस्वरूप जमीन पर कब्जा किसी का है तथा आबंटन किसी और का ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय जिलाधीश, मुजफ्फरनगर को आदेश देंगे कि वह हर गांव में मौके पर जांच करा के इस भिन्नता को दूर कराए तथा भूमि का आबंटन भी उसी व्यक्ति को कराए जिसका कि उस पर कब्जा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में राजस्व एवं विकास कर की धनराशि और उसके आबंटन की मांग

1—श्री ओम प्रकाश—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 में जनपद मुरादाबाद में राजस्व एवं विकास कर की कितनी-कितनी धनराशि शासन द्वारा वसूल की जानी है और पिछले वर्ष की अर्थात् 1973-74 की कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष 1974-75 में जिला मुरादाबाद में भू-राजस्व एवं भूमि विकास कर की मांग क्रमश : रु0 55,54,780 एवं रु0 56,63,922 थी। वर्ष 1973-74 की भू-राजस्व एवं भूमि विकास कर की बकाया रु0 14,29,503 तथा रु0 16,47,685 थी।

2—श्री ओम प्रकाश—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विकास कर की धनराशि का आबंटन राज्य सरकार जिला परिषदों, विकास खंडों तथा ग्राम पंचायतों को किस अनुपात से और कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो धनराशि विभिन्न जिला निधियों, क्षेत्र निधियों अथवा पंचायत निधियों में हस्तान्तरित की जानी है, उसका आधार यह रक्खा गया है कि सभी जिला परिषदों को बराबर-बराबर धनराशि बांट दी जायगी और सभी विकास क्षेत्रों को भी बराबर-बराबर धनराशि बांट दी जायगी। विभिन्न गांव सभाओं को किन योजनाओं के लिए, कितनी धनराशि क्षेत्र निधि को हस्तान्तरित धनराशि में से दी जाय, इसका निर्णय क्षेत्र समितियां करेंगी। इन निधियों को यथा सम्भव इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक धनराशि का आबंटन कर दिया जाएगा।

3—श्री नाथू राम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

4—श्री ओम प्रकाश—

[12वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित]

5—श्री मोहन लाल कपूर—

[9वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन खंड तुर्रा के टेलीफोन के रखरखाव पर व्यय

6—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर) तथा श्री श्रीनारायण—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन खंड तुर्रा में विभागीय टेलीफोन (वन विभाग का) के रख-रखाव पर वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में कुल कितना व्यय किया गया है? क्या यह सही है कि उपरोक्त टेलीफोन व्यवस्था 1 जनवरी, 1973 से बेकार पड़ी है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

7—श्री सुल्तान सिंह यादव तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[9वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले एवं सिरसिया बुजुर्ग ग्राम में आगजनी की घटनाएं

8—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में मार्च, 1974 से फरवरी, 1975 तक आगजनी की कितनी-कितनी घटनायें हुयीं और उसमें कुल कितने घर जले और सरकार से उनको क्या-क्या सहायता दी गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

9—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 1975 में देवरिया जिले के तौरंगिया विकास खंड में सिरासया बुजुर्ग ग्राम में भीषण आगजनी में हरिजन बस्ती के जल कर भस्म हो जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुयी? उसमें किन किन लोगों के घर ज और उसको सरकार ने क्या सहायता दी? हरिजनों को सहायता की धनराशि न मिलने के क्या कारण हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[दिनांक 11 अप्रैल, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर उत्तरित]

आजमगढ़ जिले में ओले से प्रभावित क्षेत्रों में दी गई सहायता

11—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने गांव हाल में ओले से प्रभावित हुए हैं और किन-किन क्षेत्रों में फसल को कितनी क्षति हुयी है ? तथा क्षतिग्रस्त किसानों को क्या राहत दी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुल 542 ग्राम प्रभावित हुए हैं ।

क्षति का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :

नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	क्षति की मात्रा
लालगंज ..	314	155 गांवों में 60 से 90 प्रतिशत 159 गांवों में 50 प्रतिशत से कम
मुहम्मदाबाद ..	161	55 गांवों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत 106 गांवों में 50 प्रतिशत से कम,
फूलपुर ..	67	40 गांवों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत 27 गांवों में 50 प्रतिशत से कम ।

आजमगढ़ जिले के क्षतिग्रस्त किसानों के सहायतार्थ निःशुल्क सहायता हेतु 20,000 तथा आपदा तकावी के मद में रु0 1,00,000 की धनराशि आबंटित की गई। ओला पीड़ित क्षेत्रों में भू-राजस्व आदि की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गई ।

हरदोई जिले के ग्राम मलइयां के ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

12—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत तहसील संडीला के ग्राम मलइयां में ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि किन भूमिहीनों तथा हरिजनों में तथा कितनी-कितनी भूमि अन्य लोगों को पट्टे द्वारा भूमि 1974-75 में दी गयी और अब कितनी भूमि ग्राम समाज की पड़ी हुयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नानपारा व बहराइच तहसीलों के अन्तर्गत सीलिंग से निकली भूमि का वितरण

13--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा, बहराइच के कैसरगंज में किन-किन लोगों की जमीन सीलिंग में निकली तथा उसको किन-किन लोगों में वितरित किया गया ? इनमें हरिजनों को जमीन दिए जाने का प्रतिशत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत भू-दान यज्ञ की भूमि का वितरण

14--श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताएगी कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में भू-दान यज्ञ की कितनी भूमि है, कितनी जमीन हरिजन, भूमिहीन किसानों तथा पिछड़ी जाति में वितरित की गयी है तथा कितनी जमीन वितरण के लिए बाकी है ? यदि हां, तो बाकी जमीन को भूमिहीन हरिजन, कृषक मजदूरों के बीच बांटने की कब तक व्यवस्था की जाएगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील में भू-दान यज्ञ की कुल 639.83 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसमें से 378.44 एकड़ भूमि हरिजन भूमिहीन किसान तथा पिछड़ी जाति के लोगों में वितरित की गई है। वितरण हेतु 261.39 एकड़ भूमि शेष है। भूमि के वितरण की कार्यवाही भू-दान यज्ञ समिति द्वारा की जाती है, अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत महाराजा काशी नरेश की भूमि की सीलिंग

15--श्री राम रति बिन्द

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में भूतपूर्व महाराजा काशी नरेश के पास कुल कितनी भूमि थी और क्या उस भूमि पर सीलिंग कानून लागू है ? यदि हां, तो कितनी जमीन सीलिंग में आ रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे की जमीन के वितरण की मांग

16--श्री रामरति बिन्द--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में गंगा नदी के किनारे कुल कितनी-कितनी तरी की जमीन अलग-अलग गांवों में है और क्या तथा इसमें से कितनी जमीन पर काश्तकारों का नाम दर्ज है और कितनी बची हुयी है ? क्या बची हुई जमीन को भूमिहीन हरिजन व कृषक मजदूरों में बांटने की कृपा की जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

17—डाक्टर मलखान सिंह—

[दिनांक 14 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर उत्तरित।]

मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन प्रभाग के निवासियों को वन सम्पत्ति के उपयोग की सुविधा

18—श्री शिव सम्पत्ति राम—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या 1380/74, दिनांक 6 मई, 1972 के अनुसार दुद्धी, जिला मिर्जापुर के निवासियों को दुद्धी वन प्रखंड तुर्रा में लकड़ी तथा वन सम्पत्ति का उपयोग करने हेतु क्या कोई सुविधायें दी गयी हैं। यदि हां, तो वह क्या हैं, किनके लिए हैं तथा सुविधायें कब से लागू की गयीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश की सही संख्या 1380/XIV दिनांक 6 मई, 1952 है। उक्त शासनादेश के द्वारा दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट फारेस्ट को वर्ष 1949-50 से 1963-64 तक की श्री शौकत हुसैन द्वारा बनायी गयी कार्य योजना की स्वीकृति दी गयी थी। इसी कार्य योजना में भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट फारेस्ट के रक्षित (प्रोटेक्टेड) वन क्षेत्रों के निवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा दिया गया है। यह ब्योरा संलग्न है।

दुद्धी वन प्रभाग में भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट के रक्षित (प्रोटेक्टेड) वन क्षेत्र के अतिरिक्त निहित वन क्षेत्र भी हैं जो जमींदारी उन्मूलन के बाद विभाग में निहित हुए। सन् 1952 और 1953 में शासन द्वारा जारी किए गए सामान्य शासनादेश के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासियों को वे सब सुविधायें दी जाती हैं जो जमींदारी उन्मूलन के पहले उन्हें जमींदारों से प्राप्त थी ?

उपरोक्त रक्षित तथा निहित दोनों प्रकार के वनों की अब वन बन्दोबस्त कार्यवाही हो रही है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी स्थानीय निवासियों के हक-हकूकों का भी निर्धारण करते हैं और कर भी रहे हैं। इस निर्धारण के बाद स्थानीय निवासियों को वनों से वही सुविधायें दी जा रही हैं/दी जाएगी जो वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा रही हैं/की जाएंगी।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 921—922 पर।)

बहराइच वन प्रभाग के भिनगा व सुहेलवा रेंज के माफीदार गांवों को माफी की लकड़ी न मिलना

19—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1975 से अब तक बहराइच जिले के भिनगा, सुहेलवा रेंज के माफीदार गांवों को लकड़ी न देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां। प्रश्न गत शिकायत पर जांच कराई गयी। जिससे विदित हुआ कि जिला बहराइच के भिनगा रेंज के माफीदार गांवों को गत तीन वर्षों से माफी की लकड़ी, घास व छप्पर बन्दी सर्वदा दी जाती रही है। घास व छप्पर बन्दी की माफी दिसम्बर, 1974 में भी एवं लकड़ी की माफी मार्च, 1975 में भी स्थानीय माफी समिति के माध्यम से गांव वालों को दी जा चुकी है।

जिला बहराइच के सुहेलवा रेंज के माफीदार गांवों को भी कोरो, साटा, वाती घास व छप्पर बन्दी दी जा चुकी है। परन्तु माफी की लकड़ी का मांग-पत्र जिलाधिकारी, बहराइच से विलम्ब से प्राप्त होने के कारण माफी की लकड़ी नहीं दी जा सकी।

बहराइच वन प्रभाग के भिनगा रेंज के अन्तर्गत वृक्षारोपण योजना

20—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के भिनगा रेंज में किन-किन कम्पार्टमेंट के अन्तर्गत कितनी भूमि पर सन् 1974-75 में वृक्षारोपण करने की योजना बनाई गई है और इस कार्य हेतु कितनी भूमि लीज आउट कितनी-कितनी धनराशि में किन व्यक्तियों को दी गयी और अब कितनी शेष भूमि पर वृक्षारोपण करने की योजना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत भिनगा रेंज में वर्ष 1974-75 (वर्षाकाल 1975) में वृक्षारोपण के निमित्त निम्नांकित क्षेत्रों को लिए जाने की योजना है :—

भिनगा कम्पार्टमेंट	3व (II)	..	13.10	हैक्टर
,, ,, ..	7व	..	20.23	,,
,, ,, ..	10व	..	10.30	,,
,, ,, ..	14अ		32.70	,,
,, ,, ..	15व	..	49.20	,,
,, ,, ..	26व	..	26.70	,,
,, ,, ..	30व	..	25.00	,,
,, ,, ..	40व	..	29.60	,,
ककरदरी निहित वन		..	14.00	,,
	योग	..	220.83	,,

उपरोक्त क्षेत्रों में से ककरदरी निहित वन का 14.00 हैक्टर क्षेत्र छोड़ कर (जिसमें विभाग द्वारा ही वृक्षारोपण किया जायगा और जिसे भूमि खराब होने के कारण लीज पर नहीं दिया जा सका है) शेष सभी क्षेत्र टांगिया काश्तकारों के बीच वितरण कर दिए गए है। इन काश्तकारों से कोई लीज रेन्ट नहीं लिया गया है, और न लिया जाता है। वर्ष 1976 वर्षाकाल में भी वृक्षारोपण के लिए 220.80 हैक्टर भूमि लेने की योजना है क्योंकि बहराइच वन प्रभाग के लिए शासन द्वारा स्वीकृत कार्य योजना (वर्किंग प्लान) के अन्तर्गत प्रति वर्ष 220.80 हैक्टर क्षेत्र भिनगा रेंज में वृक्षारोपण हेतु लिए जाने का प्राविधान रहा है। कार्य-योजना के संशोधन का कार्य इस समय चल रहा है अतएव 1977 व उसके बाद में उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों का विवरण तथा कुल क्षेत्रफल इस समय दे सकना सम्भव नहीं है। टांगिया काश्तकारों की सूची संकलित की जा रही है और माननीय सदस्य को अलग से भेज दी जायगी। काश्तकारों की संख्या सैकड़ों में होने के कारण, उसकी सूची संकलित करने में कुछ समय लग रहा है।

बुलन्दशहर जिले के ग्राम गोकुलपुर की ग्राम समाज की भूमि का आबंटन

21—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गोकुलपुर, परगना डिवाई, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में ग्राम समाज भूमि के भूमिहीनों को पट्टे दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उस भूमि को गंगा वास वालों को, जो दूसरे गांव के हैं, किस धारा के अन्तर्गत जिलाधीश महोदय दिनांक 26 फरवरी, 1975 को बंटवाने का निर्णय ले चुके हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जिले में नियुक्त किए गए हरिजन अमीन व चपरासी और नियुक्ति में सेवामुक्त चपरासियों को दी गई प्रथमिकता

22—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई) तथा श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में दिनांक 20 जनवरी, 1975 में हुए अमीनों व चपरासियों के चयन में कितने व्यक्ति चपरासी के स्थान पर व कितने अमीनों के स्थान पर लिए गए तथा उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 20 जनवरी, 1975 को 80 संग्रह अमीन तथा 80 संग्रह चपरासी सीजनल पदों पर नियुक्त किए गये थे जिनमें 15 अमीन व 19 चपरासी अनुसूचित जाति के थे।

23—श्री पूरन लाल तथा श्री अंगने लाल—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि जो चपरासी लगान माफी के समय सेवा मुक्त थे उनमें से कितने व्यक्तियों को उपरोक्त चयन में प्राथमिकता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

चयन में लगान माफी के समय सेवा मुक्त चपरासियों को प्राथमिकता दी गई थी। 80 में से 72 पुराने चपरासी ही नियुक्त किए गए। उनके उपलब्ध न होने पर केवल 8 पदों पर नए व्यक्ति भर्ती किए गए थे।

बहराइच जिले की कतिपय गांव सभाओं को ग्राम समाज की भूमि का आबंटन

24—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा कल्याणपुर, परगना भिनगा व गांव सभा बलनपुर, बसन्तपुर व सीनोढ, तराई परगना, इकौना तहसील व जिला बहराइच के अन्तर्गत ग्राम समाज की कितनी भूमि पिछले तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को आबंटित की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

गांव सभा बलनपुर बसन्तपुर व सोनौढ़ा तराई परगना इकौना में पिछले 3 वर्षों में गांव सभा की कोई भूमि आबंटित नहीं की गई। गांव सभा कल्याणपुर, परगना भिनगा में सर्वश्री खितऊ पुत्र बकेसर, फेरन पुत्र भगवानदीन, लाले पुत्र लौटन, रामहेतु पुत्र छांगुर तथा होली पुत्र लौटन को 0.030 एकड़ भूमि (प्रत्येक परिवार को) गृह निर्माण हेतु आबंटित की गई।

आगरा जिले में सीलिंग से निकली भूमि का आबंटन

25—श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद में जो सीलिंग की जमीन निकली है वह कितनी है और उसमें से हरिजनों को तहसीलवार कहां-कहां, कितनी-कितनी जमीन दी गयी है ? क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों ने बड़े काश्तकारों के हित में बहुत जमीन छोड़ दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित जांच करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जिला आगरा में कुल 671.70 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसमें से हरिजनों को तहसील बाह में 11.34 एकड़, तहसील किरावली में 24.58 एकड़ तथा तहसील खेरागढ़ 111.18 एकड़ भूमि आबंटित की गई। सरकारी अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध किसी खातेदार की कोई भूमि छोड़ने की शिकायत नहीं है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

पडरौना तहसील के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

26---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तहसील में ऐसे कितने कर्मचारी (चपरासी तथा चौकीदारों को छोड़कर) हैं, जो पिछले दस वर्षों से इसी तहसील में हैं ? इनके इतने समय तक स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील संडीला, हरदोई के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण और कर्मचारियों का निलम्बन

27---श्री काशीनाथ मेहरोत्रा---

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1975 में जब उनके (राजस्व मन्त्री) द्वारा हरदोई जिले की तहसील संडीला के कार्यालय का अकस्मात निरीक्षण किया गया, तब क्या-क्या अनियमिततायें प्रकाश में आयीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैंने दिनांक 11 फरवरी, 1975 को तहसील संडीला, जिला हरदोई का आकस्मिक निरीक्षण किया था जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आईं :---

(1) तहसील के नकल नवीस ने नकल जारी करने तथा नकल के प्रार्थना-पत्रों को क्रमिक रूप से अंकित करने में अनियमितता बरती थी एवं नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार का उनके कार्य पर प्रभावशाली नियन्त्रण भी नहीं था।

(2) तहसीलदार के पेशकार का कार्य भी नियमानुसार सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा था एवं उसके पास से एक टूटे बक्से में से रु0 5,400 तथा कुछ चांदी व सोने के जेवरात बरामद हुए जिसे उसने किसी अन्य व्यक्ति का बतलाया।

(3) बन्दूक के लायसेंस के सम्बन्ध में करीब 300 प्रार्थना-पत्र तहसील में जांच हेतु भेजे गए थे परन्तु उनमें कोई जांच नहीं की गई थी।

(4) कुछ गांव सभा भूमि पर अनधिकृत रूप से ईंटों का भट्टा चलाया जा रहा था जिसे हटाने के लिए कार्यवाही प्रभावशाली ढंग से नहीं की गई।

(5) जमींदारी विनाश नियम 115-सी से सम्बन्धित निस्तारित वादों की पत्रावलियों में जुर्माने की वसूली नहीं की गई थी।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार, नकल नवीस और तहसीलदार के पेशकार को दिनांक 22 फरवरी, 1975 से निलम्बित कर दिया गया जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। परगना अधिकारी, संडीला ने जिन प्रार्थना-पत्रों में नकलें नहीं जारी हुई थीं, उनको

जारी करा दिया है तथा वर्तमान तहसीलदार व नकल नवीस को यह निर्देश दे दिया गया है कि नकल के प्रार्थना-पत्रों को नियमानुसार प्राप्त होने के क्रम में अंकित करके क्रमानुसार नकलें भी जारी करें। सम्बन्धित तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित व सचेत भी कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित जिन पत्रावलियों में वसूली होनी थी उनमें वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी गई है। बन्दूक के अनिस्तारित प्रार्थना-पत्रों में से कुछ का निस्तारण हो गया तथा शेष की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। गांव सभा की भूमि पर से अनधिकृत भट्टे को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों के अन्तर्गत अग्नि-कांड पीड़ितों को दी गई सहायता

28—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1975 से मार्च, 1975 में बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया, हरिहरपुर रानी, हकौना एवं गिलौला में कितने अग्निकांड कहां पर हुए और उन अग्नि-पीड़ितों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता कब-कब दी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनवरी 1975 के मार्च, 1975 के बीच बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया हरिहरपुर रानी, इकौना तथा गिलोला में हुई अग्निकांड तथा अग्निपीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

विकास खंड का नाम	अग्निकाण्ड का स्थान (ग्राम)	दी गई सहायता का विवरण	
		अहेतुक सहायता	दिनांक
सिरसिया ..	(1) यकघुरवा ..	..	..
	(2) पटखोली ..	..	..
	(3) घोरढ़ौरिया द0 बभनी	..	..
	(4) तन्दुवा ..	..	..
	(5) टिटिहरिया द0 अहलादनगर	250.00	9-4-75
हरिहरपुर रानी ..	(1) परसाडेहरिया ..	..	..
	(2) सघईपुरवा द0 शाहपुरकला	..	..
	(3) ऐलहवा ..	..	..
	(4) टण्डवा बनकटवा ..	575.00	19-3-75
	(5) बहलवा ..	..	..
हकौना ..	(1) डिगुराजोत ..	..	..
	(2) समगढ़ा ..	..	..
	(3) परसरामपुर ..	..	..
गिलौला ..	(1) मोहमदापुर ..	..	..
	(2) मैदा चक ..	..	..
	(3) असवा ..	..	..

ग्राम घोरदौरिया द0 बभनी तथा तेन्दवा के अग्नि-पीड़ितों को खर, फूस और लकड़ी आदि दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने सूचना दी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 तथा 116 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य समझा कि विधान सभा के सदस्य सर्वश्री नियाज हसन खां, राम मूर्ति, शिव प्रसाद गुप्त और रामरेखा यादव को बन्दी कर लिया जाय। तदनुसार सर्वश्री नियाज हसन खां, राम मूर्ति, शिव प्रसाद गुप्त तथा रामरेखा यादव, एम० एल० ए० को आज दिनांक 25 अप्रैल, 1974 को 11.15 बजे दिन में बन्दी कर लिया गया है और लखनऊ जिला जेल में रखा गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

आज सारे लोग गैलरी के पास हाथों में लिए हुए घूम रहे हैं किसी को आने नहीं दिया गया है? ऐसा क्यों है?

श्री अध्यक्ष--

आप पहले कार्य सूची में क्रम देखें। सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें और उसके बाद विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न। तो अब मैं विशेषाधिकार के बारे में पहले बता दूं। आप बाद में कहिएगा।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री इन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि 23 अप्रैल, 1975 को माननीय सिंचाई मन्त्री के प्रश्न कार्य-सूची में थे किन्तु वे विधान भवन स्थित अपने कक्ष में बठे रहे और सदन में नहीं आए।

मन्त्रि-मन्डल के सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और मन्त्रि-मन्डल का कोई सदस्य किसी भी अन्य मन्त्री के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। इसलिये इस सूचना में सदन के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने नहीं कहा है। मैंने तो यह कहा है कि एक मन्त्री अपने कक्ष में मौजूद रहे दिन भर और उत्तर देने को माननीय सदन में हाजिर न हों, मैं समझता हूं कि इससे सदन का अवमान हुआ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है। कोई मन्त्री यहां जवाब दे सकता है।

दैनिक समाचार-पत्र "भारत" के सम्पादक तथा प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री राम अधार तथा माननीय श्री मुहम्मद असरार अहमद ने सूचना दी है कि 8 अप्रैल, 1975 को उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी? इसके सम्बन्ध में दैनिक समाचार-पत्र "भारत" द्वारा 10 अप्रैल, 1975 के अंक में यह आक्षेप किया गया कि श्री राय का यह कार्य और बिना प्रमाण के इस प्रकार लांछन लगाना

[श्री अध्यक्ष]

निश्चय ही बड़ा गर्हित और आपत्तिजनक है। समाचार-पत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करना कि जो मुंह में आए बिना समझे बूझे कह देना बहुत ही शर्मनाक बात है। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का कहना है कि यह सम्पादकीय लेख उन्हें कल देखने को मिला है।

यह देर मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है कि आपको देर में मिला हो तो यह विलम्ब नहीं है। लेकिन कोई समाचार-पत्र सदन के सदस्यों पर आक्षेप करता हुआ टिप्पणी लिखे तो मैंने एक मर्तबा यह व्यवस्था दी थी कि बने भी तो उसको नजरअन्दाज करना चाहिए। बात यह है कि जो हवा आप देख रहे हैं देश में, दुनियां में तो कोई न कोई बात कह देगा तो उससे छुईमुई नहीं होना चाहिए। बनता भी हो तब भी, मैं आपसे यह कहता हूं कि इसको, आप नजरअन्दाज करें। यह पहले भी मैंने कहा था।

श्री रामअवार (जिला आजमगढ़)--

यह "भारत समाचार-पत्र" उत्तर प्रदेश सरकार की कठपुतली बन गया है और उसका इन्टेन्शन विरोध-पक्ष को बदनाम करने का है, कम से कम उससे पूछ तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

पूछ क्या लें? ऐसे मामलात में हमारी दृष्टि यह होना चाहिए कि हम उसको तुच्छ समझ कर नजरअन्दाज करें।

श्री रामअवार--

जनता में हमारी तरफ से खराब इमेज पैदा होगी यदि इन अखबारों पर अंकुश नहीं लगेगा और इस तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली बन कर विरोध-पक्ष को गालियां देंगे। कम से कम पार्लियामेन्ट के अन्दर जो परम्परा रही है वह तो रहे... (व्यवधान)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जाएगा, यह कहां से आ गया इसमें?

श्री राम अवार--

उस दिन भी जब माननीय राजमंगल पाण्डेय पर आरोप लगाए गए थे तो इस अखबार ने यही लिखा था कि झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं। उससे स्पष्ट है कि इस पत्र की जान-बूझ कर इच्छा अपोजीशन को बदनाम करने की है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वे नजरअन्दाज करने लायक नहीं हैं और अगर इस मामले को भी नजरअन्दाज कर दिया गया तो फिर किस चीज का आप नोटिस लेंगे? उसमें सम्पादकीय लेख दिनांक 10 अप्रैल, 1975 में अन्य बातों के अतिरिक्त आक्षेप किया गया है कि श्री राय का यह कार्य और बिना प्रमाण के इस प्रकार का लान्छन लगाना निश्चय ही बड़ा गर्हित और आपत्तिजनक कार्य है....

नोट--[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह किस तारीख का आप पढ़ रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह--

10 अप्रैल का, उसमें है। इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करना और जो मुंह में आए बिना समझे बूझे कह देना बहुत ही शर्मनाक बात है। यह उसने छापा है। यह चीज नजरअन्दाज करने लायक नहीं है। फिर तो यहां पर फ्री डिस्कशन हो ही नहीं सकता। जितने प्रविलेजेज हम लोगों को दिए गए हैं वे इसीलिए दिए गए हैं कि सदन के अन्दर "फ्री" डिस्कशन हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब कृपया बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

एक मिनट मुझे मान्यवर सुन लें। जो प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है, उसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत महत्व का है, लेकिन एक दूसरा प्रश्न उठाता है कि हम लोग यहां सदन में जनता के प्रतिनिधि हो कर बैठे हैं।

मान्यवर, हम लोग जो इस सदन के अन्दर बैठे हैं। जनता के प्रतिनिधि होकर यहां आए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें इस बात का अधिकार दे रखा है कि इस सदन में जो कुछ हम करते हैं या बोलते हैं उस पर कोई टिप्पणी न लिखे। मैं समझता हूं कि यह केवल माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, फन्डामेन्टल राइट और प्रेस के फ्रीडम का भी प्रश्न है। जो कुछ हम यहां करते हैं, अगर कोई अखबार उस पर सद्भावनापूर्वक टिप्पणी करता है, मेलिसस नहीं है, तो यह अधिकार हमें प्रेस को देना पड़ेगा। मैंने अभी पूरा आर्टिकल तो देखा नहीं है, उसे आप देख लें। मेरा केवल यही निवेदन है कि सार्वजनिक रूप से इस सदन के अन्दर जो व्यवहार होता है उसके बारे में अखबार कुछ लिखता है तो हमको उसके बारे में ज्यादा टची और सेंसिटिव नहीं होना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, नेगी जी ने जो यह नेक सलाह दी है, मैं समझता हूं कि यह जानते हुए प्रेस की फ्रीडम को दृष्टि में रखते हुए रूल आफ प्रिविलेज हाउस को दिया गया है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरे पहलू को दृष्टि में रखते हुए कि उसमें सही बैलेंस हो, बात कहनी होती है। इस तरह की टिप्पणी हाउस के बाहर यहां कुछ कहने पर होने लगे तब फिर तो सदन में बहस नहीं हो सकेगी। हर आदमी फिर डरेगा।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में मैं आपसे कहता हूं कि इसको खारिज नहीं कर रहा हूं। नजरअन्दाज करने की बात मैंने कहीं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं अपनी व्यवस्था दूं तो इस प्रकार जो "अनुत्तरदायित्वपूर्ण लांछन" इसके ऊपर जो कुछ हो, जिसको आपने रेखांकित किया है-- "इस प्रकार लांछन लगाना निश्चय ही बड़ा गर्हित और आपत्तिजनक कार्य है" फिर आगे है--"इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करना कि जो मुंह में आए बिना समझे बूझे कह देना बहुत ही शर्मनाक बात है।" इस तरह से जो कुछ कहा गया है, इसके ऊपर मैं अगले दिन अपनी व्यवस्था दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

आपकी व्यवस्था तो हो चुकी है। आपने टेक्नीकलिटी की बात कही थी कि इसको नजरअन्दाज कर देना बेहतर होगा। तो आपके इस नजरअन्दाज करने की सलाह के खिलाफ मैं खड़ा हुआ था न कि रूलिंग के। अपनी राय तो आप जाहिर कर चुके हैं। एक उपदेशक की तरह से जो आपने इसे नजरअन्दाज करने की बात कही, आपका यह उपदेश इस सरकमस्टेंसेज में मुझे मंजूर नहीं है। वैसे आपकी रूलिंग तो सही है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मुझे लिखित निर्णय देना पड़ेगा। बहुत सी बातें इससे भी घोर-कठोर होती हैं जिनकी तरफ माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान पूर्व में मैं आकृष्ट कर चुका हूं, गालियां तक दी जा चुकी हैं लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में, ये पूरी बातें मुझे इसके अन्दर लिखनी पड़ेंगी।

चौधरी चरण सिंह—

यह तो सम्पादक को लिख दिया जाय कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्या उनको कोई सजा दी जाएगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, चौधरी साहब की पूरी बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो शब्द "शर्मनाक" आया है उसे हटा दिया जाय ताकि वह छप नहीं सके। लेकिन फ्रीडम आफ प्रेस का हमें ध्यान रखना है, इसलिए इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता है। क्योंकि जितना हमें बोलने का अधिकार है उतना ही प्रेस को भी स्वतन्त्रता मिली हुई है संविधान में। "अनर्गल और शर्मनाक" शब्द का प्रतिवाद छप जाय, इस प्रकार की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

जहां तक आलोचना करने का सवाल है, उस सम्बन्ध में तो प्रेस की स्वतन्त्रता स्वीकार की जाती है लेकिन यदि कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे पूरे सदन का अवमान होता है, जैसे अनर्गल प्रलाप और शर्मनाक से तो मोटिव इमप्यूट है।

श्री अध्यक्ष—

अब "अनर्गल" शब्द तो असंसदीय नहीं माना जाता है।

श्री मधुकर दिघे—

"अनर्गल" शब्द की बात नहीं है, उन्होंने तो पूरी कार्यवाही को ही बना दिया है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। ऐसे तो लोक सभा में एक मामला हुआ था जिसमें एक समाचार-पत्र के अनुसार एक नेता जो सोशलिस्ट पार्टी के थे यह लिखा गया था कि हमारे विधान मन्डलों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि उस बात पर प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लें, ऐसे लोग भी हैं जिनके जीविका के अच्छे साधन नहीं है। ऐसे आरोप लगाए गए थे लेकिन अध्यक्ष आयंगार ने उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए इसको भी अब देखना पड़ेगा। आपने तो अब कह दिया है। अब इसे देखकर मैं व्यवस्था दूंगा।

राजस्व मन्त्री द्वारा नेता जनसंघ, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के प्रति आक्षेपात्मक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय तीरथ राम जी कोहली और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने सूचना दी है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में माननीय नेता जनसंघ दल और माननीय नेता विरोधी दल के लिए कुछ आक्षेपात्मक बातें कही हैं . . . .

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

कार्य-सूची 4 के बारे में क्या हुआ, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—

आपको उतावली क्यों है ? एक-एक करके लिया जा रहा है न । अभी तो जो सवाल माननीय कोहली साहब ने उठाया है वह हमारे सामने है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह कैसे लांछन बनता है ?

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

मान लीजिए कोई मन्त्री अथवा सदस्य जब कोई बात कहता है तो उसी समय आपको आपत्ति करना चाहिए।

श्री तीरथ राम कोहली—

मान्यवर . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

पहले आप सुनिए। आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि उस समय आप नहीं उठा सके तो दूसरा अवसर मिले तो उठा सकते हैं इस पर मुझे एतराज नहीं है। जैसे आज एक घटना हो और आज आप न उठा सके किसी कारण से तो कल आपने दिया। तो अब यह सोचना है कि यह बनता है या नहीं। तो माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा कही गयी उक्त बात के सम्बन्ध में तो माननीय त्रिपाठी जी ने उसी समय अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और सत्य कह दिया था कि उन्हें न तो कोई जानकारी है और वे अपनी जानकारी से नहीं कह रहे हैं और जो कोहली साहब से उनको मिला था, उसी को पेश कर दिया है और वह बात उसी वक्त खत्म हो गयी। अब उस वक्त आपका नाम लिया या नहीं, इसके लिए कार्यवाही देखना है। माननीय त्रिपाठी जी के बारे में तो उन्होंने कहा था उसका त्रिपाठी जी ने खंडन कर दिया कि उनकी जानकारी निजी नहीं है और माननीय कोहली जी ने जो कागज उनको दिया था वही सूचना उन्होंने दी थी। इसलिए उसका खंडन तो हो गया। अब रह गया, आप कहते हैं कि आपका अवमान हो गया है और इसलिए इसको विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा जाय, तो इसे देखना पड़ेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, उस का खंडन नहीं हुआ। यह सही है कि मेरी जानकारी नहीं थी यह कहना तो सही है लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री ने यह कह दिया कि इन्होंने ले कर दस्तखत जाली बना दिए, यह वह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, वह तो अब उठाया है, अब उसे देखेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह कहते किस आधार पर हैं, यह तो मालूम होना ही चाहिए ?

श्री अध्यक्ष--

वह प्रश्न तो अब अपनी जगह पर है, उसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी दूसरी प्रक्रिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

दूसरी प्रक्रिया नहीं हो सकती। जाली दस्तखत करने का आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं .....

श्री अध्यक्ष--

नहीं, जो आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया था आपने तुरन्त उसका जबाब दे दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अब फिर वही प्रश्न हो गया। जैसे चौधरी साहब के मामले में हुआ। उन्होंने चौधरी साहब के ऊपर आरोप लगा दिया और कह दिया कि मैं सबूत दूंगा और उसके बाद समाप्त हो गया। चौधरी साहब तो डिनाई कर रहे हैं, उनको डिनाई करना ही चाहिए लेकिन उसकी गम्भीरता तो बराबर बनी रही और उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है और वह सबूत देंगे तो बात वहीं रह गयी। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जाली दस्तखत कर दिए और फिर वह कुछ न बोलें तो फिर दुनिया ने यही समझा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जाली दस्तखत कर दिए। यह उसी तरह की चीज हो गयी।

श्री अध्यक्ष--

अब उन्होंने जो लिखा है उसको देखूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने .....

श्री अध्यक्ष--

अब ऐसी बात आप कह रहे हैं .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप कैसे समझेंगे कि इन लोगों ने बेईमानी नहीं की या जाली दस्तखत नहीं बनाए ?

श्री अध्यक्ष --

अब आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं इसके बारे में कि देखूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह तो वैसी ही बात हुई जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि हमने नहीं लिया लेकिन वह कहते हैं कि सबूत उनके पास मौजूद है और हमें मौका भी नहीं है कि हम अपनी बात साबित कर सकें और जो उन्होंने कहा है उसको गलत सिद्ध करा सकें।

श्री अध्यक्ष--

उस बात को यहां अब दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब उन्होंने कहा है, वह भी यहां थे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह तो प्रयाग विश्वविद्यालय के चुनाव जीतने के सम्बन्ध में हुआ था.....

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, हर चीज में यह खड़े होते हैं। यह हर चीज की वकालत करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

सुनिए, मैं बता रहा हूं। राजस्व मन्त्री ने कहा है मुझे बड़ा दुख है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि बिना उसकी जांच किए उन्होंने कैसे गलत आरोप मेरे ऊपर लगा दिए। मैं निवेदन करदूं कि मेरा कोई सम्बन्ध उससे नहीं है, वह पत्र बिल्कुल असत्य है। माननीय माधव प्रसाद जी ने किसी तरह से वह पत्र मेरे नाम से कहीं से टाइप.... किया हुआ ले लिया है और उसमें मेरे दस्तखत बना लिए हैं। यह हो सकता है कि जनसंघ पार्टी ने राजस्व विभाग से कोई पत्र पा लिया हो। न तो विश्वविद्यालय के छात्र संघ से मेरा कोई सम्बन्ध है, न कोई रुपया,--आदि-आदि बातें हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह हिस्सा आपने नहीं पढ़ा है। मालूम होता है.....

श्री अध्यक्ष--

अभी तो एक ही जगह पर हैं। तो जो रेखांकित था उसको पढ़ दिया। "उनकी यह मंशा हो सकती है कि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री उनकी पार्टी के रहे हों उनका पैड उनको मिल गया हो, जो चौधरी साहब के कैबिनेट में रह चुके हैं। मैं तो इलेक्शन पेटिशन के सिलसिले में 10-12 दिन से इलाहाबाद में था, हो सकता है कि राजस्व मन्त्री के पैड पर मेरे नाम से उन्होंने पत्र लिखा हो। इसलिए मुझे इस बात का क्षोभ है। यह बिल्कुल असत्य बात कही गयी है। मेरा पत्र बिलकुल नहीं है।"

तो आपने कहा कि "मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैंने तो कल ही कह दिया था कि कोहली साहब उस पत्र को लेकर आए और उन्होंने मुझे वह पत्र दिखलाया और उस पत्र को लेकर मैंने पढ़ दिया। अब वह पत्र उनके पास कैसे आया, कहां से आया इस तथ्य पर तो वही प्रकाश डाल सकेंगे। मैंने तो केवल उस पत्र को पढ़ कर सुना दिया। उसी वक्त मैंने कहा था कि जातीय तौर पर मेरी कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी कोहली साहब को है उसको वही बतायेंगे।" तो आपका अपमान नहीं हुआ है। कोहली साहब कहते हैं तो....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, वह हिस्सा आपने नहीं पढ़ा। जो उन्होंने कहा था कि मेरे दस्तखत जाली बना लिए हैं।

श्री अध्यक्ष --

पूरी कार्यवाही है। वह सब पढ़ें तो कहीं कहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि शुरू में उन्होंने कहा है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कहा था कि मैंने उनके जाली दस्तखत बना लिए हैं।

श्री तीरथ राम कोहली--

एक बात उन्होंने और कही .....

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री तीरथ राम कोहली--

एक बात उन्होंने और कही थी कि कोहली साहब हाई कोर्ट में मेरे साथ थे।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

नोटिस आफिस द्वारा कुछ साहित्य वितरण पर सचिव विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश ने एक सूचना दी है कि दिनांक 21 अप्रैल, 1975 को विधान सभा के पटल पर दो पुस्तकें, जिनमें से एक "मुख्य मन्त्री का वर्धा में भाषण" और दूसरी मुख्य मन्त्री द्वारा चौधरी चरण सिंह के एक पत्र के उत्तर से सम्बन्धित थीं, रखी गयीं। माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश का कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री एवं सचिव, विधान सभा ने इन पुस्तकों को सदन के पटल पर रखकर विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की है।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर।)

सदन के पटल पर नहीं, पिजन होल में रखी थीं। हो सकता है किसी ने रख दिया हो। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने यह लिखकर कि सचिव ने सदन के पटल पर रखवाया है, तो यह बिल्कुल असत्य है। इसको खारिज करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, नये मेम्बर हैं इसलिए पिजन होल को सदन का पटल समझ लेते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, रोजाना कागजात मन्त्रिगण यहां पर पटल पर रखते हैं और उस पिजन होल में रखे जाते हैं, यहां तकसीम नहीं होते हैं। उनको पटल पर रखा हुआ माना जाता है।

एक सदस्य--

मान्यवर, पिजन होल में प्राइवेट कागज रखे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उसको हमारे तरफ से नहीं रखवाया गया था। हो सकता है वह प्राइवेट हों। यदि कोई रखे हुये हैं तो उसमें भी जांच करना पड़ेगी। जो लिखकर दिया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

बिना आपकी आज्ञा के वह कैसे रखते हैं ? बिना आज्ञा के एक कागज भी नहीं रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कानून बना हुआ है तब भी चोरी क्यों होती है ? तो वह सवाल बलब है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, पिजन होल में तो बहुत चीजें रखी जाती हैं। यहां जो खड़े होकर कहते हैं, मैं सदन के पटल पर रखता हूं, वही चीज मानी जाती है। यदि प्राइवेट पत्र रखा है तो वह नहीं होगा।

सूचना विभाग द्वारा "जवाहर लाल नेहरू की नीति और विचार —एक विवेचन।" नामक पैम्फलेट प्रकाशित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री सत्यपाल मलिक, श्री मधुकर दिघे और श्री राम अधार ने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी है कि 22 अप्रैल, 1975 को विधान सभा में पिजन होल के द्वारा सूचना विभाग की एक पैम्फलेट वितरित की गयी जिसका नाम "जवाहर लाल नेहरू की नीति और विचार—एक विवेचन" है। तो इस पर आप कह सकते हैं। वही सवाल है। लेकिन वह सवाल गलत है और वह सदन के पटल पर नहीं रखा गया, इसलिए उसको खारिज किया। इस पर आपको क्या कहना है ?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उस बहस को, कि वहां जो रखा जाता है वह पटल पर रखा माना जाता है, छोड़ देता हूं। लेकिन जो वहां रखा जाएगा पिजन होल में वह आपके जुरिसडिक्सन में है। यदि किसी को रखने का अधिकार होगा तो बाहर का भी कोई आदमी रख सकता है। इसलिए वह गलत हुआ है। उस पर ऐक्शन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा भी वही है। जरा वह त्रुटि-पूर्ण था इसलिए शतरुद्र प्रकाश जी का एक तरह से खारिज है। दूसरा वही विषय है नियम के अन्दर विषय है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल, 1975 को विधान सभा में पिजन होल के द्वारा सूचना विभाग की एक पैम्फलेट वितरित की गयी जिसका नाम "जवाहर लाल नेहरू की नीति और विचार—एक विवेचन" है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इसको पूरा पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब का जो सवाल था वही है।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

जो नोटिस दिया है उसको पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बोलने के लिए हम कह रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह पुस्तक जवाहर लाल नेहरू की नीति और विचार एवं उसका विवेचन को मुख्य मन्त्री की ओर से बांटा गया। और यह पिजन होल से प्राप्त हुआ और इसको प्रकाशित किया गया है सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा और राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ, द्वारा मुद्रित है। इसमें मान्यवर, उद्धरण है एक पत्र का जो मुख्य मन्त्री जी ने माननीय नेता विरोधी दल को 17 जनवरी, 1975 को लिखा है और अन्त में इस बात की चर्चा की गई है कि, "अभी-अभी आपके दल के मुख्य पत्र" में आपके पत्र का पूर्ण विवरण पढ़ा ? क्या आशा करूं कि मेरा

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

उत्तर भी छपवा देंगे ताकि पाठकों को मेरी दृष्टि भी नजर आ जाए और हमारे राष्ट्रनायक पंडित नेहरू की नीतियां सही-सही उभर आयें। मान्यवर, एक साप्ताहिक पत्र लखनऊ से निकलता है "नवक्रान्ति" उसके 11 जनवरी, 1975 के अंक में माननीय नेता विरोधी दल का पत्र प्रकाशित हुआ है, लेकिन इस पुस्तक में इसकी कोई चर्चा नहीं की है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जवाहर लाल नेहरू की नीति और विचार के सम्बन्ध में जो अपना पत्र लिखा है, उसको सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित करवा कर उन्होंने सरकारी प्रेस का दुरुपयोग किया है। सूचना विभाग माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास है। हम लोगों का यह कहना है कि जवाहरलाल नेहरू इस देश के एक नेता थे, प्रधान मन्त्री थे और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जो जवाहर लाल नेहरू की नीति के सम्बन्ध में विवेचन छपा है, न तो मुख्य मन्त्री जी को अधिकार है और न ही सूचना विभाग को अधिकार है कि वह प्रकाशित कराये या करें। राजकीय मुद्रणालय में इसको छपवाकर और इस प्रकार वितरित करायें इसमें अध्यक्ष की सहायता ली जानी चाहिए। मान्यवर, जानते हैं कि अध्यक्ष जो होता है वह न तो सत्ता दल का होता है और न विरोधी दल का .....

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतावें कि नोटिस जो दी है उसके अन्तर्गत आप क्या चाहते हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस पर बहस करा दीजिए। जो दो पृष्ठ का नोटिस हमने लिखकर दिया है, माननीय चौधरी साहब ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं जिसके सन्दर्भ में बहुगुणा जी ने पत्र लिखा है इन सारी चीजों पर 301 के अन्तर्गत विवाद हो जाय। चूंकि सदन उठने वाला है, इसलिए इसको 28 तारीख में बहस करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

यह अब तो सम्भव नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक—

इसको बढ़ा दीजिए, यह सरकारी साधनों का दुरुपयोग है।

श्री अध्यक्ष—

8 वक्तव्य तो आज ही हैं, जब कि अभी एक नहीं आया। कम से कम जो मैंने पहले स्वीकार किए हैं वह तो सदन के समक्ष आ जाने चाहिए, यह मेरी कोशिश है।

श्री सत्य पाल मलिक—

आप सदन का वक्त आज बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दीजिए। यह कोई मामूली मामला नहीं है, यह मिस-यूज है।

श्री अध्यक्ष—

जो पहले स्वीकार किए हैं, उनका क्या होगा ?

श्री सत्यपाल मलिक—

आप कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक बुलायें और सदन का समय बढ़ायें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मुख्य मन्त्री सरकारी साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष—

आपको बजट के अवसर पर इसको उठाने का मौका मिला है .....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी दर्शक-दीर्घा के लिए पास नहीं दिए जा रहे हैं ...

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन, माननीय नेता विरोधी दल स्वयं इस बात से अवगत हैं कि सूचना विभाग का दायित्व वर्तमान पृष्ठभूमि में और पिछली पृष्ठभूमि में क्या रहा है। सूचना विभाग सदैव जो भी सरकार यहां रही, उसकी नीतियों के अन्तर्गत सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा सरकारी नीति को प्रकट करती रही है और करवाती रही है। उसी क्रम के अन्तर्गत, सूचना विभाग ने न केवल अलग-अलग विभागों की सूचना प्रकाशित करता है बल्कि समय-समय पर जो मुख्य विषय हैं उन पर भी लेख समाचार-पत्रों के जरिए से और स्वयं भी प्रकाशित करता रहता है। श्रीमन्, आपको याद होगा और सम्मानित नेता विरोधी दल को भी याद होगा कि इस प्रश्न पर जवाहर लाल नेहरू जी की नीति के सन्दर्भ में कई बार इस सदन में नेता विरोधी दल ने भी और माननीय मुख्य मन्त्री ने भी उल्लेख किया है तो अपने भाषण के प्रसंग में, जहां तक मेरी स्मृति सही है, मुख्य मन्त्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह उल्लेख किया था कि इस सम्बन्ध में इस समय अधिक न बोलते हुए मैं एक लेख के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। अगर नेता विरोधी दल कोई बात कहते हैं तो सरकार को उसे पूरी मान्यता देनी चाहिए। अगर सरकार ने जवाहर लाल जी की नीति के विषय में कोई लेख लिखा तो यह उसका कर्तव्य था कि सार्वजनिक रूप से उनका प्रकाशन हो। इसीलिए यह प्रकाशन हुआ। इसमें यह प्रश्न उठता है कि माननीय चौधरी साहब ने जो पत्र लिखा उसका हवाला दिया गया है, उसे उद्धृत नहीं किया गया। मैंने दूसरे सदन में स्पष्ट किया है कि इस बुलेटिन का अगर अगला एडीशन निकलवाने की आवश्यकता हुई.....

एक सदस्य—

आप कह रहे हैं कि "अगर आवश्यकता हुई"।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

नेहरू जी की नीति ने देश को चौपट कर दिया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय तिवारी जी कह रहे हैं कि वह उनका अधिकार है। वह अखबार में भी छपवा सकते थे। प्रश्न यह है कि क्या इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस बुलेटिन के दूसरे प्रकाशन में माननीय चौधरी साहब का जो पत्र "नव क्रान्ति" में छपा है, उसको छपवा दिया जायगा।

श्री सत्यपाल मलिक—

पिछले सत्र में 2-3 जनवरी को अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हुई थी। उसमें जो चार्जेज मुख्य मन्त्री और मन्त्रि-मन्डल पर लगाए गए क्या उन आरोपों पर कोई पुस्तक निकाली गयी और अगर निकाली गयी तो क्या उस पुस्तक में वे हमारे आरोप दर्ज हैं ? आप ने यह पुस्तक छपवाई इसमें अपनी बातें तो निकालते हैं, लेकिन हमारी बात उस कन्टेस्ट में निकलवाई नहीं। आपने यह किताब छपवाई है तो उस समय हमने जो आरोप लगाए थे उनका भी एक स्पेशल बुलेटिन निकलवायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय चौधरी साहब ने एक लेख लिखा उसको अगले एडीशन में छपवा देंगे।

श्री सत्यपाल मलिक—

मेरा निवेदन दूसरा है। सदन में एक चीज हमारी तरफ से कही गयी, उसका जवाब छपवाने की जरूरत नहीं थी। अखबारों में सारी चीजें छप गयी थीं। उसकी अलग से किताब निकलवाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने जनता के पैसे से एक किताब छपवाई और अपनी बात उसमें रखी तो हम आपसे मांग करते हैं कि जनता के पैसे से जो आरोप हमने लगाए थे उनको भी छपवायें।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय मलिक जी ने जो कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं उनसे सहमत हूं। दो तीन दिन पहले जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने अपने भाषण में आठ दस बातें इस कथन के सबूत के तौर पर कही थीं कि माननीय मुख्य मन्त्री स्ट्रेट नहीं हैं, गलत बयानी, असर डालना, दिल के अन्दर कुछ होना, यह सब हैं। वह इतने बड़े सूबे को चला रहे हैं यह बदकिस्मती है। उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा और मैंने उसका जवाब दे दिया। इसके बाद उन्होंने एक पत्र और लिखा। जो पत्र उन्होंने लिखा, उसमें स्वयं लिखा कि 7 तारीख का आपका पत्र मिला। वैसे इसमें सब अनर्गल बकवास है। यह सब जेरे बहस नहीं था। प्लानिंग पर पंडित जी की क्या राय है यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि उन्होंने कृषि को प्रथम स्थान नहीं दिया। यह बात इसमें नहीं है। प्रश्न यह है कि सात तारीख का मेरा पत्र मिला। मेरा पत्र छाप देते और उसके बाद कोई अपना छापते तब तो कोई सेन्स है।

मान्यवर, आप कोई रूलिंग दें या न दें, मैं यह नहीं चाहता। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि सूबे को बदकिस्मती से ऐसा मुख्य मन्त्री मिला है जो स्ट्रेट नहीं है, डीलिंग में आनेस्ट नहीं है और इससे साफ हो जाता है कि सारा सूबा बरबाद हो रहा है। अगली दफा छपवा देंगे . . . व्हाट डज इट मैटर ? प्रश्न है कि जब मुख्य मन्त्री जी को उस बात को छपवानी थी, तो मेरे पत्र को क्यों नहीं छपवाया ? अगर वह मेरे पत्र को छपवा देते, तो जो उनकी अनर्गल बातें थीं, वे साफ हो जातीं। मैं उन बातों को फिर दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं ; पन्डित जी ने फर्स्ट प्लान में कृषि के लिए 37 परसेंट का एलोकेशन किया था। सेकन्ड प्लान में, जिसको सोशलिस्टिक बताते हैं, कृषि के लिए 20 परसेंट हो गया और वह 20 प्रतिशत बराबर चलता रहा। मैं कहता हूं कि अगर कृषि के लिए बड़ा स्थान था तो उसको घटाया क्यों ? और फिर 1963 में इस गलती को मानते हैं। यह तो एक बात रही। फिर दुनिया का कोई मजमून नहीं, जिस पर पन्डित जी की परस्पर विरोधी राय न बतायी जा सके। तो वे सारी बातें उस पत्र में आ जाती हैं। प्रश्न है मेरे उस पत्र को क्यों नहीं छपवाया ? मान्यवर, आपकी रूलिंग देने या न देने की बात नहीं। तो मैं बड़े दुःख के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूं और कांग्रेस साथियों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका लीडर है, उसको सपोर्ट करें, लेकिन इस प्रकार से इस प्रदेश की सेवा न हो सकेगी। जब तक स्ट्रेट और आनेस्ट लीडर आप लोग नहीं चुनते, तब तक देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। कोई बता दे, चीफ मिनिस्टर को इस तरह से पेश आना चाहिए, मैंने उस खत को लिखा था। छपवाना था, तो उस वक्त क्यों नहीं छपवाया ? अब छपवाने से क्या ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

अब 301 में सवाल उठाया गया, मौका मिल गया। चौधरी साहब ने अपनी राय दी और सरकार ने अपनी राय रख दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरी एक बात तो सुन लें। जब से ये मुख्य मन्त्री हो कर आए, सदन की पवित्रता तो समाप्त हो गयी। शायद ही कोई बात ऐसी हो, जिसको कहा हो और पूरा किया हो। परसों कहा कि लोकायुक्त और लोकपाल का बिल सामने आएगा और मई के पहले पेश कर देंगे। अब पता चल रहा है कि 28 तारीख से असेम्बली उठ जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सी बातें मुख्य मन्त्री जी ने कहीं, लेकिन पता नहीं, उनको पूरा करेंगे या नहीं। मान्यवर, अगर मैं लिखता जाऊं, तो शायद 85 परसेंट ऐसी बातें हैं जिनको मुख्य मन्त्री जी ने पूरा नहीं किया। इस तरह से नेता विरोधी दल, बात सही कहते हैं, मुख्य मन्त्री जी के बारे में जो अपने बिचार दिए। 28 तक आपका बजट पास हो जाएगा। आप बजट का इस्तेमाल करायें। लेकिन इस प्रान्त में साख उठ गयी है, ऐसे मुख्य मन्त्री की। पिछले 15-20 सालों में ऐसी सरकार नहीं आयी, जैसी यह बहुगुणा सरकार है। बिजली के लिए कहा रिहन्द बना है और सूबे में चकाचौंध हो जाएगा। मान्यवर, आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश किस तरह से चकाचौंध हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, जो मुख्य मन्त्री ने कही हो और वह सही निकली हो। इसमें तो वही बात याद आती है, चर्चिल ने कहा था कि इस वक्त जरूरत है कि यह कहा जाय कि भारत को स्वतन्त्रता मिलेगी। बात निकल जाने पर फिर कौन पूछता है। ठीक वही स्थिति मौजूदा मुख्य मन्त्री जी की है।

श्री अध्यक्ष—

अब एक को मैंने दे दिया। बार-बार ....ऐसा नहीं...

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, कार्य-मन्त्रणा ने आज निर्णय कर दिया.....

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा का निर्णय नहीं हुआ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, 2 महीने हुये सदन को चलते। जब कभी भी सदन चलता है श्रीमन्, तो असरकारी दिवस के ऊपर हम लोगों को....

श्री अध्यक्ष—

एक और विशेषाधिकार का प्रश्न बाकी है। अभी आप दूसरा सवाल न उठायें। मैं आपको रोकता हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते।

श्री त्रिवेणी सहाय—

लोक आयुक्त बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा दया करें। मैंने कहा कि एक और प्रश्न विशेषाधिकार का बाकी है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

लोक आयुक्त बिल बहुत महत्वपूर्ण है। उसे इसी सत्र में पास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी वह समय नहीं आया। इस समय विशेषाधिकार तथा 301 के प्रश्न लिए जा रहे हैं। न मालूम आपको क्या कभी-कभी हो जाता है, मुझे ताज्जुब होता है ?

श्री सत्यपाल मलिक—

एक दूसरा मामला भी है जो विद आउट रेफरेन्स छाप दिया गया, उस पर मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय की क्या राय है ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब वाला मामला तो तय हो गया।

श्री सत्यपाल मलिक—

सिमिलर मामला है।

श्री अध्यक्ष—

उसे आप लिख कर दें किन्तु चौधरी साहब वाले मामले को जोड़ नहीं सकते।

श्री सत्यपाल मलिक—

बिल्कुल इसी तरह की एक किताब छपी है।

श्री अध्यक्ष—

आप बिना सूचना के एकाएक बात कहने लगते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह एश्योरेंस दिया गया कि अब जो किताब छपेगी उसमें यह छाप दिया जायगा लेकिन 24 तारीख को आपने मुख्य मन्त्री तथा संसदीय मन्त्री ने यह सूचना दी थी कि 28 तारीख के बाद सदन नहीं बैठेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने दिन में वह छपेगी ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा आश्वासन दिया है नेता विरोधी दल का पत्र भी अगले महीने छप जायगा।

श्री ख्याली राम शास्त्री द्वारा चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

ख्याली राम जी ने एक सूचना दी है कि 20 मार्च, 1974 को माननीय नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषण में मुरादाबाद में बी0 के0 डी0 समर्थक की हत्या कराने का आरोप सत्तारूढ़ दल पर लगाया। माननीय श्री शास्त्री जी का कथन है कि तथ्य यह है कि मुरादाबाद में किसी भी बी0 के0 डी0 के सदस्य या समर्थक की हत्या मार्च, 1974 में नहीं हुई।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा निवेदन यह है कि ऐसे अनर्गल प्रस्ताव तो आप अपने चेम्बर में ही समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज को यहां पढ़ रहे हैं और ख्याली राम जी से पूछ रहे हैं कि उनको क्या कहना है ? आई प्रोटेस्ट अगेन्स्ट इट।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

चौधरी साहब ने एक स्वस्थ सुझाव दिया है जो दोनों तरफ लागू होता है। इस तरह से मैं तो कहूंगा कि 99 प्रतिशत सवाल खारिज कर दिए जाने चाहिए। जब मैं किसी सवाल को बयान के लिए स्वीकार करता हूं तो कोरम नहीं रहता है। इससे मालूम होता है कि कितना लोक-महत्व का वह सवाल है। चौधरी साहब अपनी जगह पर सही हैं. . .लेकिन लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं . . . .

चौधरी चरण सिंह--

साल भर पहले वाली चीज पढ़ने की जरूरत ही क्या ?

श्री अध्यक्ष---

इसी तरह के सवाल इधर भी उठा देते हैं। अगर शासक दल और विरोधी दल सभी इस पर सहमत हैं तो मुझे परम प्रसन्नता होगी। यह घटना एक साल से अधिक पुरानी है . . . . . श्री त्रिवेणी सहाय जी फिर खड़े हो गए।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, एक गन्ना वाला तय हुआ था . . . .

श्री अध्यक्ष ---

अभी तो मैं निर्णय दे रहा हूं। यह घटना एक साल से अधिक पुरानी है और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी अभिनव घटना के सम्बन्ध में ही उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ जो 20 मार्च, 1974 की कार्यवाही का जो उद्धरण संलग्न किया है, उससे यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसा आरोप लगाया कि मुरादाबाद में मार्च के महीने में बी0 के0 डी0 के किसी सदस्य या समर्थक का कत्ल हुआ हो। अतः इस सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसलिए मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

सभी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव अस्वीकार हैं . . .

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरे परिवार के लोग यहां आए थे लेकिन कोई उन्हें अन्दर आने नहीं देता : सब लोगों को रोक लिया गया है . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैंने आदेश दिया कि जो-जो आ गए हैं, आ गए हैं, बाकी सबको रोक दिया जाय . . .

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, तो यह माना जाएगा कि आपने उन्हें आज्ञा नहीं दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय शारदा प्रसाद रावत आरम्भ करेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

नियम 56 के अन्तर्गत एक कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया था..

श्री अध्यक्ष—

सब अस्वीकार किए गए हैं।

एक सदस्य—

लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे सवाल हैं जो स्वीकार नहीं किए जा सकते। मैंने अपने कक्ष में ही उन्हें अस्वीकार कर दिया है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मैंने एक गम्भीर मामला आपको दिया था।

दर्शक-दीर्घाओं में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

दीर्घा में कुछ लोगों को आने नहीं दिया गया तो क्यों नहीं आने दिया, क्या आपके आर्डर हैं, अगर हैं तो बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आए और कहने लगे हम हल्ला करना चाहते हैं आप कृपा करके कम सजा दीजिएगा 10 मिनट रह गए थे हमने रोक दिया। हमारे बड़े परिचित और परम मित्र यह सूचना दे रहे थे। तो फिर मेरा भी कर्त्तव्य है, मुझे भी कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। तो वह न आ सकें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है।

चौधरी चरण सिंह—

अपने एक मित्र के कारण सब को क्यों यह सजा देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह मेरी पुरानी पार्टी के थे और उस मित्रता के कारण सच्चाई कह गए। तो मैंने कहा उनको सजा दूं इसके बजाय आने पर प्रतिबन्ध लगा दूं।

चौधरी चरण सिंह—

खैर जो भी हो आपके मित्र हों उनको रुकवा देते अपने आफिशियल्स के जरिए से।

श्री अध्यक्ष—

पता नहीं वह कितने थे।

चौधरी चरण सिंह—

एक माननीय सदस्य की सहचरी और उनके बच्चे बाहर खड़े हैं उनको अन्दर नहीं आने दिया जा रहा है। एक मित्र की वजह से सब को रोक दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा एक नहीं उनमें अनेक थे। माननीय सदस्य के कोई थे तो वह कह देते उनको बिठवा देते। उन्होंने कहा नहीं।

मेरठ के नौचन्दी के मेले में यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लड़कियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

खैर इसको मैं अब कुछ नहीं कहूंगा लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां पर उठाई ग एडज्योर्नमेंट मोशन के द्वारा मेरठ में नौचन्दी मेले में एक घटना हुई है। आपका एक यूथ कांग्रेस नाम का कोई आर्गनाइजेशन खड़ा हुआ है वह हर जगह गुन्डागर्दी करता है। तो इस पर मलिक साहब एक मोशन पेश करना चाहते थे और मोहन लाल कपूर ने भी दिया था उस पर आप इजाजत दीजिए।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपके पास भेजे थे। एक को तो मैं कहता हूं कि सरकार के पास भेज दें। वह था जो माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी की गिरफ्तारी हुई पिछले वर्किंग डे में उनके साथ महिलायें और बच्चे भी गिरफ्तार हुए थे। तो उनको दिन भर धूप में रखा गया शाम तक पीने का पानी तक नहीं मिला और न खाना मिला, खाना तो वही जो 35 पैसे देते है वही है। लेकिन उनको धूप में बैठाए रहे इतने बड़े आदमियों की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई जब 10 बजे लड़के आये तो थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे। आखिर सरकार क्या चाहती है इतनी व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। यह तो कोई कहता नहीं है कि तुरन्त उन्हें छोड़ दिया जाय लेकिन ह्यूमन ट्रीटमेंट तो दीजिए। बैठने, खाने पीने की सुविधायें तो दीजिए। तो इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को तो जेल मन्त्री जी को भेज दीजिए कि वह यह सब देखें।

एक और दूसरी बात है जिसे चौधरी साहब ने भी उठाया है। इसका महत्व इस लिए भी और बढ़ जाता है मेरी सूचना में आया है कि कांग्रेस सरकार लाखों रुपया इस के लिए खर्च करती है जो बड़े-बड़े इनके दादा हैं। जो युवक कांग्रेस के प्रेसीडेंट माने जाते हैं, अगुवा माने जाते हैं। एक उदाहरण उसका देहरादून में हुआ। वहां पर लोग मारे गये, करफ्यू लगाया गया। इसका यहां कोई प्रसंग नहीं है लेकिन उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसके भी अगुवा यूथ कांग्रेस के नेता हैं। सरकार उस घटना को नजरअन्दाज करती है। आप जैसे व्यक्ति इस पर ध्यान नही देंगे तो क्या होगा। एक इन्जीनियर के परिवार की दो युवतियां थीं जिनको जबरदस्ती खींच कर कोतवाली से ले गए। कोतवाली वाले भी शरण उनको नही दे सके। उन्होंने उनको बन्द कर रखा था वहां से वह खींच ले गए, लड़कियों के साथ छेड़ खानी करने की उनकी हिम्मत हुई। यह जो यूथ कांग्रेस के लीडर है इनके सामने सारे अफसर भी चुपचाप थे। इनकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि कोतवाली से खींचे और वह लोग सुरक्षा न दें। हाथ पकड़ कर लड़कियों को खींच लाये। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? (शर्मशर्म के नारे लगे) लड़कियों को खींच लायें, छीन लायें और पुलिस खड़ी देखती रहे। 30, 40 आदमियों को चोटें आई हैं मुझे टेलीफोन आया था। तब भी उनकी काम वासना पूरी नहीं हुई। यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है यह सारे प्रान्त में होगा? इन लोगों को पिस्तौल के लाइसेंस दिए गए हैं और कहा गया है कि तुम काउन्टरएक्ट करो पूरे प्रदेश में जाओ और जे0पी0 के आन्दोलन का जवाब दो। तो इस तरह से किसी की इज्जत और हुरमत लूटो। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण और प्रश्न क्या आएगा, आज जो आपके सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का, कार्य-स्थगन की सूचना का आपने नाम तक नहीं लिया। आप ऐसी प्रकृति के आदमी को तो इस पर जबरदस्त ध्यान देना चाहिए था। इनके शासन में किसी की इज्जत बाकी नहीं रही! कितने शर्म और आश्चर्य की बात है कि लड़कियों को कोतवाली से घसीट लिया जाए बाहर अपनी कामवासना के लिए।

यह जो सूचना है यह कोई अखबार की नहीं है, पूरी जिम्मेदारी और जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, मैंने इसे टेलीफोन से समस्त जानकारी प्राप्त करके दिया था। लोगों का दिल दहल गया है, ऐसी बात सुनकर, मालूम पड़ता है कि कहीं कोई ला एण्ड आर्डर नाम की चीज नहीं रह गई। जो रायल फेमली के लोग हैं, जो हुकूमत में हैं, उनको हर प्रकार की छूट मिली हुई है कि चाहे जिसकी खुली इज्जत लूटो। सरकार क्यों नहींउन पर कूद पड़ी? उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। इस पर आज जरूर चर्चा कराएं। हद हो चुकी है यूथ कांग्रेस के लीडरशिप की। हर बड़े शहर में जहां इनका पाप मौजूद है, ये लोग करोड़पतियों से लाखों रुपया लेकर युवकों को बांटते हैं, जिससे इनकी कुर्सी बची रहे। लेकिन इनकी कुर्सी नहीं बची रह सकती है, उनके इन्हीं कुकर्मों से बहुत जल्दी इनकी कुर्सी छिनने वाली है। जैसा कृष्ण ने कहा था इनको बहुत गर्व हो गया है, फौजी बल का बड़ा अभिमान हो गया है, यह गृह कलह हो जाए तब मिटेंगे। जब यह आसुरी शक्ति का प्रयोग करेंगे।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, कोई एक अलग-अलग आइसोलेटेड घटना नहीं है और यह कोई आज की घटना नहीं है। यह साल से, डेढ़ दो साल से बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। मैं इस चीज को कई बार कह चुका हूं कि समाज के असामाजिक तत्वों को, इनके राज्य में कांग्रेस के एक रुपए का मेम्बर होकर इतने जबरदस्त प्रिविलेज मिल जाते हैं कि वे कोई भी पाप कर सकते हैं। उनको निर्भय विचरण की शक्ति मिलती है, इन लोगों को किसी हुकूमत का, किसी शासन का और किसी कानून का कोई भय नहीं रह जाता है। जिस घटना का मैं हवाला देना चाहता हूं वह कोई मामूली घटना नहीं वह इतनी शर्मनाक घटना है कि उससे हुकूमत का सिर शर्म से भले न झुके किन्तु हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है, हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है। जिला मेरठ में नौचन्दी का मेला एक प्राचीन मेला है और इस कदर पवित्र मेला है कि उसमें हिन्दू मुसलमान 3-3 बजे रात्रि तक घूमते हैं। उस पवित्र मेले में एक इन्जीनियर परिवार की पांच लड़कियों को सरे बाजार, सबके सामने पकड़ लिया गया वह परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए बचना चाहता था किन्तु उसको भागनेनहीं दिया गया, कोतवाली कैम्प में जाने नहीं दिया गया। सूचना होने पर एक पुलिस पार्टी उसको बचाने के लिए बाजार में पहुंचती है, वह उनको बचाकर किसी तरह कोतवाली में लाती है, जहां सौ-डेढ़ सौ सिपाही हर समय रहते हैं। उस कैम्प में उस परिवार को बिठा दिया गया। किन्तु वहां भी वे सुरक्षित नहीं रह पाते हैं और यूथ कांग्रेस के लोगों द्वारा उन पर आक्रमण होता है। देवराज नाम का एक लड़का जो बहुगुणा जी के ग्रुप का है, उसके नेतृत्व में तमाम गुन्डे वहां पहुंच जाते हैं। यूथ कांग्रेस में दो ग्रुप हैं, एक बहुगुणा जी का और दूसरा चन्द्रजीत जी का। उस देवराज को अभी एप्वाइन्ट कराया है मेरठ यूथ कांग्रेस का कन्विनर बहुगुणा जी ने। तमाम लोग उसके नेतृत्व में कैम्प पर पहुंचते हैं और वहां से 3 औरतों को जबरदस्ती घसीट लाते हैं और औरतों को नंगा करने की कोशिश की जाती है, तब पुलिस आकर उसमें इन्टरफेयर करती है। पूरे प्रदेश में और मेरठ में ला एन्ड आर्डर की हालत बड़ी ही नाजुक है, व्यवस्था रह ही नहीं गई है। वहीं एक लड़की छेड़ने से जब होम गार्ड के एक सिपाही ने रोका तो उसको मारा गया। होम गार्ड ने रिपोर्ट लिखाई तो कांग्रेस के लोगों ने हाथों हाथ उसकी जमानत करा ली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां एक सब इन्सपेक्टर पुलिस की मोटर साइकिल को इन्हीं लोगों ने फूंक दिया था। एक सिनेमा घर में लड़की को बुरी तरह छेड़ा गया; ये इनकी यूथ कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में आतंक मचाए हुए हैं, किसी की भी जान-माल आज सुरक्षित नहीं है। इनको अपने नेताओं का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही करने से सारा प्रशासन डर गया है। वे समझते हैं कि सही काम करने से उनकी अवनति होगी। तमाम तरह का संरक्षण यूथ कांग्रेस को मिला हुआ है, धन भी मिल रहा है। चाहे देहरादून हो या मेरठ—सब जगह वे नंगा नाच कर रहे हैं।

अत: मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए इस सदन की एक कमेटी बने या सरकार की ओर से कोई हाई-पावर्ड कमेटी हो, जो यह स्कीनिंग करे कि यूथ पालिटिक्स में कौन लोग हैं, इन तमाम कान्डों के पीछे कौन लोग हैं, जो यूथ पालिटिक्स कर रहे हैं।

मैं बतलाना चाहता हूं कि हर शहर में यूथ कांग्रेस के लोगों को स्प्रिट के लाइसेंस दिए गए हैं। मेरठ और देहरादून में दिए गए हैं। दोनों जगहों के ये लोग नकली शराब बनाते हुए पकड़े जा चुके हैं। यह तमाम लोगों को धमकाते हैं। यह लोग पहले मुकदमा दर्ज करा देते हैं और फिर पैसा लेकर मुकदमा वापस करा देते हैं। अगर यह किसी योजना के अन्तर्गत हो रहा है और अगर सरकार समझती है कि जिस तरह से बंगाल में विरोधी दल के लोगों को, गुण्डों और कातिलों को भर्ती करके दबा कर जिस तरह से सरकार बना दी गई तो मैं यहां की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आदमी का जमीर, ताकत तथा बाहें बंगाल के लोगों से बिलकुल डिफरेंट हैं। गोली चाहे कातिलों की तरफ से चले या बचाने वालों की तरफ से चले वह बराबर छेद करती है। अगर यही परम्परा चलती रही और जहां गांधीवाद और अहिन्सा की बात करते हैं वहां यह एक तरफा गोली चलने वाली बात नहीं रह जायेगी। चलती ट्रेनों में, बसों में तीन-तीन बार मुरादनगर में लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई और मास-स्केल पर बलात्कार किए गए लेकिन एक भी आदमी को सजा नहीं मिली।

मान्यवर, आप इस मामले में बहस कराइए और सरकार को शर्मिन्दगी जाहिर करनी चाहिए और वायदा करना चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए हैं वह बराबर चलते रहेंगे। इस मामले में जिसकी बेटी के साथ यह चीज होती है वह ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। लेकिन दूसरे आदमी की बेटी की बेइज्जती होती है तो सुरक्षित कोई नहीं बचता है। अगर इस मामले में सरकार की तरफ से किसी तरह का दबाव डाला गया तो सदन में हम लोग कोई कार्यवाही नहीं चलने देंगे? हम चाहते हैं कि सरकार शर्मिन्दगी जाहिर करे और अपनी नाकाबलियत के लिए माफी मांगनी चाहिए और जिस राजनीतिक दल के ये लोग हैं खास तौर से जो इस यूथ कांग्रेस दल के लोग हैं, इन लोगों के खूनी पंजे से सरकार आम जनता को बचाएगी। पुलिस जो हतोत्साहित होगई है उसको ताकत देगी और इन लोगों की जो बदमाशी कर रहे हैं सजा दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया में भी यही हालत है। कातिलों को बन्दूक के लाइसेन्स दिए गए हैं। (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है। दो मिनट सुन लें।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

अपराध निरोधक समिति बनी है। यूथ कांग्रेस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक सुधा नाम की लड़की को भगा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, पब्लिक सेक्टर में जो गुंडा गर्दी हो रही है उसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा (व्यवधान) इस चीज के लिये सरकार को माफी मांगनी होगी। पब्लिक सेक्टर में गुंडा गर्दी हो तो उसको रोका जायेगा इसके संबंध में मंत्री जी का सदन में आश्वासन आना चाहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, यह परम्परा हो गई है कि अगर विरोधी लोग प्रदर्शन करें तो गोली और लाठी चलाई जायें। दिल्ली में जब कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ तो यूथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा कितनी ज्यादती की गई। जितना यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया और अगर विरोधी लोगों ने इसका सौवां हिस्सा भी किया होता तो सैकड़ों आदमी मारे जाते लेकिन ये लोग लूटपाट करें, बेइज्जती करें या लड़कियों को छेड़ें तो इनका कुछ नहीं होगा। अगर विरोधी लोग शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करें तो कहा जाता है कि बड़ा कुकर्म किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसी को आप दोहरा रहे हैं इस मामले को तो माननीय मलिक जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बात सदन में कही गई है माननीय विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा मैं समझती हूं उसमें अगर एक अंश भी यह घटना अगर किसी प्रकार से कहीं पर घटी है, तो यह पूरे सूबे के लिये शर्मनाक बात है। किसी भी व्यक्ति के लिये मैं ऐसा मानती हूं, हमारे समाज में ऐसे तत्व अगर उभर रहे हैं, तो सरकार को इस पर गम्भीरता-पूर्वक सोचना पड़ेगा, सरकार इस पर कदम भी उठायेगी। सरकार की कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही है कि ऐसे ला एण्ड आर्डर बिगड़े, जिसमें बहू-बेटियों की इज्जत बिगड़े। जो माननीय सदस्य ने शिकायत की है, उस पर सरकार की तरफ से कड़ा से कड़ा कदम उठाया जायगा। जहां तक सवाल है हमारे दल में वे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, या कोई पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज हुई है, तो संस्था के स्तर पर इसकी पूरी छानबीन हो जायगी।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, जब प्रशासन पर बहस हो रही थी तब मैंने कहा था कि मेरठ में, वहां पर हिस्ट्री-शीटर्स यूथ कांग्रेस में दाखिल हैं और वहां पर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं दूकाने लूटी जा रही हैं, जबरदस्ती चन्दा लिये जाते हैं। अभी हाल में एक मोटर साइकिल भी फूंकी। साथ में नौचंदी में जो घटना हुई है वह भी यूथ कांग्रेस के द्वारा हुई है उनको पिस्तौल के लाइसेंस दिये गये। संगठन नाम का कांग्रेस बिलकुल समाप्त हो गया। सारे का सारा तंत्र इन युवकों के हाथ में दे दिया गया है और वे युवक इस प्रकार से हैं जोकि गुंडागर्दी में माहिर हैं। मेरठ में अराजकता की सीमा बन गई है। मान्यवर, यहां से कांग्रेस से और सारी सरकार से उनको संरक्षकता मिल रही है। एक मिठाई की दूकान को दिन दहाड़े लूट लिया गया। वहां पर जबरदस्ती मकान को एलाट करा लिया जाता है किसी की हिम्मत नहीं होती है कि जिसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्वमित रूप से एलाट होना चाहिये, वह हो। 26 या 28 तारीख को वहां पर राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं बड़े-बड़े कांग्रेसी वहां पर जाने वाले हैं वहां पर लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल किया जता है उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं होती है जो भी चला जाय पैसा ले आवे। मैं यह निवेदन करना चहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह अगर चाहते हैं प्रदेश में शांति व्यवस्था तो यह बात आवश्यक है उन्हें देखना चाहिये कि युवक कांग्रेस में कैसे लोगों को जाना चाहिये। अगर आपने हिस्ट्रीशीटर्स को इसमें दाखिल किया तो कांग्रेस की स्थिति या देश की स्थिति क्या बनेगी ? मान्यवर, हमारा कहना यह है कि उसमें चोट किसको आई है ? उसमें सिटी मजिस्ट्रेट को फ्रैक्चर हो गया है कोतवाली के अन्दर पुलिस को मारा। यह सब इसी कारण है कि बहुगुणा जी और बहुगुणा जी की सरकार उनके पीछे है। महीना में उनके पास इतना पैसा खर्च करने के लिये कहां से आता है ? महीना में वे 10-10 हजार रुपये खर्च कर देते हैं। मैं बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरठ की तरफ विशेष तौर से देखें और वहां पर स्थिति सुधारने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है इस विषय पर अच्छी तरह से बहस हो। मान्यवर, उनके लाइसेंस हटाये जाने चाहिये और उनको दंडित भी किया जाना चाहिये। मुझे पता है कि एक सज्जन को जब उनको लाइसेन्स मिला पिस्तौल का तो उन्होंने किस प्रकार से उसका उपयोग किया। मेरे घर के बराबर में उनमें से एक के द्वारा घड़ा मंगाया गया और पिस्तौल चलाकर उस घड़े को फोड़ा। तो जितने वहां पर बच्चे थे वे डर गये, वे मेरे पास आये और मुझे बताया कि किस प्रकार से पिस्तौल चला कर घड़ा फोड़ा गया। मैंने उन्हें समझाया कि भाई अगर तुम्हें पिस्तौल चलाने की प्रेक्टिस ही करनी थी तो इन बच्चों को क्यों टैरोराइज किया। तो यूथ कांग्रेस या कांग्रेस वाले अगर इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। आज तो उन्होंने सीधे पुलिस से मुठ भेड़ कर ली लेकिन कुछ पता नहीं है कल क्या हो जाय ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर सदन में बहस करा दें ? यह तो मेरठ का ही मामला नहीं है सारे प्रदेश का मामला बन गया है। मेरी निश्चित धारणा है कि चूंकि यह ला ऐण्ड आर्डर का मामला है अतः आप इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की आज्ञा देने की कृपा करें ?

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, नौचन्दी में जो घटना हुई है यह बी० एल० डी० वालों ने करवाई है और यूथ कांग्रेस का नाम बदनाम किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करा ली जाय ताकि जो सही तथ्य हैं वे सामने आ सकें। .... (व्यवधान)

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, वहां पर रिवाल्वर्स के लाइसेन्स दिये गये हैं। मैं आपको बरेली के बारे में भी बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे चलें। कृषि की मद पर जो विवाद चल रहा था, उसे आरम्भ किया जाय ?

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यूथ कांग्रेस के खिलाफ खासकर भालोद और जनसंघ के लोग सिर्फ इसलिये मोटीवेटेड प्रोपैगेन्डा कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रभाव युवकों पर नहीं है। (हंसी) अराजक तत्व जितने जनसंघ और भालोद में हैं, कांग्रेस में नहीं हैं। व्यर्थ में यह कह कर कि यूथ कांग्रेस वालों को पिस्तौल के लाईसेन्स मिले हैं और वे इस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक--

मेरी प्रार्थना है कि इस बात की जांच करा ली जाय कि किस पार्टी में कौन-कौन क्रिमिनल्स हैं ? और यूथ कांग्रेस में कितने हैं ?

श्री श्याम मिश्रा--

मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र में देख लीजिए जहां पर भालोद के लोग रोज ही डकैती डाला करते हैं । ..... (व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

मान्यवर, आज यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है । यह जो यहां पर मखौल उड़ रही है, मेरा यह कहना है कि प्रदेश में जो ईमानदार और परिश्रमी व्यवसायी हैं, आज सुरक्षित नहीं हैं । रोज यहां पर माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी दल में हों, यह मखौल होती है। एक दूसरे दल के लोगों के ऊपर जो छींटाकशी होती है, वह उचित नहीं है । . . . (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो कुछ कहा जा चुका है, वह काफी विस्तार के साथ कहा जा चुका है और एक शर्मनाक बात है जिसके हक में कोई भला आदमी कुछ कह नहीं सकता है । माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि यह बड़ी शर्मनाक बात है और किसी भी गवर्नमेंट के लिये काबिले बर्दाश्त नहीं है । चूंकि अब सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं जिन के पास होम विभाग भी है तो वे भी स्थिति को स्पष्ट कर दें कि उन्हें क्या कहना है ? इस सारे वाक्ये में दो मैजिस्ट्रेट और दो डी0 एस0 पी0 जख्मी हुये । तो यह मामूली घटना नहीं हुयी एक रिटायर्ड अफसर या कोई इंजीनियर हैं वह जा रहे थे अपने बच्चों के साथ । वहां से लड़कियों को छीनने की कोशिश—पुलिस के लोग उसको ले जाते हैं अपने संरक्षण में कोतवाली में—यूथ कांग्रेस के लोग हमला करते हैं और लड़कियों को छीन लेते हैं । और पुलिस रेजिस्ट करती है तो इनकी देखिये कि बावजूद पुलिस रेजिस्टेन्स के दो मैजिस्ट्रेट श्री सतीश चन्द और श्री आर0 सी0 नागर और दो डी0 एस0 पी0 श्री चन्दोला और श्री भूषण शर्मा जख्मी होते हैं । पुलिस वालों ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया वरना जख्मी नहीं होते । इन गुंडों के मुकाबले में जो उन्होंने संयम से काम लिया, अपने आपको रोका वह मुख्य मंत्री जी की वजह से । पुलिस अफसरान और मैजिस्ट्रेट वगैरह को यह डर बना रहता है कि यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, पता नहीं ऊपर से क्या आ जाये इसलिये वे खुल कर कार्यवाही नहीं कर सकते, उनका इनीशियेटिव खत्म हो जाता है ।

इसके अलावा पायनियर में जिस तरह खबर छपी है—यूथ लीडर। मैंने देखा कि कौन सी एजेंन्सी की खबर है तो लिखा था पी0 टी0 आई0, जिसको 3 हजार रुपये मिलते हैं और यू0 एन0 आई0 को 1500 रुपये मिलते हैं । यूथ कांग्रेस लीडर नहीं, यूथ लीडर। तो इस तरह से लगाया जाता है खबरों पर कंट्रोल ताकि लोगों को यह न मालूम हो कि कांग्रेस का काम है । लेकिन यह बात छिपी नहीं रहती कारेस्पांडेन्ट से कि कांग्रेस के लोग हैं । चर्चा होगी हर एक की जबान पर लेकिन पी0 टी0 आई0 के कारेस्पाटेंड लिखता है 'यूथ लीडर' । कल चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी के पास जरूर इत्तला डी0 एम0 ने भेज दी होगी । यहां से आज कोई हुक्म हुआ या नहीं, मुझको नहीं मालूम । इस वक्त सवाल केवल यह है कि आप ऐडजर्नमेंट मोशन एलाऊ करें, दो घंटे की चर्चा हो । उसके बाद क्या होता है, कोई जनरल इन्क्वायरी होनी चाहिये या नहीं, उस वक्त तय हो जायगा । इस वक्त इमीडियेट क्वेश्चन फार कंसीडरेशन केवल यह है कि आया यह दो घंटे की चर्चा का विषय है या नहीं । और जैसा मैंने जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में अपने कट मोशन पर बोलते हुये कहा था कि बनारस में यही हो रहा है, पीलीभीत का मैंने जिक्र किया था, देहरादून में हुआ है, सुल्तानपुर में हो रहा है और अब

मेरठ की खबर आयी है। तो यह आइसोलेटेड केस नहीं है, यह एक जनरलट्रेन्ड है। यूथ कांग्रेस में जो लोग लिये जाते हैं आया उनकी कोई स्क्रीनिंग होती है। शराब के परमिट दिये जाते हैं और लाइसेन्स दिये जाते हैं। तो वह हिस्ट्रीशीटर हैं या नहीं, पहले उनको कोई सजा हो चुकी या नहीं। तो यह एक जनरल क्वेश्चन है। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि आप इसे ऐडजर्नमेन्ट मोशन मान लें और इस पर बहस होनी चाहिये खुल कर।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

चूंकि बनारस की चर्चा की है माननीय चौधरी साहब ने इसलिये मैं बता दूं 22 तारीख को माननीय गिरिजा शंकर पाठक और और माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने उठाया था कि लाठी चार्ज हुआ और वह आवश्यक कार्यवाही के लिये आपने भेज दिया था। उसके बाद वहां के जो एस0 पी0, सिटी हैं, श्री ए0 एन0 सिंह उन्होंने कहा कि चूंकि विधान सभा में प्रश्न उठाया गया है. मैं देखता हूं कि कैसे क्या होता है? और अब बराबर लाठी चार्ज होता रहेगा तो कल फिर लाठी चार्ज हुआ। 30 छात्र गिरफ्तार किये गये और 12 छात्र गम्भीर रूप से घायल हैं और विद्यार्थी परिषद् के जो मंत्री हैं वह बहुत बुरी तरह से आहत हैं। जब विधान सभा में यह सवाल उठाया गया और आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया तो पुलिस अधीक्षक यह चुनौती दे रहे हैं कि चूंकि विधान सभा में उठाया गया है इसलिये बराबर लाठी चार्ज होगा।

मुझे यह बताया गया कि माननीय शतरुद्ध प्रकाश तथा कुछ अन्य विधायक माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले भी थे और उनसे उन्होंने यह कहा कि पुलिस महानिरीक्षक एक सप्ताह में वाराणसी जायेंगे। वहां की स्थिति अभी भी बड़ी गम्भीर है। तो वाराणसी के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

पौन घंटा मान्यवर, इस विषय पर चर्चा होते हुये हो गया। जब माननीय चौधरी साहब के खिलाफ माननीय प्यारेलाल शर्मा ने सवाल उठाया था तो उस पर चर्चा हो गयी, ... (व्यवधान-शोर) आज भी पौन घन्टा इसपर चर्चा होते हुये हो गया, चौधरी साहब ने चर्चा शुरू ही की, मलिक जी ने की, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी ने चर्चा की, यह सारी चर्चाएं हो रही हैं जब कि आपने कार्य-स्थगन को अस्वीकृत कर दिया है तब। आखिर यह किस नियम के अन्तर्गत हो रही है, इस पर आप कृपया व्यवस्था दें..... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश--

इतनी भयंकर आग लग रही है, तुम गोलियां चलवाओ और हम चर्चा भी न करें... (व्यवधान)।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

जब इस तरफ के लोग खड़े होते हैं तो हमको आप बिठा देते हैं (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष--

अभी कांग्रेस पक्ष से माननीय प्यारेलाल शर्मा व माननीय श्याम मिश्र बोले। कोई अपनी सीट पर खड़ा न हो तो मैं खड़ा नहीं कर सकता।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद की भी हालत बड़ी खराब है। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर जो बात उन्होंने कही है उसमें 2-3 बातें मुख्य निकलती हैं। एक तो यह है कि पी० टी० आई० अपना काम ठीक नहीं कर रहा है। अब यह सदन उनके बोर्ड आफ डायरेक्टोरेट को कोई डायरेक्शन ईशू कर सकता हो तो वैसा कोई प्रस्ताव आये तो मुझे उसमें कोई उज्र नहीं है। (व्यवधान) दूसरे यह कि यू० एन० आई० की एजेन्सी को बन्द किया नहीं गया, मेरठ में वह मौजूद है, यू० एन० आई० को सही करने से रोका नहीं है हमने। सही खबर आने से रोकने के लिये हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, इसलिये यह लान्छन हमसे ताल्लुक नहीं रखता है।

दूसरी बात यह कि इसमें 4 अधिकारी घायल हुये। ये न होते अगर यह अत्याचार न होते जिनको कि ये तथा कथित युवक कांग्रेस के लड़के कहते हैं। उसका अर्थ यह हुआ तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को कहीं चोट आ जाय। उदाहरण के लिये कानपुर के डी० वाई० एस० पी० को ही चोट आयी थी, उनका सर फट गया था और वे कई रोज तक बेहोश रहे। ऐसे बीसों उदाहरण मैं दे सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को न्याय व्यवस्था स्थापित करने में चोटें आती हैं। हां, इस सरकार ने अपने आफिसरों को यह हुक्म नहीं दे रखा है कि जरा भी मौका मिले तो पिस्तौल तो तुम्हारे पास रहता ही है, चलाना शुरू कर दो। न हमने ऐसा हुक्म दिया है और न ऐसा हुक्म देंगे। (व्यवधान) जब जवाब सही पहुंचता है तो गुल जरूर होता है, वह स्वाभाविक है। इतनी बात स्पष्ट है मैंने पहले दिन भी कहा था जिस दिन कि यहां जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहस हो रही थी कि इस सरकार ने न तो खुद और न तो आई० जी० ने ही ऐसा हुक्म दिया है कि किसी कैटेगरी के लोग चाहे विरोधी पक्ष के हों, चाहे सरकारी पक्ष के हों, वे न्याय और कानून के ऊपर हैं। जो जैसा करेगा वह भुगतेगा। जो मेरठ में हुआ है और मेरठ में जो कई घटनायें घटी हैं उसके अनुरूप कितने लोग पकड़े गये हैं यह तो चौधरी साहब को मालूम होगा। आखिर जो जेल में बन्द किये गये हैं या जिनको चोटें आयी हैं और जो अस्पताल में बन्द हैं लड़के और उनके साथ पुलिस ने अपनी ताकत का कहां तक इस्तेमाल किया है, यह भी उनको मालूम होगा। लेकिन यूथ कांग्रेस को सरकार चलाती है या बी० एल० डी० के युवा कांग्रेस को चौधरी साहब चलाते हैं यह बात सही नहीं है। हमारे यहां हर दल का यूथ कांग्रेस है। समाजवादी युवजन कांग्रेस है और भी युवा कांग्रेस हैं। अगर माननीय मोहन लाल जी या चौधरी साहब किन्हीं का नाम हमें दे देंगे कि फलां-फलां के सम्बन्ध में रेकार्ड पेश किया जाय तो मैं उनके रेकार्ड इस सदन के सामने पेश कर दूंगा। जहां तक श्री मोहन लाल जी ने कहा कि उसमें सब गुण्डे हैं या फलां-फलां गुण्डे के पास रिवाल्वर है, माननीय मोहन लाल जी बहुत सतर्क हैं वे ऐसे नहीं हैं कि आसानी से बैठने वाले सदस्य हों। उनकी स्वाभाविक बेचैनी से ही जो प्रश्न वे उठाना चाहते हैं उठाते हैं। अब एक तारीख पहले से लेकर आज की तारीख तक इस सदन में नाम ले लेकर कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों ने रिवाल्वर और पिस्तौल, बन्दूक के लाइसेंस ऐसे-ऐसे लोगों को दिये हैं जो गुन्डे हैं, जो हिस्ट्रीशीटर हैं और जिनका चरित्र खराब है। (व्यवधान) श्री सत्यपाल जी को मैं रोकता नहीं हूं। लेकिन श्री श्याम मिश्र से लेकर श्री सत्य पाल मलिक तक और चौधरी साहब से लेकर मुझ गरीब तक जो कुछ कहा गया है, अब यह जानकारी करने की बात है कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है उसको मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अब रह गया यह कि किस दल में कितने गुण्डे हैं। अब अगर यह मुकदमे से तय होना है कि किस दल में कितने गुन्डे हैं तो सभी इस बात को जानते हैं कि कितनी दफायें ऐसी लगायी जाती हैं जो असत्य होती हैं। अब जरा गौर कीजिये, और दफाओं से तय करते हैं कि ये गुन्डे हैं तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जायेंगे। कुछ कहना मुश्किल हो जायेगा। और हम कहना भी नहीं चाहेंगे। मेरठ की घटना के

सिलसिले में सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो तथ्य हमारे सामने आये उसके अनुसार प्रशासन ने कोई चूक नहीं की है बल्कि सख्ती बरती है। यह स्थानीय प्रशासन का मामला है और उन्होंने वहां न्याय व्यवस्था कायम कर दी है। (व्यवधान)

श्री सत्य पाल मलिक--

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष--

अब यह समाप्त हो गया।

श्री सत्यपाल मलिक--

मुझे आप कृपा करके एक मिनट सुन लें। मान्यवर, जो 12 लोग गिरफ्तार हुये हैं उनका नेतृत्व जो कर रहे थे, उनका नाम है देवराज, वह यूथ कांग्रेस के शहर के कन्वीनर हैं और प्रदेशीय स्टूडेंट कांग्रेस के वे अपने को सेक्रेटरी कहते हैं, मेरठ के हैं और उनको वहां मेरठ में स्प्रिट का लाइसेंस दिया गया है। और उसके पहले जो कन्वीनर थे उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे हैं और उनको भी लाइसेंस दिया गया है। नानकचन्द कालेज में जो यूथ कांग्रेस के कन्वीनर हैं उन पर भी कत्ल का मुकदमा है। मैं यह तो नहीं कहता कि सारी चीजों की एकदम जानकारी सरकार को है लेकिन मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि बहुगुणा जी को यह मालूम ही नहीं है कि किस तरह के लोग यूथ कांग्रेस में हैं या किस तरह के लोग यूथ बी0 एल0 डी0 या यूथ जनसंघ विंग में हैं। हम लोगों का निवेदन तो सिर्फ इतना है कि अगर हमारी तरफ से भी गलत काम कोई करे तो उसके साथ सख्ती बरती जानी चाहिये लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हमारी यूथ विंग के लोग हैं उनका आज वह हौसला नहीं जो आपकी तरफ के यूथ विंग के लोगों में उभर गया है। हमारा निवेदन है कि आपका काम है कि आप अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को इतनी ताकत दें, इतना विवेक दें कि आपकी तरफ के जो लोग हैं, आपके साथी हैं वे अपने को देश के शासक वर्ग की कोई अलग जाति या अलग कौम न समझ लें। यह आपको मानना पड़ेगा और चाहे जितनी बढ़िया भाषा का आप इस्तेमाल करते हों लेकिन हमारी प्रार्थना है कि प्रदेश के लोग आपसे जनना चाहते हैं कि क्यों आज यूथ कांग्रेस के लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गयी है, जैसे उनकी अलग कौम बन गयी हो और वह कोई गलत काम करने से कतराते नहीं हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माननीय मलिक जी एक जबरदस्त युवा नेता रहे हैं। चौधरी साहब को स्मरण होगा . . . . . .

एक सदस्य--

आज भी तो नेता हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी हैं और चौधरी साहब को स्मरण होगा कि कितनी कठिनाई उनको और हमको उठानी पड़ती थी जब माननीय मलिक जी युवा नेता की तरह से मेरठ में काम करते थे।

चौधरी चरण सिंह--

मुझे तो कोई कठिनाई कभी नहीं रही।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपको कभी नहीं हुई। अच्छा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा।

एक सदस्य--

आप भी तो अपने जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पालिटिक्स किया करते थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वह सत्य है, वह बात तो ठीक है। मान्यवर, माननीय सत्यपाल जी मलिक एक तपे तपाये युवा नेता हैं .....

एक सदस्य--

आपने भी तो युवा नेता का काम किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, मैंने भी अपने को उसी से संवारा है और इसीलिये मैं अपने को मलिक जी से ज्यादा निकट मानता हूं बनिस्बत चौधरी साहब के। हम और मलिक साहब एक ही बिरादरी के हैं और विद्यार्थी संघर्ष से हम दोनों ने जन्म लिया है और मैं समझता हूं कि वह चाहे किसी भी दल में हों लेकिन हमारा पूरा उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व को हम सबको मिल कर उठाना है। वह मैं अकेले नहीं कर सकता हूं और हम सबको मिल कर जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध जेहाद बोलना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इसमें सरकार को सबका सहयोग मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब तो हो गया। माननीय शारदा प्रसाद रावत।

चौधरी चरण सिंह--

क्या रहा जो ऐडजर्नमेंट मोशन था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको अस्वीकार पहले ही कर दिया था, आपको केवल समय दिया था कि आप अपनी बात कह दें। आपने अपनी बात कह दी और चर्चा भी हो गयी और जो आप चाहते थे वह हो गया।

चौधरी चरण सिंह--

तो पेश्तर इसके कि जो आज की ग्रान्ट है .....

एक सदस्य--

विधायकों के आचरण को भी देखते रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

2 बजे इस ग्रान्ट पर वोट भी होना है यह भी आप देख लें।

मन्त्रि-परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध जांच हेतु एक समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम 200 के अन्तर्गत दी गयी सूचना तथा लोक आयुक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 15 तारीख को नियम 200 के अन्दर मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य के खिलाफ एक प्रस्ताव आया है कि हमारे पास उनके खिलाफ कुछ आरोपों की सूची थी और हम चाहते थे कि उसकी तहकीकात करायी जाय। आपने वह 17 के लिये मुल्तवी कर दिया था और 17 तारीख का जो काम था वह स्थगित

हो गया स्वर्गीय डाक्टर राधाकृष्णन के स्वर्गवास की वजह से और मुझको मालूम हुआ है कि उस तारीख का काम आज के लिये मुल्तवी हो गया था कि 25 तारीख को उस पर बहस होगी।

श्री अध्यक्ष---

यहां ऐलान 26 तारीख के लिये हुआ था ?

चौधरी चरण सिंह---

जी ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा था कि 26 तारीख को ले लेंगे। लेकिन 26 को शनिवार था। तो यह बातें चलीं कि सब राजी नहीं हैं शनिवार के लिये कार्यमंत्रणा समिति में इसके लिये निश्चय नहीं हो सका, तो यह हुआ कि 28 को रख दिया जाय।

चौधरी चरण सिंह---

28 को तय हुआ था ?

श्री अध्यक्ष---

पहले 26 के लिये तय हुआ था।

चौधरी चरण सिंह---

26 के लिये, यानी, कल आयेगा।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, कल नहीं आयेगा। 28 को आयेगा।

चौधरी चरण सिंह---

माननीय वन मंत्री के विरुद्ध माननीय देहलवी जी ने दिया था.....

श्री अध्यक्ष---

वह आज है।

चौधरी चरण सिंह---

आज नहीं है। यह तय हो गया है कि वन मंत्री जी के खिलाफ जो प्रस्ताव हैं, वह आइसोलेटेड है। माननीय वन मंत्री जी के ऊपर स्पेसिफिक आरोप है। आप उस स्थिति से सहमत नहीं हैं। यह प्रोसीडिंग में है। यह मामला अलग है। तो वह मामला भी 17 को मुल्तवी हो गया था।

श्री अध्यक्ष---

हां, वह भी।

चौधरी चरण सिंह---

तो इसका मलतब है कि वह 28 को आयेगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको याद दिलाना चहता हूं कि आपने कहा था कि यह जनरल सवाल हो गया है, जिसकी सूचना एकत्रित करनेमें देर लगेगी।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने कहा था कि माननीय राजस्व मंत्री कानूनी भूमि ग्राम समाज की भूमि की बात थी, वह एक जनरल बात थी।

श्री अध्यक्ष--

वह भी बयान आप चाहेंगे ?

चौधरी चरण सिंह--

इससे मतलब नहीं है, अध्यक्ष महोदय वह अलग चीज थी।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर 28 को उसको भी दिलवा देंगे।

चौधरी चरण सिंह--

वह तो आपकी अनुमति से 28 तारीख को होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मलिक साहब ने 200 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध आरोप भेजे हैं। उन्होंने आरोप लगाये हैं और कहा है कि स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट का जज उनकी तहकीकात करने के लिये मुकर्रर हो जाय। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो देखेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

एक ओर तो वह भी रूल 200, का प्रस्ताव आज आने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

आज है ?

चौधरी चरण सिंह--

इसमें दर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

200 और 301 के जो मिलते हैं उनको मैं अपने कक्ष में देख लेता हूं और यहां निर्णय देता हूं। 301 पर जब सहमत हो जाते हैं तो निर्णय की जरूरत नहीं समझता हूं। 1-2 लोग बात भी कहते हैं। तो 200 वाला जो है तो उसको देखा है या नहीं। याद नहीं है। उस पर निर्णय लिखाना पड़ेगा। सचिव भी कल तक आ ही जायेंगे, वह भी नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति थी, उसको हम देख नहीं सके। देखकर बतायेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

मुझको आशंका है कि 28 के बाद सदन उठने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो ऐसा ही समझना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह--

फिर कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आखिरी-दिन जितने मामले रखे जाते हैं, आखिरी दिन मैं उन सबका निपटान कर देता हूं।

चौधरी चरण सिंह—

1—2 में चलाइये। मुख्य मंत्री का कमिटमेंट है कि लोक आयुक्त बिल आ रहा है। स्पेसिफिक कमिटमेंट है तो वह आना चाहिये। 1—2 को हाउस होना चाहिये। इसके अलावा उनके खिलाफ प्रस्ताव भी है, 28 को लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो अभी देखा नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

स्वीकार ही होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं भी एक दो बातें कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कहीं हैं। मान्यवर, 3 प्रश्न आपके सामने थे। एक तो जो इल्जाम लगाये गये थे चौधरी साहब पर। मुख्य मंत्री पर भी आरोप लगाया गया। और विरोध पक्ष ने मांग की कि निष्पक्ष जांच हो सके इस लिये 201 के अन्दर कमेटी गठित करदी जाय। तो चौधरी साहब की बात आयी तो वोट लिये गये, सदन में। आपने-अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जबकि नियमों ने आपको अधिकार दिया है। अगर आप चाहते. . . .

श्री अध्यक्ष—

नियमों में अधिकार है, जब शासक दल ऐसी बात के विरोध में हो।

चौधरी चरण सिंह—

ऐसा नहीं है। बल्कि शासक दल की मजोरिटी रहेगी। शासकदल की मेजोरिटी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन्स के लिये ठीक है। लेकिन सदन में मेजारिटी यह चीज चाहती है तो भी अपोजीशन के राइट का हनन हो जायेगा। तब आपकी जरूरत नहीं होगी। रूल में आपको इन्डेपेन्डेन्ट एक अधिकार दिया गया है उसके अनुसार आपका जो फर्ज है उसको करना चाहिये था। मुझे ऐसी शिकायत है कि चार्ज लगाता हूं और कहता हूं कि हमारे पास सबूत है और वह खेद प्रकट करने को तैयार नहीं है। आप प्रिविलेज कमेटी में भेजते नहीं हैं, जो कि भेजना चाहिये था। मैं डिमान्ड करता हूं कि इंक्वारी के लिये कमेटी बिठाना चाहिये था वरना स्पीकर की कोई जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

मैं नेता विरोधी दल से सहमत नहीं हूं। मेरी राय है कि उनको इस मामले में भ्रम है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि आपको अधिकार है इस नियम 200 (1) में कि सदन तय करे या आप स्वयं कमेटी गठित कर नाम निर्देशित करें। मैं नियम को पढ़ रहा हूं—

प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगी : परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

तो जब एक चीज आपके मस्तिष्क के सामने आ जाय तो न्याय का तकाजा यह है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और आप उसके मुताबिक इन्टरप्रेटेशन करें और देखा गया है कि इन्टरप्रेटेशन वही किया गया है जो न्याय के हित में है। आपके सामने बात आयी और आपने उस दिन कहा था कि सदन नहीं चाहता है तो समिति नहीं बनेगी। सदन में सरकार बहुमत में है और उसके तीन मंत्री उसमें शामिल हैं। तो कोई कभी क्या कल्पना कर सकता है कि उसमें सदन राजी होगा जिसमें बहुमत उनका है। वह कभी राजी नहीं होगा। विरोध पक्ष जो चीज कहता है और आप समझते हैं कि सचमुच वह चीज है तो आप बहुमत का इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों के ज्ञान वर्धन के लिये एक विस्तृत व्यवस्था दूंगा--कभी मैं दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस तरह यह मामला टल न जाय, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

समय का ध्यान आप रखें।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर मुझे आपत्ति नहीं है कि आखिर वाला हिस्सा न हो 5 बजे के काम हो जायं और फिर उसके बाद आप बात करते रहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3-4 दिन पहले यह कहा था कि लोक आयुक्त बिल मई के महीने में पास हो जायेगा। हम पहले से चौंक गये थे कि होने वाला नहीं है। लेकिन हमने उस पर विश्वास किया।

तो मैं परसों ही शंकित हो गया था आप कह देते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और समय निश्चित कर देंगे और इसके बाद अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हाउस 28 तारीख को ही उठने वाला है तो आप सब मसलों को कैसे निर्णय करेंगे। इसके अलावा जो हमने 200(1) के अन्तर्गत समिति गठित करने की बात कही है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों के भ्रम के निवारणार्थ इस विषय पर एक विस्तृत व्यवस्था दूंगा, किसी समय। अभी समय नहीं है। जो चीज सामने है उस पर हमें सोचना चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माधव बाबू का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ध्यान मेरा सदा आपकी तरफ रहता है.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

ध्यान कम रहता है लेकिन नजर ज्यादा रहती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

लेकिन आपकी नजर जो लग जाती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय चौधरी साहब ने कहाकि सरकार के दो मंत्रियों पर और मेरे ऊपर कुछ आरोप हैं, जिनके सम्बन्ध में क्या होगा ? यह चूंकि आपसे पूछा है इसलिये आपको फैसला करना है। आप इस पर व्यवस्था देंगे। लेकिन एक प्रश्न उन्होंने कहाकि लोक आयुक्त बिल मईमें आ जायेगा. . . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

बात यह हुई थी कि मई में कानून बन जायगा. . . . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मालवीय जी मेरे शहर के हैं, और मेरी गवाही जरूर देंगे यह मैं जानता था। मई में कानून बन जायगा यह मैंने कहा था। इस सदन के बिना भी तो कानून बन सकता है और अगर मई में कानून न बने तो मेरी जिम्मेदारी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो एक तरफा होगा। अगर सदन के समय यह कानून लाया जाता तो उसमें हम अमेंण्डमेंट भी लाते. . . . . .

चौधरी चरण सिंह—

प्वाइन्ट आफ आर्डर। सदन के चलते हुये इस समय यह कहना कि आर्डीनेंस जारी कर देंगे, यह कान्स्टीट्यूशन की स्प्रिट के खिलाफ है। आर्डीनेंस तो तब जारी किया जाता है जब कि कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो और सदन न चल रहा हो। लेकिन सदन के चलते हुये आपने अध्यादेश निकालने की बात कही, हालांकि 'अध्यादेश' शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि सदन उठ जायेगा तो अध्यादेश जारी कर देंगे। यह उनसे पूछा जाय कि क्या असेम्बली बुलायेंगे या आर्डीनेंस जारी करेंगे। अगर असेम्बली बुलायेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असेम्बली नहीं बुलाते और अध्यादेश जारी होगा तो यह अनकान्स्टीट्यूशनल होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब ने दो मार्ग बताये हैं। जो मार्ग सुगम होगा, वहीं करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसा कहकर सदन का अवमान किया है हम 5 मिनट के लिये सदन से वाक-आउट करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि असेम्बली बुलाकर इनेक्ट करेंगे या अध्यादेश जारी करेंगे। 'व्हाट ही मीन्स' यह बतावें ? लोक आयुक्त का बिल लाने के लिये मई में जो इन्होंने वायदा किया है, और बिल न लाकर इनका यह दृष्टिकोण कि सदन के बिना भी कानून बन सकता है, हालांकि यह इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि असेम्बली को बुलायेंगे कि नहीं या अध्यादेश जारी करेंगे, मैं और मेरा दल इसके प्रतिरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(चौधरी चरण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोक आयुक्त बिल लाने का जो वायदा किया था, उस बिल को पेश न कर सकने के कारण, सोशलिस्ट पार्टी भी सदन से वाक-आउट करती है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44-कृषि, अनुदान संख्या 46-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या 47-क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या 76-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 92 ऋण और अग्रिम-कृषि (क्रमागत)

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु प्रस्तुत किये। मैं उन सबका आभार मानता हूं। उन्होंने बहुत सी शिकायतें भी की थीं। उन शिकायतों के सम्बन्ध में चाहे वह शिकायत फैजाबाद की हों, लखनऊ की हों या बस्ती की हों, सभी कर्मचारी निलम्बित हैं। पुलिस उन पर कार्यवाही कर रही है। इनके अतिरिक्त अगर औरभी शिकायतें माननीय सदस्य देंगे तो उन पर विचार किया जायगा।

उस दिन मैंने बहुत सी बातें बतला दी थीं। आज मैं चाहता हूं कि कुछ और घोषणायें करूं। मान्यवर, एक यह आदेश प्रसारित कर दिया गया है कि कृषकों को यह शिकायत न हो कि उनको समय से बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिली या खाद में मिलावट है या खाद वजन में कम है। अब तौलकर खाद दी जायगी और जितना उसका वजन होगा उतना ही पैसा लिया जायगा। मिलावट को रोकने के लिये भी कड़ाई से कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में 408 छापे मारे गये। जिनमें खाद में मिलावट पाई गयी उनके केस भेज दिये गये और कुछ यहां पर जांच के लिये मंगाये हैं। इसके अतिरिक्त कृषि ज्ञान मेले जिनको सेमीनार और गोष्ठी कहते हैं प्रदेश के 47 जिलों में आयोजित किये गये। भविष्य में ब्लाक स्तर पर भी इनका आयोजन होगा। सरकार हार्टिकल्चर और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिये हार्टिकल्चर आफिसर्स की जिला स्तर पर नियुक्ति शीघ्र करने जा रही है। मान्यवर इस प्रदेश में बहुत से ट्रैक्टर्स वितरित किये गये लेकिन कृषकों के पढ़े लिखे बच्चों को उनकी ड्राइविंगकी, तात्कालिक मरम्मत की और रख रखाव की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। इसकी भी व्यवस्था तो जगह अलीगढ़ और जौनपुर में की गयी है।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये 15 मिनट का समय मैं अपनी ओर से बढ़ा रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पिछली बार माननीय सदस्यों ने गोबर गैस प्लान्ट की शिकायत की थी। जैसा कि मैंने बतलाया था 216 आदमियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वह तमाम जिलों में, विशेष रूप से 13 जिलों में, गोबर गैस प्लान्ट की स्थापना कर सकें। जितने कृषि फार्म्स हैं और विशेष रूप से जो पशु पालन फार्म्स हैं वहां पर गोबर गैस प्लान्ट लगाने के आदेश हो गये हैं जिससे कि वह प्रदर्शन का केन्द्र बन सकें और कृषक भाई वहां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मान्यवर, उस दिन मौन पालन के सम्बन्ध में जिक्र किया था। कृषि और उद्योग विभाग की तरफ से तय किया गया है कि जितने सरकारी बागात हैं या प्राइवेट बगात हैं या किसानों के फार्म्स हैं उनमें अधिक से अधिक मौन पालन की व्यवस्था की जाय। इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है और फल उत्पादन में भी। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि अधिक से अधिक इसका प्रसार किया जाय और इसका लाभ उठाया जाय।

---

†23 अप्रैल, 1975 की कार्यवाही से।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि आलू के गिरते हुए भाव को रोकने के लिये तत्काल ही 10 लाख रुपये के आलू पी0सी0 एफ0 खरीदे और आलू के भावों को गिरने से बचाये। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि 1645 नम्बर का जो आलू है, जिसकी क्वालिटी इतनी तेजी से गिर गयी है, उसको प्रदेश में कम से कम बोने का प्रचार प्रदेश में करे, क्योंकि इस क्वालिटी का आलू मूल्यों में भी कम मूल्य का है और इसमें बीमारी भी ज्यादा लगती है। इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज भी जल्द से जल्द लगाये जायेंगे जहां किसानों के आलू रखने की व्यस्था की जायेगी ताकि आये दिन जो शिकायतें होती रहती हैं, नहीं रहें। जो आलू के रखने की कार्यवाही थी, उसमें 44 शीत गृहों के खिलाफ डी0 आई0 आर0 में मुकदमें दायर किये गये हैं।

मान्यवर, जो हमारे कृषि बिभाग के कर्मचारी हैं, उनके संबंध में कहना है कि जितने भी हमारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनको जो पेंशन और ग्रेचुटी मिलने में दिक्कत होती है इस संबंध में यह आदेश किया है कि उनको शीघ्रातिशीघ्र पेंशन और ग्रेचुटी मिल जाय। जो सस्पेंडेड कर्मचारी हैं 2 और 3 वर्ष के ऊपर के, 30 जून तक उनमें से आधे केसेज में फैसला कर दिया जायेगा जिससे कि सरकार को हानि न हो और कृषि विभाग का नुकसान न हो। जो सरकारी कर्मचारियों का देय बाकी है, जो 15 लाख से ऊपर है, उसको कड़ाई से वसूल करने के आदेश दिये जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के लये यह प्रयास किया जायेगा कि जितनी कड़ाई से ऐक्शन हो सकता है,–लिया जाय ताकि कार्य में प्रगति आये, कुशलता में वृद्धि आये और ऐडमिनिस्ट्रेशन में इफीशियन्सी आये और कृषि और कृषकों की सही सेवा सुलभ हो सके।

1965 से, मान्यवर, बहुत से कृषि संस्थानों के अधिकारियों की इन्टर–सी–सीनियरिटी नहीं डिसाइड हो सकी थी। उसमें निश्चित किया गया है कि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाय और इन्टर–सी–सीनियरिटी निर्धारित की जाय।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि कृषि, समाज और बिजली तथा कोआपरेशन विभाग का अधिक से अधिक समन्वय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कोशिश की जायेगी कि जिला स्तर पर इन सभी विभागों की कृषि में उत्पादन की वृद्धि करने की दृष्टि से एक समिति बनायी जाय, ताकि सबके समन्वय से इस कार्य को बढ़ावा मिल सके।

इन चन्द बातों को आपके सामने, मान्यवर, मैंने इसलिये बताया, क्योंकि बहुत सारी बातें माननीय सदस्यों के सामने बतायी जा चुकी हैं। इसलिये मैं और अधिक बात न कहते हुये, इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनको पारित करें और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय शारदा प्रसाद रावत ने पेश किया है, उसको वासप लें और हमें आप सुझाव दें और शिकायत हो तो तथ्यों के साथ शिकायत भेजें तो प्रशासन में कुशलता लाने और उत्पादन में वृद्धि लाने की आपके सहयोग तथा योगदान से बराबर कोशिश करूंगा। ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,28,26,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,07,33,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,14,38,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,26,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92–ऋण और अग्रिम–कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,63,75,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56–विद्युत विकास तथा अनुदान संख्या 94–ऋण और अग्रिम–विद्युत

मुख्यमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56–विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,00,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94–ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,87,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, किसी भी समाज में आज प्रगति का मापदन्ड बिजली बन गई है। इसी दृष्टि से अगर हम अपने उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो हमें अपने पिछड़ेपन का कुछ आभास मिल जाता है। यह हमारे लिये एक चिन्ता का विषय है कि अपनी बिजली की आपूर्ति हम कैसे करें। मान्यवर, हमारे यू0पी0 की बिजली का कुल सिस्टम 600 मेगावाट पन बिजली (हाइडिल), 930 मेगावाट थरमल (कोयला) पर आधारित बिजली से चलता है। इसमें 300 मेगावाट रिहन्ड, 100 मेगावाट ओवरा हाइडिल रिहन्ड के इलाके में पानी के जलस्तर से सम्बन्धित है। फरवरी, 1975 से रिहन्ड हाइडिल स्टेशन को बन्द करना पड़ा और 400 मेगावाट बिजली जो हमें सहयोग देती थी वह एकाएक बन्द हो गई। जहां एक तरफ बिजली की स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ बाहर से आने वाली बिजली जिसमें विशेष कर बदरपुर दिल्ली और बिहार हैं। वहां से हमको लगभग 210 मेगावाट बिजली सिर्फ मिलती है। इस स्थिति में जो हमारी कृषि और उद्योग को बिजली की आवश्यकता है, आवश्यकता से जो हमारी उपलब्धता है, वह स्पष्टतया बहुत कम हो जाती है और उसके ऊपर फिर हमें तय करना पड़ता है कि बिजली को हम प्रमुखतया किस क्षेत्र को दें कृषि को दें या उद्योग को दें। मान्यवर, वर्तमान सरकार ने इस सम्बन्ध में रणनीति यह बनायी, कमी तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जितना सम्भव है, बुनियादी तौर से कृषि को अधिक से अधिक बिजली पहुंचनी चाहिये सिवाय उन बुनियादी जरूरतों के जैसे शहरों में पीने के पानी की या रेलवे ट्रेक्शन इत्यादि की। इन बुनियादी आवश्यकताओं को छोड़कर प्राथमिकता कृषि को दी जाय। हमारे यहां सबसे ज्यादा बिजली की खपत बिरला जी का एलम्युनियम का कारखाना हिन्डालको लेता था। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो उनका वादा था उस वादे से भी कम उनको बिजली मिलती थी। एक मिलियन यूनिट पर डे उनको बिजली मिलती थी जो कि उनके लिये पूरी नहीं पड़ती थी। जो वर्तमान सरकार आयी वह भी उन्हें पूरी नहीं दे पायी लेकिन जब कमी पड़ी तो मान्यवर, 1–11–73 से आज तक अगर देखा जाय तो हमने बिरला जी के इस कारखाने के लिये एक मिलियन यूनिट जो दी जा रही थी उसको भी काटा, अधिक से अधिक जो दिया है

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

वह जनवरी में 5 मिलियन यूनिट दिया वर्ना किसी महीने प्वाइन्ट वन टू, प्वाइन्ट वन थ्री दिया। यह मैं महीने की बात कर रहा हूं तीन महीना .48, एक महीने में .30 मिलियन यूनिट उनको दिया अर्थात् उनकी आवश्यकता से दी जाने वाली बिजली में और कमी कर दी गयी करीब-करीब उनको बिजली कुछ माने में 12 फीसदी तक 6 महीने दी जो उन्हें पहले दी जा रही थी। जिस वक्त यह सरकार बनी थी उससे पहले कनोरिया आर्कफरनेश को जो हमारे प्रदेश को सरकार ने राज्यपाल महोदय के समय में लगाये थे और दूसरों को करीब-करीब शून्य हमने दिया। जो उसकी आवश्यकता थी उसमें 10 महीने एक यूनिट भी बिजली नहीं दी। बहुत बुरा हुआ जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह था खेती को बचायें या उद्योग को बचायें मान्यवर जब छांट करने की बात हुई तो हमने खेती की बचाने की चेष्टा की। मुझे मालूम है कि हमारे यहां उद्योगों को धक्का लगा और बाहर प्रचार हुआ कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिये कोई स्थान नहीं है। लेकिन उद्योग स्वयं अपनी बिजली लगायें उसके लिये सरकार ने प्रोत्साहन दिया और परिश्रम किया। केन्द्र सरकार की कृपा से वह सहमत भी हो गये। उदाहरण के लिये जैसा बिरला जी को एक और पावर हाउस लगाने की इजाजत दे दी है जिसके लिये कुछ मशीन हिन्दुस्तान से ही और कुछ बाहर से भी आयेगी। तो यह एक रणनीति बनाई और उद्योगों से काट कर खेती को दी तब भी खेती की आवश्यकता के लिये बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई। मान्यवर, इसका मूल कारण यह था कि हमारी बिजली का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो संचार प्रणाली है उसमें भी कमजोरियां हैं। हमारे जो सब स्टेशन हैं और उससे कनेक्टेड तार जो जुड़े हुए हैं उनमें अगर ज्यादा लोड आ जाय तो वह उसे सहन नहीं कर पाते हैं अगर कहीं जो हमारे तार है और उसमें बिजली जा रही है और वह कट जाते हैं तो दूसरे तार के जरिये हमने डाला तो उस तार का अपना कनक्टेड लोड और दूसरे का लोड जब आता है तो उसमें बोल्टेज नीचे गिर जाता है। टेपिंग भी होती है एक कारण यह भी है और कभी मशीन खराब हो जाय या जो दूसरी जगहों से आती हैं जैसे बिहार से आने वाली बिजली है वह इन्टरप्ट हो जाय तो बिजली कम मिलेगी या फिर वहीं से पहले से कम मिलने लगे तो उद्योगों के लिये बिजली कम मिलेगी, खेती करने वालों को भी कम मिलेगी तो वह फिर अपनी व्यवस्था कहां से करेंगे। मान्यवर जो मशीन में खराबी हो जाती है अगर यह मालूम हो जाय तो उन लोगों से कहा जा सकता है कि वे अपनी व्यवस्था कर लें। लेकिन एकाएक खराबी हो जाती है और माना 100 मेगावाट हमें बदरपुर से मिले या पनकी या हरदुआ गंज में खराबी आ जाय स्वाभाविक रूप से कमी हो जायेगी क्योंकि हमारा इन सब का एक ग्रिड है। तो जब यह होता है तो जिस टेकनिकल भाषा में फ्रीक्वेंसी मेनटेन करने के लिये एकाएक बिजली में कट करनी पड़ती है। जितनी बिजली हमारे पास कम उपलब्ध हुई उसका परिणाम यह होता है कि तरह-तरह की कट लगानी पड़ती है। कभी-कभी उद्योग और खेती दोनों को बहुत कठिनाई आती है पर जिसके लिये हमारे पास व्यवस्था पूरी नहीं है। इतना जरूर है कि जहां तक हमारे इसका सवाल है, अपनी संचार प्रणाली को ठीक करने का, हमने उसको आइडेन्टीफाइ कर लिया है, उसका पता लगा लिया है कि सूबे भर में कितने ट्रांसफार्मर मौजूदा लगे हैं और कितनों को मजबूत बनाना है। इसी तरह से इस दृष्टि से अन्य तरफ भी ध्यान दिया है। एक कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक दो वर्ष और वैसे एक वर्ष में ही अपनी संचार प्रणाली को सशक्त कर देंगे, ताकि संचार-प्रवाह और संचार प्रणाली में कोई कमी न आए।

हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता प्रशंसनीय रही है। हमारा यह कहना नहीं है कि हमारे थर्मल पावर स्टेशन 100 फी सदी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इन्टेसिव व्यवस्था देकर उनको कुछ पैसा देकर, कुछ देख-रेख अच्छी बनाकर, कुछ उसमें तरमीम करके, कुछ मेम्बरों में काम बांट कर और बोर्ड की कार्यशैली में परिवर्तन करके कितने ही प्रकार के हमने इसमें असर डाले हैं। कुछ क्षेत्रों में यह ख्याल है कि बोर्ड रिकांस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बालिया साहब को हमने चेयरमैन बनाया और एक इंजीनियर को हमने गवर्नमेंट में सेक्रेटरी

बना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। उनकी यह बात ठीक नहीं है। मेम्बर बोर्ड जो पहले बैठा करते थे मीटिंग में, लेकिन काम में पूरी अलग-अलग जिम्मेदारी नहीं थी, उसके स्थान पर अब हर मेम्बर की एक खास जिम्मेदारी, एक खास काम हो गया है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स हों, चाहे स्टोर हो, चाहे व्यवस्था हो और चाहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रश्न हो, चाहे देखरेख का सवाल हो, चाहे वित्तीय व्यवस्था का सवाल हो। उसे अलग-अलग कर दिया गया है।

एक साधारण बात आपको बताऊं। बैंकों में हमारा रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रुपया था और उस रुपये को रखने का जो ढंग था, उसमें कुछ कमी थी, जो हमको नहीं मालूम थी। क्योंकि हम कोई व्यवसायिक नहीं हैं। इसके लिये हमने केन्द्र सरकार से एक वित्त जानकार को उधार मांगा और उन्होंने बताया कि जो आप रुपया रख रहे हैं और जिनके साथ आपका हिसाब है, वे रुपया तो जमा कर लेते हैं, लेकिन रुपया काम चलाने के लिये उधार नहीं देते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट से उधार दे देते हैं और सूद लगाते रहते हैं। इस तरह से 82 लाख रुपये का एक मद में फर्क पड़ रहा था। इस जानकारी के बाद हमने बैंकों से कहा कि यह आपका ढंग ठीक नहीं है, आपको यह व्यवस्था बदलनी होगी और इस तरह से हमारे रुपये को रखना पड़ेगा। रुपये को घुमाना बैंक जानते हैं, बिजनेसमैन अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये हम ढूंढ रहे हैं बाजार से, मार्केट से कोई ऐसा आदमी मिले जो पैसे के मैनेजमेंट का मास्टर हो जो जानता हो कि पैसे को घुमाते किस तरह से हैं पैसेवाले। ये पूंजीपति और व्यापारिक संस्थान वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसे को किस तरह से घुमाया जाए कि हर पैसे का हमको पूरा पूरा हिसाब मिल जाए।

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे यहां टैरिफ में तब्दीली हुई है और पैसे में कुछ बढ़ती हुई है किसान पर और उस पर। एक बात जो अक्सर कही जाती है और जो नेता विरोधी दल इस समय नहीं हैं, उन के भाषणों में बराबर आती है कि हम उद्योग को बिजली सस्ती और खेती को महंगी देते हैं। मैं मान्यवर, आपके सामने पढ़े देता हूं। यह हमारा टैरिफ रेट है। 68-69 में इंडस्ट्री का 18 पैसा यूनिट था—एग्रीकल्चर का 15 पैसे प्रति यूनिट। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडस्ट्री का 23 पैसे है और एग्रीकल्चर का 22.5 पैसे है। आज एग्रीकल्चर का छोटी इंडस्ट्रीज के बराबर नहीं है, उससे कम है। मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा और आप अपने हिसाब से देखिये। जवाब के वक्त बता दूंगा कि कहां गल्ती है। बिड़ला जी को बिजली दिये जाने के बारे में माननीय मुल्तानसिंह जी बराबर बोलते रहे लेकिन किसी ने सुना नहीं। इस समय 1.5 पैसे से 10.5 पैसे हम घसीट कर ले आये हैं। आपने बहुत दिन कहा लेकिन किसी ने सुना नहीं। आपने बोला और हमने सुना इसलिये अब आप इधर आ जाइये।

मान्यवर, बोर्ड बिड़ला जी को जो बिजली देता है उसमें ट्रांसमिशन लास बिलकुल नहीं होता है क्योंकि उनको बिजली प्रोडक्शन सोर्स पर दी जाती है। जबकि हमारा ट्रांसमिशन लास 2 प्रतिशत है और अगर यह उसमें शामिल कर लिया जाय तो हमारे दाम और ज्यादा हो जायंगे क्योंकि 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया जाय। वहां हमारा ट्रांसमिशन लोड जीरो है क्योंकि प्रोडक्शन सोर्स पर उनको बिजली देते हैं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

बोर्ड को 100 करोड़ का लास है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बरेली के माननीय सदस्य सत्यप्रकाश हैं। उनका नाम बहुत अच्छा है। वह सत्य का प्रकाश करेंगे और असत्य से दूर रहेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा लास 100 करोड़ का नहीं था और न होगा। हमारे यहां जो लास है उसको कम कर रहे हैं। यह जरूर

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

है कि बोर्ड का लास 40/45 करोड़ के बीच में है। हमें देखना होगा कि ट्यूबवेल के कारण कितना है, जो हम दूर-दूर तार ले जाते हैं उसके कारण कितना है और इसके पूरा करने के लिये टैरिफ के सिल-सिले में जो हमने तरमीम की, जिसको हमने लोगों पर लगाया, हमने 15 रुपये प्रति हार्सपावर कर दी जिससे हमारे माननीय सदस्य हम से नाराज हैं।

मान्यवर, आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं कि 1972 के मुकाबले में हमारे यहां यदि केवल तनख्वाह के मामले को लिया जाये तो 152.5 प्रतिशत ज्यादा हो गया है। अगर मान्यवर, कोयले को लिया जाये तो 150 प्रतिशत दाम कोयले के ज्यादा चार्ज किये जा रहे हैं जब कि हमारी सारी बिजली कोयले पर ही आधारित है। इसी तरह से यदि रेलवे को देखा जाये तो रेलवे ने अपना भाड़ा 160 प्रतिशत बढ़ा दिया है, कापर के दाम 180 प्रतिशत बढ़ गये हैं, स्टील के दाम 134 प्रतिशत बढ़ गये हैं, एलम्यूनियम के दाम 128 प्रतिशत बढ़ गये हैं और प्लांट तथा इक्विपमेंट के दाम ड्योढ़े हो गये हैं और हमारा टैरिफ 130 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा है। इसीलिये हम घाटे में रह रहे हैं।

मान्यवर, हमारे बोर्ड ने जो इस साल कोशिश की है उसमें हमें उम्मीद है और जो हमारे रेटस बदले हैं उससे हमारा घाटा 14.56 करोड़ के करीब आ जायेगा। लेकिन हमने माननीय सदस्यों से इस प्रश्न पर विचार विनियम किया तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किसानों को कुछ मामलों में कठिनाई आ रही है उदाहरण के लिये जो लाइन किसान की ले जाते थे, हमने उससे पैसा तय किया था लेने का और ट्रान्सफारमर का भी पैसा उससे लेने का तय किया था। इसके माने कि एक कनेक्शन के लिये साढ़े 4 हजार रुपये का तो ट्रान्सफारमर हो गया और अगर 300 मीटर भी लम्बी लाइन हैं, तो फिर इसी तरह 4–5 हजार रुपये का वह भी हो गया, तो इस तरह 8–9 हजार रुपये लाइन लेने में लगते थे। हमने निश्चय किया था मान्यवर कि हम ट्रान्सफारमर का अपना जो फैसला था उसको बदलेंगे और ट्रान्सफारमर का दाम काश्तकार से नहीं लेंगे, जिस तरह से बोर्ड पहले दिये थे, बराबर उसी तरह देता रहेगा, घाटा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिये और छोटे लोग कनेक्शन ले सकें, इसके लिये वह साढ़े 4 हजार रुपये का बोझ जो एकाएक उसके ऊपर आता था, उसको हम उतार रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो बिजली पैदा होती है और प्रसार होता है, उसको नहीं बतलाया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इसी प्रकार जो हमारी लाइन है हमने तय किया था 100 फीसदी लाइन का पैसा काश्तकार को देना पड़ेगा तो काश्तकार के लिये मान्यवर यह तय किया है कि इसके ट्रान्सफारमर से 300 मीटर तक का हम पैसा नहीं लेंगे और वह पैसा भी सरकार खुद देगी। यह घाटा बोर्ड का बढ़ेगा कि आम जनता के हित में और प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गवर्नमेन्ट ने यह फैसला करने के लिये बोर्ड को बाध्य किया है और बोर्ड ने हमारे इस प्रस्ताव को मान लिया है और मैं आशा करता हूं कि ये आज से नहीं माना जायगा बल्कि जिस तारीख से यह तबदीली हुई थी तब से और अब तक के बीच में अगर किसी भाई ने रुपया दे भी दिया है तो उनका रुपया हम मौजरा मानेंगे और उस रुपये को उनके हिसाब में चुकता करेंगे। एक बात मान्यवर यह कही जाती है कि 15 रुपया आपने हार्स–पावर लगा दिया और 12 घंटे तो छोड़ दिये जायं तो 6 घन्टे तक बिजली नहीं मिलती है। खैर मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। एक बात कहना चाहता हूं इस सदन में और इस सदन के बाहर। मीटर रीडर बिल क्लर्क किस तरह हजारों रुपये के बिल भेजते हैं और किस तरह माननीय सदस्यों को उसमें दखल थी और जनता को तो हमने मीटर रीडर और बिल क्लर्क से किसानों की मुक्ति करा दिया है। तीसरा यह है कि जो स्थिति आज है बराबर तो रहेगी नहीं। हम उम्मीद करते हैं

कि हमारी बिजली की स्थिति और अच्छी होगी पर जब जोड़ा गया और घटाया गया तो यह लगा कि 3 घंटे के हिसाब से एबरज बिजली मिल जाय तो 15 रुपये की वसूली उसमें हो जाती है और इसके सिहाब से फीडर लाइन खराब हो, मलिहाबाद बिलकुल लखनऊ के पास था दो महीने फीडर लाइन खराब थी, जब मालूम हुआ तो एक रात उसको ठीक किया, उससे मलिहाबाद के लोगों की फिर तकलीफ समाप्त हो गई। अब फीडर लाइन खराब रही फर्रुखाबाद में तार की चोरी की वजह से खराब रही कई जगहों पर, लेकिन साधारणतया यह सब मानेंगे कि खेती में पारसाल के मुकाबिले में इस साल बिजली कहीं अधिक दी गई। मेरा यह कहना नहीं कि हमें पूरा संतोष है, लेकिन हमारा संतोष तो होने वाला है क्योंकि आने वाले वर्ष में यह जो आपका नया वर्ष 75–76 है इसमें राम गंगा जोराहाट, छिबरा और ओबरा में जो तापीय बिजली घर हैं, अगर मिलजुल कर आयेंगे तो कम से कम साढ़े 3 सौ और ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार सौ मैगावाट बिजली हमें और मिल सकेगी और अगर यह हमें मिली तो हमारी आशा है कि हमारे प्रदेश में बिजली के संचार की व्यवस्था और अच्छी हो जायगी।

एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि बिजली के सिलसिले में आपकी उत्पादन क्षमता में कितनी खराबी आती है। ट्रान्समिशन में 126 प्रतिशत और और, 100 मैगावाट का कोई पावर हाउस है तो कितने मैगावाट पड़ती है, ऐवरेज में 75 प्रतिशत एफिशियन्सी रहती है। वैसे मैं निवेदन कर दूं कि हमारे ऐसे भी बिजली घर हैं जिनमें अखिल भारतीय पैमाने से ज्यादा बिजली बनी लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें कुछ कम बनी है। मान्यवर, इसके कई कारण हैं। बिजली बोर्ड के अन्दर सारा कैडर एक होने के कारण आज भी वही स्थिति है कि जब प्रमोशन होता है तो ट्रान्समिशन के आदमी का अगर प्रमोशन होता है और थरमल में जगह खाली होती है तो उसको वहां पर भेज दिया जाता है। वह थरमल के बारे में जानता नहीं क्योंकि वह ट्रान्समिशन का आदमी होता है। और इसी प्रकार से थरमल से यदि प्रमोशन होता है तो उसे ट्रान्समिशन में भेज दिया जाता है। तो इन बातों को दूर करने की चेष्टा की जा रही है।

साथ ही साथ अब एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप स्टोर नहीं खरीदेंगे। पी० ए० सी० के सामने एक सवाल आया था कि एक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ने वर्ष 1970 में एक साथ कई लाख रुपये के शाल के खम्भे खरीद लिया था, जो आज भी काम में नहीं आ सके। उसी प्रकार से हजारों ट्रान्सफार्मर्स हमारे प्रदेश में बेकार पड़े हैं। नैहटोर जिला बिजनौर में एक ट्रान्सफार्मर की जरूरत थी, और वहां के एस० ई० के सर्किल में मौजूद था लेकिन वहां पर 2 महीने किसान बिना ट्रान्सफार्मर के रहे और उनसे पूछा नहीं था कि हमारे यहां पर ट्रान्सफार्मर है या नहीं। अब हमने इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल का सारा काम कर लिया है और मुझे आशा है कि प्रदेश में जो बेकार ट्रान्सफार्मर्स हैं उनमें से कम से कम 10 हजार ट्रान्सफार्मर्स इस वर्ष हम ठीक कर लेंगे जो हमें लगाने को भी मिल जायेंगे। और इस तरह से तार, खम्बे, कैम्प और जो छोटी-मोटी चीजें हैं, उन सब की खरीद बन्द कर दी है। एक जगह से दूसरी जगह को सामान भेजने की व्यवस्था हो रही है। हमारी इस इन्वैन्ट्री के साथ-साथ जो किसानों को कष्ट हो रहा है, वह भी दूर होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—
बोर्ड को कितना डैमरेज देना पड़ा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि डैमरेज कितना देना पड़ा और वे ठीक ही पूछ रहे हैं। डैमरेज हम को रेल पर भी लगा और समुद्र के किनारे डौक यार्ड में भी लगा लेकिन बुनियादी बात क्या है ? वह लगा, वह लगता है। बुनियादी बात यह है कि विद्युत परिषद् की फाइनेन्स की पोजिशन मुनासिब ढंग से नहीं चल रही है। यह बोर्ड कमजोर बना हुआ है। आज भी जो बात कि हम ट्रान्सफार्मर्स की कास्ट और 300 मीटर की जो लाइन के चार्जेज होंगे वे हम किसान से

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

नहीं लेंगे। तो लगभग इससे हम 10 करोड़ रुपये साल का बोझ बोर्ड के ऊपर और डाल रहे हैं काश्तकारों को सुविधा देने के नाम पर, तो कैसे हमको पूरा ज्ञान होगा, इस पर हमें विचार करना है। चूंकि बोर्ड केपास माल छुड़ाने के लिये पैसा नहीं था इसलिये डैमेरेज पड़ा। यह उस सामान पर नहीं लगा जो गलत आर्डर किया गया है। सच पूछिए तो आपकी पुरानी पी० ए० सी० ने निकाला है कि 70 लाख रुपये का सामान गलत सही तरीके से खरीदने के लिये तो था लेकिन इसके लिये बोर्ड के पास रुपया नहीं था। तो जो गलतियां हुई हैं, गलतियां निकाली भी गयी हैं और धीरे-धीरे यह स्थिति नहीं रहने वाली है कि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। बोर्ड के फाइनेन्सेज को मैनेज कर रहे हैं और वह स्थिति अब नहीं आने दी जायगी जिससे कि बोर्ड के ऊपर इस तरह का लांछन आये। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं सभी बोर्ड के कर्मचारियों को, चाहे वह इंजीनियर हों, चाहे बिलिंग क्लर्क हों, चाहे मीटर रीडर हों, चाहे साधारण लोग हों, इन सबका सहयोग और साथ ही साथ जनता का भी सहयोग हमें चाहिये।

बहुत भाई कह रहे हैं कि 15 रुपये प्रति हार्स पावर जब से हमने किया और उनका 10 हार्सपावर का मोटर है उसे वह 5 हार्सपावर का कराना चाहते हैं तो उसे कर देना चाहिये। इसके पीछे बात यह है कि 5 हार्सपावर पर 300 मीटर लाइन सरकार मुफ्त में देती है। अब उनका ट्यूबवेल अगर 600 मीटर पर पड़ता था तो हमारे ही बाबू ने कहा होगा कि 10 हार्स-पावर का लगा लो 600 मीटर तक मुफ्त में आ जायेगी। तो उस वक्त तो आपने 600 मीटर तक मुफ्त में लाइन ले ली। प्रदेश में 2 लाख 10 हजार प्राईवेट ट्यूबवेल्स हैं अब मान लीजिये कि हम यह करने लगे तो यह जांचा कैसे जायगा कि मोटर कम हुआ या नहीं। हार्स-पावर की शक्ति को नापने के लिये इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टोरेट का एक बहुत बड़ा जाल फैलाना पड़ेगा और फिर यह कहेंगे कि बोल भाई, क्या देता है, उतना ही लिखे देता हूं। तो यह दूसरा घर खुल जायगा। हमने तो मीटर रीडिंग बन्द करायी बेईमानी रोकने के लिये और ऐसा करने से यह दूसरा घर खुल जायेगा कि बोल भाई, हार्सपावर कितना कम करें। इसलिये वह रास्ता नाजुक है। अभी हम सोच नहीं पाये हैं, कोई माननीय सदस्य बतायेंगे तो हम उनका आभार मानेंगे क्योंकि उस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। यह जरूर है कि जो आपको दे रहे हैं वह हिसाब से दे रहे हैं, आपके साथ बैठ कर जोड़ घटा सकते हैं। जो बात अनुचित थी वह पहले ही हमने हाथ जोड़ कर उपस्थित कर दी कि लाइन का पैसा, ट्रांसफार्मर का पैसा आपसे नहीं लेंगे।

जहां तक चेकिंग वगैरह का सवाल है, उसकी बाबत मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ एक बात कहना चहता हूं आखिर में। 15 रुपये फी हार्सपावर हमने लिया है, ठीक, लेकिन इस पर भी हमको घाटा है। हमने इसके साथ कुट्टी काटने की मशीन, चक्की, क्रशर, थ्रेशर, इस सबको भी जोड़ दिया है कि इसको लगा लो। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि न कोई गिने, न कोई लिखे, तुम्हारी भी पक्की और हमारी भी पक्की। हमारी भी चोरी बन्द और आपकी भी चोरी बन्द और इस आने वाले साल में, बड़ी नम्रता से कह रहा हूं कि हमारा पूरा भरोसा है कि इस साल बिजली ज्यादा दी गयी है जो साल बीत गया है उसके मुकाबले और अगले साल में कम से कम दुगुनी बिजली देने की क्षमता उत्तर प्रदेश में पैदा हो जायेगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

जो ट्रान्सफार्मर चोरी चले जाते हैं या जल जातेहैं उसमें आपकी क्या पालिसी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह तो बिजली और वर्क का बड़ा घना ताल्लुक है। वर्क पड़ता है बेचारे बिजली बोर्ड पर।

श्री सत्य प्रकाश--

आपकी सरकार बची रहे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जब तक आप सत्य प्रकाश के रहते हुये भी असत्य का प्रकाश करते रहेंगे तबतक कोई कहीं किनारे लगने वाला नहीं है।

माननीय सदस्य ने मुनासिब सवाल उठाया है कि अगर चोरी चली जाय तो किसकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि जब हम एक बार अपने पैसे से लगा देते हैं तो उसमें अगर कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट आता है तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर चोरी चला जाता है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे क्या करें। आप बोर्ड से चाहे जितना पैसा दिला दीजिए, मगर उस पैसे को कहीं से तो हमें आपको निकालना ही पड़ेगा। यह प्रश्न बोर्ड का ही नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश का है। यहां सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। अगर आप कोई अच्छी राय देंगे तो उसके लिए हमारा दिमाग खुला हुआ है।

मुझे खुशी है कि बिजली के इन्जीनियरों ने अच्छा काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो गड़बड़ लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती हो रही है। (व्यवधान) सख्ती में मुझे आशा है आप सब का भी सहयोग हमें मिलेगा। जहां तक साधारण कर्मचारियों का प्रश्न है, मेरी उनसे एक ही अपील है। उनका न्यूनतम वेतन आज सरकारी कर्मचारी से भी ज्यादा है। मुझे आशा है कि वे हमारी सरकार की स्थिति को समझेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

हरियाणा क्या देता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वह 220 रुपए देता है और हम 262 रुपए देते हैं। आपने अच्छा सवाल किया, न करते तो मुझे याद भी नहीं आता।

श्री सत्य प्रकाश--

रिट्रेन्चमेंट तो नहीं करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

हम छटनी किसी की नहीं करेंगे, लेकिन दिल को ठीक रखने के लिए सत्य प्रकाश जी आप अपने वजन में छंटनी जरूर कीजिए (हंसी)।

एक सदस्य--

बिजली की कमी के कारण जो कारखाने बाहर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उनको समझाया है। यह भी कर रहे हैं कि जिन्होंने यू0पी0 फाइनेन्स कारपोरेशन से या दूसरों से कर्जा लिया है उनके लोन की री-शेड्यूलिंग करके उनको समझा रहे हैं। एक दो अगर नहीं मानेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन सर्वसम्मति से इन्हें स्वीकार करेगा।

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56——के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—— 94, के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। मैं चाहूंगा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)——

इसे वापस लीजिए। जल्दी से काम खत्म हो। घर जायें। रामअधार जी को बिजली से क्या मतलब ?

श्री राम अधार——

माननीय काशीनाथ जी की बात समझ में आ रही है, मगर इस विभाग में, माननीय मुख्य मन्त्री जी की हालत आज उस कटी पतंग की तरह है जो पता नहीं कहां गिर जाय, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस विभाग के बारे में कुछ आलोचना करूं। कटे पतंग की हालत मुख्य मन्त्री जी की हो गयी है। इसलिए मैंने इस कटौती प्रस्ताव को रखा है जिससे कि शासन की नीति की सही समीक्षा हो सके। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर आपके विद्युत परिषद् की जो कमजोरियां थीं, उनको मुख्य मन्त्री जी ने खुद माना है। सरकार ने प्रदेश में पहले एक झूठा नारा दिया था और मुख्य मन्त्री जी ने अब प्रदेश का भार सम्भाला उस समय उन्होंने बयान दिया कि हम उत्तर प्रदेश को बिजली से चकाचौंध कर देंगे लेकिन खुशी की बात यह है कि आज ईमानदारी से खुद उन्होंने अपनी गलती को माना है। मैं समझता कि आपकी यह ढुलमुल नीति, आपकी गलत मीटर रीडिंग की व्यवस्था, आपकी गलत लाइन लासेज, इन सब के लिए आपने अपनी कोई ठोस नीति नहीं बनायी थी। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खुद कहा कि हम तय नहीं कर पाए कि उद्योग को प्राथमिकता दें या कृषि को। जब इस तरह की स्थिति हो गयी हो .... (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ——

मैंने स्पष्ट कहा कि हमारी नीति रही खेती को प्राथमिकता देने की। आपने सुना नहीं, आप देर में आए।

श्री राम अधार——

किसानों के पास जो कुएं थे, रहट थे, चारस थे, जिनसे किसान अपने खेतों में पानी देता था, विद्युत परिषद् की गलत नीति के कारण किसान के सारे कृषि साधन बेकार गए और उसकी गलत नीति के कारण आज किसान की सारी फसल सूख रही है। उसे समय पर पानी नहीं मिलता, गलत मौके पर पानी देते हैं। कभी कहते हैं कि 19 घन्टे बिजली देंगे, कभी कहते हैं कि किसान को रात दिन बिजली देंगे। फिर 15 दिन बाद आपकी नीति बदल जाती है और कहते हैं कि 6 घन्टे या 3 घन्टे बिजली मिलेगी। इस तरह के विद्युत परिषद् का पूरा नीति में गड़बड़ी है। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों को बहुत छूट दी है। और हमने 15 रुपये फी हार्स पावर इसलिए लगा दिया कि मीटर रीडिंग में गडबडी हो रही थी वह बन्द हो जाय। मैं पूछता हूं कि कन्ज्यूमर्स से विद्युत परिषद का एग्रीमेन्ट क्या है ? जहां तक मुझे मालूम है एग्रीमेंट तो यह है कि कन्ज्यूमर को बिजली मिलेगी और मिनिमम चार्ज या जितना भी सम्भव हो वह जमा करेगा। लेकिन विद्युत परिषद् ने उस एग्रीमेन्ट को तोड़ा और एग्रीमेन्ट के मुताबिक बिजली किसान को कम दिया। एक तो बिजली कम मिली और किसान का रेट बढ़ा दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नलकूपों की जहां तक स्थिति है, 1971-72 में प्रति ट्यूबवेल 621 घन्टे बिजली दी, 1972-73 में 554 घंटे, 1973-74 में 362 घन्टे बिजली प्रति ट्यूबवेल दी, तो यह एक ट्यूबवेल पर एक घंटा बिजली पड़ी। बिजली का घन्टा तो कम हुआ, समय निर्धारित नहीं हुआ और बिजली का रेट आपने बढ़ा दिया। इसी तरह से 1971-72 में जहां बिजली का रेट प्रति यूनिट 15.75 पैसा था, वहीं जाकर 1972-73 में 16.68 पैसा, 1973-74 में 26.47 पैसा और 1974-75 में 29.75 पैसा हो गया। ये आंकड़े माननीय मन्त्री जी ने ही दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये बिल्कुल गलत हैं। यही नहीं ये आंकड़े बिल्कुल झूठे हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, 180 रुपये सालाना प्रति हार्स पावर टैक्स लगा दिया गया है और उसके हिसाब से जितनी

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

भी बिजली देते हैं, ट्यूबवेल को एक घन्टे में, उसे तो लें तो पूरी की पूरी बिजली 1974 में 11 लाख 26 हजार किलोवाट आपने दी नलकूपों के लिए। और 15 रुपए फी हार्स पावर के हिसाब से 180 रुपए सालाना जो आप टैक्स लगा रखे हैं, इस तरह से किसान को 66 नए पैसे प्रति यूनिट बिजली पड़ती है, जब कि उसे एक घन्टा बिजली मिलती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बतावें कि कितना समय और लेंगे ?

श्री राम अधार—

आप समझ लें कि करीब-करीब 40 मिनट।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, नहीं यह बतलाइये कि कितने मिनट और लेंगे ?

श्री राम अधार—

जितना बोलना है उतना बोलूंगा। अभी तो बोलना शुरू किया है और आपको परेशानी होने लगी।

(इस समय 2 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि इससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह नारा तो आपका तुरुप है।

श्री राम अधार—

जी नहीं, यही सत्य नारा है। पूरे हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में बिजली का आज जितना रेट है, यहां की बिजली का रेट सबसे अधिक है। इसलिये मैं कहता हूं कि किसानों को खुश करने के लिये, सस्ती लोकप्रियता के लिये आप रोज एक बयान देते हैं और फिर बयान को बदल देते हैं। आपके सारे वादे वचनभंगी वादे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है। जहां तामिलनाडु में 5 पैसे, आन्ध्र में 10 पैसे केरल में 8 पैसे महाराष्ट्र में 13 पैसे और उत्तर प्रदेश में 29.75 पैसे। इससे साबित होता है कि मुख्य मन्त्री जी जो भी कह रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य सूबों के मुकाबले में

[श्री रामअधार]

हमारे प्रदेश की सरकार की नीति किसानों के समर्थन में नहीं है, किसानों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि किसान विरोधी है। इसीलिए सारे सूबों के मुकाबले में आप महंगी बिजली देते हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

वह आंकड़े आप कहां से लाए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री राम अधार—

वे आंकड़े सरकार के हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री अजीत सिंह सेठी से) आप बैठिए। व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी बात कहनी हो हमारे माध्यम से कहें।

श्री राम अधार—

सरकार को सही आंकड़े जो हैं उनसे क्या मतलब है, सरकार को उससे क्या लेना देना है। इनको तो अपनी गद्दी की फिक्र है यहां से लेकर दिल्ली तक।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं राम अधार जी आप कटौती के प्रस्ताव पर आयें, आपका समय समाप्त होता जा रहा है।

श्री राम अधार—

बीच-बीच में यह होना ही चाहिए। तो मैं कह रहा था कि यह सरकार किसानों के हित में नहीं कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि आप उद्योगों को सरकी न दें। जिस प्रदेश की 46 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, खेती पर रहती है उसको आप उद्योगों के मुकाबले में कम बिजली दे रहे हैं। महंगी बिजली दे रहे हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, शायद आपके समाजवाद की यही नीति हो तो आप उसे करें लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आप देखें कि जहां उद्योगों को 1970-71 में 6.10 पैसे से और 1971-72 में 10 पैसे और 1973 74 में 16.74 पैसे दी गयी है वहां खेती करने वालों को इन्हीं वर्षों में 16.68, 18.8 और 29 पैसे दी गयी है। तो यह साफ तौर से कहा जा सकता है कि आंकड़ों से यह साबित होता है कि यह सरकार कभी भी किसानों को प्राथमिकता नहीं देने वाली है। यही नहीं मान्यवर, आपने बड़ी मेज थपथपवा दी कि हिन्डालकों को हमने साढ़े दस पैसे बिजली कर दिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं किया है जब 1959 से लेकर सन् 1974 तक आपने बिड़ला की तिजोरियों को भर दिया, जिन तिजोरियों के बल पर आप चुनाव लड़ते रहे, उस तिजोरी के बल पर आपने क्या नहीं किया, और उसी की वजह से उसको आप 59 से लेकर 74 तक पौने दो पैसे में बिजली देते रहे हैं और छः करोड़ रुपये का घाटा इस प्रदेश को उसकी वजह से हुआ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उसकी चाभी आप ले लें।

श्री राम अधार—

हम तो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार रहे तो आपकी ही बनी रहे और वैसे हमारी बने तो चौधरी साहब तो हैं ही। चाभी आपके पास रहे हमें क्या देंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

चाभी अपने पास रख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राय साहब, माननीय सदस्य आपके दिमाग को भुलाकर इधर-उधर करना चाहते हैं ताकि आप बोल न सकें। आप बोलिए नहीं तो आपका समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री राम अधार—

मैं बालक थोड़े ही हूं। जो होगा उसका जवाब भी दूंगा। थोड़ा बहुत यह चलता है और चल रहा है और चलेगा। आप मेहरबानी करें। लाखों रुपए का घाटा विद्युत् परिषद् को हुआ। विद्युत् परिषद् के अभी खिलाफ आपने काम किया है। बिड़ला साहब के नोटों पर प्रदेश बहुत मजबूत नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो फैसला विद्युत् परिषद् के पक्ष में था आप रुपए को लेने के लिए मुकदमा उठा लेंगे। आपका वकील मिल जायगा तो इस तरह से मान्यवर, आप बिड़ला के कारखानों पर कभी हमला नहीं कर सकते। किसान की सीलिंग करेंगे, जबरदस्ती गेहूं निकाल लेंगे। आप प्रदेश की तरक्की के लिए, विद्युत् परिषद् के घाटे को पूरा करने के लिए बिड़ला की तिजोरी पर आपको हमला करने की हिम्मत नहीं है। करेंगे, किस पर, किसान पर। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज की सरकार बिड़ला की रक्षक है। बिड़ला की पहरेदार है।

एक बात मान्यवर, और कह रहा हूं। आज इस तरीके से उत्पादन भी कम हुआ है। 1-2, पिछले सालों में भी उत्पादन कम हुआ है। लेकिन अन्य सूबों के मुकाबले में भी हमारा उत्पादन गिरा है। उत्पादन ही नहीं गिरा है उपभोग में भी कमी हुयी है। जहां पंजाब में 169 किलो वाट प्रति व्यक्ति प्रति घंटा, महराष्ट्र में 186, पश्चिमी बंगाल में 115, उत्तर प्रदेश में केवल 60 है, इससे साफ है कि बिजली उत्तर प्रदेश में घटी है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की की है। इतना ही नहीं आपने प्रदेश की जनता की तरफ नहीं देखा है। बिजली आयी। 15 मिनट तक आयी पानी किसान के खेत तक पहुंचा नहीं। आपकी बिजली कट गयी। यह आपने विद्युत परिषद् का जो भूत खड़ा कर दिया है हर टयूबवेल पर, यह पता नहीं कब आए और कब चल दे। कभी-कभी तो कई-कई दिन तक भूत गायब रहता है। मुख्य मन्त्री जी का बयान निकलेगा कि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। किसान देखता रहेगा कि अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी। मैं कह रहा हूं कि आप इस प्रदेश को कब-तक गफलत में और झूठे नारों में रखेंगे। मान्यवर, आपने 1972 में 28632.2 लाख किलो वाट घंटा, उद्योगों को और किसानों को 7038.1 लाख किलो वाट घंटा बिजली दी। आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा कि हम रात और दिन को मिलाकर 19 घन्टे बिजली देंगे। उस दिन मैं जौनपुर में उतरा, आपका बयान बन्द, विद्युत परिषद् का बयान देखा कि बिजली फिर रात को मिलेगी। आपका और विद्युत परिषद् यह संघर्ष कब तक चलता रहेगा। उस प्रदेश में उद्योगों की तरक्की हो ही नहीं सकती जिस प्रदेश में खेती की तरक्की न हो। तो मैं मान्यवर, कह रहा हूं कि आप खेती को तरक्की दें। पर खेती को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।

[श्री राम अधार]

सवाल यह है कि कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन आपने 3-3- पावर स्टेशन बेच दिए हैं। केन्द्रीय सरकार से अनुमति भी नहीं ली। न मालूम संजय गांधी के कहने पर या यशपाल कपूर जी, या चन्द्रजीत यादव जी के कहने से। आपने 3-3- पावर स्टेशन बिकवा दिए। इन पावर स्टेशनों का मामला पार्लियामेंट में आया था। मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि आज 3-3- पावर स्टेशन बेच कर आपने अवैधानिक कार्य किया है। कहा गया कि यह लास में चल रहे हैं। लेकिन आप देखें कि वह पावर स्टेशन आज फायदे में चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् के अध्यक्ष को कोई पावर नहीं है कि वह थरमल स्टेशन को बेच दे। सरकार की अनुमति जब तक न हो तब तक वह थरमल स्टेशन को बेच दे यह नहीं हो सकता है।

मान्यवर, आपके वहां मीटर रीडिंग का विभाग है। उद्योगपतियों के वहां जो मीटर लगे हैं उन पर विभाग को कमीशन मिलता है। यदि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करवाई जाय तो जो मीटर उद्योगपतियों के वहां लगे हैं वह गलत निकलेंगे। यदि चेक मीटर लगाए जायं तो भी मालूम हो जाएगा कि मीटर गलत हैं या सही हैं। मान्यवर, बिड़ला जी बहुगुणा जी से नाराज हो गए क्योंकि ओपेन वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग होने से श्री राजनारायण जी जीत गए और बिड़ला जी हार गए। लेकिन बिड़ला जी फिर दौड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप राजनीति को कटौती के साथ न जोड़ें।

श्री राम अधार—

मान्यवर, किसी बात को कहने के लिए उदाहरण देना जरूरी हो जाता है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग पूंजीपतियों से मिले हैं। मान्यवर, लखनऊ में मोती कोल्ड स्टोरेज का 100 हार्स पावर का मीटर था। तो उनको यह दिए हुए हैं। लेकिन किसान बिजली से बहुत परेशान हैं। मान्यवर, रेवेन्यू आफिसर के वहां जहां बिजली का पैसा जमा होता है यदि आप सी0 आई0 डी0 को बैठा दें तो पायेंगे कि गलत बिल जाते हैं। 5 हजार रुपये के गलत बिल किसान को वहां भुगतान के लिए जाएगा और जब किसान आएगा तो उससे कहेंगे कि 500 रुपए दे दो तो हम इतना रुपया छोड़ देंगे। इस तरह से वहां हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आपके राजस्व विभाग में यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अतः इसको बदलना चाहिए।

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि 10 हजार ट्रान्सफारमर को हम जल्द से जल्द ठीक करा देंगे। कितना बड़ा घपला है कहा नहीं जा सकता। बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के, मन्त्रियों के लड़के और विद्युत परिषद् के अधिकारियों के बीच में महागठबन्धन है माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में। इसमें दो व्यक्ति और सम्मिलित हैं कोई अग्रवाल साहब हैं टेकनीकल असोसिएट और श्री राम स्वरूप, यह भी कोई टेक्नीकल व्यक्ति हैं। यह दोनों आदमी दो कौड़ी के आदमी थे लेकिन मन्त्री लोगों और विद्युत परिषद् के बड़े-बड़े अधिकारियों की छाया में अब यह हो गया है कि इनका वर्कशाप कई करोड़ का हो गया है। यही लोग ट्रान्सफारमरों का रिपेयर करते हैं। और यह इन दोनों लोगों की दोनों फर्में, नये ट्रान्सफारमरों के खरीदने में जितना पैसा लगता है लगभग उससे थोड़ा सा कम, रिपेयर में श्री अग्रवाल और श्री राम स्वरूप, ले लेते हैं। इन लोगों ने जिसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के हैं, मन्त्रियों के लड़के हैं पतोहू हैं, बिटिया है, इन लोगों ने कोआपरेटिव बनाकर एक पब्लिक सेक्टर बना लिया है और इस तरह से यह दोनों आदमी कौड़ी से करोड़ों के बन गए। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच कर लें। यह लोग विद्युत परिषद् के अधिकारियों से मिलकर आर्डर लेते हैं और उसके बाद सप्लाई होती है उसमें कमीशन मिलता है और घूमफिर कर सारा मुनाफा विद्युत परिषद्

का इन बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के और मन्त्रियों के लड़कों के घर में ही रहता है और मन्त्री जी बाद में कह देंगे कि 10 हजार ट्रान्सफारमर की रिपेयर हो गई क्योंकि 4 लाख चुनाव के लिए मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् का अपना वर्कशाप था तो उसमें केवल 3-4 ट्रान्सफारमर रिपेयर होते हैं जो बहुत कम हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह इस प्रकार निराधार आरोप कैसे लगा रहे हैं.....

श्री राम अधार—

मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को बोलने दें, व्यवधान न उपस्थित करें।

श्री राम अधार—

मैं तो स्वयं नहीं चाहता था कि किसी पर पर्सनल आरोप करूं। यह ठीक नहीं है। मान्यवर, एक शमशाद मियां हैं पैरामाउन्ट वाले, जिनके बारे में पार्लियामेंट में भी चर्चा उठी थी 80 लाख के गबन के बारे में। अगर माननीय मन्त्री कहेंगे तो सबके नाम बता दूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार का काम है कि वह जांच करे कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। विद्युत परिषद् के वर्कशाप से एक भी ट्रान्सफारमर रिपेयर होकर नहीं आता है। इन लोगों के यहां से अगर कोई ट्रान्सफारमर रिपेयर होकर आता है तो 4,000 रुपये रिपेरिंग चार्जेज होते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद फिर बिगड़ जाता है। इनके आदमी ऐसे हैं जो लखनऊ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर ट्रान्सफारमर बिगड़वाते हैं, चोरी करवाते हैं और इससे मैं कहूंगा कि विद्युत् परिषद् को करोड़ों का फायदा हो जाएगा इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् अपना एक वर्कशाप खोले। वह लोग तो बिल्कुल गणेश मिश्रा टाइप लोग हैं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार गणेश मिश्रा लाइन से हटे। अगर विद्युत् परिषद् अपने यहां खुद ट्रान्सफारमर रिपेयर करवाए तो इनका 30 फीसदी फायदा होगा और बचत होगी और यही नहीं मन्त्री लोगों की जो जेब गर्म होती है वह भी ठंडी हो जायगी। मान्यवर, इसी तरह के ब्रेकडाउन होते हैं उनको भी ठीक करना चाहिए।

अब आती है डैमरेज की बात। मन्त्री जी बिड़ला पर कृपा करेंगे तो 30 करोड़ माफ कर देंगे। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार तो कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की कालीमाई का पुतला है, चमंचा है। यह बिड़ला पर हाथ लगा ही नहीं सकते। उससे नहीं कहेंगे कि इतना बकाया है दे दो। यही वजह है कि विद्युत् परिषद् का इतना सामान पड़ा हुआ है और यह उसे छुड़ाने की स्थिति में नहीं है। यह 70 करोड़ के घाटे में है जो 100 साल में भी पूरा नहीं होगा। आपने आंकड़े दे दिए कि इतने गांवों का विद्युतीकरण हो गया, इतने बिजली के खम्भे लग गए। लेकिन मान्यवर, अगर आप देखें तो अगर 100 खम्भे लगे हैं तो मुश्किल से दस पर ही बल्ब जलता होगा। वह जो वोट के नाम पर खम्भे लगा दिए जाते हैं यह नहीं होना चाहिए।

विद्युत् परिषद् लाभ की दृष्टि से काम करें और सरकार भी अपनी नीति को बदले मैं अपने आजमगढ़ जिले की बात कहता हूं। वहां हजारों गांवों में बिजली लगी लेकिन कितने गांवों में बिजली जलती है। इसी तरह से आपने खम्भे लगवा दिए। इलाहाबाद में 9 आदमियों से दस्तखत करा लिए और खम्भा लगा दिया। लेकिन क्या विद्युत् परिषद् ने पूछा कि वह बिजली का कनेक्शन लेंगे या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वोट के नाम पर यह न करें और अपनी नीति बदलें। हरिजन बस्तियों में बिजली के खम्भे लगने का बहुत चर्चा होता है। हरिजन जिसके पास पेट भर खाने को नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, वहां आपने खम्भे लगा दिए। करोड़ों रुपए का घाटा परिषद् को आपके झूठे

[श्री राम अधार]

नारों के कारण हुआ। और हालत यह है कि किसान को बिजली की जरूरत है तो उसके लिए कनेक्शन बन्द। आज उसे बिजली नहीं मिल रही है। मान्यवर, इतना ही नहीं इनके जो आफिस हैं वहां से बिल बनकर जाता है। मान लीजिए उस पर लिखा है कि 30 मार्च तक अपने बिल का भुगतान कर दें। अगर किसान उस तारीख तक न जमा कर पाया तो साढ़े 12 रुपया सरचार्ज लेंगे। उसके पास जो नोटिस जायगी उस पर 30 मार्च के पहले के दस्तखत होंगे लेकिन जायगा 30 मार्च के बाद। जो आजमगढ़ के बारे में इस बात को बताया है उसको देखा जाय।

भ्रष्टाचार का नाम मान्यवर, बहुत आता है। क्या भ्रष्टाचार विद्युत् परिषद् में मिट सका? नहीं? बल्कि भ्रष्टाचार विद्युत परिषद् में और तेजी से उसी दिन से बढ़ा है, जिस दिन से वहां से आई0ए0एस0 अफसर को हटा दिया। ऐसा करके प्रदेश की जनता का सबसे बड़ा नुकसान किया। आज विद्युत् परिषद् में नीचे से ऊपर तक एक ही कैटेगरी के अधिकारी हैं। अगर ऊपर का अधिकारी भी भ्रष्ट हो जाय, तो मान्यवर, भ्रष्टाचार कभी मिट नहीं सकता। आई0ए0एस0 अफसर को विद्युत् परिषद् से हटाने वहां चोरी बढ़ी है, भ्रष्ट इन्जीनियरों की फाइल दबाई गयी है। लेकिन फिर भी मन्त्री जी कहते हैं, भ्रष्टाचार मिटायेंगे, नया समाज बनायेंगे। इन्दिरा गांधी आयी हैं, नयी रोशनी लायी हैं। मुख्य मन्त्री आ गए, गांवों में चकाचौंध हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसी तरह के विचार आप विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे?

श्री राम अधार—

नहीं मान्यवर, यह तो मैं उदाहरण दे रहा था।

मान्यवर, एक, एस0 के0 मिश्रा सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हैं, जो लगातार 6 सालों से सुपरसीड हो रहे थे। क्यों? गम्भीर आरोप थे। अब क्या हुआ? चूंकि 1976 का चुनाव आ रहा है और सरकार को रुपए चाहिए, इसलिए मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली के एक बड़े नेता के, स्टेनो या चपरासी, पता नहीं क्या है—श्री यशपाल कपूर, जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उथल-पुथल कर रहे हैं, के दबाव में आकर, श्री एस0 के0 मिश्रा को अब मुख्य भन्डार नियन्त्रक बना दिया गया है, जहां उत्तर प्रदेश की खरीद-फरोख्त होती है—कई करोड़ का माल आता है। ऐसी स्थिति है। इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। सरकार इस ओर ध्यान दे।

मान्यवर, कई अखबारों में, नेशनल हेराल्ड, पायनियर आदि में कापर की चोरी का जिक्र आया है। कापर का तार आया। दिल्ली की एक फर्जी फर्म के आदमी ने टेन्डर दिया। कई करोड़ का कापर का डेढ़ दो लाख का टेन्डर हुआ। बाद में पता लगा फर्म का पता ही नहीं। फर्जी फर्म को कई करोड़ का कापर बेंच दिया। विद्युत् परिषद् को क्यों नहीं बेचा?

इसी तरह से गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री शिव कुमार मिश्र हैं और एस0 डी0 ओ0 एक पाण्डेय हैं। दिनांक 27 जनवरी, 1975 को अल्यूमिनियम का तार ट्रक डी0एच0डी0 न0 2447 में केन्द्रीय स्टोर, गोरखपुर के माल आया और सरदार नगर में गया और फिर वहां से रुककर पता नहीं कहां गायब हो गया। ट्रक पकड़ा गया। जूनियर इन्जीनियर को निलम्बित किया गया। मुझे मालूम हुआ जूनियर इन्जीनियर के स्टोर का फीजिकल वेरीफिकेशन हुआ और माल सही पाया गया। लेकिन चूंकि बड़े अफसर चोरी करते हैं, और छोटे अफसर मारे जाते हैं। बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इस तरह से विद्युत परिषद् में चोरी हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से सुल्तानपुर में एक बी0 के0 शर्मा हैं। यह अधिशासी अभियन्ता, हैं विद्युत अभियन्त्रण, सुल्तानपुर में। भ्रष्टाचार के मामले में मशहूर हैं। 8 जुलाई, 1974 को 8 विधायकों के दस्तखत से शिकायत की गयी। दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 की तथा फिर दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 को दरख्वास्त दी गयी कि सुल्तानपुर के अधिशासी अभियन्ता ने कई लाख रुपए का घुटाला किया है लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री ने कोई कार्यवाही नहीं की और न जवाब दिया।

मेरा जिला खुद ऐसे इन्जीनियर का भुक्त भोगी है। वह हैं अधिशासी अभियन्ता श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, विद्युत अनुरक्षण खंड, आजमगढ़। 1966-67 में सुहावल में रहे थे। गलत मस्टर रोलिंग की। खराब कोयला मंगवाया और वहां कई लाख रुपए का घुटाला किया और जांच हुई तो कोई सोम गुप्त हैं उन्होंने पूरी फाइल दबा दी। 1968 में यही वी0 के0 श्रीवास्तव सहायक इन्जीनियर पर मऊनाथ भंजन में गम्भीर आरोप लगाए गए। गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता ने जांच की और कार्यवाही करने को कौन कहे, उनको एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर बनाकर आजमगढ़ भेज दिया गया। मुख्य मन्त्री जी के कभी-कभी कहने पर एक आध जांच करा देते हैं, लिहाजा इनके बारे में वह जांच करायेंगे। इन्होंने वहां पूरे किसानों की बिजली काटकर मऊ में पावर लूम चलाने वाले बड़े-बड़े सेठों को दे दी नियम के खिलाफ और इन पावर लूम वालों से विद्युत् वाले दो हजार, तीन हजार रुपया प्रति माह वसूल करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत की गयी थी कि इन श्रीवास्तव साहब की ससुराल आजमगढ़ शहर में है और वह सरकारी वकील हैं। केन्द्रीय स्टील मन्त्री वहां दावत खाने पहुंच जाते हैं, हर वक्त जीप उनके घर पर रहती है और पर्मानेन्टली वह उनके घर पर निवास करते हैं। हाउस में राज मंगल पांण्डेय जी ने यह बयान दिया था अगर उनकी ससुराल आजमगढ़ में है तो एक घंटा भी रहने नहीं दिए जायेंगे लेकिन ताज्जुब है कि यह वादा-खिलाफी क्यों हो रही है? इन्जीनियर कहता है कि विधायक होता क्या है? सारी जनता उससे परेशान है। मेरा यह दावा है कि विद्युत् परिषद् एक एक्सपेरीमेंट की जगह हो गयी है। इसमें दो-दो तो सचिव हैं। एक सचिव, दूसरा विशेष सचिव और एक चेयरमैन और सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है चेयरमैन तथा मुख्य मन्त्री में चल भी गयी है क्योंकि चेयरमैन को दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे यहां किसान को बिजली नहीं मिलती, वह त्राहि-त्राहि कर रहा है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी है कि इस निकम्मे विद्युत् बोर्ड को समाप्त किया जाय चूंकि उसमें लूट होती है और किसानों को समय से बिजली नहीं मिल पाती है। जहां बिजली केवल इसलिए दी जाती है कि मुनाफा हो, भ्रष्टाचार फैले, मन्त्रियों की थैली गरम की जाय, उसी के लिए मैं कहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है उसे सभी माननीय सदस्य स्वीकार करें और उसका समर्थन करें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज संयोग से ऐसे शुभ अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है जब कि आज उनका जन्म दिवस है और इस शुभ अवसर पर जो छूट उन्होंने काश्तकारों को देने की घोषणा की है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते हैं माननीय राम अधार जी ने जो भाषण दिया उससे मुझे जरूर अफसोस हुआ। सिवाय दो-चार मामलों के जो उन्होंने इन्जीनियरों के बारे में उठाये। वह जो एक बाडर पालिसी आस्पेक्ट है और जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था—जैसे ट्रान्सफारमर्स आदि के बारे में उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मान्यवर, सारा सदन गवाह है इसी सदन में पिछले सत्र में दोनों पक्षों ने—कांग्रेस पक्ष ने भी और उधर के लोगों ने भी—कहा था कि जो पुराना विद्युत् परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाय। इसके सिलसिले में वहां पर सवाल उठाए गए थे। मुख्यमन्त्री जी ने जो भाषण दिया था, उससे

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

यह परिलक्षित हुआ था कि जो पुराना बोर्ड था उसमें गड़बड़ियां थीं। जैसे उसके फाइनेन्शियल आस्पेक्ट के बारे में कहा गया था कि 82 लाख रुपये का सालाना घाटा इस लिए होता था कि बैंक में रुपया कैसे और कहां रखा जाय। वह बोर्ड जिसका बजट साढ़े तीन अरब का होता हो और उसके पास ऐसा कोई सक्षम अधिकारी न हो जो यह बता सके कि किस तरह से बैंकों में रुपया रखा जाय तो इस सिलसिले में जो चार्जेज लगाए जाते थे, मुझे खुशी है कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुये मुख्य मन्त्री जी ने बोर्ड का पुनर्गठन किया।

मान्यवर, मैं अभी कुछ रिपोर्ट इस सम्बन्ध में देख रहा था। मुझे यह जानकर हैरत हुई कि अभी पिछले वर्षों में 72 हजार अवैध कनेक्शन्स बिजली के उपभोक्ताओं के पास थे जो कहीं पर भी लेजर में नहीं थे, जिनको उसका कोई बिल नहीं दिया जाता था और जो रुपया अदा नहीं करते थे और बिजली का उपभोग किया करते थे। जहां इतनी बड़ी गड़बड़ी हो वहां 10-20 करोड़ का घाटा हुआ, उसे तो और भी होना चाहिए था। इसलिए मुझे खुशी है कि इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सदस्यों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी सौंप दी गई है जैसे किसी को ट्रान्समीटर के बारे में और किसी को दूसरी चीजों के बारे में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि गल्ती का एहसास हो जाना ही बहुत बड़ी चीज होती है और उसी को दृष्टि में रखते हुए आगे के लिए कदम उठाये जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन बराबर उनका सहयोग देगा और उन गड़बड़ियों को दूर करने में पूरी मदद देगा। मैं माननीय रामअधार जी से साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से लेकर साधारण सदस्य तक, यदि कोई करेप्ट अफसर है तो उसको शील्ड नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में जिन बातों को प्रकाश में लाया जायेगा उनको अवश्य लागू किया जायेगा।

अभी माननीय राम अधार जी ने दो-तीन सवालात उठाए हैं। मैं एक आध प्रश्न जो उन्होंने उठाए हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। एक बात उन्होंने जो पावर हाउस बेचे गये उस सिलसिले में कही। बहुत ऊपर तक उन्होंने बात कही दिल्ली तक का रिश्ता उन्होंने जोड़ा। तो मुझे हंसी आती है उनकी इस बात पर। यह प्रश्न इस सदन में उठ चुका है और पार्लियामेंट में भी उठा और वहां पर श्री के0 सी0 पन्त और यहां पर विद्युत मन्त्री ने जवाब दिया। जिनको 50 साल काम करते हो गये थे, जिनका कार्यकाल 15 से 20 साल तक का होता था और जो अपनी यूटिलिटी पूरी कर चुके थे, वह जंक हो गए थे तो उनको बेच दिया गया। अच्छा ही किया। माननीय राम अधार जी को कहना चाहिए था कि इसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह जो फैसला हुआ वह राष्ट्रपति शासन में हो चुका था उसके लिए केन्द्र सरकार की एक टीम भी आई थी उस रिपोर्ट पर वह बेचे गये। उसके लिए उनको अफसोस नहीं करना चाहिए। इस तरह से लोहे का हाथी खड़ा किए रहना पैसे का अपव्यय ही होता। मैं समझता हूं कि उनको जो ब्रीफ किया गया है वह गलत किया गया। जैसा श्री हुकम सिंह जी ने कहा उनके पड़ोस में एक बेचा गया और जिन्होंने वह लिया वह रो रहे हैं जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा। तो उनको रख कर हम भी रोते रहते।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि सरकार बिड़ला जी का समर्थन करती है। तो मुझे भी बिड़ला जी का अपोजिशन करने का मौका मिला है। जब उनको दो पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। 20 साल तक इस सदन के सामने बराबर बातें उठती रहीं। मैं इस बात के लिए भी मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस काम को बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, बड़े-बड़े मन्त्री नहीं कर पाए, उसकी वजह कोई रही हो, उनको साहस नहीं हुआ, लेकिन इस काम के लिए मुख्य मन्त्री जी को अकेले बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने यह काम किया और साहस के साथ किया और साढ़े दस पैसा यूनिट उसको कर दिया है। इसका फायदा कितना होगा वह हिसाब-किताब लगा सकते हैं। मेरा तो हिसाब कमजोर है लेकिन दो पैसे से साढ़े दस पैसा कर देना करीब-करीब पांच गुना तो

सीधे-सीधे हो गया। उसके लिए मुख्य मन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए। लेकिन आप उल्टे आलोचना करते हैं कि बिड़ला साहब के दबाव में यह सरकार काम करती है। (व्यवधान) अपोजीशन का काम ही आलोचना करना है जैसे एक मदारी होता है वह जमूरे को लिटा देता है और ऊपर से ढक देता है और फिर वह कहता है और उठो और उठो उसको तो आभास नहीं रहता है कि कितनी दूर तक उठ सकता है। (व्यवधान)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं उन्होंने कहा कि इस सरकार की किसान विरोधी नीति है। तो सरकार के सारे आंकड़े यहां पर मौजूद हैं जिन्हें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पढ़ कर सुना दिया है। तो मैं देख रहा था कि 1971 से लेकर 1974 तक कारखानों को बिजली मिलती थी वह 18 पैसे पर यूनिट थी और काश्तकारों को जो बिजली दी जाती थी वह 22.5 था। इस सरकार ने फैसला लिया और उद्योगों को 23 पैसा कर दिया गया और काश्तकारों को पुराने ही रेट पर यानी 22.5 पैसे यूनिट के हिसाब बिजली दी जा रही है।

मैं माननीय चौधरी चरण सिंह का भाषण सुनते-सुनते ऊब गया हूं कि यह सरकार काश्तकार विरोधी है। मुझे समय कम होने से मौका नहीं है सब बातों को कहने का लेकिन जो आंकड़े हैं उनको वास्तविकता से देखें उससे मालूम हो जाएगा कि किस तरह से सरकार काश्तकारों का साथ दे रही है। उनको 22 पैसे और इन्डस्ट्रीज को 23 पैसे पर यूनिट के हिसाब से दे रही है। इस बात को रामअधार राय भी समझते हैं। (व्यवधान) इसमें चापलूसी की बात नहीं है। जहां पर काश्तकारों के विरुद्ध बात होगी उसका विरोध हम भी करेंगे आपके स्वर में स्वर मिलाकर करेंगे लेकिन सही बात आपको तसलीम करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

कुछ इस प्रदेश में ऐसे पूंजीपति हैं जो बिजली का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अकेले कानपुर में 60 लाख यूनिट बिजली की चोरी होती थी जोकि बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं। जो बड़े-बड़े मिल मालिक बिजली की चोरी करते थे, उसके लिए इस सरकार ने और उसके बोर्ड ने ऐसे कायदे कानून बनाए, छापे मारे और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसलिए वे पूंजीपति जो अखबारों को भी कन्ट्रोल करते हैं, इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने इसके विरुद्ध प्रचार करना शुरू किया। जिस दिन बिजली का बजट आने को होता है, उस दिन विद्युत बोर्ड के खिलाफ बड़ी-बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित दिखाई देती है। लेकिन मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप तो अपने को काश्तकारों और मजदूरों का हामी कहते हैं, इसलिए आपको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि ये जो कुछ पूंजीपतियों के अखबारों में आता है वह सही नहीं है और उससे आपको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। यदि आप मिसगाइड नहीं होंगे तो आपके सहयोग से यह सरकार इस दिशा में सदैव सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ती जाएगी।

*श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं दो बातें मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने बड़े-बड़े शब्दों में, जो हमेशा वह बोलते हैं, शब्दों का जाल बिछाकर यह बताया है कि उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में पूर्ण रूप से 5 वर्ष में परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1952 से जब कांग्रेस की सरकार बनी अब तक चली आ रही है, वह सन 1952 से आज तक क्या करते रहे?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आशा राम यादव]

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो सरकार बनने के बाद शक्ति तीन चीजों से मिलती थी---कोयला, पैट्रोल और जल। यदि हमारी सरकार के पास यह समस्या थी और वह यह जानती थी कि हमारे पास कोयला और पेट्रोल नहीं है तो यह जानते हुए हमारी सरकार ने बिजलीका प्रबन्ध इतनी तेजी से क्यों नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के काश्तकारों और उद्योगों को बिजली सप्लाई करने में पूरी तरह सक्षम होती ? वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी पावर हम कोयले से प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने में 25 पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर उतनी पावर जलविद्युत से प्राप्त करें तो 2.1 पैसा की ही लागत आएगी इतने कम लागत से बिजली पैदा होने वाले साधनों के उपलब्ध होते हुए भी हमारी सरकार पर्याप्त बिजली सप्लाई करने में सक्षम नहीं हुई, यह हम सबके लिए खेद की बात है। हमारे हिन्दुस्तान में दो ऐसे बेल्ट हैं जहां बिजली का उत्पादन बहुत अधिक हो सकता है। एक तो हिमालय की तराई और दूसरे दक्षिणी भारत। आज इस प्रदेश में हम आंकड़े देखें तो देश में कुल 33.6 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। किन्तु इनके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो यह उत्पादन कर सके हैं वह केवल 1674 किलोवाट बिजली ही है मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जैसा मुख्य मन्त्री जी ने बताया हम इस पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, इनकी पहली योजना में बता रहा हूं। पहली योजना काल में सन् 1951 में उनके आंकड़ों के अनुसार 179 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी। उत्तर प्रदेश में चतुर्थ योजनाकाल में 1310 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया। मान्यवर, इन्होंने घोषणा की थी कि चतुर्थ योजना काल के अन्त तक 1117 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन वास्तव में जो वृद्धि हुई वह केवल 364 मेगावाट थी। जब इतना अन्तर रहा तो इन्हें इस प्रकार की महत्वाकांक्षी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद भी इन्होंने वैसी ही घोषणा की थी, जबकि उत्पादन केवल 1598 किलोवाट हुआ। बाकी क्या हुआ, चोरी हो गया या इन्जीनियर चोरी करते रहे। तो इस तरह से इनका आश्वासन धोखा है। यह बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि प्रदेश के पेपरों में इनका गुणगान हो, खूब प्रोपेगन्डा हो। रेडियो 10 दिन तक इनका नाम लें।

जब-जब यह आता है कि प्रदेश में बिजली की कमी है, तो यह रिहन्द को दोष देते हैं कि उसमें पानी नहीं आया। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि पानी नहीं आया तो उसके लिए दोषी कौन है, उसके लिए भी आप ही दोषी हैं या आपके इन्जीनियर दोषी हैं। इसकी जिस इन्जीनियर ने योजना बनाई है, उसकी किताब को मैंने पढ़ा है और मंत्री जी भी उसे पढ़ लें, फिर सदन में कोई आश्वासन दें। उसमें यह लिखा है कि रिहन्द डैम के बनने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल ट्यूब वेल्स चलेंगे। जबकि इसके विपरीत इनकी घोषणा यह रही है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली दे सकते हैं, हर कारखाने को बिजली दे सकते हैं। मान्यवर, इनको तो चुनाव के लिए पैसा चाहिए था, बिड़ला जी को बिजली देनी थी, इसलिए उनसे रुपया लेकर उनको दो पैसा प्रति यूनिट बिजली दे दिया। किन्तु किसान को महंगे रेट पर दे दिया। ओम प्रकाश जी ने कहा कि किसी ने हिम्मत नहीं की बिड़ला के बिजली रेट को बढ़ाने की, किन्तु हमारे मुख्य मन्त्री ने 2 पैसा से बढ़ाकर साढ़े 10 पैसा कर देने की हिम्मत की है। लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूं क्योंकि वह कई सालों से किसान को बिजली 22-23 पैसा में ही देते रहे हैं। और यही उन्होंने देखा कि बिड़ला पर कुछ तो बढ़ना चाहिए तो मुख्य मन्त्री जी ने बिड़लाजी से कहा कि कुछ पैसा दो तो तुम्हारा हम काम बढ़ाएंगे। मुख्य मन्त्री ने या दिल्ली की महरानी जी ने पैसा लिया होगा। और केवल 2 से बढ़ाकर 10 पैसा कर दिया जबकि किसान से वह 22-23 पैसा लेते हैं। हमारे देश में कृषक 80 प्रतिशत हैं और उनको 23 पैसे में दी जाय और भारत के सबसे बड़े पूंजीपति को साढ़े 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली देकर ओम प्रकाश जी कहते हैं कि उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पर शर्म और लानत आनी चाहिए, ऐसा करके।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें।

श्री आशा राम यादव--

इस पर धन्यवाद देने की बात क्या, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने कहा कि कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिनका कहीं रिकार्ड में नाम निशान नहीं है.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

"है" नहीं "थे" वहां।

श्री आशाराम यादव--

इनके द्वारा भी सैकड़ों अधिकारी वर्षों भ्रष्टाचार करते रहे हैं और अपनी जेबें भरते रहे हैं। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार और घोटाले का कुछ कहना नहीं है। हमारे यहां मसारी गांव में एक ट्यूबवेल लगा, जिसे दो महीने बाद बिजली दी गई, किन्तु 6 महीने पहले से बिजली का बिल दिया गया।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, बिजली की अनुदानों के सम्बन्ध में सरकार को बधाई दी जाए या मुख्य मन्त्री को धन्यवाद दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन जो किसानों के लिए घोषणा हमारी सरकार ने की है, जो सुविधायें दी हैं, उसको देखने के बाद भी हमारे साथी इसका विरोध करें तो यह बात मेरे समझ में नहीं आती। हमको देखना पड़ेगा कि जिस समय बिजली की कमी के कारण उद्योग बन्द कर दिए गए थे, उस समय भी हर प्रयास इस बात का किया गया कि किसानों को किसी न किसी तरह से बिजली मिलती रहे।

क्या कोई भी माननीय सदस्य इनकार कर सकता है कि वर्षों की कमी से जब अकाल सा पड़ गया था तो सरकार ने कितना प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ समय के लिए किसानों के नलकूप चलते रहें। लोग भले ही कहते रहें कि सरकार की किसान विरोधी नीति है लेकिन आम जनता इन लोगों की बातों में आने वाली नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है कि लाइन का खर्चा किसानों से नहीं लिया जायेगा और जिन किसानों ने पुरानी नीति के अनुसार लाइन का पैसा जमा कर दिया है वह भी उनको वापस कर दिया जायेगा। क्या यह किसान विरोधी नीति है ? जो कुछ इस सरकार ने किसानों के लिए किया है उससे तमाम किसान सरकार को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं।

मान्यवर, पुराने समय से बोर्ड के बारे में एक धूमिल पिक्चर, आम जनता में, किसानों में और पूंजीपतियों में होती जा रही थी। समय पर बिजली नहीं मिलती थी, फीडर खराब हो जाता था तो उसकी मरम्मत नहीं होती थी और ट्रान्सफारमर जल जाता था तो वह रिप्लेस नहीं किया जाता था और इन्जीनियरों की कार्य क्षमता के बारे में भी लोगों में विश्वास नहीं रह गया था। कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं मालूम होती थी। लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाये गए कि आज लगने लगा है कि जिस विद्युत बोर्ड को सफेद हाथी कहा जाता था अब वह उस रूप में हमारे सामने आया है कि वह हमारी आशा पूरी कर पायेगा। जो बोर्ड करोड़ों के घाटे में चल रहा था वह अपनी व्यवस्था सुधार पायेगा, ऐसी हमें आशा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]

मैं आपके द्वारा कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने बहुत सी छूट की घोषणायें की हैं। 15 रुपये प्रति हार्स पावर जो रखा है वह अधिक प्रतीत नहीं होता है। यदि इसका विश्लेषण करें तो यह बात निकलती है कि रेगुलर तरीके से प्रति दिन तीन घंटे बिजली दी जाए तो 15 रुपए प्रति हार्स पावर अधिक नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि किसान की कोई गल्ती न हो या बिजली की कमी की वजह से या लाइन में खराबी आ जाए या ट्रान्सफारमर जल जाए और 15 दिन तक रिप्लेसमेंट न हो पाए तो क्या उस समय के लिये भी किसान को 15 रुपए प्रति हार्स पावर देने के लिये विवश करेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस समय के लिए किसान को बिजली न मिले उस मुद्दत के लिए रुपये कम कर दिए जायं।

इसके साथ-साथ जेनरेशन और मेंटीनेंस दो चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक इनमें कोई डिसटिंक्शन नहीं किया जाता था। जो जेनरेशन में होता था उसको मेंटीनेन्स में भेज दिया जाता था और मेंटीनेन्स वाले को जेनरेशन में भेज दिया जाता था। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि यह अलग-अलग विभाग हैं। जब तक हम यह व्यवस्था नहीं करेंगे कि जेनरेशन वाले इन्जीनियर को उसी विभाग में रखा जाए वहीं उसके प्रमोशन के एवेन्यूज खुलने चाहिए तब तक हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाये जायंगे। जब तक उनके प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं खुलेंगे तब तक इस घोषणा से वह बात नहीं आएगी।

मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि कार्य-क्षमता घटी है। जिस प्रदेश में 72 हजार कन्ज्यूमर्स ऐसे हों जिनके नाम बिल न जाता रहा हो, दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। ऐसी स्थिति में बिजली बोर्ड नुकसान में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मुझे उम्मीद है जो और इस किस्म के बोगस कन्ज्यूमर्स हैं वे प्रकाश में आयेंगे और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस विभाग में चोरी इतनी अधिक होती थी जिसका प्रभाव कन्ज्यूमर्स पर पड़ता था जो अपनी खुशी-खुशी से बिजली के बिल का भुगतान करते थे। मान्यवर, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के कुछ कर्मचारी इस प्रकार के हैं जिन्होंने बिना राजनैतिक कारणों से या राजनैतिक वैंकग से अपने आपको बदल दिया और वहां से हिल नहीं पाते और वे 5-5, 10-10 सालों तक बैठे हुए हैं और वहां पर कन्ज्यूमर्स को मिलाकर एक गुट बना लिया है और नुकसान पहुंचाते हैं। अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है, उसका स्वागत करते हुये मैं अपनी बात यहां पर समाप्त करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, बिजली की जो नीति है, जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रकाश डाला है और उन्होंने यह महसूस किया है कि इस प्रदेश की बिजली की कमी को दूर करने के लिए आज बिजली की ज्यादा आवश्यकता है। जब से देश आजाद हुआ इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए सारी जिम्मेदारी इसी दल पर रही है। कोई भी आज के वैज्ञानिक युग में विद्युत् के संकट को और अपने प्रदेश के आर्थिक संकट को दूर नहीं कर सकता। विद्युत् के जितने साहित्य उपलब्ध हैं, उनसे यह भी नहीं मालूम हो सका कि कितनी बिजली पैदा होती है, कितनी देय प्राप्तियां हैं। 1972 में जो बिजली थी, वह करीब 1500 मेगावाट थी, इससे पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली की खपत में कोई संकट ज्यादा पैदा नहीं होता था। आज हालत यह है कि बिजली किसानों को दी जाय तो उद्योग बन्द हो जाते हैं, उत्पादन पर उसका असर पड़ता है, काटेज इन्डस्ट्रीज पर असर पड़ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। तो अगर यह संकट बना रहे और इस संकट के बने रहने के बावजूद माननीय मुख्य मन्त्री जी को ऐसा लगता हो कि इस प्रदेश का विकास होगा, इस प्रदेश की बेकारी की समस्या हल होगी, तो यह उनका स्वप्न है और इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती है।

मैं मान्यवर, दूसरी बात की तरफ खासतौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश के उद्योग के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए और जो आपने नीति अपनाई है, जो आप कहते हैं कि समाजवाद की तरफ जाना चाहता हूं, तो आपको दो प्रकार के तत्वों से लड़ना पड़ेगा। एक हमारे साथी ने तो एक तत्व का वर्णन किया कि पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा क्योंकि पूंजीपतियों पर जोर डालेंगे तो वे तो खिलाफ आपके होंगे। इसके अलावा जो इस सरकार को चलाने की मशीनरी है, ब्युरोक्रेसी है, अगर आप उसको नहीं दबायेंगे तो आपकी नियत कितनी भी अच्छी हो, आपकी नीति चाहे कितनी जनता के हित में जाने वाली होगी, वह मखौल बन कर रह जायगी।

इसके बारे में एक-दो मिसाल देना चाहता हूं। विद्युत परिषद् में एक लाइन-इन्सपेक्टर होता है। परिषद् द्वारा उसे 300--400 रुपए मिलता है लेकिन वहां के जो बड़े-बड़े व्यापारी और उद्योगपति होते हैं, उनसे उसे हजारों रुपया बतौर तनख्वाह मिलती है। तो वे उनके ज्यादा लायल होते हैं जिनसे उसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो हमें अपने देश और प्रदेश में एक संघर्ष करना है, उस ब्यूरोक्रेसी से करना है जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। यदि भ्रष्टाचार का घुन लगा रहा तो हम कितना ही पानी दें, कितना ही खाद दें वह पेड़ फलेगा फूलेगा नहीं।

सरदारनगर में एक लाइन इन्सपेक्टर था। वहां पर वह और कुछ इन्जीनियर फसे हुए हैं, लेकिन उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है। वहां के जो अधिकारी हैं, उन पर मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वहां विभाग में जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको युनिवर्सिटी के लड़कों और आस-पास के गुन्डों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है। पिस्तौल दिखा-दिखा कर गवाहान को तोड़ा जा रहा है। यही नहीं मेरे पास कई अन्य जगहों की रिपोर्ट्स हैं, जहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील में 2 लाइन इन्सपेक्टर हैं। एक श्री बी0 के0 श्रीवास्तव हैं, वह 12 साल से फरेंदा में ही काम कर रहा है। उसने वहां रह कर लाखों रुपया कमाया है। जिनको राइस मिल के लाइसेंस मिले थे उनको कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिये पावर दी है। और जो वहां पर बिजली का रोस्टरिंग होता है उसमें भी वह गड़बड़ी करते रहते हैं। आश्चर्य होगा मान्यवर, आपको सुनकर कि लाइन के इस पार अंधेरा है और उस पार बिजली का उजाला ही उजाला है। जब तक इस प्रकार के कर्मचारी और अधिकारी विभाग में रहेंगे तब तक आपकी नीतियां अमल में नहीं आ सकती हैं। जिस प्रकार से आपको पूंजीपतियों से लड़ाई लड़नी है उसी प्रकार से इन कर्मचारियों से भी लड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इनको बल मिलेगा और जनता की जो पीड़ा है, आप जो सही नीतियों के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पायेंगे। यदि आप इस विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है जिस पर आप विचार कर लें। विभाग के अन्दर जो ट्रेड यूनियन्स हैं, उनके कर्मचारियों को आप उसके मैनेजमेंट में, उसके रख-रखाव व्यवस्था के अन्दर उनको अधिकार दीजिए, उनकी जिम्मेदारी दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो इन्जीनियरों की चोरी, लाइन इन्सपेक्टरों की चोरी को बताते हैं, उनके खिलाफ वे लोग कार्यवाही करके नौकरी से उन्हें निकाल देते हैं, जिससे उनका मनोबल कमजोर रहता है और जो चोरी पकड़ने वाला काम है, वे उसको नहीं कर पाते हैं, वे डरते हैं।

इस विभाग में मस्टर रोल पर लोगों को रखने और ठेकेदारी से काम कराने की प्रथा है, इसको तुरन्त बन्द कर देना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मस्टर रोल पर रखने वाला कार्य बन्द कर दिया गया है।

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]—

ठेकेदारी आपने बन्द नहीं की है। ऐसा भी देखने में आया है कि जब उनका ट्रान्सफर होता है तो वे इन ठेकेदारों को अपने साथ ले जाते हैं, वहां पर इनसे ठेकेदारी करवाते हैं। फर्जी वाउचर, फर्जी बिल इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर दिलवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय—

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमान्त के दो जिले बलिया और मथुरा में ढाई एकड़ जोतने वालों को सरकार ने ट्यूबवेल लगाने के लिये रुपया दिया है लेकिन उनको बिजली आजतक नही मिल सकी। इसलिये यह योजना भी कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

*श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में जो बिजली सम्बन्धी अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज की इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये चाहे कल कारखाना हो, चाहे खेती हो, उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया है और इस उत्पादन बढ़ाने में बिजली का प्रमुख उपयोग है। बिजली की इस उपयोगिता को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि बिजली का अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाया जाय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस ओर काफी प्रयास कर रही है और जो वर्तमान बजट पेश किया गया उसमें बिजली के उत्पादन को प्राथमिकता दी गयी, उसके लिये अधिक बजट रखा गया है। हमारे भाई राम अधार राय साहब ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया। मैं उनका पूरा भाषण तो नहीं सुन सका लेकिन जो मैंने सुना उससे मुझे ऐसा लगा कि इस विभाग के कर्मचारियों से उन्हें कुछ नाराजगी है और जो ठेकेदार वगैरह इस विभाग में काम करते हैं उनसे भी उन्हें कुछ नाराजगी है। इसी वजह से उन्होंने एक-आध का नाम लिया और कहा कि यह भ्रष्ट हैं। मैं सोचता था कि हमारे भाई राय साहब काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, कुछ इस तरह के सुझाव देंगे कि बिजली को कैसे बढ़ाया जाय, कहां-कहां नये प्रोजेक्ट्स और कायम किए जायं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कौन सा सुधार किया जाय जिससे बिजली का उत्पादन बढ़े ताकि यहां के काश्तकार और बिजनेसमेन फायदा उठायें। लेकिन वह बात मुझे सुनने को नहीं मिली। इससे मुझे उनके कटौती के प्रस्ताव से बहुत निराशा हुई और इसलिए मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि यमुना परियोजना जो चल रही है इसे मुझे देखने का अवसर मिला है। मुझे छिबरो, कलहर और खुदरी भी देखने का अवसर मिला है। वहां एक लगभग 7 किलो मीटर टैनल बनायी जा रही है जो मेरी समझ में दुनियां की सब से लम्बी टैनल है। इसकी विशेषता यह है कि इस टैनल को हिन्दुस्तान के ही इन्जीनियर बना रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और इससे संभवत: छिबरो में 360 मेगावाट, उसके नीचे खुदरी में 120 मेगावाट और फिर कलहर में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखी गयी है। लेकिन जब मैंने वहां देखा और लोगों से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि यह टोंस नदी इतनी मात्रा में पानी नहीं दे सकती है जब तक बरसती पानी को न रोका जाय। वहां के लोगों ने बताया कि वहां एक स्थान है किसऊ, जब तक वहां बांध नहीं बनाया जायगा तब तक इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा पानी नहीं मिलेगा और पूरा पानी नहीं मिला तो जितनी क्षमता के जनरेटर आपने लगाए हैं उतना बिजली उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर किसऊ में बांध बांध दिया गया तो पैसा तो काफी लगेगा लेकिन क्या बिजली उतनी मात्रा में मिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकेगी और हमारा प्रदेश उसका फायदा उठायेगा ? इसी तरह से 1973-74 में 60 मेगावाट बिजली मिलने की सम्भावना थी, 10 मेगावाट और जेनरेट होना शुरू हो गयी। अब ओबरा का भी विस्तार किया जा रहा है, राम गंगा परियोजना से भी हमें बिजली मिलने वाली है, पनकी का भी विस्तार किया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि वर्तमान बिजली बोर्ड और हमारे मुख्य मन्त्री जी इस ओर जागरुक हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक बिजली पैदा हो। काश्तकारों के लिए जो राहत दी गयी है उसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पिछला जो बिजली बोर्ड था उसकी शिकायतें मैंने भी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने की थीं। उन पर मुख्य मन्त्री जी ने ध्यान दिया है, यह खुशी की बात है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि पिछले बोर्ड को भंग करके नया बिजली बोर्ड बनाया गया है ? उनके काम का बंटवारा भी अब सही ढंग से किया गया है। इससे अवश्य प्रगति होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि आज बिजली के बिना हमारा कोई काम चल नहीं सकता। खेती, उद्योग; व अन्य प्रगति के सारे काम बिजली से ही हो सकते हैं। मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विभाग की गलतियों को स्वीकार करके एक बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। पुराने बोर्ड को समाप्त कर नया बोर्ड बनाने में भी तत्परता दिखाई है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी बुरा नहीं होता, बुरा वह तब हो जाता है जब कि उसे बेलगाम छोड़ दिया जाता है। इन नए आदमियों पर भी अगर लगाम न लगायी गयी तो ये भी पुराने जैसे ही हो जायेंगे और तब अच्छा काम नहीं हो सकेगा। उस वक्त फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए उन पर लगाम लगाइए।

मैं इसके लिए भी मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों को कुछ रियायत दी है। एक बात पूछने से रह गयी थी, ट्रान्सफार्मर लगाने के बाद क्या आप कनेक्शन भी देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मिलेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

बड़ी खुशी की बात है यदि मिलेगा। यह कितने शर्म की बात है कि 72 हजार कनेक्शन ऐसे थे जिनका कोई वजूद ही नहीं था। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा देना चाहिए, इसके लिए अगर कानून न हो तो सदन से यह कानून पास करवा लेना चाहिए। आज जितना रुपया हमारा लगा है वह सारा भ्रष्टाचार में चला जाता है।

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी 15 रुपया पर हार्स पावर कर दिया, मगर किसानों को उस वक्त कितनी तकलीफ होती है जब उन्हें बिजली मिलती ही नहीं। लगातार अगर उनको बिजली मिले तो उनको कोई तकलीफ न हो। कभी-कभी तो खेत पर पानी चल रहा है, बिजली बन्द हो जाने से पानी पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। और उसके बाद जब बिजली का बिल आता है तो कलेजा जल कर रह जाता है कि खेती जल गई। बिजली के बगैर और बिल आ गया छाती पर आज ही उसका पेमेंट किया जाय। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मुख्य मन्त्री जी 15 रुपये लगाकर अगर उस कमी को, उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं तो पूरा करें लेकिन भरपूर बिजली देने का बन्दोबस्त करें। कितनी यह हास्यास्पद है कि इनके आदमी 2 फेज में बिजली देते हैं। 2 फेज में बत्ती जल सकती है लेकिन पावर नहीं चल सकता है। नतीजा यह होता है कि गांवों में बिजली मिल रही है लेकिन पावर वहां चलता नहीं है। दूसरी चीज यह होती है कि लाइनमेन, जैसा कि हमारे पांडेय जी ने बताया, लाइन इन्सपेक्टर जो है वह, या जो लोकल

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

काम करने वाले हैं, बिजली के लोग हैं वे इतने आजाद हैं कि जिस तरह वे चाहते हैं मनमाना करते हैं, जिसके यहां शादी है या त्योहार है तो उसको जरूर तंग करते हैं और 10-10 मिनट पर बिजली चली जाती है, यह कहां तक गन्दी बात है । अगर इनको सजा माकूल दी जायेगी तभी वह इस तरह का काम नहीं करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल घर की सी चीज बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं होना चाहिये ।

यह मैं जरूर कहूंगा कि तार की चोरी और बिजली के सामान की चोरी बहुत अधिक हो रही है लेकिन इसके अन्दर भी बिजली के कार्यकर्ताओं और बिजली के कर्मचारियों का ही हाथ होता है । ट्रान्सफारमर वैसे कोई नहीं चुरा सकता जब तक कि उसकी जानकारी उसको न हो लेकिन जो लोग इसमें लगे हुये हैं वह अपने को अलग बताते हैं । मजा यह भी है कि दो या 1 महीने के बाद ही लगा हुआ सामान उसका फिर चोरी हो जाता है तो मैं अर्ज करूंगा मुख्य मन्त्री जी से इस पर वे विशेष रूप से ध्यान दें और जिस पर इस तरह का शुबहा हो या पकड़ा जाय तो उसको सख्त से सख्त सजा दें । हमारे यहां दो तीन कर्मचारी बिजली के पकड़े गये तो उनको वहां से हटा दिया गया, उनका ट्रान्सफर कर दिया गया । ट्रान्सफर ऐसी कोई चीज नहीं है एक चीज कहूंगा और जरूर वह नुकसानदेह हम लोगों के लिये भी है लेकिन यह पूरी चोरी उसी हालत में बचेगी जिस तरह से जब सामूहिक जुर्माना हुआ करता है दंगे वगैरह के सिलसिले में वैसे ही ट्रान्सफार की चोरियां जहां पर हों वहां के लोगों के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी दी जावे कि वे उसकी रक्षा करें । बिजली विभाग ने बताया था कि ट्रान्सफारमर चाहे थोड़ी दूर-दूर पर लगें लेकिन अब वे सुनसान में नहीं लगाये जावेंगे । इस पर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये । अगर सख्ती नहीं की जाती है तो उसका नतीजा यह होता है कि अगर जिम्मेदारी नहीं होती है तो इतनी महंगी चीज सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिये चोर उठा ले जाते हैं ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं । ठेके पर ट्रांसफारमर बनवाने का काम शुरू करवाया गया है वह गलत काम होगा और उससे बहुत नुकसान होगा । आपका अपना कारखाना होना चाहिये और अपने कारखाने में होशियार आदमी रखकर उनसे काम लेना चाहिये ताकि उसकी जिम्मेदारी रहे और जो ट्रान्सफारमर्स आज लाखों की तादाद में बेकार पड़े हुए हैं वह आपके यहां कारखानों में मरम्मत हो कर काम में लाए जा सकें ।

स्टोर्स में इस तरह की महंगी और बेकार चीजें स्टोर करने का अवाधुन्ध तरीका चलाया गया है क्योंकि उसमें कमीशन हमारे अधिकारी पाते हैं । इस पर भी रुकावट होनी चाहिये और जिन अधिकारियों ने बेकार का सामान मंगा कर रखा हुआ है उसको सजा देनी चाहिए। मैंने देखा है कि नये स्टेशन्स स्थान-स्थान पर हैं जहां अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई लेकिन 50 लाख की बिल्डिंग पहले ही बनकर तैयार हो जाती है । साल-साल भर बीत चुके हैं कोई काम नहीं शुरू हुआ इस पर रुकावट होनी चाहिए। पहले पोखर खनेंगे नहीं और घड़ियाल ने डेरा डाल दिया । रुपये की कमी है तो जब कार्यवाही शुरु हो जाय स्टेशन बन जाय उस वक्त छोटे-मोटे क्वार्टस बनाकर रहें । कोई जरूरी नहीं है कि बीस-बीस हजार पचास-पचास हजार के क्वार्टस पहले बन जावें, स्टेशन पहले बने नहीं लेकिन लाखों रुपयों की बिल्डिंगें मौजूद हैं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से दो एक बातें और कह देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया है । लारी साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बैठ जावें क्योंकि दूसरों को भी बोलना है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे इतना ही बोलने दिया, यही क्या कम है ।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया है। मैं मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कुछ कहूं यह मेरा कर्तव्य है कि आज उनका जन्म दिवस है मैं उनको शुभकामनायें दूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शतायु हों। माननीय राम अधार राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर आ जायें और अपने व्यक्तिगत सुझाव दें।

श्री प्रेम दत्त—

जैसी आपकी आज्ञा। मैं वैसा कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी आज्ञा नहीं है। मेरा सुझाव है।

श्री प्रेम दत्त —

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय राम अधार राय जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, वाकई अगर देखा जाय तो उनको दूसरा विभाग दिया जाता, दूसरे विभाग पर वह अच्छा बोल सकते हैं। पता नहीं उनको कैसे दे दिया गया।

जहां तक सवाल है कि किसान विरोधी नीति है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय बहुगुणा जी ने सन 1973 में शासन की बागडोर संभाली। और इसके बाद यदि आप देखें तो उस समय पहले जितनी बिजली उद्योगों को दी जाती थी, उनके कार्यकाल में उसका डाइवरसन किया गया और करीब 50 मिलयिन यूनिट बिजली उद्योगों से काटी गयी और खेती की ओर की गयी। तो इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार किसान के हित की बात करती है जैसा कि मुख्य मन्त्री ने अपने भाषण में स्वयं कहा है। इतना ही नहीं यदि आप देखें तो पता चलेगा कि 50 प्रतिशत ज्यादा बिजली काश्तकारों को दी गयी। उद्योगों की बिजली काटी गयी और किसानों को दी गयी तो मैं राम अधार राय जी से और सबने जिन्होंने इसका विरोध किया है, कहता हूं कि सरकार की नीति किसान के हित की है।

अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 2 वर्ष में कितनी बिजली दी गयी है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे शासन की नीति किसान विरोधी नहीं है। जहां तक सवाल बिजली की कमी का है तो जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि इसके बहुत से कारण हैं इन पर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किये। इसके अलावा सभी जानते हैं कि हर एक चीज के दाम बढ़ गये हैं। और जब दाम बढ जाते हैं तो स्वाभाविक होता है कि उत्पादन लागत में बढोत्तरी होती है। इसी कारण से बिजली के चार्जेज बढते हैं। अभी जैसा कहा गया कि 30 परसेंट चार्जेज बढ़े हैं। आप देखें तांबे का भाव, कोयले का भाव, रेलवे फ्रेट और अल्यूमूनियम, सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं। सन् 1972 के मुकाबले इन चीजों के दाम बढ गये हैं। कोयले का 150 परसट, रेलवे फ्रेट का 107 परसेंट, तांबे का 157 परसेंट, अल्यूमूनियम का 164 प्रतिशत दाम बढ गया है। इस तरह से हर चीज के दाम ड्योढे, दोगुने, सवाये हो गये हैं। इस तरह से अगर 30 परसेंट दाम बढ गये तो मैं समझता हूं कि कोई व्यापार नहीं किया गया और विद्युत परिषद व्यापार भी नहीं करती है। बिजली विभाग का काम है बिजली का उत्पादन करना। कारखाने उद्योग और अन्य तमाम सेक्शन को बिजली देना। तो व्यापार जैसी भी कोई बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमदत्त]

अभी लोगों ने कहा कि हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन कम है। आप अगर पनकी और ओबरा को देखेंगे तो स्थिति का पता लग जायगा। आप देखेंगे 6000 कि0वा0 प्रति घंटा उत्पादन भारत सरकार का है। इसकी तुलना में आप देखें कि पनकी का 6539 है और ओबरा का 6500 है। जबकि भारत सरकार का 6000 है। तो इससे पता चलता है कि हमारे इन्जीनियर कितने कुशल हैं। यह आंकड़ों से साफ जाहिर है। इन लोगों ने उत्पादन देने की कोशिश की है। यदि कोई अच्छा काम करता है तो यह भले आदमी का तरीका होता है कि उसको प्रोत्साहित करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे इन्जीनियर और सरकारी कर्मचारी का उत्साह बढ़ेगा कि सदन के लोग भी हमारे ही कार्य की सराहना कर रहे हैं। इस तरह निन्दा करना अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार कुलहा, छिबरो, रामगंगा, पनकी, ओबरा आदि संस्थायें बन गयी हैं। कुलहा तो ऑपरेशन में है और संस्थायें शुरू होने वाली हैं यह सब बातें यह बताती हैं कि प्रगति हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अब 10 हार्स पावर वालों से प्रति वर्ष 180 रुपया लिया जाता है। तो जो पहले बिजली की चोरी करते थे अब वह नहीं कर पायेंगे। 15 रुपया के हिसाब से यदि टोटल लगाया जाय तो इसमें घाटा नहीं है। उपभोक्ताओं के पास पहले बिल नहीं जाते थे तो उसकी भी अब व्यवस्था की गयी है। कानपुर में 2 लाख यूनिट की चोरी पकड़ी गयी। इससे मालूम होता है कि हमारा विभाग अब कितना सतर्क है। यह सही है कि बिजली की कमी है लेकिन फिर भी सरकारने काश्तकारों और उद्योगों के इन्टरेस्ट में बिजली की व्यवस्था की है। इस तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे कह सकते हैं कि सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल में जो बिजली दी जाती है वह हफ्ते में 4-6 घंटे दी जाती है, तो मेरा कहना है कि उसे राउन्ड दि क्लाक करदें तो बहुत अच्छा हो जायेगा। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

मान्यवर, आपने जो मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी विद्युत विभाग के भी मन्त्री हैं अपने जन्म दिवस पर आज काश्तकारों को कुछ राहत देने की घोषणा की है जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जहां तक विद्युत् विभाग का प्रश्न है सभी जानते हैं कि आज भ्रष्टाचार में सारे विभागों को अपने पीछे छोड़ दिया है। समय-समय पर जो उसकी कहानियां छपती रहती हैं वह सभी लोग पढ़ते रहते हैं।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

भ्रष्टाचार क्यों न हो, कोई बोर्ड बदल देने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। नया बोर्ड बनाया लेकिन उसमें अच्छे अधिकारी नहीं रखे तो इससे भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है। भ्रष्टाचार अधिकारियों की पदोन्नति होगी तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं और मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक मिनट ध्यान देकर हमारी बात सुन लें। हमारे झांसी में एक हरिनारायण कपूर थे और उन्होंने उरई से एटा तक 15 किलोमीटर की लाईन बनवाई। वह लाइन मई, 1974 में बनी लेकिन पूरी लाइन जमीन पर गिर गयी। माननीय गवर्नर महोदय वहां गये और उन्होंने भी देखा कि सड़क के किनारे लाइन पड़ी है। दो महीने वह पड़ी रही इसीलिए उसका तमाम तार चोरी चला गया। लाइन गिरने का कारण यह था कि जो सीमेंट और गिट्टी लगायी जानी चाहिए थी वह नहीं लगायी गयी और बचा ली गयी। झांसी में जब मीटिंग हुई उसमें मैंने इस मामले को उठाया तो विभाग ने फर्जी लोग लिखाकर लाइन खड़ी करवा दी। दूसरी जगह के लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा दिए गए और उन्हीं को वहां खड़ा करके खम्भे खोंस दिए गए। लेकिन मान्यवर, जुलाई की बरसात में ये खम्भे गिर जायेंगे और उस लाइन पर चलने वाले ट्यूबेल फिर बन्द हो जयेंगे और इसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ेगा। जिस एस0डी0ओ0 ने इस लाइन को बनाया था वह चावला साहब थे और उनसे कपूर साहब सम्बन्धित थे या सम्बन्ध करना चाहते होंगे, इसलिए जो शिकायत हुई उसकी उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में विधायकों ने, प्रधानों ने गवर्नमेंट से कहा और गवर्नमेंट ने आवश्वासन भी दिया कि इसकी जांच करेंगे लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हो सकी।

यही नहीं कपूर साहब की पदोन्नति कर दी गई और वह अतिरिक्त सचिव के पद पर यहां नियुक्त कर दिए गए। चावला साहब यह पहले मेन्टीनेंस डिवीजन में थे और जिस बंगले में रहते थे, जब उनसे खाली करने को कहा तो उन्होंने कहा कि यह कन्स्ट्रक्शन डिवीजन के लिए है, लेकिन जब बाद में मेन्टीनेन्स डिवीजनमें चले गए तो खाली नहीं कराया गया। यही चावला साहब एक बार नैपाल बार्डर में तस्करी में रंगे हाथों पकड़े गए और इन पर मुकदमा चला था। मुकदमा चलने के बाद विभाग ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। तस्करी में जब यह पकड़े गए तब यह बरेली में एस0ई0 थे जो तस्करी में पकड़ा जाय, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार करने के विभिन्न प्रकार के आरोप हों, जिसको 55 साल हो जाने के बाद भी एक्सटेंशन दिया जाय, एक्सटेंशन ही नहीं पदोन्नति देकर अतिरिक्त सचिव बनाया गया, यदि ऐसे लोग जब यहां लाये जायेंगे तो कोई सुधार होगा शासन में, यह सम्भव नहीं है।

यह बात मुझे कैसे मालूम हुई, यह सोचकर उन्होंने एक एस0डी0ओ0 को जो मेरे बंगले के पास रहता था उसने मुझे सूचना दी होगी, उसको बरखास्त करा दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायकों ने शासन से कहा कि यह एस0डी0ओ0 ईमानदार है, शासन को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उसकी सर्विस टरमिनेट कर दी गई। यही नहीं दो और कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उस एस0डी0ओ0 के खिलाफ झूठी गवाही देने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार यदि आप चाहें कि प्रशासन में कोई सुधार आ सकता है, असम्भव है। यही न हीं बल्कि जो ईमानदार कर्मचारी है उनका मनोबल नीचे गिरता है।

मान्यवर, इसके साथ ही एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफारमर जल जाते हैं और ऐसे ट्रान्सफारमर जो नए खरीदे जाते हैं और उसके हफ्ते दो हफ्ते बाद जल जाते हैं, जब मैंने उसका कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि ट्रान्सफारमर में जो मोबिल आइल भरा होता है निकाल दिया जाता है और पता नहीं कोई नकली मोबिल आइल आता है वह भर दिया जाता है। इससे हो सकता है 100-200 रुपये का लाभ हो जाय लेकिन हजारों रुपयों का इस प्रकार नुकसान होता है। यह मोबिल आइल कैसे बदल लिया जाता है और कहां बदला जाता है इसकी चेकिंग होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं बिल्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इनके बनने में बड़ी भारी गलती होती है। जो बिजली का बिल जाता है वह गलत जाता है और जब सम्बन्धित व्यक्ति दौड़ता है तो उससे पैसा लेकर कम कर दिया जाता है। मैं एकाध केस व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनके ऊपर बिल है और उनसे कहा जाता है कि इतना पैसा अगर वह दे दें तो कम कर देंगे। ऐसा मालूम होता है कि कोई साइन्टिफिक तरीका बिल बनाने का नहीं है। अगर कोई साइन्टिफिक तरीका बिल बनाने का नहीं होगा जब तक तब तक घाटा होता रहेगा और लोग 500 रुपये के 300 रुपये बिल में 10 रुपये लेकर करते रहेंगे। जब तक आप चोरी पर निगाह नहीं रखेंगे उनको पकड़ेंगे नहीं तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता और न ऐसी कोई आशा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विद्युत् मन्त्री जी ने विद्युत् का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत कहा जाता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविद के जमाने में एस0 एन0 सिंह विद्युत परिषद् के चेयरमैन थे और उनके जमाने में बिड़ला का फैसला हुआ। जब वह रिटायर हो गए तब भी इनाम के रूप में चेयरमैन रहे। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि संविद की सरकार किसान विरोधी थी ? यह सरकार जिसने कि 1.9 पैसे का जो समझौता हुआ उसको बढ़ाकर 10 पैसा कर दिया।

एक सदस्य--

पहला समझौता किसने किया ?

श्री प्यारे लाल--

एस0 एन0 सिंह ने। दूसरी बात यह है कि विद्युत् मन्त्री जी ने विद्युत् बोर्ड का गठन किया है तो यह बधाई देने योग्य काम है। 72 हजार ऐसे कन्ज्यूमर्स को पकड़ा जिनका कोई रिकार्ड नहीं था। मैं आशा करूंगा कि जिस तरह से इन 72 हजार को पकड़ा है उसी तरह से आगे भी पकड़ेंगे। जो बिजली की चोरी करते हैं और रात को कनेक्शन जोड़ लेते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा जायेगा। इसी के साथ विद्युत् मन्त्री जी ने 300 मीटर तक फ्री लाइन और फ्री ट्रान्सफारमर लगाने की छूट दी है इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूं।

मैं मुख्य मन्त्री जी से दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कनहर नदी है उससे नहर निकाल कर रिहन्ड में डाल दें तो रिहन्ड में पानी की पूर्ति हो जायगी और इस प्रकार हाइडिल की बिजली की जो कमी हो रही है वह पूरी हो जायगी। दूसरा निवेदन यह है कि गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, बनारस जितने भी ऐसे शहर हैं जहां औद्योगिक केन्द्र हैं वहां 400, 500 के थर्मल पावर हाउस बना दिये जायं जिससे वहां के उद्योग दूर की बिजली पर मुनहसर न रह कर अपनी बिजली पर ही मुनहसर हो जायं। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बिजली के जितने कर्मचारी हैं, छोटे या उनके यहां मुफ्त की बिजली जलती है। डायरेक्ट लाइन उनके यहां खिंच जाती है और कोई खर्चा नहीं होता। या तो मीटर होता नहीं और अगर होता भी है तो बिल कम बनता है। लाइट के लिए घरों में जो मीटर लगे हुए हैं हर मीटर पर रीडिंग कार्ड होना चाहिए जिससे कन्ज्यूमर को मालूम होता रहे। मैंने कई बार कहा लेकिन मेरे यहां मीटर कार्ड नहीं लगा तो दूसरों के यहां का सवाल ही नहीं है।

बिजली के उत्पादन की जितनी क्षमता है उसका 50 परसेंट ही आप बनाते हैं। अगर 70-80 परसेन्ट तक भी आप इसको ले आये तो बिजली की कमी पूरी हो जायगी एक निवेदन यह है कि गांवों में ट्यूबवेल के फीडर बड़े कर दिए जाते हैं इससे जो ट्यूबवेल्स दूरी पर होते हैं उन पर बिजली नहीं पहुंचती। इन फीडर्स को छोटा कराया जाय ताकि सभी ट्यूबवेल्स को बिजली पहुंच सके।

इसी के साथ एक निवेदन यह करूंगा कि मैं 15 हार्स पावर का विरोध नहीं करता, लेकिन यदि किसी ट्यूबवेल पर कम बिजली खर्च होती है तो उसको कम कर दिया जाय, यह नहीं कि उसकी लक्ष्मण रेखा बना दी जाय।

जो सरकार के ट्यूबवेल्स हैं, उनमें 10/12 करोड़ का नुकसान होता है। यदि इन ट्यूबवेल्स को किसानों को 5/10 साल के लिए लीज पर उठा दिया जाय, तो 10/12 करोड़ का फायदा होगा और लीज की रकम का फायदा अलग से होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनके लिए अब नियम बन गया है कि परमिट लेना पड़ेगा। कोई गरीब आदमी तो परमिट लेगा नहीं। परमिट अमीर आदमी लेगा। क्यों न इन सारी रूटों को नीलाम कर दिया जाय। इसके काफी फायदा होगा। गाजियाबाद से दिल्ली रूट की 2 1/2 लाख और गढ़ से दिल्ली की 2 लाख की कीमत है। यू0पी0 में कोई ऐसी रूट नहीं, जिसकी 40/50 हजार से कम कीमत हो। अगर इन रूटों को नीलाम कर दिय जाय, तो काफी लाभ होगा।

एक निवेदन और कर दूं। यह विद्युत् परिषद् सफेद हाथी जब था, तब था, लेकिन यह पुनर्गठित विद्युत् परिषद् अब सफेद हाथी नहीं रहा। हमें चाहिए कि अच्छे काम को अच्छा और बुरे काम को बुरा कहें। यह नहीं कि जमूरा जब मटका लेकर रस्से पर चलता हो, तो ढोल बजाने वाले की तरह कह दूं कि अभी कसर रह गयी। यह पुनर्गठित विद्युत् परिषद् ऐसा काम हुआ है, जो सर्वथा सबके द्वारा सराहनीय काम हुआ है। इसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विद्युत् परिषद् के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

हमारे उधर के साथियों ने, मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को बधाई दी। मैं भी मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं, विद्युत् परिषद् के लिए नहीं, उनके 55 वें जन्म दिवस के लिए। लेकिन 55 वर्ष बाद एक कर्मचारी के लिए बड़ा खतरा होता है, वह रिटायर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री को इक्सटेंशन दिल्ली से मिल जाय।

अब मैं, मान्यवर, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे बड़ा घोटाला इस समय ग्रामीण विद्युतीकरण में है। कापर वायर की करोड़ों रुपयों की चोरी हो रही है जिसमें मन्त्रि-मन्डल के कुछ सदस्य शामिल हैं और विद्युत् परिषद् के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मैं देवरिया जिले का उदाहरण इस शर्त के साथ देना चाहता हूं कि अगर मेरी बात झूठ हो, तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा। बात यह है कि वहां 2 ऐसी फर्म हैं, जो कुछ वर्ष पहले बहुत बड़े दिवालिया थे, उनकी हसियत इस वक्त 25/30 लाख रुपये की हो गयी। इन फर्मों की हैसियत 5/6 वर्ष पहले कुछ नहीं थी, यह सब ट्रान्सफार्मर की चोरी के कारण हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने अनेकों बार वरिष्ठ मन्त्रि-मन्डल के सदस्यों से निवेदन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने यहां तक कहा कि मेरे साथ चलो और 10/15 लाख के ट्रान्सफार्मर्स, जो चोरी करके रखे गए हैं, उनको बरामद करा दूंगा। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गयी। विद्युत् परिषद् का एक आर0 ई0 डिवीजन है, जिसकी दुर्व्यवस्था के कारण लाखों रुपये के खलिहान में आग लग गयी। इनके ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है, कि उसी के कारण यह करीब 70/80 लाख रुपये की कीमत का अन्न जलकर खाक हो गया। फिर भी विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने इधर ध्यान नहीं दिया। मैं कह देना चाहता हूं कि जब तक उच्चस्तरीय आयोग नहीं बिठाया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो हरियाणा के कर्मचारी हैं, उनको वेतन अधिक दिया जाता है। लेकिन हरियाणा, जहां पर न कोई बड़ी नदी है ऊबड़ खाबड़ जमीन है और सन् 1957-58 तक सबसे पिछड़ा हुआ महेन्द्रगढ़ था और स्थिति बड़ी कारुणिक थी लेकिन आज वहां का किसान लहलहाती हुई फसलें काट रहा है, उसे समय से बिजली मिलती है लेकिन हमारे यहां रात में बिजली मिलती है। जाड़ों की रात में 10 बजे के बाद जब ठंडी हवा से किसान सुकड़ कर रह जाता है और कपकपाने लगता है तब उसे बिजली मिलती है। मैं मुख्य मन्त्री जी की प्रशंसा तब करूंगा जब उनके वायदे धरातल पर उतर आयेंगे। मैं इस सम्बन्ध में एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं :

"जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्यां च गतयौवनाम्
शूरंविजित संग्रामम् पारंगत तपस्विनम्।"

[श्री पुरुषोतम कौशिक]

अर्थ यह है "कि कितना भी मधुर भोजन क्यों न हो जबतक वह अच्छी तरह से हजम न हो जाय तब तक उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। कितनी भी सुशील रूपवती पत्नी क्यों न हो जब तक उसका यौवन न बीत जाय तब तक उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। कितना भी बड़ा शूर वीर योद्धा क्यों न हो जब तक मैदान न जीते तब तक उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। कितना भी सिद्ध तपस्वी क्यों न हो जब तक तपस्या में सिद्धि प्राप्त नहीं करता तब तक प्रशंसा नहीं की जा सकती।" लिहाजा मुख्य मन्त्री जी की प्रशंसा तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह धरातल पर न उतर आयें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री आबिद अली (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, विद्युत् मन्त्री ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं उनको इस बात पर बधाई दे रहा हूं जो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ट्यूबवेल लगाने पर 300 मीटर तक की लाइन फ्री होगी और ट्रान्सफार्मर के पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहन करेगा। इससे ट्यूबवेल लगाने वालों को बड़ी सुविधा हो जायगी। राम अवार राय जी ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है क्योंकि बिजली के सम्बन्ध में जो कदम इस सरकार ने उठाए वे काश्तकारों के खिलाफ हैं। मैं समझता हूं कि यह आरोप सही नहीं है। क्योंकि 85 फीसदी किसान इस प्रदेश में हैं उसे दबा कर कोई न यहां इस सदन में रह सकता है और न बाहर रह सकता है। आंकड़े देखने से भी पता चलता है कि बिजली के सम्बन्ध में सरकार ने बहुत कुछ किया है। 1973-74 में 6 महीने ट्यूबवेल वालों को 61 घंटे बिजली दी गयी लेकिन 1974-75 में इन्हें 6 महीनों में 76 घन्टे बिजली दी गयी और इस तरह से काश्तकारों को 24 परसेंट ज्यादा बिजली दी गयी और पिछले सालों में काश्तकारों को कभी इतनी बिजली नहीं मिली जितनी कि इस दौरान मिली। मार्च में इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स की बिजली सरकार ने बिल्कुल काट दी और वह बिजली काश्तकारों को दी गयी और 750 मिलियन यूनिट्स इन्डस्ट्रियल सेक्टर से निकाल कर उसका ज्यादा हिस्सा ट्यूबवेल वालों को दिया गया और शायद इससे पहले वाले सालों में उनको इतनी बिजली नहीं मिली थी। एक बात यह कही गयी कि 180 रुपये फ्लेट रेट कर दिया गया लेकिन यह ज्यादा नहीं है। अगर आप फीगर्स देखें तो मालूम होगा कि कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। 31 दिसम्बर, 1971 तक रेट 15 पैसे था। लेकिन 1 जनवरी 1972 से 18 पैसे यूनिट किये गये और 3 रुपये मीटर फीस हुई और इस प्रकार कुल मिला कर 22.4 पैसे पर हार्स पावर इसकी कीमत हुई। जो बिजली उनको दी जाती है वह 1284 घंटे साल में मिलती है। इसका हिसाब लगाया जाय तो 817 यूनिट्स पड़ता है और उसके दाम 183 रुपये होते हैं। तीन घंटे रोजाना के हिसाब से जो रेट लगाया गया है वह 183 होता है जब कि केवल 80 रुपया ही लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि 3 घंटे भी बिजली ट्यूबवेल वालों को नहीं मिलती है। इसलिये जो रेट सन् 72 से चल रहा था उसमें ट्यूबवेल वालों को खासकर इजाफा नहीं हुआ है, यह बात नहीं है। मीटर की चोरी होती थी वह बन्द कर दी गई है। फ्लैट रेट हो गया है और उसी हिसाब से काश्तकार चार्ज देगा।

हमारे भाई साहब ने दूसरा एतराज यह लगाते हुये बड़े जोरों से कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भ्रष्टाचार है, उसे खत्म कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि वे गुजस्ता साल में भी वे इस सदन में थे और जब विद्युत् का बजट पेश हुआ था तो दोनों तरफ कितना तनाव था और कहा गया था कि बिजली ठीक से नहीं मिल रही है। इस तरह से कई लोगों ने एतराजात् लगाये। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने बोर्ड को री-आर्गनाइज किया। उन्होंने ऐसे लोग रखे और ऐसी निगरानी की कि जिसकी वजह से हालत बहुत सुधर रही है। मैं उन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन और आफीसर्स आदि लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सम्बन्ध में काफी काम किया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। नवम्बर के बाद मार्च तक 3268 मिलियन यूनिट्स के मुकाबले में 3723 मिलियन यूनिट्स बिजली ज्यादा पैदा हुई जब कि पानी न होने की वजह से जब कि रिहन्ड डैम में पानी की कमी रही जहां 826 मिलियन यूनिट्स की जगह पर 792 मिलियन यूनिट्स यानी 95 प्रतिशत रह गई, 2 हजार मिलियन यूनिट्स की जगह पर 2500 मिलियन यूनिट बढ़ी यानी सवाई होगी। बाहर से जो बिजली आई वह 440 मिलियन यूनिट के बजाय 427 मिलयिन यूनिट आई यानी 96 प्रतिशत रही। इस तरीके से 14 प्रतिशत पहले साल के मुकाबले में बिजली ज्यादा बनी।

इसके अतिरिक्त लाइन में लासेज भी होते थे जिसकी वजह से चोरियां होती थीं इसलिये अब ट्यूबवेल में फ्लैट रेट कर दिया गया है और इंडस्ट्री में भी ज्यादातर फ्लैट रेट कर दिया गया है जिसकी वजह से चोरी करने की गुंजाइश नहीं रह गई है। 72 हजार कन्ज्यूमर्स जो पकड़े गये वह भी विभाग द्वारा की गई कोशिश के कारण ही हैं। यदि वे नहीं पकड़े जाते तो ये फीगर्स भी न मालूम होती।

56 करोड़ रुपये की इन्वेन्टरी सब-डिवीजन्स में पड़ी हुई है। उसमें तार वगैरह हैं। इनको पहले डिवीजन में इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ही खरीदते थे और उनको बनवाते थे। मगर नये बोर्ड ने यह सिस्टम खतम कर दिया और अब यह अख्तियार इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को नहीं रह गया है कि वह सामान खरीदे। इसके लिये अलग से जोन्स कायम कर दिये गये हैं और अब वहीं से माल खरीदा जाता है और बनाया जाता है। इस तरीके से अब 56 करोड़ से हुबत कम इन्वेन्टरी रह गयी है।

इसके अलावा पहले बोर्ड के मेम्बरान पार्ट टाइम थे लेकिन अब 7 में से 5 होल टाइम रखे गये हैं जिनको अलग-अलग काम सौंपा गया है और जिसके लिये उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है,। वे टेक्निकल आदमी हैं और जानते हैं। इसलिये काम भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब आपने हिंडालको की बात कही, आपको सरकार की तारीफ करनी चाहिये थी कि 2 पैसे से बढ़ा कर साढ़े दस पैसा कर दिया है जिससे साढ़े तीन करोड़ रुपये का साल में फायदा होगा तो यह बात काबिले तारीफ बात है, इसकी मजम्मत नहीं की जानी चाहिये।

एक बात आपने यह भी कही कि जेनरेटर बेच दिये गये और कम कीमत पर बेचे गये जिसमें बहुत घपला हुआ। अगर आप मालूम कर लेते कि किस टाइम पर यह बेचे गये तो आप यह बात नहीं कहते। वह गवर्नर रूल में बेचे गये उसके कागज उसी जमाने में मुकम्मत हो गये उसके लिये एस सरकार को दोष देना ठीक नहीं हालांकि गलती उस समय भी नहीं हुई होगी।

एक साहब ने कहा और एतराज किया कि जीपें आफिसर इस्तेमाल करते हैं जिसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब सरकारी विहिकिल पर डिपार्टमेंट के लेवल लगे रहते हैं जिससे यह मालूम हो जाता है कि यह सरकारी गाड़ी है। वर्ना पहले तो यह भी मालूम नहीं होता था कि किस की गाड़ी है। अगर कोई आदमी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें एतराज आप कर सकते हैं। इसके पहले एतराज नहीं किया जा सकता था और यह मालूम नहीं होता था कि कौन इस्तेमाल कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री आबिद अली —

एक साहब ने यह भी कहा कि बिजली पहाड़ों में ज्यादा पैदा की जानी चाहिये। तो यह अच्छा सुझाव है; इसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और टेहरी डैम

[श्री आबिद अली]

बन रहा है। पहाड़ों में ज्यादा और सस्ती बिजली बन सकती है थरमल में तो ज्यादा पैसा लगता है और ज्यादा बिजली नहीं बन सकती है। तो हमारी कोशिश है कि हर साल हमारा कदम आगे बढ़े और पीछे कदम न जाय।

रिहंद डैम जिस वक्त बना था वह 24 घंटे चलाने के लिये नहीं बना था वह एक स्टैंड वाई इंतजाम था जब बिजली की मांग ज्यादा हो गई तो उसे ज्यादा चलाना पड़ा और फिर पानी कम हो गया। इसके लिये मशनवी पानी बरसाने की बात सोची पर उसमें कामयाबी नहीं मिली। अब किसी नदी से पानी लेने की बात सोच रहे हैं। यह अच्छी बात है। इस डैम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिये। चूंकि समय कम है, इसलिये यह जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, हर वर्ष बिजली के लिये बड़ी-बड़ी धनराशि का बजट आता है और इस वर्ष भी जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, बहुत धनराशि मांगी है। किन्तु इसके बाद भी देखने में आता है कि विद्युत् के विकास में हमारा प्रदेश दूसरे से पिछड़ा हुआ है। 1968–69 में यहां पर 50 कि0 वा0 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा खपत रही जब कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में 164, 132 और 118 कि0 वा0 प्रति व्यक्ति प्रति घंटा बिजली की खपत रही। कहने का मतलब यह है कि यह जो आपके आंकड़े हैं यह देखने को ही होते हैं और होता कुछ नहीं है। आश्वासन तो दिये जाते हैं पर कार्य कुछ नहीं होता है। कारण यह है कि जब बहुमत के बल पर बजट पास हो जाता है तो उसके बाद व्यय करने का प्रश्न आता है तो हिसाब लगाया जाता है कि कौनसा यंत्र या सामान कहां से खरीदा जाय, जिससे कमीशन मिल सकेगा और कौन से यंत्र खरीदें जिससे लाभ अधिक मिलेगा या अधिक कमीशन मिलेगा। वही खरीदा जाता है। उस समय यह ध्यान से ओझल कर दिया जाता है कि किस चीज की कितनी जरूरत है, कितने खम्भे, कितने ट्रांसफार्मर और कितना तार चाहिये। चाहिए यह कि आवश्कतानुसार ही चीजें खरीदी जायं। कमीशन को लक्ष्य करके सामान खरीदा जाता है। परिणाम यह होता है कि कहीं खम्भे पड़े हैं, तो तार नहीं है, कहीं पर तार है तो खम्भे नहीं हैं। हमारे जिला गोंडा में हमारे क्षेत्र में ग्राम फरहसा में खम्भे लगे हैं और तार है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ है, बिजली नहीं पहुंची है। कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों का काम होता है तार लगा दें, ट्रांसफार्मर लगा दें, लेकिन बिजली न दें। जो खम्भे लगाए जाते हैं उनकी भी अजीब दुर्दशा है। अंग्रेजों के जमाने के लगाए हुए खम्भे अब भी लगे हुए हैं, लेकिन आजकल के खम्भे साल डेढ़ साल के बाद झुक जाते हैं, जिससे दुर्घटनायें होती हैं और मकान और खलिहान जल जाते हैं। हमारे क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व लगे खम्भे झुक जाने के कारण, गिर जाने के कारण हरिजनों के बहुत से मकान जल गए। और उसका उन बेचारों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया।

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इस देश की 85 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। उस जनता की अवहेलना आजादी के बाद 22 साल के योजना-काल में बराबर की गई है। अबतक केवल 20 प्रतिशत ग्रामों में बिजली पहुंच पाई है। हमारे यहां कुल 1,12,663 गांव हैं और उनमें से अबतक केवल 26,921 गांवों में ही बिजली पहुंच पाई है, जो कि सरकार के कागज पर है। यह भी केवल कागज पर है, वास्तविकता दूसरी ही कुछ है। मेरा विश्वास है कि इसमें से आधे गांव ऐसे होंगे, जहां बिजली लाइनें बिछी होंगी, बिजली नहीं होगी। कहीं खम्भे लगे होंगे, लेकिन तार नहीं लगा होगा और यह भी होगा कि यदि सब कुछ होगा तो ट्रांसफार्मर नहीं होगा। इनकी इन बातों को देखकर मुझे तो गांव के पंडित जी वाली कहावत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याद आती है–व्याह करायें रांड़ अहिबाती। बात इस प्रकार है कि पंडित जीने रात में एक व्याह कराया, किन्तु उसके बाद रात्रि में ही दूल्हा मर गया। सुबह पंडित जी ने कहा कि हमारी व्याह कराई दो, तो लड़के वाले ने कहा कि तुम्हें व्याह कराई चाहिये और लड़का तो मर गया। इस पर पंडित जी ने कहा हमने व्याह करा दिया, मुझे व्याह कराई दो, रांड–अहिबाती से मुझे क्या मलतब। उसी प्रकार से इनका मतलब भी केवल कमीशन से है, बिजली से कोई मतलब नहीं है।

किसानों को और उद्योगों को बिजली देने में बड़ी विषमता है, इसमें किसानों के साथ घोर अत्याचार होता है। सन् 63 से 73 तक हर वर्ष बिजली का रेट बढ़ा है। उद्योगों पर 40 प्रतिशत बढ़ा है और नलकूप पर 90 प्रतिशत बढ़ा है। सन् 70–71 में उद्योग पर 10.6 पैसा रेट था जबकि कृषि पर नलकूप के लिये बिजली का रेट 15.78 पैसे था। 71–72 में उद्योग के वास्ते बिजली का रेट 10 पैसे और कृषि के लिये 16.68 पैसे बिजली का रेट था। 72–73 में उद्योग पर 11–8 पैसे का रेट था, किन्तु कृषि पर 26.47 पैसे था और 74–75 में बढ़ते-बढ़ते यह अन्तर काफी बढ़ गया। इस साल उद्योग के लिये बिजली का रेट 14.4 पैसे और कृषि के लिये 29.75 पैसे रहा है। हर वर्ष बिजली का रेट बढ़ा है और उद्योग की अपेक्षा कृषि पर ड्योढ़ी दर रही है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को राहत दी जा रही है। इनकी राहत का ही एक नमूना यह है कि अब तो 15 रुपया हार्स पावर कर दिया गया, है, जो कि 180 रुपया प्रति वर्ष हार्स पावर हो जाएगा। सन् 73–74 में 41 करोड़ यूनिट बिजली कुल नलकूपों को दी गई है। नलकूप का औसत निकालें तो हर नलकूप को प्रतिदिन एक घंटे बिजली मिलती है। पूरे वर्ष में एक घंटा चले तो एक घंटा डेली मिलता है और 15 रुपये प्रति हार्स पावर उसको बिजली के देने हैं तो इसके माने हैं 180 रुपये वर्ष भर में देने होंगे तो 66 पैसे प्रति यूनिट उसका बिजली की पड़ती है, यदि यह सप्लाई कर सके। लेकिन शायद यह सप्लाई नहीं कर सकेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने कहा है कि अधिक बिजली सप्लाई करेंगे लेकिन नहीं कर पायेंगे क्योंकि रिहन्द से जब बिजली गोंडा, बस्ती वगैरह पहुंचेगी तो इसमें तमाम दुर्घटनायें होती हैं और इसका पहुंचना सम्भव नहीं हो पायेगा। वैसे सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बीच में लाइन काट ली जाती है। शहर के लोग कहते हैं कि बिजली कब जायेगी और हम लोग कहते हैं कि बिजली कब आयेगी। ये बिजली नहीं दे पायेंगे। अगर कोई बिजली लेना भी चाहे तो वह ले नहीं पायेगा। 66 पैसे यूनिट बिजली लेकर इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। किसान को 15 रुपये प्रति हार्स पावर देने पड़ेंगे चाहे वह बिजली इस्तेमाल करे या न करे। नियमित रूप से यह दें नहीं पायेंगे। मेरी मांग यह है जितनी बिजली किसान इस्तेमाल करे, उसके ही दाम उससे लिये जायं।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री दशरथ सिंह––

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)––

अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोगों ने चर्चा कर दी अनजाने में जमूरे की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा ही किया और इन लोगों से मुख्य मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि जमूरे की ताकत और कला केवल इस बात पर निर्भर करती है कि चढ़ कहलाने वाला आदमी ही उसको चढ़ा लेता है। जो नहीं कह पाता है तो वह कला का प्रदर्शन नहीं कर पाता है और न आमदनी ही होती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि इधर वालों से उधर वाले उनके ज्यादा दुश्मन हैं।

[श्री मधुकर दिघे]

मैं कुछ बुनियादी बातें कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी कांग्रेस पार्टी की अच्छी चीजें हैं और जो उसका फायदा है मिले उसको आप ग्रहण कीजिये और जो बुराई हो उसको छोड़ दीजिये। इस तरह का काम अच्छा नहीं हुआ करता है। पहले जो कुछ भी हुआ वह इतना बुरा हुआ है कि केवल इस बात की विवेचना करने के लिये कम से कम दस घंटे का समय देना चाहिये जितने अष्ट कक्ष विद्युत् विभाग में हुये हैं उन्हें गिनाने पर यह एक हजार करोड़ का आपका काम है इस काम में कितनी लूट हुई है, अगर उसका आप खयाल नहीं करेंगे, और जिन्होंने विभाग में लूट की है, यह कह कर कि हमने उनको निकाला दिया है और अब अच्छे लोग आ गये हैं, या यह कह कर उनको छोड़ दिया जाय तो उसका नतीजा खराब निकलेगा। तो जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो नये लोग हैं, वे भी बुरे हो जायेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल विद्युत परिषद् ने किसानों को पिछले वर्षों की अपेक्षा में अधिक बिजली दी है। अभी आपने कुछ ऐलान भी किए हैं, लेकिन ये आपके ऐलान ऐसे ही हुए हैं जैसे पहले हुआ करते थे। कांग्रेस सरकार की एक आदत सी पड़ गई है कि डालडा का दाम 10 रूपये से 12 रूपये प्रति किलो बढ़ा दो और फिर जब हल्ला हो तो उसे 11 रुपये कर दो तब कांग्रेस वाले मेंजें थपथपाने लग जायेंगे कि एक रूपया दाम कम कर दिया है। तो जो रिलीफ देने की आप बात कर रहे हैं यह तो आप आपने पुराने पापों को धो रहे हैं। अगर उसकी कोई तारीफ कर दे तो मैं उसे बुरा नहीं मानते।

लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इसी सदन में वर्ष 1972 में माननीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा यह घोषणा कराई थी कि कन्हर योजना जल्द से जल्द पूरी करके रिहन्द डैम में आप पानी पहुंचायेंगे। आज से 10-11 महीने पहले भी आपने कहा था कि हमने दिल्ली सरकार को दे दिया है कि वे इसकी ओर ध्यान दें। मैं जानना चाहता हूं कि यह कन्हर योजना क्यों सफल नहीं होती है। यह डैम क्यों फैल हुआ है? रिहन्द डैम से निकलने वाली बिजली आपको क्यों बन्द करनी पड़ी? आपकी इस ओर पहले ही ध्यान देना चाहिये था और आश्वश्यकता होती तो आपको केन्द्रीय सरकार से लड़ना भी चाहिये था। आपने चौथी प्लान में जब यह तय हुआ था कि 1750 मैगावाट बिजली लेंगे तो फिर 1450 मैगावाट ही क्यों ले न पाये। वर्ष 1979 तक आपको साढ़े पांच हजार मैगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, लेकिन जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, जो तरीके आप अख्तियार कर रहे हैं, आप उस मात्रा को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। यह सही है कि बोर्ड में कुछ चीजों में सुधार है लेकिन आपका जो परिषद है, उसके ऊपर के ढांचे में तो अच्छे आदमी आये हैं लेकिन इसमें ऐसे ऐसे मगर मच्छ जमे पड़े हैं कि हिलाने से भी नहीं हिलते। बोर्ड में करोड़ों रुपये का घपला हुआ है।

घपले के सिलसिले में लोग जब ऊपर के ढांचे में सुधार करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है जो चोरी करते हैं, अन्दर के इन्जीनियर जो हैं वे इस बात की कोशिश करेंगे कि विभाग में गड़बड़ हो। मैंने आडिट रिपोर्ट को पढ़ा है मैंने उसमें देखा है कि गोरखपुर में फारेस्ट डिपार्टमेन्ट से बल्ली खरीदने में घपला हुआ है। जिस बल्ली का दाम मुश्किल से 20 रुपया हो सकता था उसको 90 रुपये में खरीदा गया है। इसके अलावा केवल स्टेशनरी के खरीदने में लाखों लाख रुपये का घपला किया गया है।

विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनसे कमेटियों में आमने सामने होने का मौका मिला है। ये अगर गल्ती होती है तो उसे कबूल करते हैं। जो आदमी अपनी गलती को कबूल करता है वह हालात को ठीक करने की भी कोशिश करता है। इसलिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वे लोग जो इस तरीके के काम करने के आदी हो गये हैं बावजूद ऊपर के अच्छे ढांचे के अच्छा होने के कामों को नयी टेक्निक से करेंगे। गत डेढ़ दो वर्ष में अकेले स्टेशनरी क्रय करने में 2-3 लाख रुपये का घोटाला हुआ है।

मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें और इस बात की जानकारी करें कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। यह जो स्टेंसिल पेपर है 30 हजार रीम खरीदने में रु0 2.30 पैसा दाम बढ़ा कर एक फर्म को दिया गया है या देने की कोशिश या साजिश चल रही है। जो भी हो आप इसकी जांच करें। आपका यह कहना है कि मशीन एलान नहीं करते, लेकिन ओबरा में जो हुआ है इसकी जानकारी करिये, मैं वहां पर गया था, आपकी विद्युत परिषद के ऊपर वाले लोग वहां चलने वाली पुरानी साजिश को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यह जो ओबरा में जो मशीनें फेल हुई हैं, उसका पता लगाइये। साधारण आदमी को ड्यूटी दी गई, मशीनों में कहीं न कहीं खराबी थी उसको निकालना चाहिये था।

आपने बोनस देने का ऐलान किया यह अच्छा काम आपने किया। अगर आप बोनस देंगे तो हो सकता है कि इसमें सुधार हो। हिंडालिको में एक काम आपने अच्छा किया। ठीक कर दिया, जो पाप था, कुछ धो डाला, लेकिन अब आप यह भी जानते हो कि दो करोड़ 60 लाख का जो आता है उसको 60 लाख रुपये से लेकर तय किया उसको भूल मत जाइयेगा। कुछ बहुत ही छोटे मन के लोग हैं, ये आपके दुश्मन ज्यादा हैं, दो करोड़ 60 लाख रुपये में से केवल 60 लाख लेकर बाकी हिंडालिको को छोड़ देने वाला पाप हुआ है, उसमें थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगा।

अगर देश को बनाना है, तो गद्दी की थोड़ी लालच कम करिये। कापर वाले मामले को साधारण मत समझियेगा। इसमें जो बुनियादी तौर पर गलती हुई है। ये तांबे का तार कितना लगा, किस साइज का लगा? केवल साइज की गड़बड़ी करने से लाखों का हेरफेर हो जाता है। मैं नये विद्युत अधिकारी को उसका दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं, लेकिन पुराने लोगों को जरूर दोषी ठहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस विद्युत परिषद् को राय दें कि वह एक फाइनेंशियल ऐडवाइजर रखें और इस डिपार्टमेन्ट को बिलकुल अलग रखें। लेकिन जो सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर बेईमानी करते थे, इनके भंडार खरीदने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है? स्टोर कितना खरीदना चाहिये, उनकी पावर्स को घटाइये? यह डिपार्टमेन्ट अलग करिये। कामर्शियल काम, बिल वगैरह का काम करने वाले जो लोग हैं, उनमें और इंजीनियर्स में फर्क रखिये। टेक्निकल आदमी को कामर्शियल साइड में बैठाल कर आप उससे फाइनेंशल काम अच्छा नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिस काम के लिये वह योग्य नहीं हैं वह काम उनके हाथ में मत दीजिये, नहीं तो खराब हो जायगा। इसलिये परसोनेल डिपार्टमेन्ट अलग बने, स्टोर्स डिपार्टमेन्ट, फाइनेन्शल ऐडवाइजर और एकाउन्टेन्ट बनें जो विद्युत परिषद् के चेयरमैन के ऐडवाइजर के रूप में काम करें, वह किसी के मातहत न रहें। इस किस्म के चेन्ज जब तक आप नहीं करेंगे, यह बेईमानी और तिकड़म आप कभी पकड़ नहीं पायेंगे। इसके अलावा जो गलत काम करने वालों को आप पकड़ें उनको छोड़ें नहीं। अगर उनको छोड़ दिया तो जो लोग अच्छा काम करते हैं आगे आने वाले जमाने में वह भी अच्छा काम नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

5 मिनट का समय मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। जिन लोगों ने इच्छा व्यक्त की सबको समय दिया। आपने नाम भेजा नहीं।

श्री राम अधार—

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों तरफ के लोगों ने इस अनुदान पर विवाद में भाग लिया, मैं उनका आभारी हूं। ज्यादातर लोगों ने केवल एक बात का स्वागत किया है मुख्य मंत्री जी की कि हम किसानों को राहत देंगे और आगे आने वाले जमाने में फ्री लाइन और फ्री ट्रान्सफार्मर होगा। हमें भी खुशी होगी अगर फ्री लाइन और फ्री ट्रांसफार्मर मिले, लेकिन यह कई सालों का मामला है, पता नहीं कब पूरा होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि वह कब से यह योजना चलाने वाले हैं।

मैं जानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, सारे देश के दिग्गजों से लड़ रहे हैं कि रिटायर न होने पायें, मुख्य मंत्री बने रहें, लेकिन एक व्यक्ति ने 10 हार्सपावर का मोटर लगाया जबकि उसके अगल-बगल नलकूप नहीं था। आज उसके अगल-बगल कई नलकूप हो गये। अब उसके लिये 10 हार्सपावर का मोटर लगा कर 15 रुपये फी हार्सपावर के हिसाब से टैक्स देना सम्भव नहीं है क्योंकि सिंचाई का एरिया कम हो गया है। ऐसी दशा में अगर वह अपने मोटर का हार्सपावर कम करना चाहता है तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इंस्पेक्टरों को एक जाल बिछाना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल भागने की नीति है। जो आदमी अपने मोटर की हार्सपावर कम करना चाहे उसको आप अनुमति दें। उसके लिये आपको इन्स्पेक्टरों का जाल बिछाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि कौन जांच करेगा। लेकिन हमने लिया साढ़े 7 हार्सपावर का और ट्रांसफार्मर लगा दिया 15 हार्सपावर का। उस वक्त भी तो आपको इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको कहां इंस्पेक्टरों का जाल बिछाने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप घोषणा करें स्पष्ट कि जो अपने मोटर की हार्सपावर को कम करना चाहे, वह कर सकता है। इससे आपको लाखों लाख यूनिट बिजली प्रति घंटा की बचत होगी और आप ज्यादा कनेक्शन दे पायेंगे।

जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि राम अधार राय कहते हैं कि यह सरकार पूंजीवादी है। मैं आरोप नहीं लगाता आज अगर हमें विश्वास हो जाय कि सचमुच उत्तर प्रदेश में माननीय बहुगुणा जी की सरकार समाजवादी हो गयी है। तब मैं शायद पूंजीवादी होने का आरोप ही नहीं लगाता। दूसरी बात यह है कि एक पूंजीपति का कनेक्शन काट दिया, जैसे सुहागिन का। चन्दा मांगा, नहीं दिया तो कनेक्शन काट दिया और 20 करोड़ का माल पकड़ा गया, लेकिन ऊपर से दीक्षित जी का टेलीफोन आ जाता है, मामला ठंढा। लेकिन पद्मपत सिंघानिया, वी0 आर0 मोहन साहब के यहां कई लाख का घोटाला है, उनके यहां एक्स्ट्रा बिजली दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम अधार—

जो वर्तमान विद्युत् परिषद् बना है, ठीक है, मगर यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के बदल जाने से सारे समाज में सुधार अवश्य हो जायेगा। सवाल तो आज नेता और नीति का है। एक व्यक्ति की जब नीति सामने आती है तो उससे यह आभास अवश्य हो जाता है कि वह किधर जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ओबरा के लिये अभी 3 करोड़ रुपये का माल मंगाने का सौदा एक प्राइवेट फर्म से हो रहा है। जो विद्युत् परिषद् के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर से बेटर प्राइवेट सेक्टर हैं, इसलिये उक्त माल प्राइवेट फर्म से मंगाने की बात चल रही है। अगर यह होगा तो फिर उसमें घपला होगा, ट्रान्सफार्मर वाले मामले में भी घपला होगा व बनाये जायेंगे और बिगाड़े जायेंगे। मैं चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् स्वतः अपने पैरों पर खड़ा हो और जरूरत की चीज बनायें। दूसरी बात यह कि आप कनेक्शन देने की एक निश्चित डेट का एलान करें कि कब से फ्री ट्रान्सफार्मर लगाये जायेंगे तथा कनेक्शन दिये जायेंगे। कितने घंटे बिजली मिलेगी। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि बिजली की कमी के कारण 40 फीसदी ही सिंचाई हो सकी है जब 40 प्रतिशत सिंचाई आप स्वयं मानते

है तो 100 प्रतिशत रेवेन्यू क्यों वसूल किया जा रहा है ? इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मैं चाहता हूं यह सदन उसे पास करे। जितने भी लोग यहां बैठे हैं जब देहात में जाते हैं और जब उनको बिजली नहीं मिलती तो दुखी होते हैं, मगर यहां वोट की खातिर, टिकट की खातिर इलेक्शन में पैसा लेने की खातिर सही बात को नहीं कह पाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, मैं अनुग्रहीत हूं माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस मद पर अपने विचार व्यक्त किये। मान्यवर, माननीय रामअधार राय जी को जिसने भी जो सूचना दी, उसने उनके साथ ज्यादती की क्योंकि उसने पूरी बात उनके ऐसे सतर्क आदमी से भी छिपायी। माननीय लारी साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं थोड़ा सा उन्होंने भी उनकी बात को दोहराया। यह कहा कि बहुगुणा जी कह रहे हैं कि ट्रान्सफार्मर हम ठीक करायेंगे, इसमें बहुत गड़बड़ होने वाली है, प्राइवेट लोग खा जायेंगे अपने कारखाने बनाओ, और खुद ट्रांसफार्मर ठीक करो। अब, मान्यवर, हमने यह कभी नहीं कहा कि हर ट्रांसफार्मर बाहर जायगा। निश्चय नहीं हुआ है, यह मैं निवेदन कर दूं। निश्चय यह है कि 22 फर्म्स हैं, 2 नहीं, 22। टेकनिकल एसोशियेट्स लखनऊ और रामसरूप एलेक्ट्रिसिटी तो इन्हें मालूम हो ही गये हैं लेकिन इनके सिवा जी0 ई0 सी0 से लेकर और सारे 22 हैं जिसकी सूची मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि पढ़ने में इतना वक्त लगेगा, जरूरत जिसकी नहीं है। यह फर्म गाजियाबाद में है, कानपुर में है, मेरठ में है, आगरा में है, मिरजापुर में है, बनारस में है, लखनऊ में भी है इन दो के सिवा, फैजाबाद में है, बुलन्दशहर में है इस तरह 22 लोगों को 2988 ट्रांसफार्मर्स ठीक करने के लिये पहली किश्त दी गयी है और किस साइज के दिये गये हैं तो इसमें कम से कम जो दिये गये हैं वह 50 और जो ज्यादा से ज्यादा दिये गये हैं वह 300। इसमें जो एक लखनऊ की फर्म है उसको 300 जरूर दिया गया है लेकिन किसी को 215, किसी को 250, किसी को 213, किसी को 170, अलग-अलग, उनकी कैपेसिटी को देखकर दिये गये हैं। अब उन्होंने यह कह दिया इन दो फर्म्स से हमारे अफसरान की रिश्तेदारी है जो बोर्ड में काम करते हैं और सबसे आसान चीज क्षमा करेंगे, जो लांछन लगाने के लिये बेहतरीन जानवर हमारे देश में मिलेगा वह हलके-हलके मिनिस्टर होते जाते हैं, उससे अच्छा कोई दूसरा मिलता नहीं है क्योंकि उस पर आप चाहे जो कह लीजिये क्योंकि वह ऐसी स्थिति में होता है। मेरा मलतब यह है कि यह जो फर्म है जिसका जिक्र रामआधार जी ने किया है जिसमें यह टेवनो असोसियेट हैं उसमें विशुन अग्रवाल हैं जिनका कोई रिश्तेदार मंत्रि–परिषद् का कोई मेम्बर नहीं है और दूसरे के हैं झुनझुनवाला। अब भला झुनझुनवाला से हम लोगों का क्या ताल्लुक ! एक भी इनमें से किसी मंत्रि-परिषद् के सदस्य का रिश्तदार नहीं है। मेरी सलाह यह है कि अगर सचमुच डिबिलिटी रखना है, अगर आम जनता में विश्वास पैदा करना है तो विपक्ष को लांछन लगाते वक्त खूब सोच-विचार कर कहना चाहिये।

श्रीमन्, जो चेयरमैन ने मुझे सूचना दी है, उसके मुताबिक, चेयरमैन जो कर्नाटक के रहने वाले हैं उनका इन लोगों से कोई सम्बन्ध है ही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा है कि बोर्ड के किसी मेम्बर से इनसे कोई रिश्ता, सम्बन्ध या ताल्लुक नहीं है।

तीसरी बात मान्यवर यह है कि हमने जो यह ट्रांसफार्मर्स दिये हैं उनमें से 202 ऐसे हैं जो एक हजार के 0 वी0 ए0 से ज्यादा के हैं या उसके बराबर है, इनको हम खुद देख रहे हैं। इनकी कैपेसिटी जितनी बनाने की है, अगर 17 हजार ट्रांसफार्मर्स खराब हों और अगर हम सोचें कि हम दकान पहले बनावें और फिर वर्कर्स को ट्रेन करें और तब ठीक करावें तो यह ऐसे ही होगा जैसे मकान में आग लगी हो और वह कहते हैं कि फर्म पहले तुम खुद बनाओ और पहले उसके बनाने का कारखाना खोल लो। एक तो रोज ट्रांसफारमरों की हाय हत्या मची है। हम ट्रांस-

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

फार्मर दे रहे हैं जितने ट्रांसफार्मर छोटे-छोटे हैं और बन सकते हैं। कुछ को हम खुद भी देख रहे हैं। (व्यवधान) कह दिया कि बनवाने में नये से ज्यादा दाम लगेगा। पता नहीं कौन सी अर्थमेटिक है, जो कहते हैं। जनाब कायदा यह है कि करेंट प्राइस के 60 फीसदी अन्दर तक अगर मरम्मत हो जाय तो करवाओ नहीं तो कंडम करके बाहर भेजो। मैं दावत देता हूं राम अधार राय जी को वह एक दिन ट्रांसफार्मर देने के सिलसिले में सब कागज देखें और अगर वह देखें कि सब ठीक हुआ है तो इस सदन में मेरे ख्याल से खेद प्रकाश जो छोटी चीज है, कम से कम करें। अन्यथा एक अन्याय होगा। उन्होंने कुछ कहा। मैंने कुछ कहा। दोनों में फर्क क्या पड़ा, आम लोगों की नजर में।

एक बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द बड़े 2 हजार और छोटे करीब 50 खुद बना सकें। अब दिघे जी ने कहा कि हमारा पाप है। मैं मना तो करता नहीं। अब यह जरूर है कि दिघे जी का थोड़ा सा पाप में हिस्सा रहा है। चाहे 14 महीने का हो या 10 महीने का हो। क्योंकि इन ट्रांसफार्मरों में कोई-कोई तो 1960-61 से खराब है। अब किस किस का पाप देखें और किस किस को बतायें। हमें खुशी होती है कि किसी को हम बुरा कह दें। स्थिति यह है कि इससे कोई लाभ, इस प्रदेश का, इस प्रदेश की जनता को बता करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सारे मसले में न कोई घपला था, न कोई घपला है और न हो सकेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

न हो सकेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह हमारी चेष्टा रहेगी। हम इन्सान हैं, प्रभू नहीं हैं, हम पर कुरान शरीफ नहीं हैं, हम पैगम्बर नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, मैं इंसान हूं। ऐसे पैगम्बर और देवता के लिये विरोधी दल में जगह है, इधर तो राक्षस रहते हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाज)

देश की जनता समझे कि कहां कौन है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

आपने कहा तो हमको देवता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरी दिक्कत इतनी है कि मैं विरोध के अनादर कभी करता नहीं हूं, कोई बात कहता नहीं हूं। इसलिये मैं जनता पर छोड़ता हूं कि आपमें देवता ढूंढे। जनता ढूंढे कि देवता कहां हैं, पैगम्बर कहां हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह लाचार होगी, मिलने वाला नहीं है।

(मेजों को थपथपाने की आवाज)

एक बात और कही हमारे मित्र माननीय राम अधार राय जी ने कि वह कुछ मेरा अदब करते हैं, मैं भी उनका अदब करता हूं। दिक्कत दोनों की है।

(आपस में मिली भगत है--की आवाजें)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसीलिये तो उन्होंने मूव किया वरना आप करते। राम अधार राय जी ने एक इंजीनियर के बारे में कहा। अब एक बात सच है कि उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की थी। लेकिन कार्यवाही समाप्त होने के बाद कोई उनमें गल्ती नहीं पायी गयी और कन्ट्रोलर

स्टोर बनाया गया। वह उत्तर प्रदेश के बाहर भी भेजे गये 2—ढाई वर्ष की ट्रेनिंग के लिय। मैं मानता हूं कि, अगर कोई गल्ती करता है, आपने हमें सूचित कर दिया है तो अगर हम गल्ती कहीं पर पायेंगे तो चाहे जो कोई भी हों, हम उस आदमी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म में चार्जशीट लगी और यह साबित हो गया कि जुर्म नहीं किया है तो सिर्फ चार्ज मात्र से उसका जीवन हमेशा के लिये कोई खराब नहीं कर सकता। मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि एक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर आजमगढ़ में है जहां उनकी ससुराल है। इसलिये आजमगढ़ के वे दामाद हैं और दामाद के लिये राम अधार राय जी को तकलीफ है। इस इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का परिवार लखनऊ में है और वह कह भी रहे हैं कि मुझे लखनऊ भेज दो, यही मांग आपको भी है। हो क्यों नहीं रहा है यह भी बता दें। मैं कर्मचारियों के सिलसिले में अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकता हूं। लेकिन हमारे एक बड़े इंजीनियर ने वहां टी0 ए0 बिल और कुछ पैसों का कुछ गोलमाल पाया है जिससे अधीनस्थ अधिकारी के सिलसिले से जांच चल रही है। उसी जांच के कारण उनको वहां रोका गया है। मेरी आशा है कि राम अधार राय जी के जो सुझाव है वह उसके पक्ष में हैं। लेकिन मेरी लाचारी है कि जब तक जांच न हो जाय, तब तक उनको वहां से हटाना मुश्किल है। जांच पूरी होने पर उनको हटा देंगे। रिश्तेदारी के जिले में आफिसर को न भेजा जाय तो यह पालिसी अच्छी है। यह बात सही है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। बोर्ड को हम आदेश देंगे कि जहां सीधे-सीधे रिश्तेदारी हो वहां अधिकारी को नहीं भेजना चाहिये—यह वाजिब नीति है। मैं सभवतः मई में ट्रान्सफर करते समय इस नीति को ध्यान में रखूंगा।

मान्यवर, राम अधार राय जी ने यह कहा कि आई0 ए0 एस0 को जब से हटा दिया गया तब से बोर्ड गड़बड़ हो गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम की जेल काटने के बाद मैंने वर्किंग ग्रुप में ही अपनी जिन्दगी शुरू की। वर्किंग ग्रुप में मैंने हिस्सा लिया चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। यह सर्वविदित है कि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिये कि ब्यूरोक्रेट को टाप पर रखें और टेक्नोक्रेट का दम घुटता रहे अर्थात् जो इंजीनियर स्किल के जो लोग हैं उसी तरह का इनको काम देना चाहिये यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। यदि चौधरी साहब से आप पूछे होते तो कहते कि ऐसा न कहना। चौधरी साहब ने खुद एक इंजीनियर को विद्युत परिषद् का चेयरमैन बनाया था। वह बुरा था या अच्छा इसको मैं नहीं कहता, लेकिन इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि इससे पब्लिक सेक्टर को नुकसान हुआ है। मैं आई0 ए0 एस0 के खिलाफ नहीं हूं, मेरी तो यहां तक मान्यता है कि कोई महकमा अगर टेक्निकल लोग हैं मैं तो टेक्निकल लोगों को ही सचिव तक बनाया जाना चाहिये। यह हमारी मान्यता है और इस मान्यता के मुताबिक मैंने काम किया है—इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है और मैं समझता हूं कि जो बोर्ड है, उसका जो चेयरमैन है, उसको हमने एडीशनल सेक्रेट्री भी बनाया है, उससे ठीक काम चल रहा है।

एक हलकी बात भारी आदमी ने और कह दी। मेरा और चेयरमैन का कुछ चल रहा है, दिल्ली की कुर्सी उनको हिलती नजर आ रही है, हालांकि मैं इस हल्की बात का जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हें तो सब कुछ हिलता नजर आता दिखता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भगवान करे उन्हें अपना इमान न हिलता दिखे और अगर कहीं वह हिल गया तो फिर गजब हो जायगा। मैं वायदा करता हूं कि मैं जितने समय तक और जिस दिन तक मुख्य मंत्री हूं, मेरे आदेशों को न पालन करने वाला किसी अधिकारी ने जन्म ही नहीं लिया और अनुचित आदेश मैं पालन करवाता नहीं। मेरे स्पष्ट आदेश हैं अपने अधिकारियों को कोई आदेश दिया, ऐसी बात तो है नहीं कि मैं ब्रह्मा होऊं, अगर गलत आदेश लगे तो मेरे पास ले आइये कि यह गलती है, फिर भी कहूं कि इस आदेश के मुताबिक चलना पड़ेगा वह मानेंगे। यही बात थी कि बोर्ड के लोगों का ख्याल था कि घाटा बढ़ेगा ट्रान्सफार्मर के मामले में। जैसा कि अभी कहा गया कि पहले लगा दिया फिर हटा दिया,

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

अच्छी तरकीब है, ऐसी बात नहीं है। वाकायदा एक कमेटी बैठी, उसने विचार किया, बोर्ड की आर्थिक स्थिति को देखा और हम सब लोग 'हां' कर चुके थे। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर कोई कदम सरकार को लगे कि गलत है, और उस कदम से हानि हो रही है, तो हम उस कदम पर जिद्द नहीं करते। क्षमा करेंगे हम ऐसे नेताओं के साथ रह चुके हैं कि जहां अटक गये, वहां अटक गये फिर हिलते-डुलते नहीं हैं, लेकिन हम तो सारे दिन हिलते-डुलते रहते हैं। आजकल आपके ऊपर वरद्हस्त है। यह अच्छा है, लेकिन हम तो हिलते-डुलते हैं और अगर गलती दिखाई पड़ती है तो उसको सुधारने को भी तैयार हैं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

आप तो ऐसे नेताओं के साथ ही हैं जो हिलते-डुलते रहते हैं हमेशा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सत्यपाल मलिक जब मेरी उम्र तक आयेंगे, तब उनकी बात ठीक समझ में आ जायेगी, मुझे कोई उज्र नहीं है। मुझे प्रसन्नता होती है और अच्छा लगता है कि वह प्रश्न पूछते हैं उससे उनका विवेक अच्छा होता है और बढ़ता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कौपर के मामले में कहा कि गड़बड़ है। जरूर देखेंगे और अगर कहीं गड़बड़ दिखेगी, समझेंगे। यही सही है कि तार को इगनट बनाकर यानि गला कर और बनाकर उसको बेचना चाहिये ताकि चोरी का तार फिर न चला आवे और जो कुछ हो सकेगा, हम देखेंगे।

किसी ने पदमपत जी का नाम लिया, किसी ने जयपुरिया का नाम लिया और किसी ने बिड़ला जी का नाम लिया। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यह कह सकता हूं हमने बिजली की चोरी करने पर मुकदमा चलाया है जो कोर्ट में आज मौजूद है। और कानपुर वाले जानते हैं कि किस पर चलाये हैं। वह सदन में हाजिर नहीं इसलिये ऐसे लोगों का नाम मैं नहीं लेता। यह भी किया है कि कानपुर और गाजियाबाद दो जगहों पर गहराई से जो देखा तो कानपुर अकेले में लाखों रुपये का रेवेन्यू बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में 55 उद्योग हैं जो हमारी 50 फीसदी रेवेन्यू देते हैं। हमने इनसे कहा है कि छूट भइयों को छोड़ो और इन 55 को ही कन्ट्रोल करलो तो देखा कितना रेवेन्यू बढ़ता है। एक सज्जन के यहां इतने एयर कंडीशनर्स लगे थे कि हिसाब नहीं लेकिन बिल कुछ नहीं। उनको अब 35 हजार रुपये पर असेस किया है और कार्यवाही अलग की गयी है। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि बिजली की चोरी न होने पाये। इस काम में हम लग गए हैं और मुझे आशा है कि अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम इसमें सफल होंगे। क्योंकि इसमें सख्ती करनी पड़ती है तरह-तरह से कर्मचारियों पर। वह फिर गलत सही बात फैलाते हैं और उसके चक्कर में हम आ जाते हैं और फिर दिक्कत में पड़ जाते हैं लेकिन हमने प्रतिज्ञा की है कि चाहे कितना ही दिक्कतें हों हम अपनी गति से चले जायेंगे और हमारी गल्ती या कमजोरी होगी तो वह इस सदन में उठ सकती है और उठना चाहिये।

एक भाई ने कहा कि बहुगुणा जी ने कह तो दिया कि ट्रांसफारमर और तार का पैसा नहीं देंगे, लेकिन वह बिजली ही नहीं देंगे और यह तो ऐसे ही कह दिया। मैं इस सदन में आश्वासन की तरह वचन दे रहा हूं कि एक तो हम ट्यूबवेल को प्राथमिकता देंगे और जितने ज्यादा कनेक्शन ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स को हो सकेंगे दिये जायेंगे। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर है कि जो धन और मुद्रा हमारे पास है वह कितनी है। पैसा उन्हें नहीं देना है। साल का जो ऐवरेज था अब मूल्य बढ़ जाने के कारण उससे कम कनेक्शन होंगे। 35 हजार ट्यूबवेल्स और पंपिंग सेट्स को हम कनेक्ट कर देते थे लेकिन अब दाम बढ़े हैं और रुपया बढ़ा नहीं। लेकिन फिर भी मेरी पूरी आशा है कि ट्यूबवेल को पंपिंग सेट को और खेती के काम को प्राथमिकता देंगे और साथ ही कोल्ड स्टोरेज को प्राथमिकता देंगे ताकि उत्पादन के सिलसिले में कोई गड़बड़ न हो।

आजकल बड़ी परेशानी आलू के मामले में है। कोल्ड स्टोरेज 1/4 भी नहीं है। गलती हमारी है। भूल हुई हम मानते हैं। लेकिन उसका निराकरण अगर लांछन लगाने से हो सकता हो तो मुझे कुछ नहीं कहता वरना भविष्य में कुछ इस दिशा में सोचने से ही हो सकता है। बार-बार यह कहा गया कि हमने उद्योगों को ज्यादा बिजली दी। जो माननीय सदस्य कहते हैं कि ज्यादा दी तो वह कागज पत्र लेकर बैठ जायं और देख लें। मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां बिड़ला के साथ 65 मैगावाट देने का तय था तो शायद ही एक आध महीने 20 से ज्यादा दी हो वरना 20 मैगावाट ही दी। हमको इससे फायदा हुआ। हमारा लास नहीं हुआ। हम खेती की तरफ बिजली ज्यादा बढ़ा सके। उदाहरण के लिए मैंने नाम दे दिया। अब यह कहना कि 10 1/2 पैसे हिन्दालको को क्यों देते हैं, एक जनसंघ के साथी ने कही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनको पसंद हो तो जापान एम्बेसी से लिखकर पूछ लें, चाहे अमरीकन एम्बेसी से लिखकर पूछ लें, अगर रूस पसंद है, तो रसियन एम्बेसी से लिखकर पूछ लें। अगर वे जवाब देते हैं कि बिजली की दरें एल्मूनियम फैक्ट्री के लिये दूसरी फैक्ट्रीज के लिये और खेती के लिये एक हों, तो मैं तैयार हूं। इस 10 1/2 पैसे के पीछे भी केन्द्रीय सरकार ने कृपा की है और इसके पीछे भी हमने एक तर्क रखा है, जो इन्दिराजी ने कृपा करके लोगों से कहकर ठीक कराया। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में एल्मूनियम बनता है। ठीक है . . . . . .

श्री दशरथ सिंह—

सन् 1970 के पूर्व भी उद्योग और कृषि के रेट्स में अंतर था। सन् 1970 से 1974 तक जो बिजली की दरें बढ़ायी हैं, उसमें खेती के रेट्स अधिक बढ़ाये और उद्योग के कम, इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब उसके संबंध में तो 4 साथियों ने पढ़कर सुना दिया। उद्योग का रेट आज खेती के रेट से ज्यादा है। किसी भी दशा में खेती से बिजली की दर उद्योग से ज्यादा नहीं। अब एकाध माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर फीडर जान जायं तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिये। वह विषय जरूर विचारणीय है। अब उसमें क्या फैसला करेंगे, कह नहीं सकता।

श्री सत्य प्रकाश—

जो अलम्यूनियम फैक्ट्री की बात कही, उस बिजली की दर के कारण 100 करोड़ का घाटा हो रहा है। उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर हम सत्य प्रकाश जी से लेंगे। वह पहले असेम्बली में क्यों नहीं आये ? 1952 में असेम्बली में क्यों नहीं आये अब आप इस बात को पूछ रहे हैं कि कैसे होगा ? 100 करोड़ का घाटा हुआ या नहीं हुआ, प्रश्न यह नहीं। प्रश्न यह है कि वह क्यों मरा, उसका कोई इलाज है कि नहीं। मेरे पास तो है नहीं। आपके पास हो तो दे दें। इसीलिये पहले कहा था कि हमारी कोशिश यह है कि 10 1/2 पैसे में उनको बिजली न देनी पड़े। उसके बारे में आपको नहीं मालूम। यह 10 1/2 पैसे सिर्फ उस बिजली का है, जिसका एग्रीमेन्ट पुराना है, हमारा उनसे अब उससे ज्यादा अगर वह एक मेगावाट भी बिजली लेते हैं, तो उनका भी वही रेट होगा, जो दूसरे उद्योगों का है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आपने दरों को तो उनकी 10 1/2 पैसे किया है, लेकिन क्या इस बात को नहीं देखेंगे कि हिन्दालियम और अलम्यूनियम की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और बिड़ला के हिन्दालियम की कीमत कितनी बढ़ गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बस उत्तर ले लें। अगर 100 मेहमान घर में आ जायें तो कैसे सबको खिलाया जाय और राशन न निकालें। हमारा कहना था कि उत्तर प्रदेश में 6 परसेंट हिन्दालियम का इस्तेमाल करते हैं तो 94 परसेंट सब्सीडी क्यों दें ? मैं आपको बता दूं कि अभी यह बात तय नहीं हुयी कि केन्द्रीय सरकार अल्मूनियम के दाम कैसे तय करेगी। वह विचाराधीन है।

एकाध भाइयों ने कहा कि पोल गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिर खड़े कर दिये गये हैं। इस तरह की सूचना उपयुक्त है, मैं जरूर इसको देखूंगा और विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष को कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सभी लाइनों को अपने एस0 ई0 से कह दिया कर चेक करा लें। (व्यवधान)। हम को आपको जा कर कहीं तो यकीन करना ही होगा। उनके ऊपर चीफ इंजीनियर भी हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यूनियनों से सलाह मश्विरा कर लें। बदकिस्मती से बिजली में बहुत यूनियनें हैं कुछ किसी दल की कुछ किसी दल की। मेरी एक प्रार्थना है अगर बिजली के मजदूर अपने संगठन को एक करके हमारे साथ अगर अपना सहयोग प्रदान करें तो हम उनका सहयोग पूरी तरह से लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि राम अधार राय जी अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और मेरी मांग को स्वीकार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-विद्युत् विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,00,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94-के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,87,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष ---

नियम 51 के अन्तर्गत सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में लघु उद्योग मन्त्री के 18 अप्रैल, 1975 के वक्तव्य पर अग्रेतर स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मैं वही पढ़ देता हूं जो पुराना वक्तव्य है :--- "उत्तर प्रदेश सहकारी स्पिनिंग मिल्स इटावा वर्ष 1958 में स्थापित की गयी थी। राज्य को हथकरघा इकाइयों द्वारा वांछित सूत की पूर्ति करने की दृष्टि से यह प्रथम सहकारी कताई मिल थी। मिल को हानि मुख्यतया बुनकर सोसाइटीज की डिस्काउन्ट दर पर सूत सप्लाई किये जाने से एवं विद्युत् की कमी, श्रमिकों में वृद्धि तथा सूत के बाजार भाव में असाधारण गिरावट के कारण हुई। मिल द्वारा पिछले वर्ष 1973--74 में 1,97,31,642.12 रु0 की रुई खरीदी गयी।

वर्तमान उत्पादन प्रबन्धक की आख्या से ज्ञात हुआ कि करीब 14.30 लाख रु0 के लागत की रुई घटिया किस्म की स्टाक में उपलब्ध है। इसका प्रयोग निर्णय होने तक रोक दिया गया है। इस घटिया किस्म की रुई के निस्तारण के लिये कार्यकारिणी उप--समिति ने एक जांच समिति का गठन किया है। समिति ने कुछ रुई के विक्रेताओं का अन्य सौदों का शेष भुगतान रोक दिया है और उनको नोटिस दिये गये हैं कि घटिया किस्म की रुई सप्लाई करने का स्पष्टीकरण दें, जिससे क्षति--पूर्ति की जा सके। समिति ने रुई विक्रेताओं के विरुद्ध सभी सम्भव कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

मिल के विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने नहीं, वरन् उत्तर प्रदेश शासन ने मिल के 60 लाख रुपये के अंश क्रय किये हैं ताकि मिल में 25 हजार अतिरिक्त तकुवे लगाये जा सकें। इस धनराशि में से 4,47,970 रुपये मशीनों के क्रय के लिये आर्डर देते समय अग्रिम दिये जा चुके हैं। मिल विस्तार के लिये मार्च 1974 में 57 रिंग फ्रेम तथा 2 डबलिंग मशीनों को क्रय करने के लिये आर्डर नेशनल मशीनरी मैन्मूफैक्चर्स लि0, थाना, बम्बई को दिये गये हैं। इन मशीनों का अनुमानित मूल्य लगभग 94 लाख रुपये होगा।

फरवरी, 1975 के प्रथम सप्ताह में केवल 13,14,077 रुपये की रुई खरीदी गई। यह रुई प्रचलित बाजार भाव से खरीदी गई थी।

जैसा कि निवेदन किया जा चुका है कि मिल को विभिन्न कारणों से घाटा हुआ है। परन्तु वर्ष 73--74 में मिल को 10,91,269.18 पैसा का शुद्ध लाभ हुआ था।

जुलाई व अगस्त, 1974 में भी मिल लाभ पर चली। सितम्बर 1974 से फरवरी 1975 तक मिल में अवश्य घाटा हुआ है। यह घाटा मुख्यत: श्रमिकों की वेतन वृद्धि, विद्युत् की कमी तथा सूत के बाजार के निरन्तर गिरने के कारण से हुआ है।

मिल के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं। मिल के उत्पादन प्रबन्धक, अतिरिक्त महाप्रबन्धक का कार्य भी करते थे, को हटाकर उनके स्थान पर एक अन्य अनुभवी उत्पादन प्रबन्धक को नियुक्त किया गया, है जिन्होंने 20--1--75 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा एक प्रशासकीय सेवा के अधिकारी को महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है। संचालक मंडल द्वारा मिल के कार्य-प्रणाली के सुधार के लिये तथा खर्च में कमी व आय को बढ़ाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने के विषय में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

अध्यक्ष महोदय, 72--73 में कुल मिलाकर कितने रुपये की रुई खरीदी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

72-73 में कुल मिलाकर 1,39,73,000 रुपये की रुई खरीदी गई।

श्री मुलायम सिंह यादव---

जनवरी, 1975 से मार्च, 1975 तक कितने रुपये की रुई खरीदी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जनवरी में 37,46,000 रुपये की खरीदी गई और फरवरी में 17,77,000 रुपये की रुई खरीदी गई।

श्री मुलायमसिंह यादव---

इन दो-तीन महीनों के अन्दर 75 लाख रुपये के करीब की रुई खरीदी गई, क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, रुई का मार्केट अनसर्टेन है। कोई इसका निश्चित मार्केट नहीं है। वह फ्लक्चुयेट करता रहता है। लिहाजा उसी भाव पर हमें रुई खरीदनी पड़ती है। कानपुर में एक सेन्ट्रल परचेज कमेटी बनायी गई है, वह भी रुई खरीदती है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरा कहना यह है कि दो-ढाई महीने के अन्दर इतना जबरदस्त रुई खरीदी गई, तो इसका कारण क्या था। संचालक मंडल का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म होने वाला था। जब उन्होंने यह देखा तो कमीशन तय किया और लाखों रुपये की रुई खरीद ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि 14-15 लाख रुपये का घाटा हो गया और इस वक्त 34 लाख का घाटा होगा।

दूसरा सवाल में यह करना चाहता हूं कि घाटे के सम्बन्ध में मंत्री जी से कि इस स्पिनिंग मिल के जो चेयरमैन श्री हबीबुर रहमान नोमानी है तो लगभग दो हजार रुपया वहां से लेते हैं उन पर खर्च पड़ता है प्रतिमाह। जिसके लिये बोर्ड की स्वीकृति नहीं है और वह सहकारिता अधिनियम के भी विरुद्ध है। बोर्ड की भी स्वीकृति नहीं है और अधिनियम में भी नहीं है तो यह कानून के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त माननीय नोमानी साहब दारुलसफा में रहते है लेकिन वहां से जो चार्ज करते हैं वह अलग है। इसके अलावा वह एम0एल0सी0 भी हैं। इसके अलावा यू0पी0एन0 781 नम्बर की गाड़ी उनके अंडर में रातदिन रहती है। इस प्रकार 40 हजार रुपया इनको एक साल में मिलता है जो कि नियम के विरुद्ध है। तो क्या कभी मंत्री जी ने इस बात की जांच कराई है और अगर कराई है तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, जहां तक यह कहना है कि कार्यकारिणी ने कमीशन लिया इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। कोई भी शिकायत इस बारे में कमीशन प्राप्त करने की नहीं आई है। यह जरूर है कि मास्टर सैम्पल के मिलान के लिये जो टैकनीकल प्रबंधक हैं उनको सलाह से यह होता है। आप जानते हैं कि टैकनिकल जानकारी के लिये बोर्ड आफ डायरेक्टर जो है वह टेकनिकल राय उनसे लेते हैं। उनके मास्टर सैम्पल के आधार पर ही यह होता है। अब तो पुराने वाले जो टैकनिकल प्रबंधक थे उनकी जगह नये आ गये हैं। यह भी कोशिश की जा रही है शायद यह ताने के लिये तो ठीक न हो, लेकिन बाने के लिये ठीक है या नहीं यह जानकारी ले रहे हैं। तो यह भी टैकनिकल जानकारी के आधार पर होगा। इसके लिये 5 सदस्य हैं, जो यह जानकारी करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

जहां नोमानी जी का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि हममें से कोई पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में चेयरमैन होता है तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिये न कि निरुत्साहित हमारे प्रबंध में गलतियां हो सकती हैं लेकिन उसे ठीक करने की बात है। और सुनी बात पर बात नहीं करनी चाहिये। अगर एक दूसरे पर आरोप लगायेंगे तो पब्लिक कहेगी कि सब गलत है। तो मेरा आग्रह है कि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या साथी पर इस तरह से शक करने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरा प्रश्न का जबाब नहीं आया, मैंने कहा था कि जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कोई सबूत देंगे तभी तो जांच होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

एक तरफ तो मांग होती है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर में चुने हुये नुमायंदे होने चाहिये, एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 या जिला बोर्ड के सदस्य या म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य होने चाहिये जो ठीक भी है। हो सकता है कोई गलतियां भी हो लेकिन आमतौर पर इस प्रकार का वातावरण बना देना उचित नहीं है। आप को इस प्रकार का प्रश्न करते समय सावधानी वर्तनी चाहिये, सार्वजनिक लोगों को हम निरुत्साहित न करें।

जो नौमानी साहब को 50 हजार रुपये देने की बात है उनको जो कुछ दिया गया वह कुल 10476 रुपया मिला है। 40 हजार के जो आंकड़े हैं गलत हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

एक इम्पार्टेन्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

कहने से थोड़े होगा, प्रमाण दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह जो 60 लाख रुपया दिया गया राज्य सरकार को हिस्सेदारी के रूप में उसे मिला है जो तकुओं को बढ़ाने और प्रसार करने के लिये मिला वह एक साथ मिला या किस्तों में। अगर किस्तों में मिला तो कितने-कितने किस्तों में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, किस्तों में दिया है। एक किस्त 24 लाख रुपये की, दूसरी 11 लाख की और तीसरी 25 लाख रुपये की, इस तरह से तीन किस्तों में दिया गया है।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि इटावा मिल में 1400 गांठ रुई की हर महीने खपत है। जनवरी और फरवरी के लिये मुलायमसिंह जी कह रहे हैं कि दो हजार गांठें खरीदी गईं और इस मिल में 10547 गांठें खरीदी हुई हैं। जब कि इस साल में 10838 गांठें खरीदी गईं। इससे पहले 72-73 में 11875 गांठें खरीदी गईं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन आंकड़ों से क्या सिद्ध नहीं होता है कि इस मिल में अगर दो महीने का स्टाक नहीं रखेंगे और खास तौर से अक्तूबर से लेकर मार्च तक जब कि रुई अच्छी मिलती है तो कैसे काम चलेगा। अगर किसी मिल को अच्छी तरह से चलाना है और अच्छी रुई नहीं खरीदी जायेगी तो मिल कैसे मुनाफे में चलेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वही तो मैंने कहा था कि काटन के लिये प्लानिंग करना पड़ता है। हमारे यहां कपास पैदा नहीं होती है। इसलिये यदि रुई स्टाक में न हो तो मिल के लिये दिक्कत हो जायेगी। इसलिये अच्छी रुई और ठीक समय खरीदने की बात होती है। इसमें स्ट्रैटेजी होती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आठ लाख रुपये की जो रद्दी रुई आई थी उसके लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? दूसरे यह कि इस जमाने में यह नुकसान पर चल रही है। और भी मिलें हैं उनकी क्या पोजीशन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया है इस मामले में प्रोडक्शन मैनेजर की सिफारिश पर रुई खरीदी गई थी और जिनकी राय से रुई खरीदी गई थी उनको अलग कर दिया गया है। अब नये प्रोडक्शन मैनेजर रखे गये हैं। इसके अलावा एक जांच समिति है वह भी कार्यवाही करेगी। जिन्होंने बेकार रुई का सैम्पिल दिया है उनको भी ब्लैक लिस्ट करने की बात पर विचार किया जा रहा है और जो घटिया रुई दी है और उनका अच्छी रुई का बकाया है तो 30 प्रतिशत रोका जा रहा है। दूसरी टैक्सटाइल इंडस्ट्री क्राइसिस पर है। देश भर में सूती मिलें संकट में हैं। मारकेट डाउन जा रहा है। दाम नीचे जा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले ईमानदार साबित हों। मैं चाहता हूं कि नोमानी जी ईमानदार साबित हों। मैंने जो आरोप लगाये हैं, जो सहकारी अधिनियम के विरुद्ध है तो क्या इस रुपये को जो उन्होंने लिया है और दारुलशफा में रहते हैं और दूसरी जगह रहने के भी रुपये ले रहे हैं तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे। आजकल समाज में नेताओं के प्रति इसीलिये नफरत है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? दूसरा सवाल मेरा है कि नोमानी साहब और इनके साथी बम्बई गये, मुझे पता नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि हवाई जहाज से गये। सहकारिता अधिनियम में है कि हवाई जहाज से नहीं जा सकते। तो क्या वह हवाई जहाज से गये ? उनके साथ कितने लोग गये ? कितने दिन ठहरे और कितना खर्च पड़ा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, इसकी सबकी सूचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

उस दिन जो सवाल हुआ था, हमने स्वयं कहा था कि सूचना अपूर्ण है, उत्तर पूर्ण आना चाहिये। तो यह अग्रेत्तर स्पष्टीकरण उन्होंने दिया, अब आप आरोप लगा रहे हैं ?

श्री मुलायमसिंह यादव---

आरोप नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---

आरोप नहीं, तो है क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, जो मैंने कहा है, उसकी तो जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ही।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप कह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह प्रश्न कर लीजिये कि क्या बोर्ड की स्वीकृति ली है कि नहीं, यह जो खर्च नोमानी साहब का है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नोमानी साहब ने खर्च किया है, क्या इसकी स्वीकृति बोर्ड से ली गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, स्वीकृति ली गई है ।

इलाहाबाद कचहरी पोस्ट आफिस में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

दिनांक 4 अप्रैल, 1975 को इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज पर उप डाकपाल कचहरी पोस्ट आफिस इलाहाबाद ने लिखित सूचना दी कि उसी दिन 7व 7–15 बजे शाम को दो व्यक्ति बंदूक व तमंचा लिये पोस्ट आफिस के पिछवाड़े से अन्दर घुस आये। उनमें से एक व्यक्ति डिलेवरी हाल में बंदूक तानें खड़ा रहा तथा दूसरे व्यक्ति ने जो तमंचा लिए हुये था खजाने में घुसा, तमंचा दिखाकर रुपया 95578 लूटा और रुपया लेकर दोनों भाग गये। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 392 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम करके विवेचना प्रारंभ की गई। क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक नगर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कया। अभी तक अपराधियों के बारे में कुछ पता नहीं लगा सका है और न लूट का कोई धन ही बरामद हुआ है।

कचहरी पोस्ट आफिस जहां यह लूट की घटना हुई है कचहरी के निकट चिन्तामणि घोष रोड पर स्थित है। कचहरी जिसमें जिलाधीश का कार्यालय, जिला जज तथा अन्य मजिस्ट्रेटों के न्यायालय व कार्यालय तथा राजकीय ट्रेजरी है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है तथा पोस्ट आफिस से इनकी दूरी लगभग 125 गज है। राजकीय ट्रेजरी में सशस्त्र गार्ड रहती है।

कचहरी पोस्ट आफिस से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय लगभग 400 गज तथा उनका निवास स्थान लगभग 500 गज की दूरी पर है। पुलिस लाइन, स्टेट बैंक, सेन्ट्रैल बैंक, जिला परिषद् कार्यालय तथा मुहल्ला कर्नलगंज से उक्त पोस्ट आफिस की दूरी लगभग 600 गज है। इलाहाबाद तक लगभग 900 गज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगभग 1000 गज तथा कटरा बाजार लगभग 200 गज की दूरी पर स्थित है।

यह कहना सही नहीं है कि जिला एवं पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गया है और अपराध बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद जनपद में अपराध की स्थिति नियंत्रण में है।

यह सही नहीं है कि उक्त घटना से नागरिकों के मन में असुरक्षा, भय तथा असंतोष की भावना व्याप्त है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है और उसमें अंतिम जो लाइन है कि 'इलाहाबाद जनपद में अपराध की स्थिति नियंत्रण में है, यह असत्य है। मान्यवर, वहां पर दिन दहाड़े वहां के सरकारी डाकखाने पर डकैती पड़ी। वहां पर सरकारी ट्रेजरी है। मान्यवर, इसमें असत्य वक्तव्य दिया गया है। मान्यवर जो यह कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय 400 गज और उनका निवास स्थान 500 गज की दूरी पर हैं यह दोनों स्थान अधिक से अधिक डेढ़ सौ गज की दूरी पर हैं। मान्यवर, इलाहाबाद की जो स्थिति है और वहां की कानून व्यवस्था है, वह वहां के अधीक्षक पुलिस और कलेक्टर के हाथ से बाहर हो गयी है। मान्यवर, वहां पर सरकारी खजाना है, किसी भी दिन गवर्नमेंट ट्रेजरी लूटी जा सकती है। वहां पर सशस्त्र गार्ड भी हैं। मान्यवर, 4 अप्रैल की यह घटना है, करीब एक लाख रुपया लूट लिया गया। यह मामला 7, सवा 7, बजे शाम का है। अभी तक न

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मुलजिम का पता लग पाया है और न लूटी हुई धनराशि का पता लग पाया है। मान्यवर, वहां पर जो पुलिस की मशीनरी और प्रशासन की मशीनरी है, वह बिलकुल निष्क्रिय हो चुकी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस सारे मामले को सी0 आई0 डी0 को सौंपने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह खेदजनक घटना हुई है पोस्ट आफिस में जो कि केन्द्रीय संस्थान है। लेकिन यह सही नहीं है कि वहां पर कोई इन्तजाम नहीं है। यह घटना सायंकाल सवा सात बजे हुई। वह ऐसा समय था कि उस समय न तो वहां पर अधिक लोग ही थे और न वहां पर कर्मचारी ही थे। 2 लुटेरे आये, फाइरिंग की और 4–5 मिनट में ही आनन फानन में सारी बातें हो गई। जो सूचना मिली है उसके अनुसार नल के पास राजा राम यादव को पकड़ने दौडे। वह भाग कर रेस्ट रूम में जाकर चिल्लाया। तो शोर भी ज्यादा नहीं हुआ लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पर इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिये। अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि अगर 10–15 दिन में कोई गिरफतारी नहीं हुई, तो शासन इस बात पर विचार करेगा कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जाय।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर यह वाकया हुआ, वहां पर पुलिस के अधिकारी कब गये और कब यह दफा 392 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह रिपोर्ट 20–30 पर दर्ज हुई अर्थात् रात्रि में 8 बजकर 30 मिनट पर। घटना सवा सात बजे हुई। अधिकारी किस समय वहां पर पहुंचे, इसकी सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

(माननीय राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह 39 जिलों की सूचना है। इनमें गोंडा जिले को शामिल नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में हरिजनों के 12 घर जल कर राख हो गये।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो दूसरा चल रहा है। आप जब चाहते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, इस बारे में मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं।

प्रदेश में अग्निकांडों के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय सर्वश्री कृष्ण राय, मुलायम सिंह यादव, जीतेन्द्र कुमार अग्रवाल, काशीनाथ मेहरोत्रा, बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, शारदा प्रसाद रावत, हरिकेवल प्रसाद, अम्बिका प्रसाद सिंह, बाबा रामनाथ, जगदीश नरायन त्रिपाठी, दल सिंह यादव, त्रिवेनी सहाय, बाबूलाल वर्मा, श्रीनारायण, दशरथ सिंह, अब्दुल रऊफ लारी, पूरन लाल, तीरथ राम कोंहली ने पूरे प्रदेश में विशषकर देवरिया, मैनपुरी, सुल्तानपुर, हरदोई, इलाहाबाद, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गोंडा, बहराइच, लखनऊ जिलों में अग्निकाण्ड से हुई क्षति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को विदित है गरमी के महीनों में प्रतिवर्ष अग्निकाण्ड की दुर्घटनायें घटित होती हैं और जन-धन की हानि होती है। अग्नि काण्ड ज्यादातर असावधानी के कारण होते हैं। प्रदेश में एक लाख गांव हैं जिनमें कच्चे तथा खपरैल के मकानों की संख्या काफी ज्यादा है। गांवों में और खलिहानों मे बीड़ी आदि के जलते टुकड़ों को असावधानी से फेंक देने, भोजन बनाने के बाद चूल्हे की राख बिना ठीक से बुझाये फेंक देने आदि के कारण आग लग जाती है। इनसे बचने का सही उपाय है कि लोगों में अग्नि काण्ड के खतरे का एहसास पैदा किया जाय और उससे बचाव के लिये सतत् सावधानी बरती जाय। सामाजिक क्षेत्र में इस मामले में कार्यवाही अपेक्षित है।

इस वर्ष भी प्रदेश में अग्निकाण्ड की घटनाओं की सूचना शासन को समय-समय पर मिलती रही है। अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इन दुर्घटनाओं से हुई क्षति का विवरण संलग्न है। (श्रीमन्, संलग्न तालिका के बाद अब मैनपुरी और मोंडा जिले के भी आ गये हैं) इस सूचना के अनुसार 1-3-75 से 15-4-75 तक प्रदेश के 39 (अब 39 के बजाय 41 हो गया) जिले में 2,641 अग्नि काण्ड हुए जिनसे 14,932 परिवार (इसमें दो जिलों के और जोड़ दिये जायेंगे) प्रभावित हुये तथा 259.03 लाख रु0 की सम्पत्ति (घरेलू सामान, घर' अन्न व फसल) की क्षति हुई, तथा 137 मनुष्य एवं 906 पशुओं की जानें गयीं।

अग्निकाण्ड की दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग के अधिकारी प्रभावित गांव में तात्कालिक सहायता राजकीय कोष से तथा अन्य सूत्रों से पहुंचाते हैं। जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है उन्हें भुखमरी से बचाने के लिये 100 रु0 तक की निःशुल्क सहायता दी जा सकती है तथा मकान बनाने या मरम्मत करने के लिये 200 रु0 तक का गृह-निर्माण अनुदान देने का प्राविधान है। पक्के मकान के क्षतिग्रस्त होने पर गृह निर्माण अनुदान 300 रु0 तक दिया जा सकता है। सहायता का उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी तात्कालिक सहायता देना है जिससे वह कठिन समय को पार कर सके जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं है जो राज्य की वित्तीय सीमाओं के कारण संभव भी नहीं है। निःशुल्क सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको ऋण अथवा तकावी नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों के पास भूमि या अन्य सम्पत्ति है उन्हें तकावी देने की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष प्रदेश के मैदानी भागों के प्रत्येक जिले को अब तक निःशुल्क सहायता हेतु 15 000 रु0 तथा प्रत्येक पहाड़ी जिले को 5,000 रु0 आवंटित किये जा चुके हैं। जिलों की मांग पर और धन भी आवश्यकतानुसार आवंटित किया गया है। तकावी के लिये 13.25 लाख रु0 की धनराशि अब तक आवंटित की गयी है।

शासन को अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति है। उनकी यथा शक्ति सहायता करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है अग्निकाण्ड की भयंकरता के प्रति जगरूक रहने तथा उससे बचाव के लिये पूरी सावधानी बरतने की आदत लोगों में पैदा हो जाय, इसके लिये हम सब को मिलकर प्रयत्न करना चहिये, तभी इस समस्या की विकटता को कम किया जा सकेगा।

प्रदेश में अग्निकाण्ड से हुई क्षति तथा दी गई सहायता का विवरण

क्रम सं0	जिले का नाम	अग्निकाण्डों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	क्षति का अनुमान (लाख रु0 में)	जीवन हानि		क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में दी गयी सहायता	
					मनुष्य	पशु	अहैतुक सहायता (रु0)	तकावी तथा अन्य सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरनगर	14	32	0.36	..	3	4,000	..
2	मेरठ	17	35	0.46	3	..	2,500	..
3	बुलन्दशहर	16	48	0.76	..	..	..	..
4	मैनपुरी	1	..	5.00	2	1	..	(सूचना अ-
5	एटा	78	456	4.40	8	23	71,175	पूर्ण है)।
6	बरेली	108	477	3.57	5	32	4,145	..
7	बदायूं	56	350	3.99	2	9	5,000	..
8	मुरादाबाद	79	954	11.75	7	22	15,000	..
9	शाहजहांपुर	40	331	3.42	..	3	5,250	..
10	पीलीभीत	63	119	1.65	..	..	865	
11	रामपुर	39	341	24.92	..	..	..	..
12	फर्रुखाबाद	45	173	2.31	1	3	2,055	..
13	इटावा	53	164	4.77	2	4	..	..
14	फतेहपुर	43	274	6.57	6	16	7,764	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15	इलाहाबाद	139	270	8.24	1	10	3,705	206 रु0 का सामान
16	बांदा	48	195	3.60	1	1	..	
17	झांसी	19	28	1.30	..	..	..	..
18	जालौन	26	54	2.24	..	..	350	..
19	मिर्जापुर	63	940	1.55	..	..	475	..
20	जौनपुर	65	79	2.72	..	1	650	..
21	गाजीपुर	153	237	7.16	4	48	1,970	..
22	बलिया	113	390	8.80	10	3	17,000	10,300
23	गोरखपुर	136	626	10.36	4	166	12,420	तकावी 40 कम्बल, 51 चादर, 30 साड़ी, 75 कमीज, 50 पैंट 41 फ्राक, 30 नेकर, 15 तौलिया, 4 बुशर्ट, 3 डिब्बा दूध चूर्ण, 1 टीन बिस्कुट।
24	बस्ती	165	842	12.00	6	35	15,000	..
25	आजमगढ़	108	152	2.18	1	9	2,650	..
26	देवरिया	..	1,335	34.23	5	55	27,979	200 धोती
27	नैनीताल	4	65	5.37	..	..	3,200	..
28	अल्मोड़ा	..	4	0.37	..	20	..	..
29	उन्नाव	80	264	4.19	9	15	5,205	44 धोती, 68 मी0 कपड़ा, 12 किलो लाई, 10 किलो गुड़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	रायबरेली	131	508	14.38	8	46	30,230	10,000 तकावी।
31	हरदोई	78	678	22.59	6	102	18,880	16,800 तकावी।
32	खीरी	197	2,099	2.46	19	123	14,480	..
33	बहराइच	26	268	2.48	7	32	..	..
34	सुल्तानपुर	58	335	9.90	3	21	1,887	..
35	प्रतापगढ़	3	7	0.65	..	..	900	..
36	बाराबंकी	129	625	10.32	9	24	5,975	..
37	लखनऊ	79	394	7.45	1	5	8.265	..
38	वाराणसी	60	89	2.67	2	2	4,000	..
39	आगरा	109	694	7.89	5	22	10.320	4,900 तकावी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मुझे यह निवेदन करना है कि आप कार्य-सूची देखें तो आइटम 10 की पहली लाइन में ही जो मैंने दिया था उसका इसमें जिक्र है ग्राम छोर, चांदा क्षेत्र, सुल्तानपुर जिले के। मगर मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में जो नामों की सूची दी है उसमें कहीं जिक्र तक नहीं है। वह लिखते हैं कि इसमें इस विषय पर विचार हुआ है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें वह केस भी है जिसके लिए मैंने नियम 51 में दिया था और कार्य-सूची में प्रथम नाम है और जिसका आपके वक्तव्य में बिल्कुल नाम तक नहीं है ?

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

ऐसा ही मेरे साथ सलूक किया गया है। देवरिया जिले की हाटा तहसील के रामबचरहा, टिकुआटाल का टोला, निहाल छपरा, रामवर, तैलगांव और पडरौना तहसील के दौनहा, रामपुर पट्टी का कहीं जिक्र नहीं है। (व्यवधान) इन गांवों को अब तक कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

निर्देश दूंगा कि इन जिलों में कितने अग्निकांड हुए, क्या हालत है। गांवों की सूची तो यहां है नहीं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

इन्होंने कहा है कि 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए सहायता देंगे। लेकिन एक-एक जिले में दो-दो हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। अगर यह 10 रुपए भी एक परिवार को दें तब भी नहीं दे सकते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मेरी बात क्या गायब हो गयी, उसका क्या उत्तर है ?

(व्यवधान-शोर)

श्री बांके लाल--

कितने ही गांव जल गये हैं किसी का उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ग्राम छोर है तो ..... (व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल सिंह--

छपरे गांव हैं, छोर नहीं .....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

देवरिया जिले में एक भूतपूर्व विधायक का सारा अन्न जल गया .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

2641 अग्निकांडों की सूचना दी गयी है। हर गांव की अलग-अलग सूचना देना सम्भव कैसे हो सकता है .....(व्यवधान--शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

2 औरतें तक हमारे यहां जल गयीं. ... (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ व्यवधान करने लगे)

श्री अध्यक्ष--

हर एक का तो विवरण नहीं दिया जा सकता। जिलेवार हो सकता है। आप यह कह सकते हैं कि फलां गांव को देख लिया जाय वह इसमें नहीं है। मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे। इस तरह से कैसे होगा ?.....(व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं हल्ला करता रहूंगा, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, और उसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा.....(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जब सूचना में श्रीपाल सिंह जी का नाम था तो उनके गांव के बारे में सूचना होनी चाहिए थी। (व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल सिंह—

यह नामों की लिस्ट किस आधार पर दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

उसको तो हम बाद में देख लेंगे। (व्यवधान) अगर नाम नहीं है तो उसको हम बाद में देखेंगे। इस वक्त तो जवाब नहीं दिया जा सकता। जो रह गए हैं उनके बारे में। आप यह बयान अपने पास लेते जाइए और इसे देख कर जो सवाल हों वह कल हमें दफ्तर में दे दीजिए, हम उसका उत्तर आपको दिलवा देंगे। (व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)

जितना आया है उतना भी तो पूरा बतावें.....

(व्यवधान.....कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

अब ये चलने नहीं देते हैं तो अब हम आगे चलेंगे..।

(व्यवधान)

आप लोग एक-एक करके बोलिए ताकि सुनाई तो दे। श्री अब्दुल रऊफ लारी...।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया है वह अधूरा है। उन्हें जिलाधिकारी ने उत्तर दिया होगा। उत्तर आया होगा परन्तु पूर्णतया नहीं आया है....(व्यवधान होता रहा, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)...आज करीब 20 रोज हो गये कोई कानूनगो की हैसियत का आदमी तक वहां नहीं गया है। वहां लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। आज तक वहां कोई भी सहायता देने की बात नहीं है। खाने के लिए बेचारों के पास नहीं है। तो क्या माननीय मन्त्री जी जिलाधिकारी से पूछताछ करेंगे कि यह गलत रिपोर्ट उसने क्यों दी, या कोई इन्स्ट्रक्शंस हैं इस तरह से अधिकारियों को कि वह वहां जाकर बांट दें, जहां उनके विधायक हैं (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष—

आप लोग तो केवल हल्ला कर रहे हैं। इस तरह से तो बहस नहीं हो सकेगी। आप लोग बहस नहीं करना चाहते हैं क्या ? अगर बहस करना चाहते हैं तो जिनकी सूचना है...(व्यवधान)

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

110 मकान जल गये लेकिन कोई सहायता वहां नहीं मिली। जब कि राय बरेली में 30 हजार रुपये की सहायता दी जाती है.....(व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आप लोगों को यह सुझाव दूंगा कि यह सूचना लेकर आप लोग घर जावें, इसको पढ़ें। अगर आपका इसमें कोई गांव रह गया हो और पूछना चाहें तो चाहें असेम्बली का अधिवेशन खत्म हो जाय तब भी जो कोई पूछेंगे कि इसके बारे में क्या हुआ, तो उसके बारे में जवाब हो सकता है...(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

गोरखपुर वाला कहलवा दीजिए।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

श्रीमन्, एक-एक करके हो जाय .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यहां तो जिलों के बारे में सूची उनके पास एकत्रित है। अब आपके गांव उस जिले की सूची में है या नहीं। उसे अगर आप बाद में भी कह देंगे तो पता लगा लिया जायगा कि क्यों उसको दिया गया है या क्यों नहीं दिया गया है। बस यही हो सकता है और इस के अलावा और क्या हो सकता है ?

(पुन : व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, एक-एक करके ले लें तो ....

श्री अध्यक्ष---

मुझे भी अगर सुनाना है तो भी एक-एक करके सुनायेंगे न। (व्यवधान)

बाबा रामनाथ---

जहां हमारे यहां आग लगी है वहां क्या दिया गया है ? मैनपुरी में जहां-जहां आग लगी है उसके मुताल्लिक बता दें कि क्या मदद हुई है ? क्या मिला है ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

एक-एक करके कहिए।

बाबा रामनाथ---

पहले मैनपुरी का दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष---

पहले गोरखपुर वाले के बारे में हो जावे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधीशों को कोई ऐसे आदेश हैं कि विरोधी दलों के एम0 एल0 एज0 के क्षेत्रों में और खास तौर से हमारे क्षेत्र में कुछ सहायता न दी जावे ? न सूखे में कोई सहायता पहुंचायी गयी है, गांव हरदीडाली में जहां 26 हरिजन रहते हैं वहां एक दाना नहीं पहुंचा है, लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। जो मजदूरी करके लाये थे वह भी खत्म कर दिया है लेकिन रेवेन्यू विभाग का कोई अधिकारी वहां आज तक नहीं गया है हालांकि रुपया और जिलों में बंटा है लेकिन जहां हरिजन बसते हैं उनको एक धेला नहीं दिया गया। मैं खुद गया था, देखकर आया। उनको आश्वासन दे आया था कि नियम 51 में मंजूर हो गया तो कोई न कोई सूचना मांगी जायगी। लेकिन जिले के अधिकारी इतने गब्बर हो गए हैं, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच करें कि किस तरह से अवहेलना की जा रही है। किस तरह की ज्यादती की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने ऐसा नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, एक-एक गांव की लिस्ट तो है, एक-एक गांव की सूचना तो जिले में होती नहीं वह तो तहसील में होती है। मुख्य-मुख्य बातें जो हों कि कहां कितने माल का नुकसान हुआ, कितनी जनहानि हुयी, अगर माननीय सदस्य पूरे गांवों के बारे में जहां अनियमितता हुयी है, लिख कर दे देंगे। आप नाम दे देंगे, तो मैं असेम्बली के बाद, जैसा कि श्रीमन् ने

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह--]

भी कहा, असेम्बली के बाद भी सूचना देंगे तो मैं जांच करवाऊंगा। अगर फिर भी गलती होगी तो मैं जांच करूंगा और सजा दूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं लिख कर दे दूंगा। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इसकी जांच कर लें और ऐसे अधिकारियों को सजा दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीपाल सिंह जी आप भी लिख कर दें।

श्री बांके लाल--

मेरी शिकायत तो केवल यह है .....

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बांके लाल--

पडरौना तहसील में ....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं इनको केवल सूचना देना चाहता हूं। पडरौना में गंगोली गांव--हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग जहां रहते हैं, सिकटा गांव ....

(अनेक सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायं। इस तरह से नहीं। यह प्रश्न जो है, तो सूचना दें। अग्निकांड में इतने गांव जले हैं। जिले के हिसाब से इतना नुकसान हुआ है। आप जब जायेंगे आपको पता रहेगा कि किस गांव में क्या मिला है। इसमें तो 100-200 और पक्के मकान के लिये 300 रुपये उसके हिसाब से मिला है या नहीं मिला है तो आप इसको लिखकर जानकारी करायेंगे, तो वह जांच करेंगे। मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

न्यवर, मुझको केवल एक सूचना देनी है .....

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर .... अब कार्य सूची--11

श्री मधुकर दिघे--

इस सिलसिले में केवल एक बात कहना चाहता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप सब पहले बैठ जायं। एक-एक को सुनना चाहता हूं। इस तरह से नहीं।

(शोर)

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

सवाल तो यह है कि मुझे सुनने दीजिए।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, आप आदेश भेज दें सभी जिलाधिकारियों को कि जिले के विधायक जो हैं उनकी सूचना को सही मानकर उसकी जांच करें कि जहां आग लगी है। जहां जिन गांवों मे सहायता नहीं मिली है। उनको तुरन्त सहायता दें। आज ही बायरलेस कर दें।

श्री अध्यक्ष--

श्रीपाल जी ने छिपरी, नबीगंज, उनके बारे में .....

श्री मधुकर दिघे--

कई गांवों के नाम मैंने भी लिखे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री बांके लाल--

मैं भी उनकी नोटिस में लाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीपाल जी आप क्या कहते हैं ?

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा आपने नियम 51 में मंजूर किया है या नहीं। यदि मंजूर किया है तो माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में जिक्र क्यों नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीपाल सिंह लिखा तो गया है। हमारी सूची में तो लिखा है।

कुंवर श्रीपाल सिंह --

आपकी मैं तो पहले नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष--

अगर नहीं है तो जोड़ दिया जायगा। हो सकता है कि इस गांव की सूचना उनके पास न हो। जितनी सूचना उनके पास है .....

कुंवर श्रीपाल सिंह--

हमारा नाम जोड़ना वह क्यों भूल गए ? इसके माने कोई दूसरी चीज ....

श्री अध्यक्ष--

जिन-जिन का नहीं है वह जोड़ दिया जायगा।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके कहें।

जितनी सूचना थी, उन्होंने दिया। आपका नाम छूट गया है, उनके में छूट गया है हमारे में नहीं छूटा है। तो इसकी सूचना आप जो कुछ देंगे, लिखेंगे, तो वह देखेंगे।

प्रतिभा चित्र मन्दिर को स्थाई सिनेमा-गृह बनाने की अनुमति शासन द्वारा मिलने के बावजूद भी लाइसेन्स न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

श्री मोहन लाल सेठ ने मेजर बैक्स रोड पर सिनेमा गृह के निर्माण की अनुमति हेतु एक प्रार्थना पत्र सन् 1969 में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को प्रस्तुत किया था। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने उस पर विचार करने के पश्चात् अपने दिनांक 14 अक्तूबर, 1969 के आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र को मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि प्रस्तावित सिनेमा स्थल सचिवालय भवन के काफी निकट है और वहां पर सिनेमा बन जाने से सचिवालय के सामने यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

2—जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध श्री सेठ ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 5(3) के अन्तर्गत शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। शासन द्वारा जांच कराने पर उसे यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित सिनेमा भवन का स्थल सचिवालय के द्वार से 75 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है और अपीलकर्ता के पास 30,000 वर्ग फुट भूमि उपलब्ध है जिसमें से 10,000 वर्ग फुट भूमि पर सिनेमा भवन का निर्माण होगा तथा 20,000 वर्ग फुट पर गाड़ियां इत्यादि रखी जा सकेंगी। गाड़ियों के लिए 2 द्वारों का प्रस्ताव भी सिनेमा के मालिकों द्वारा किया गया था जिससे यातायात में अवरोध की सम्भावना कम बताई गई थी। सिनेमा के स्वामियों द्वारा यह भी बताया गया था कि यह भवन ध्वनि-नियोजित होगा जिसके कारण शोरगुल का अन्देशा भी कम पाया गया। उपरोक्त कारणों से तथा शासन की इस नीति को देखते हुए कि मनोरंजन कर से अधिक आय प्राप्त हो इसलिए अधिक से अधिक सिनेमा-गृहों का निर्माण कराया जाय, श्री सेठ की अपील शासन द्वारा स्वीकार कर ली गई और शासन के आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 20 मार्च, 1972 में श्री सेठ को सिनेमा-गृह निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी।

3—पूरे प्रश्न के गुणा व गुण पर पुनर्विचार पर शासन ने यह निश्चय किया कि राज भवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग तथा राजस्व परिषद् से 200 मीटर की दूरी पर सिनेमा गृह स्थित होने पर प्रतिबन्ध लगाना लोकहित में होगा। शासन ने राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके एक संशोधन विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जिसे राज्य विधान मन्डल ने स्वीकार किया व उसे अधिनियमित किया। तदनुसार उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स के नियम 7(2) में भी संशोधन कर दिया गया। इन संशोधनों के अनुसार सिवाय उस भवन के जिसे दिनांक 1 अगस्त, 1974 के पूर्व चल चित्र प्रदर्शन का लाइसेन्स दिया गया हो, किसी अन्य भवन को यदि वह राज-भवन राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग अथवा राजस्व परिषद् से 200 मीटर के भीतर स्थित हो, लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा। यह प्राविधान चल-चित्र प्रदर्शन के लिए लाइसेन्स देने हेतु ऐसे सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में भी लागू है। जिन्हें लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा इस संशोधन से पूर्व स्थायी भवन निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई हो। अधिनियम तथा सम्बन्धित नियमावलियों में इन प्राविधानों के होते हुए सिनेमा चलाने का लाइसेन्स देना लाइसेंसिंग अधिकारी के लिए सम्भव नहीं है।

4—सचिवालय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए यह भी निर्णय किया गया कि यदि उपरोक्त सिनेमा-गृह की भूमि भवन ले ली जाय तो इसमें राज्य सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि और उस समय तक अपूर्ण भवन में आवश्यक परिवर्तन करके सचिवालय पुस्तकालय को उसमें स्थापित किया जा सकेगा। अतः इसी सार्वजनिक प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए इस भवन के अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई और दिनांक 3 जनवरी, 1974 को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है। यह प्रयोजन जिसके लिए यह भूमि अधिगृहीत की जा रही है एक सार्वजनिक प्रयोजन है।

(वक्तव्य पढ़ते समय कई सदस्य साथ-साथ बोलते भी रहे)

श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)---

महीने भर से ज्यादा अग्निकांड के हो गए हैं लेकिन सहायता नहीं स्वीकृत हुई है। यह फर्जी वक्तव्य है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सूचना दी गयी है उसको सही मानें और तत्काल वहां सहायता पहुंचाए। ..... (शोर) शासन ने सहायता मंजूर भी नहीं किया है। यह कैसी विडम्बना है। इसलिए वक्तव्य को स्पष्ट किया जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, इस पर विधिवत चर्चा होनी चाहिए। वह ऐसे वक्तव्य को पढ़ रहे हैं जैसे कोई मूक भाषण कर रहे हों। सुनाई नहीं पड़ा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इसमें ऐसा लगता है कि दो महान व्यक्तियों के झगड़े में एक व्यक्ति पीसा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

श्री दया किशन शायद नहीं हैं। उनको अधिकृत किया था इसलिए पूछना पड़ा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, प्रतिभा चित्र मन्दिर के निर्माण के लिए दरख्वास्त दी गयी। उसकी अपीलों पर विचार करना चाहिए था। कलेक्टर ने विचार किया और नामंजूर कर दिया। हायर एथारिटी में अपील हुई और उन्होंने विचार किया और आज्ञा दे दिया था कि बना लो। 30-35 लाख रुपए खर्च करके सिनेमा बन गया और अब सरकार ने उस पर पुनर्विचार किया और एक कानून बना दिया। सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कितना उचित है कि जो चीज बनाई 30 लाख खर्च करके और जिस पर सरकार ने विचार कर लिया था। आप कहा करते हैं कि पहले सरकार की क्रेडिटिब्लटी की हम कदर करते हैं। तो उन्होंने उसको आज्ञा दी और अब आप पुनर्विचार करके नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बना दिया। इसलिए पुनर्विचार कर जो प्रोसीडिंग हो उसको ड्राप करके छूट दें और इस कानून को आगे आने वाले पर लागू करें।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, इसी सदन के अन्दर यह कानून बना कि राज भवन सचिवालय या पब्लिक सर्विस कमीशन के 200 मीटर के अन्दर सिनेमा को लाइसेन्स नहीं दिया जाएगा और न बनेगा। यदि किसी की बिल्डिंग बन भी गयी हो तो सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है, इसलिए अनौचित्य की कोई बात नहीं है। जनहित में उसको लेना आवश्यक है चूंकि सचिवालय के 175 मीटर के अन्दर है, इसलिए लेने की बात की है। उस ऐक्ट के तहत यह बात की गई है जिसको माधो बाबू ने स्वयं पास किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई ऐसी कानूनी राय मिली है कि सरकार का ऐसा करना अनुचित है और इल्लीगल है। यदि ऐसा है तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और जो सरकार की जिद है, उसको छोड़ेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जब हमने उस ऐक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत लिया है तो उसके अनुचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं केवल इसलिए यह कह रहा हूं कि यह जरूर है कि बड़ा अन्याय हो गया है। आपने लिखा है कि लाइब्रेरी बनाने या और कुछ चीजों के लिए काम में लाया जा सकता है, वह हाल। तो क्या वह हाल कोई लाइब्रेरी या दफ्तर बनाने लायक है। आपने इधर 200 मीटर की तो बात कह दी लेकिन आपने कैपीटल को इजाजत दे दी। पहले तो सरकार ने उनको बनाने की इजाजत दे दी और उसके आधार पर 30 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो इन सारे पहलुओं पर आपने विचार किया होगा, फिर ऐसा नया पहलू कौन सा आ गया। इसके माइने यह है कि सरकार की जिद्द है। तो सरकार को यह शोभा नहीं देता कि किसी व्यक्ति के खिलाफ वह कानून बना दे और कानून को रिट्रोस्पेक्ट देकर उस आदमी को नुकसान पहुंचा दे।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

माननीय सदस्य को याद होगा कि इसी विधान भवन पुस्तकालय में कितनी बड़ी आग लगी थी और यह सोचा गया था कि इसको अलग कहीं कर दिया जाय। मान्यवर, इन्हीं चीजों को बचाने के लिए जब हमने कहा कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। हम तो जनहित में कर रहे हैं और उस ऐक्ट के अन्तर्गत कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

ऐक्ट कब पास हुआ और बिल्डिंग बनाने की परमीशन कब दी गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चिनहट के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए नोटिस पर वक्तव्य।

एक सदस्य--

श्री मोती लाल जी हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं हैं, तो वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया जाय। बाद में वह लिखकर जो प्रश्न चाहें, पूछ लेंगे।

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत जो नोटिस दी है उसमें लखनऊ जिले के विकास खंड, चिनहट के अन्तर्गत निम्निलिखित ग्रामों में स्थित ग्राम सभा की भूमि पर माननीय वन मन्त्री जी के पुत्र व भूतपूर्व एवं वर्तमान सरकारी अधिकारीगण तथा धनवान लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा किए जाने की बात उठायी गयी है :

(1) ग्राम धांवा, (2) ग्राम मटियारी कंचनपुर, (3) ग्राम नौबस्ता कलां, (4) ग्राम कमता, (5) ग्राम विजईपुर, (6) ग्राम इस्माईलगंज, (7) ग्राम शाहपुर, (8) ग्राम समिउद्दीनपुर, (9) ग्राम बस्तौली, (10) ग्राम गाजीपुर, (11) ग्राम सैदुलनिसा।

2—जांच कराने पर जो वस्तुस्थिति पायी गयी उसका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है—

ग्राम धांवा:—

ग्राम धांवा में वर्ष 1965 व 1966 में 88 व्यक्तियों को ग्राम सभा में निहित भूमि में से 609 बीघा 10 विस्वा 2 विस्वांसी के पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किए गए थे। इन सभी पट्टों की जांच करवायी गयी जिसमें से 32 पट्टे जिनका क्षेत्रफल 234 बीघा 3 विस्वा था नियमित पाए गए और शेष 57 पट्टे जिनका क्षेत्रफल 373 बीघा 13 विस्वा 2 विस्वांसी था अनियमित पाए गए और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करके निरस्त कर दिए गए।

दिनांक 9 मार्च, 1972 को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा 14 पट्टे जिनके अधीन क्षेत्रफल 95 बीघा होता है किए गए जिनका दाखिल खारिज भू-अभिलेखों में दिनांक 4 जुलाई, 1972 के आदेशों के अधीन किया जा चुका है। जांच के फलस्वरूप इन सभी 14 पट्टों में कतिपय अनियमिततायें पाई गईं। अत: जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(3) के अन्तर्गत पट्टों को निरस्त करने तथा पट्टेदारों को बेदखल करने की कार्यवाही अतिरिक्त जिलाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में प्रारम्भ कर दी गयी है जो अभी विचाराधीन है। जिन 14 पट्टेदारों के विरुद्ध पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है उनसे सम्बन्धित विवरण परिशिष्ठ—क में अंकित है। इस सूची से यह विदित होगा कि सदस्य महोदय के नोटिस में दिए गए श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री ए0 पी0 सिंह, निवासी महानगर, लखनऊ को 7 बीघा 10 विस्वा का पट्टा तथा श्रीमती निखत आरा बेगम पुत्री सैयद रसूल, निवासी विक्टोरिया स्ट्रीट को 7 बीघा 10 विस्वा भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिया गया।

ऊपर दी गयी अनियमितता के अलावा ग्राम धांवा में 26 व्यक्तियों ने ग्राम सभा में निहित भूमि पर कब्जा किया है जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-ख के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इन कब्जों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

ग्राम कंचनपुर मटियारी—

इस ग्राम में 9 व्यक्तियों ने ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है जिनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-ख के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इन कब्जों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-ग में दिया गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उक्त सूची में श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती लक्ष्मी सिंह क्रमश: श्री राम नगीना सिंह के पुत्र तथा पत्नी हैं। श्री राम नगीना सिंह सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। इस परिवार की खेती इस गांव में है। उन्होंने अपनी भूमि में गांव सभा की 10 विस्वा भूमि अतिक्रमण करके मिला ली है।

ग्राम नौबस्ता कलां—

इस ग्राम में श्री दीपक प्रयाग टन्डन पुत्र श्री श्याम नारायण टन्डन निवासी 6-ए, ला प्लास, लखनऊ ने ग्राम सभा में निहिति गाटा संख्या 592, रकवा 10 विस्वा 10 विस्वांसी पर अनधिकृत कब्जा किया है और इनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 1222-ख के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। यह पता चला है कि श्री दीपक के पिता गौहाटी में फौज में इन्जीनियर हैं।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह—]

ग्राम कमता—

इस ग्राम में स्थित ग्राम सभा में निहित गाटा संख्या 288, रकबा 3 बिस्वा 5 विस्वांसी तथा संख्या 291, रकबा 7 विस्वा 5 विस्वांसी, कुल रकबा 11 विस्वा पर श्रीमती निर्मल गोपाल पत्नी आर0 पी0 गोपाल, निवासी 14, विक्टोरिया मार्ग, लखनऊ ने अनधिकृत कब्जा किया है और इनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-ख के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही चल रही है। यह पता चला है कि उक्त खातेदार के पति आई0 जी0 के पद पर कार्यरत हैं।

ग्राम बिजयीपुर, इस्माईलगंज, शाहपुर, शमीउद्दीनपुर, बस्तौली, गाजीपुर तथा सैदुल्लनिसा, जिनका उल्लेख सदस्य महोदय ने नोटिस में किया है, में ग्राम सभा भूमि के विषय में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इन में ग्राम सभा भूमि पर किसी अधिकारी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा नहीं है।

3—जैसा कि ऊपर कहा गया है ग्राम धांवा में जो पट्टे फरवरी, 1972 में अनियमित ढंग से हुए हैं जिसमें श्री अजय प्रताप सिंह, पुत्र श्री ए0 पी0 सिंह तथा श्रीमती निखत आरा बेगम पुत्री सैयद रसूल के पट्टे भी शामिल हैं, उन्हें निरस्त करने और बेदखल करने की कार्यवाही जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198(3) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में चल रही है। इसी प्रकार ग्राम धांवा, मटियारी, कंचनपुर, नौबस्ता कलां तथा कमता में ग्राम सभा भूमि पर जो अनधिकृत कब्जों के मामले नोटिस में आये हैं उनमे भी बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चल रही है। शासन का कोई भी इरादा किसी व्यक्ति से पक्षपात का नहीं है और न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सतर्कता से की जा रही है। ग्राम धांवा में जो पट्टे हुए हैं वह भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा हुए हैं। इस कार्यवाही में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक दवाब नहीं रहा है। सदस्य महोदय ने जो यह कहा है कि इस भूमि के हथियाने में वन मन्त्री ने अपने पद व शक्ति का दुरुपयोग कर अपने पुत्र की सहायता की है और उसके फार्म को बनवाने में तिकड़म व चतुराई के साथ जनता को चकमा देने का काम किया है, गलत है।

4—ग्राम धांवा में किए गए पट्टों के सिलसिले में राजस्व परिषद् के अधिकारी द्वारा जांच की गयी थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक लेखपाल, एक पर्यवेक्षक कानूनगो, दो नायब तहसीलदार तथा एक परगनाधिकारी दोषी पाए गए। लेखपाल निलम्बित कर दिया गया है। कानूनगो को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। गांव सभा द्वारा रखे जाने वाले पट्टा सम्बन्धी कुछ कागजात के उपलब्ध न होने के कारण अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी। इन कागजात के मिलने पर नायब तहसीलदारों व परगनाधिकारी की जिम्मेंदारी को देखते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

5—सदस्य महोदय ने अपने नोटिस में एक बात यह भी कही है कि उल्लिखित गांवों में से एक गांव में मन्दिर के नाम से सरकार की काफी जमीन का इन्क्रोचमेंट हुआ है और इसमें कोई अन्य मन्त्री (जिस का नाम नहीं बताया गया) विशेष रूप से सहयोगी रहे हैं। जांच से यह तथ्य सामने आए हैं। फैजाबाद रोड के निकट एक मन्दिर बाबा भूतनाथ का 'कामाख्या देवी' बना हुआ है। यह मन्दिर ग्राम बस्तौली में स्थित गाटा संख्या 301, 302, 314 व 315 पर स्थापित है। यह नम्बरान मूल खातेदारों ने दान के रूप में मन्दिर को दिए हैं जिन का विधिवत् हस्तान्तरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 313, रकबा 12 विस्वा व 316, रकबा 14 विस्वा, जो कुछ व्यक्तियों के खाते में थे, आवास विकास परिषद् द्वारा गृह निर्माण हेतु अध्याप्त किए गए थे। इन गांवों में से होकर मन्दिर के लिए रास्ता जाता था। बाबा भूतनाथ ने इस रास्ते पर मन्दिर से सम्बद्ध दुकानें बनवा ली हैं। किसी ग्राम सभा भूमि पर मन्दिर का कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है।

परिशिष्ट (क)

क्रमांक	नाम ग्राम	पट्टेदार का नाम जिनके विरुद्ध धारा 198(3) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बी0	बि0	बि0
1	2	3	4	5	6	7
1	धांवां	मोहन, पुत्र मेड़ई, निवासी ग्राम	394सं0	5	0	0
2	,,	बद्री प्रसाद, पुत्र गुरु दयाल, निवासी निशातगंज, लखनऊ।	394सं0	7	10	0
3	,,	मातादीन, पुत्र हरद्वारी मल, निवासी निशातगंज, लखनऊ।	411सं0	4	0	17
			394सं0	3	9	3
4	,,	मुवश्शिर हुसैन, पुत्र नूरुल हसन, निवासी पेपर मिल कालोनी।	420सं०	7	10	0
5	,,	अतीक अहमद, पुत्र खुरशेद अली, निवासी पेपर मिल कालोनी।	420सं0	7	10	0
6	,,	श्रीमती निखअत आरा बेगम, पुत्री सैयद रसूल, निवासी विक्टोरिया स्ट्रीट।	620सं0	7	10	0
7	,,	गंगा राम, पुत्र भोग नाथ, निवासी ग्राम	394सं0	5	0	0
8	,,	मैकू लाल, पुत्र बुद्ध राम, निवासी महानगर, लखनऊ।	420सं0	7	10	0
9	,,	राम लाल, पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी अशोक मार्ग, लखनऊ।	420सं0	7	10	0
10	,,	अजय प्रताप सिंह, पुत्र ए0पी0 सिंह, निवासी महानगर, लखनऊ।	420सं0	7	10	0
11	,,	किशोरी लाल, पुत्र बंशीधर, निवासी निशातगंज, लखनऊ।	411सं0	7	10	0
12	,,	पोहकर मल, पुत्र विश्म्भर दयाल, निवासी, निशातगंज, लखनऊ।	411सं0	7	10	0
13	,,	हुल्ला, पुत्र जुराखन, निवासी ग्राम	418सं0	5	0	0
14	,,	कृष्णपाल सिंह, पुत्र जुराखन, निवासी ग्राम।	418सं0	5	0	0

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

परिशिष्ट (ख)

अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों का विवरण जिनके विरुद्ध धारा 122-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

क्रमांक	नाम ग्राम	ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत काबिजदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बी0	बि0	बि0
1	2	3	4	5	6	7
1	धावां	सुलतान मिर्जा बेग, पुत्र यूनस मिर्जा बेग	353	3	0	0
2	,,	हरीश चन्द्र ढल, पुत्र अर्जुन दास ढल	417 मि0	6	10	0
3	,,	हरदेव, पुत्र भिल्ला ..	416	3	10	0
4	,,	मैकू, पुत्र मोती ..	176 सं0	0	10	0
5	,,	राम लाल, पुत्र बिहारी ..	413	3	0	0
6	,,	इन्दल, पुत्र गया प्रसाद ..	178 सं0	0	10	0
7	,,	बजरंग ..	194	0	10	4
8	,,	सोहन लाल व खिलावन, पुत्र रामचरन	181	6	0	0
9	,,	मुनेश्वर, पुत्र सुन्दर ..	449 सं0	6	0	0
10	,,	राम सहाय, पुत्र घनश्याम ..	416	4	0	0
11	,,	पोहकर मल, पुत्र विश्म्भर दयाल ..	430 सं0	1	10	0
12	,,	लक्षमन, पुत्र नौमी लाल ..	417 सं0	3	0	0
13	,,	हरीश चन्द्र, पुत्र नौमी लाल ..	417 सं0	2	0	0
14	,,	नन्द लाल, पुत्र नौमी लाल ..	417 सं0	1	0	0
15	,,	सुन्दर लाल श्याम लाल, पुत्र साधूराम	181	1	0	0
16	,,	राम दास दीना नाथ, पुत्र मेहरबान	153 सं0	0	10	0
			162	0	5	0
17	,,	बाबू, पुत्र राम चरन ..	168 सं0	0	2	0
18	,,	प्यारे पुत्र, ओम ..	162 सं0	0	2	0
19	,,	चोहान, पुत्र मोहन ..	163	0	3	0
			150	0	2	0
20	,,	राधे लाल, पुत्र अज्ञात ..	343 सं0	1	0	0
			237 सं0	0	15	0
21	,,	परमेश्वर, पुत्र रमन ..	237 सं0	अज्ञात		
22	,,	राम गुलाम, पुत्र गौरी ..	9 सं0	0	5	0
23	,,	बृज नारायण निगम ..	331 सं0	0	15	0
24	,,	राजा राम, पुत्र सूरज बली ..	417 सं0	1	0	0
25	,,	गंगा, पुत्र भोग नाथ ..	152	0	2	0
		..	373	0	10	0
26	,,	जुरावन, पुत्र छेदा ..	22	0	3	3

परिशिष्ट (ग)

अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों का विवरण जिनके विरुद्ध धारा 122-ख जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

क्रमांक	ग्राम नाम	ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत काबिजदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बी0	बि0	बि0
1	2	3	4	5	6	7
1	कंचनपुर मटियारी	राम सनेही व परस राम, पुत्रगण गुरुबख्श।	64	4	1	0
2	,,	पुत्ती लाल, मुन्नी लाल, पुत्र बिशाल ..	86	1	4	8
3	,,	राकेश सिंह, पुत्र राम नगीना सिंह ..	728 सं0	0	7	0
4	,,	श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पत्नी राम नगीना सिंह।	727 सं0	0	3	0
5	,	गुरुबख्श, पुत्र बेनी ..	89	0	1	0
			127 सं0	1	2	10
6	,,	परागी, पुत्र रिक्खी ..	544	1	10	0
			597	0	14	0
7	,,	दुब लाल, गुरु प्रसाद, प्रभु व चन्द्रिका पुत्रगण हीरा लाल।	223	0	2	16
8	,,	रेवती, पुत्र गिरधारी ..	207	0	2	10
9	,,	बिन्द्रा प्रसाद, पुत्र बजरंग	11	0	14	0

उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

ग्राम धांवा है जिसमें 420 नम्बर-का प्लाट है। प्लाट का नम्बर 420 है और 420 का काम भी हुआ है। मेरे पास इन्तखाब मौजूद है। जैसा आप कहते हैं कि केवल लड़के का नाम मौजूद है तो ऐसा नहीं है। वह पूरा प्लाट साढ़े सात-सात बीघे का सब मिलाकर एक ही फार्म बना हुआ है। उनके नौकर और जो दूसरी स्त्री के रूप में उसके और उनके लड़के, इन सबके नाम में एक ही फार्म है। आपने भी कबूल किया है कि एक ही पट्टा है और एक ही नम्बर है। क्या मन्त्री जी जांच करेंगे कि यह पट्टे करते समय किस तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर ने मंजूरी दी थी और क्यों दी थी? क्या उनको यह जानकारी नहीं थी कि यह मन्त्री हैं और उनके सम्बन्धी हैं? मेरे पास लखनऊ पश्चिम की वोटर लिस्ट है। इसमें यह सब नाम लिखे हुए हैं एक ही मकान में। मैं इस लिस्ट को पढ़कर आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप इन दो बातों की जांच करायेंगे कि जिन लोगों के 420 नम्बर के प्लाट पर पट्टे हुए हैं वह एक ही फार्म है? दूसरे यह कि किस तहसीलदार और एस0डी0 एम0 ने स्वीकृति दी और जब वह पट्टे हुये तो क्यों नहीं तुरन्त कार्यवाही हुई। इन बातों का पता लगाकर क्या आप उचित कार्यवाही करेंगे? फिर जितने नाम आपने दिए हैं ऐसे लोग हैं जिनको आपकी नीति के अनुरूप एक का भी पट्टा नहीं होना चाहिए? यह जो पट्टे होते हैं तो आपने कह दिया कि ग्राम समाज पट्टा करती है। ऐसे मासूम बनकर जवाब न दिया करें। हरिजन भी अगर पट्टा कराता है तो एक साल तक तहसील और कलेक्टर के यहां दौड़ते-दौड़ते उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। इनमें जिनके पट्टे हुए हैं उनमें कोई आई0 जी0 हैं। श्रीमती निर्मल गोयल है? एक साहब गोहाटी में इन्जीनियर हैं। एक हैं रामनगीना सिंह। आपने जो सर्कुलर निकाला है कि कैसे जमीन देने में प्राथमिकता देंगे उसे रात में बैठ कर पढ़ ले।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपके घर आ जाऊंगा। चाय भी पिलाइएगा और मुझे पढ़ा दीजिएगा।

श्री मधुकर दिघे—

मैं पढ़ा दूंगा। इन्होंने एक गलत बयानी भी की है। जितने गांव दिए और जिनका उल्लेख सदस्य ने अपने नोटिस में भी किया है तो इन्होंने कहा है कि ग्राम सभा भूमि पर किसी अधिकारी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा नहीं है। इस पर भी कब्जा किया है। इसी तरह से ग्राम मटियारी कंचनपुर में एक रामनगीना हैं, जिन्होंने कब्जा कर लिया है अनधिकृत इनके पास कुछ अपनी भी जमीन है। कोई जांच नहीं हो रही। इस्माईलगंज में ए0 के0 दास की पत्नी के नाम जमीन है। यह ए0 के0 दास पहले आई0 जी0 थे। मान्यवर, जब हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों को जमीन बांटने का आन्दोलन चलाया था तो इसको सरकार ने हड़पो आन्दोलन करके बदनाम किया था। अब सरकार बड़े आदमियों के लिए बांटो आन्दोलन चला रही है। ए0 के0 दास साहब की पत्नी के नाम जो जमीन है, उसके अलावा भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। वह जमीन उनके कब्जे में है, यद्यपि कागज में नहीं है। मन्त्री जी यह भी जांच करायें कि इस जमीन के अलावा भी कुछ जमीन थी जिस पर गांव सभा ने झगड़ा चलाया था, जिसपर कि उन्होंने ट्यूब वेल लगा रखा था और जब हमने सत्याग्रह चलाया, तो रातों रात ट्यूबवेल को हटाया गया; इसी तरह से सहसपुर में भूतपूर्व मुख्य सचिव के0 के0 दास की पत्नी ऊषा दास के नाम जमीन है। इन सभी लोगों ने जितनी अच्छी जमीन थी और जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही थी, सौ गुनी और दो सौ गुनी रफ्तार से उसको उसी प्रकार से ले लिया जिस प्रकार दिल्ली में इन्दिरा गांधी जी ने लिया है। इसी तरह से ग्राम समीउद्दीनपुर में इस्लाम कुरेशी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। ग्राम बस्तौली में बाबा भूतनाथ ने भी अनधिकृत कब्जा कर रखा है। वहां पर आवास विकास परिषद ने जमीन खरीदी थी। वहां पर मकान बनाना चाहते हैं। राजस्व मन्त्री ने कहा है कि केवल रास्ते के लिए जमीन लिया है।

आगे कहा गया है कि यह मन्दिर ग्राम बस्तौली में स्थित गाटा संख्या 301 302, 314 व 315 पर स्थापित है। ये नम्बरान मूल खातेदारों ने दान के रूप में मन्दिर को दिए हैं, जिनका विधिवत हस्तान्तरण नहीं हुआ। इस जमीन को आवास विकास परिषद् ने एक्वायर किया था यहां से मन्दिर को रास्ता जाता था। बाबा भूतनाथ इस रास्ते पर मन्दिर से सम्बद्ध दुकानें बनवा लीं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह जमीन गांव सभा की तो नहीं ?

श्री मधुकर दिघे---

प्रश्न यह है कि किस तरह से बड़े आदमियों ने जमीन ली। यह नहीं कि यह किसकी जमीन है। आवास विकास परिषद् ने एक्वायर किया, तो पैसा देकर किया। गोरखपुर में एक मकान को ले लिया गया। यहां जमीन को नहीं लिया जा सकता। मान्यवर, बात यह है कि मन्त्री जी कभी बाबा भूतनाथ के पास गए होंगे अपने किसी काम से या यह जानने के लिए मैं कब मन्त्री बनने वाला हूं और बाबा जी से पूछा होगा कि मैं कब मन्त्री बनने वाला हूं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैं बाबा आदि पर विश्वास नहीं करता। आप करते होंगे।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, इसी तरह से वन मन्त्री जी का मामला है। जब किसी मिनिस्टर को मालूम हो जाय कि मन्त्री जी अपने बेटे के नाम से जमीन चाहते हैं तो इन्फ्लुएन्स्ड हो गए और वन मन्त्री ने इस जमीन को नाजायज तरीके से गांव में नहीं दे सकते थे क्योंकि जमीन देने पर बदनामी आदि के झगड़े पड़ते, इसलिए उस जमीन को यहां पर दी। उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्व मन्त्री को बिना इस बात की परवाह किए कि कौन आई0जी0 है, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है अथवा मन्त्री का बेटा है उससे अविलम्ब जमीन निकाल लेना चाहिए, वर्ना 4, 5 साल भी अगर किसी के पास जमीन रह जाती है तो करोड़ों रुपये की जायदाद वह बना लेंगे। मेरा कहना यह है कि जो चार्ज मोती लाल देहलवी ने लगाये हैं उन गांवों की पुनः जांच की जाय तथा पता लगाया जाय कि किन लोगों ने गांव में जमीन खरीदी है और गांव समाज की जमीन पर अतिरिक्त कब्जा किया है ? अजीत प्रताप सिंह की फैमिली तथा परिवार के जो लोग हैं और उनके जो पुत्र हैं उनकी जमीन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी कीजिए आया वह एक फार्म के रूप में है या नहीं ? और उन सब पट्टों को खारिज करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मैं किस बात का जवाब दूं ? माननीय सदस्य ने भाषण दिया है। कोई प्रश्न तो पूछा नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मैं सामन्तवादी युग का एक उदाहरण देना चाहता हूं बीका नरेश के राज्य में डाका जी एक बहुत बड़ा आदमी था। उसने किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया और बीका नरेश ने उसे उस गरीब के हक में बेदखल कर दिया....

श्री अध्यक्ष---

यह किस्सा सभी जानते हैं....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

राजस्व मन्त्री ने समस्त विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों को एक पत्र लिखा था 12 मार्च, 1975 को और उसमें जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 का उद्धरण दिया था तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जो पत्र लिखा था और उसके साथ जिस कानून को उद्धरण दिया था उसको देखने से स्पष्ट हो गया कि सारी जमीन को दबाने के मामले में मन्त्रि-परिषद के परिवार के लोग सम्मिलित हैं तो उसके सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पत्र पढ़ दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दिनांक 12 मार्च, 1975 का पत्र है । सारांश यह है कि इस बात पर बल दिया गया कि आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को तथा खेतिहर मजदूरों को दी जाएगी ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रायरिटी तो सही है । ये पट्टे 1971-72 के हैं और यह सही है कि वे नाजायज पट्टे हैं । अब एक फार्म है, दो फार्म हैं । धावा गांव के बारे में 14 पट्टे हुए हैं और सबकी बेदखली की कार्यवाही हो रही है । डिप्टी मिनिस्टर जगन्नाथ प्रसाद जी थे, माननीय कमलापति त्रिपाठी जब मुख्य मन्त्री थे उन्हीं के वक्त से यह शिकायत थी । इस पर मुकदमा चल रहा है । जो 420 नम्बर का दर्ज है उसमें 7 बीघे हैं । 420 नम्बर वाला जो है वह पूरा फार्म है । तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं । उसमें लिखा है मुसब्बर हुसैन, पुत्र नूरूल हसन । यह धावा का है । कौन किसका नौकर है, कौन किसकी औरत है, यह कैसे बतायें । हमको तो सिर्फ जमीन से मतलब है । अगर माननीय सदस्य को मालूम हो कि किसका कौन क्या है तो वे बतावें । अगर हम किसी को भेजें किसी की औरत किसी को बता दे तो उल्टे डिफेमेशन का केस बना देगा .....

श्री मधुकर दिघे--

जो पट्टे हुए हैं उस पर बेदखली की कार्यवाही किस मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से हो रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय मन्त्री जी का इलेक्शन पिटीशन चल रहा है इसलिए वे संसदीय भाषा का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं .....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, उपरोक्त अनियमितताओं के लिए जगन्नाथ प्रसाद लेखपाल, श्री इकबाल बहादुर, पर्यवेक्षक कानूनगो, श्री ए० के० दीक्षित तथा श्री शम्भुशंकर श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार तथा श्रीमती उमा पिल्लपी परगना अधिकारी दोषी पाए गए । इनमें जगन्नाथ प्रसाद को निलम्बित कर दिया गया है। उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही चल रही है, श्री इकबाल बहादुर को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त किया गया है और ये जो उमा पिल्लपी परगनाधिकारी जो हैं इनके खिलाफ विभाग को लिखा गया है उसके उपरान्त चार्जशीट करके कार्यवाही की जाएगी ।

थानाध्यक्ष रामकोला जिला देवरिया द्वारा मुनीब पुत्र देवराज निवासी ग्राम बड़हरा बाबू एवं हरिजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार किये जाने से हरिजनों में व्याप्त क्षोभ के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष रामकोला देवरिया द्वारा मुनीब, पुत्र देवराज निवासी ग्राम बड़हरा बाबू, थाना, रामकोला से दिनांक 12 जनवरी 1975 को पान मंगाकर खाये जाने और बाद में यह ज्ञात होने पर कि पान लाने वाला व्यक्ति चमार है थानाध्यक्ष द्वारा पान उगल दिए जाने और मुनीब की पिटाई किए जाने के कथित आरोप के सम्बन्ध में मुनीब ने एक इस्तगासा न्यायालय में दायर किया है जो वहां विचाराधीन है। इस्तगासे में निर्णय होने पर ही इस आरोप के बारे में वास्तविकता का पता चल सकेगा।

मन्डल कांग्रेस कमेटी (संगठन) रामकोला, देवरिया की ओर से दिनांक 15 मार्च, 1975 को थाने के समक्ष प्रदर्शन करने का आयोजन था। दिनांक 15 मार्च, 1975 को श्री हरि शंकर उर्फ तहसीलदार श्रीवास्तव ने थाना रामकोला पर उन्हें, श्री तेज सिंह, विधायक व ढेला प्रसाद हरिजन को मारे-पीटे जाने, तिरंगा झंडा व पर्चे छीन लिए जाने की लिखित रिपोर्ट लाल बहादुर गोविन्द राव व सात अन्य नामजद व 20-25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखाई। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 395/342 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त उपरोक्त आठों नामजद अभियुक्तों का चालान धारा 147/323/426/342 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत किया जा चुका है। विवेचना से और कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया। अभियुक्तों में थानाध्यक्ष, रामकोला का कोई रिश्तेदार होना नहीं पाया गया।

थानाध्यक्ष रामकोला एवं पुलिस कर्मचारियों द्वारा हरिजनों के प्रति ज्यादती किए जाने और श्री तेज सिंह विधायक के साथी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा जान माल की धमकी दिए जाने की बात सूचनानुसार सही नहीं है।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, राम कोला थाने में मेरी समझ में यह आया है कि वहां पर जो दरोगा हैं उनकी इज्जत अफजाई वहां के जो डी0एस0पी0 हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, कर रहे हैं। वहां पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब थाने में न्याय मिलने के लिए रिपोर्ट लिखवाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए वहां पर प्रदर्शन की तैयारी की गई और पार्टी की तरफ से प्रदर्शन की योजना हुई जो कि मन्त्री जी ने भी माना है। उस प्रदर्शन पर बुरी तरह से वार किया गया। उसकी सूचना एस0डी0एम0 और डी0 एस0 पी0 को दे दी गई। इसलिए चारों तरफ से पुलिस को बुला लिया। मैजिस्ट्रेट महोदय थाने में मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और पार्टी के झंडे छीन लिए गए।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें, भाषण नहीं।

श्री तेज सिंह---

तो उस दरोगा के खिलाफ मन्त्री महोदय ने कोई कार्यवाही की। जो डी0 एस0पी0 हैं। वह उनके रिश्तेदार हैं उनकी शह पर यह काम कर रहे हैं तो क्या आप इन दोनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। क्या उनको वहां इसलिए भेजा गया है कि वह हरिजनों की पिटाई करें और अपने रिश्तेदारों की इज्जत अफजाई करें? यदि नहीं, तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? जब उनके विरुद्ध इनक्वायरी हो रही है तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है कि रिश्तेदारी का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो मैं नहीं कह सकता। झगड़ा जो है कोई गुन्डा बुला कर या रिश्तेदारों के कारण नहीं हुआ बल्कि वह इसलिए हुआ कि वहां पर कोई लाल बहादुर राय कोई छात्र हैं उनके नाम कोई पर्चा छाप दिया गया जिससे उनके जो साथी छात्र थे उनसे नाराजी हो गई और उससे क्षोभ हुआ और प्रदर्शन किया और छात्रों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। वह बाद में जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। इस पर कार्यवाही नियम के अनुसार हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है अब इस पर कोई सवाल नहीं है।

अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को बिजली की सप्लाई बन्द करने से कानपुर के विभिन्न उद्योगों के मजदूरों की बेकारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

8 अप्रैल, 1975 को सभी (आवश्यक उद्योगों जैसे आटा चक्की, सुरक्षा प्रतिष्ठान आदि को छोड़कर) अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को बिजली देना बन्द करना पड़ा था परन्तु अब इन उद्योगों के लिए 14 अप्रैल, 1975 से पुन: बिजली देना चालू कर दिया गया है। इन उद्योगों को एक लम्बे समय से लगातार रात्रि में विद्युत् मिलने के कारण इनके श्रमिकों को रात में काम करने से बड़ी असुविधा हो रही थी। यह हर्ष की बात है कि इनको अब दिन में बिजली प्रात: 10 से सायं 7 तक दी जाने की व्यवस्था की गई है।

8 अप्रैल, 1975 से अविरल प्रक्रिया वाले उद्योग (जिनमें कपड़ा व जूट मिलें भी शामिल थीं) को बिजली बन्द करने का निर्णय केवल अल्प काल के लिए लिया गया था जोकि विद्युत् उपलब्धि में कमी और मांग में बढ़ोत्तरी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए लेना पड़ा था। बिजली की उपलब्धता ओबरा में मशीन नम्बर 7 के सुपरहीटर ट्यूब में लीकेज के कारण कम हो गई थी। दूसरी ओर हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट की परीक्षायें प्रारम्भ होने के कारण शहरों में चल रही दो व चार घंटे की कटौती भी बन्द करनी पड़ गई। साथ ही तापमान बढ़ने से पंखों, आइस फैक्टरी, कूलर आदि का भार भी बढ़ गया, भार बढ़ने तथा उपलब्धता में कमी के कारण विवश होकर उपरोक्त अप्रिय कदम उठाना पड़ा था। ओबरा की मशीन पर रात दिन लगातार काम किया गया जिसके फलस्वरूप यह मशीन 12 अप्रैल, 1975 को चालू कर दी गई और अनाविरल उद्योगों के लिए बिजली 6 दिन में चालू कर दी गई जब की यह 7 दिन के लिए बन्द की गई थी।

जहां तक सभी उद्योगों को पूर्ण समय तक बिजली देने का प्रश्न है यह विद्युत वितरण, विद्युत् उपलब्धता एवं उसकी मांग पर निर्भर करता है। उद्योगों को विद्युत् उनकी प्राथमिकता देखते हुए दी जाती है। वितरण प्रणाली पर कड़ी निगाह रखी जाती है और समय-समय पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। जैसे ही सम्भव होगा वैसे ही उद्योगों को पूर्ण बिजली देने का प्रबन्ध किया जाएगा।

राज्य विद्युत् परिषद् की कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के लिए परिषद् का सितम्बर, 1974 के अन्त में पुनर्गठन किया गया और अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1975 तक 6 महीनों में राज्य विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् गृहों से 2503 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हुई जबकी इन्हीं 6 महीनों में एक वर्ष पूर्व अक्तूबर, 1973 से मार्च, 1974 तक 2001 मिलियन यूनिट उपलब्ध हुए अर्थात् 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1975 तक के 2503 मिलियन यूनिट में 87 मिलियन यूनिट ओबरा में 100 मैगावाट की नई

मशीन से प्राप्त हुए जो कि पिछले वर्ष चालू नहीं थी। इस प्रकार केवल पुरानी मशीनों से ही 2406 मिलियन यूनिट प्राप्त हुए जब की अक्तूबर, 1973 से मार्च, 1974 तक इन्हीं मशीनों से 2001 मिलियन यूनिट प्राप्त हुए अत: उन्हीं मशीनों से 20 प्रतिशत अधिक बिजली प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट है कि राज्य विद्युत् परिषद् की कार्य क्षमता और दक्षता में सुधार हुआ है। तापीय विद्युत गृहों से विद्युत् उत्पादन में वृद्धि का असर उपभोक्ताओं पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ सका क्योंकि रिहन्द जलाशय में इस वर्ष लगभग औसत का 50 प्रतिशत ही पानी आया और पिछले वर्ष के मुकाबले 60 प्रतिशत ही पानी आया। रिहन्द और ओबरा हाइडिल से विद्युत उत्पादन में इन्हीं 6 महीनों में गत वर्ष की अपेक्षा 15 प्रतिशत की कमी रही। इस वर्ष मध्य प्रदेश से भी बिजली नहीं मिल सकी क्योंकि वहां पर स्वयं भारी कमी हो गई है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी (जिन पर विद्युत् परिषद् का नियन्त्रण नहीं है) इन्हीं 6 महीनों में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 14 प्रतिशत अधिक बिजली उपलब्ध रही। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 24 प्रतिशत अधिक बिजली उपलब्ध कराई जा सकी। कहीं-कहीं पर ट्रान्सफारमर ओवर लोडिंग अथवा स्थानीय ब्रेक डाउन के कारण कभी-कभी निर्धारित समय में विघ्न पड़ जाता है। ट्रान्सफार्मर क्षमता को बढ़ाने के लिए इस वर्ष विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। जहां नलकूपों के ट्रान्सफारमर खराब हैं या जल गए हैं उनको भी लगाने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रमिकों को उद्योग बन्द होने से अवश्य कुछ कठिनाई रही लेकिन यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा था।

अगले जायद और खरीफ की बुवाई के लिए पानी न मिलने की आशंका उचित नहीं है क्योंकि 180 मेगावाट के छिबरों विद्युत् गृह और 10 मेगावाट के कुलाहल विद्युत् गृह में मशीनों के लगाने का काम पूरा हो गया है। कुलाहल विद्युत् गृह की 10 मेगावाट की मशीन 11 अप्रैल, 1975 से चालू कर दी गई है। छिबरो विद्युत् गृह की सुरंग में पानी छोड़ दिया गया है तथा मशीनों को चालू कर अन्तिम परीक्षण किया जा रहा है। आशा है इस मास के अंत तक उत्पादन होने लगेगा।

उत्पादन और आयात के आंकड़े तथा जिस प्रकार से नलकूपों को विद्युत् आपूर्ति की गई, संलग्न हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित विद्युत्-वितरण

मास	औसत निर्धारित समय	मास	औसत निर्धारित समय
	प्रतिदिन		प्रतिदिन
अक्तूबर, 73	12 घंटे	अक्तूबर, 74	7 घंटे 24 मिनट
नवम्बर, 73	14 घंटे 30 मिनट	नवम्बर, 74	13 घंटे 33 मिनट
दिसम्बर, 73	17 घंटे 29 मिनट	दिसम्बर, 74	16 घंटे 31 मिनट
जनवरी, 74	8 घंटे 20 मिनट	जनवरी, 75	15 घंटे 40 मिनट
फरवरी, 74	5 घंटे 30 मिनट	फरवरी, 75	12 घंटे 07 मिनट
मार्च, 74	3 घंटे 57 मिनट	मार्च, 75	10 घंटे 45 मिनट
औसत प्रतिदिन	12 घंटे 18 मिनट		12 घंटे 40 मिनट
वृद्धि प्रतिदिन			14 घंटे 14 मिनट 2 घंटे 22 मिनट
प्रतिशत वृद्धि	23.5 अर्थात् लगभग 24 प्रतिशत		

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

COMPARATIVE FIGURES OF U. P. S. E. B. GENERATION AND IMPORTS IN M. U.

73-74 & 74-75 later six months

Name of power Station	1+0.73 to 31-3-74	1-10-74 to 31-3-75	%(4)/(3)				%Increase in 74-75 later six months
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rihand		296.884	246.471	83.019				
Obra (H)		117.791	102.573	87.080				
Rihand+Obra (H)		414.675	349.044	84.173				
Other Hydel		411.722	443.508	107.720				
Total Hydel		826.397	792.552	95.904				
Obra (Thermal)		672.652	682.634	101.484				
Obra (Th) Ext-1 unit 1		157.522	326.685	207.390				
Obra (Th) Ext-1 unit ZI		—	97.107	—				
Harduaganj (Hdj) 'A'		160.002	190.048	118.776				
Harduaganj 'B'		403.180	532.715	132.126				
Panki		201.236	830.956	114.769				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R.P.H. (Kanpur)	179.923	171.589	95.368	
Sarsil Thermal	266.725	271.636	119.809	
Total Thermal	2001.248	2503.371	125.090	25%
Total Th-Obra unit-7	2001.248	2406.254	180.238	20%
Total Th-Obra unit-6+7	1843.726	2079.579	112.792	
Total UPSEB (Th+H)	2827.645	3295.923	116.561	
Imports 1 Bihar/DVC	87.748	241.209	274.888	
2 Badarpur	221.780	186.449	84.069	
3 M.P.	122.569	—	—	
4 Rajasthan	8.887	—	—	
Total Import	440.984	427.652	96.978	
Total UPSEB+Import	3268.629	3723.581	113.919	14%

Figures for 74-75 are tentative

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह जो बिजली वाला वक्तव्य है इस पर जो आज बिजली का बजट जो था उसमें चर्चा हो गई है। अब तो इसमें कोई बात नहीं रह जाती है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमाओं के विषय में न्यायाधिकरण एवं निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

यह जो उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा के विषय में न्यायाधिकरण एवं निर्णय के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल कपूर द्वारा दी गई सूचना पर राजस्व मन्त्री जी का वक्तव्य है यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय आप इस पर प्रश्न कर लें।

[राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

पंजाब (अब हरियाणा) तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफी पुराना है। इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा यमुना नदी की गहरी धारा बनाती थी। सन् 1933 में प्रयास किया गया कि इस सीमा के कुछ अंश को स्थायी सीमा में बदल दिया जाय और इस हेतु भारत सरकार, गृह-मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर, 1933 प्रसारित की गई। इस अधिसूचना का संशोधन दिनांक 12 दिसम्बर, 1934 द्वारा किया गया जिसमें 1933 की अधिसूचना में उल्लिखित ग्रामों की सीमा का सीमांकन होने तक हरियाणा (तब पंजाब) के जिले गुड़गांव तथा उत्तर प्रदेश के जिले बुलन्दशहर के बीच यमुना की गहरी धारा सीमा निश्चित की गयी। इस अधिसूचना के पश्चात् कोई दूसरी अधिसूचना अभी भारत सरकार द्वारा नहीं जारी की गई है। अत: अभी तक दोनों प्रदेशों के बीच यमुना की गहरी धारा ही सीमा बनाती रही है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ और मथुरा तथा हरियाणा के जिला अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव के बीच कुछ स्थानों में (अम्बाला व कुरुक्षेत्र और सहारनपुर के बीच तथा मथुरा व गुड़गांव के बीच) सीमा स्थायी है और शेष स्थानों में यमुना नदी की गहरी धारा सीमा बनाती है। यमुना नदी की धारा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दोनों राज्यों के सीमावर्ती ग्रामों में, विशेषकर गुड़गांव तथा बुलन्दशहर के ग्रामों में, भूमि सम्बन्धी विवाद होते रहे हैं। जिला बुलन्दशहर के उत्तरी क्षेत्र (तहसील सिकन्दराबाद) तथा दक्षिणी क्षेत्र (तहसील खुर्जा) और जिला गुड़गांव के बीच यमुना नदी की गहरी धारा सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में स्थायी सीमा निर्धारण करने के सम्बन्ध में जिला गुड़गांव व बुलन्दशहर के तत्कालीन जिलाधिकारियों के बीच वर्ष 1943 में एक समझौता (अख्तर हुसैन-हार्डी रिपोर्ट, 1943) हुआ था जिसको दोनों राज्य सरकारों ने मान भी लिया था। किन्तु इस समझौते पर कार्यान्वियत विधिक रूप से नहीं हो पाया। इस बीच यमुना नदी की धारा में वर्ष 1964 से काफी परिवर्तन हो गया तथा दक्षिणी क्षेत्र (तहसील खुर्जा) में ग्राम मेंहदीपुर से झुप्पा तक यमुना नदी अपनी पुरानी धारा को छोड़कर हरियाणा की ओर उस धारा में बहने लगी जिसे हरियाणा सरकार नहर नाला के नाम से पुकारती है। इसके फलस्वरूप हरियाणा के 12 ग्राम पूर्णरूप से तथा कुछ आंशिक रूप से उत्तर

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश की ओर आ गए और उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने गांवों का क्षेत्रफल फिर उत्तर प्रदेश में आ गया। अत: यमुना नदी की बदली हुई धारा के आधार पर सीमा पुष्टीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसे हरियाणा सरकार ने नहीं माना। हरियाणा सरकार ने नदी की पुरानी धारा जो सूख गई है को ही यमुना की धारा बताया। मामले का हल निकालने के लिए दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों, केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधिकारियों एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

अन्तत: 17 मई, 1974 को केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली में तत्कालीन गृह मन्त्री श्री उमा शंकर दीक्षित की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच समस्त परिवर्तनशील सीमा को स्थायी सीमा में परिणित करने का मामला दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा श्री दीक्षित को मध्यस्थता करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया। मध्यस्थ द्वारा उनकी ओर से मामले की सुनवाई करने के लिए केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के सलाहकार श्री के0 बी0 के० सुन्दरम् को नियुक्त किया गया। दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने मामले केन्द्रीय गृह मन्त्रालय को प्रस्तुत किए गए और अधिकारियों द्वारा बैठकों में भाग भी लिया गया।

उत्तर प्रदेश की ओर से इस बात पर बराबर जोर दिया गया था कि दोनों राज्यों के बीच यमुना नदी की गहरी धारा सीमा बनाती है अत: वर्ष 1971-72 अथवा वर्तमान गहरी धारा के आधार पर समस्त परिवर्तनशील सीमा को स्थायी सीमा में परिणित कर दिया जाय।

मध्यस्थ द्वारा मामले में दिनांक 14 फरवरी, 1975 को दिया गया निर्णय केन्द्रीय गृह मन्त्रालय से इस प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गया है जिसकी प्रतिलिपि सदन के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 1975 को रखी जा चुकी है।

मध्यस्थ के निर्णयानुसार—

1—उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व अलीगढ़ तथा हरियाणा के जिला करनाल, सोनीपत और गुड़गांव के बीच यमुना नदी के वर्ष 1974-75 की गहरी धारा, जिसका सत्यापन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से कराया गया है के अनुसार स्थायी सीमा निर्धारित की जाएगी।

2—बुलन्दशहर और गुड़गांव के बीच, गुड गांव के बन्दोबस्त 1943 के आधार पर निर्दिष्ट सीमावर्ती ग्रामों की सीमा के सन्दर्भ में तथा सर्वे आफ इन्डिया द्वारा जनवरी, 1975 में सत्यापित की गयी वर्ष 1971-72 की यमुना की गहरी धारा के आधार पर स्थायी सीमा निर्धारित की जाएगी। चूंकि मध्यस्थ के निर्णय में हरियाणा के ग्रामों की सीमा का उल्लेख किया गया है और सम्बन्धित नक्शे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, अत: इस क्षेत्र में निर्धारित सीमा स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार से सम्बन्धित नक्शे मांगे गए हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मोटे तौर पर इस क्षेत्र में मकनपुर के उत्तर में मध्यस्थ द्वारा वर्ष 1943 में उपर्युक्त समझौते के आधार पर मानकर ही निर्णय लिया गया है। इसके दक्षिण में पुरानी धारा पर ही सीमा निश्चित की गयी है यद्यपि वह अब सूख गयी है और यमुना काफी पश्चिम में बह रही है जिसे हरियाणा सरकार नहर नाला के नाम से पुकारती है।]

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इतना लम्बा वक्तव्य दे दिया लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार ने क्या रूख अपनाया है? अभी तक इस निर्णय में हरियाणा को कुछ ग्रामों का देने का उल्लेख किया गया है और नक्शा नहीं आया है परन्तु हरियाणा ने सीमा बन्दी शुरू कर दी है। क्या आपको इसका पता है और क्या आप इस कार्यवाही को रोकेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, एवार्ड को रोकने का प्रश्न नहीं उठता है और हरियाणा ने सीमाबन्दी शुरू कर दी है इसकी सूचना नहीं है। नक्शा मंगाया गया है।

श्री मोहन लाल कपूर--

क्या मन्त्री जी इसको सच मान कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इसमें क्या कार्यवाही की जाएगी ? फैसला मानना पड़ेगा।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, कानपुर का मैंने पहले दिया था पता नहीं उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

जवाब नहीं आया होगा।

श्री सन्त सिंह युसूफ--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। हमने पहले दिया था वह न जाने कहां गया। बाद वाले का पहले जवाब आ गया।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का सीमा विवाद है। इसमें जनता को धोखे में रखा गया है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से माननीय उमाशंकर जी दीक्षित इसके मध्यस्थ बने हैं और आर्बीट्रेशन ऐक्ट में यह प्राविधान है कि इसमें काफी गवाह और सबूत लिये जाने चाहिए थे। लेकिन नदी की गहरी धारा को ही सिद्धान्त माना गया है जिससे 16 गांव हमारे निकल गए और खुर्जा तहसील में चार गांव मिले थे। लेकिन उनकी जमीन उधर चली गई। जब जमीन ही इधर नहीं रही तो कोई वहां रह कर क्या करेगा ? ऐसी स्थिति में हमारा सवाल है कि क्या मन्त्री जी इस इल्लीगल एवार्ड को लेकर कोर्ट में जायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मन्त्री जी इसको गहराई से नहीं सोच रहे हैं। एक-एक इंच भूमि के लिए खून की नदियां बह गई हैं। यहां तो तमाम किसानों की बात है।

श्री अध्यक्ष--

आप सिद्धान्त बताते हैं, शिक्षा देते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, इन्हें कथा बांचने की आदत है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, क्या इस प्रश्न को लेकर माननीय मन्त्री जी प्रदेश की दस करोड़ की जनता के मामले को न्यायालय में ले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह जवाब दे चुके हैं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी दीक्षित को मध्यस्थ माना गया है और सुन्दरम को नहीं माना गया है। यह निर्णय उनके ही द्वारा दिया हुआ है। उमाशंकर जी दीक्षित के केवल हस्ताक्षर हैं। सुन्दरम ने आम जनता को ही सुना है। ऐसी हालत में क्या मंत्री जी अपने प्रदेश के किसानों और रेवेन्यू को बचाने के लिये अदालत की शरण में जायेंगे? इसमें पुनः दीक्षित जी से प्रार्थना की जाए। यह जो नदी की गहरी धारा के सिद्धान्त को मान कर चलें हैं तो इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर में हमारे कई गांव निकल गए हैं। तहसील खुर्जा में नदी की गहरी धारा को सिद्धान्त न मान कर सूखी जमीन को माना है इससे जो हमको 16 गांव मिलने वाले थे वह नहीं मिले। केवल चार गांव मिले हैं लेकिन उनकी जमीन उधर चली गई है लेकिन जो जमीन जमुना के इधर आ चुकी है, उन गांवों की वह जमीन अब हरियाणा की बन्दोबस्त 43 हरियाणा का हवाला देकर, वह जमीन हरियाणा को दी गई है, ऐसी हालत में 4 गांव इधर रह गए हैं और 4 गांव उधर रह गए हैं। मान्यवर, अलीगढ़ के गांव में जजमेन्ट हुआ और इन्दिरा जी के हुक्म से जमीन मिली, ऐसी हालत में क्या इस प्रदेश की हिफाजत के लिए कर्तव्य होता है कि इस विधान सभा के पटल पर वह निर्णय आए और उस पर खेद प्रकट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 28 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 29 मिनट पर सोमवार, 28 अप्रैल, 1975 के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
25 अप्रैल, 1975।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 773 पर]

प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रमांक	नं0 खेत	अनधिकारी काबिज व्यक्ति का नाम व निवास स्थान		रकबा		
1	2	3		4		
1	1	कुशेहर, पुत्र देवीदयाल,	रामनिहालपुर	2	0	0
2	2	जगरानी, स्त्री देवीदयाल	,,	2	0	0
3	3	मुन्नी लाल, पुत्र मुन्नू	,,	5	0	0
4	4	तपेश्वरी, पुत्र भग्गई	,,	2	10	0
5	5	राम प्रसाद, पुत्र निहाल	,,	2	10	0
6	6	सुन्दरलाल, पुत्र निहाल	,,	2	10	0
7	7	मु0 रकमिन, बेवा निहाल	,,	2	10	0
8	8	विमल कुमारी, पुत्र निहाल	,,	2	10	0
9	9	बाबूलाल, पुत्र निहाल	,,	2	10	0
10	10	सुन्दर, पुत्र सरजू	,,	5	0	0
11	11	गंगाप्रसाद, पुत्र नन्हकू	,,	5	0	0
12	12	हरीशंकर, पुत्र बाले	,,	5	0	0
13	13	मोती लाल, पुत्र गंगा प्रसाद	,,	5	0	0
14	30/1	मोती लाल, पुत्र हरीलाल	,,	2	0	0
15	15	घसीटे, पुत्र रामा	,,	2	0	0
16	16	भगवानदीन, पुत्र रामा	,,	2	0	0
17	17	मैकू, पुत्र मुल्ला	,,	6	0	0
18	18	मैकू, पुत्र लग्गड़े	,,	5	0	0
19	19	बच्चन, पुत्र मैकू	,,	5	0	0
20	20	जवाहर, पुत्र रामदीन	,,	4	0	0
21	21	बाबूलाल, पुत्र रामदीन	,,	4	0	0
22	22	मोती लाल, पुत्र रामदीन	,,	4	0	0
23	23	रामलाल, पुत्र मुल्ला	,,	5	0	0
24	24	बाबूशंकर, पुत्र रामलाल	,,	5	0	0
25	25	बदलू, पुत्र गजोधर	,,	5	0	0
26	26	बद्री, पुत्र मन्नी	,,	5	0	0
27	27	लल्लन प्रसाद, पुत्र शिवनाथ	,,	4	0	0
28	28	जंगली, पुत्र कुंजी	,,	10	0	0
29	29	मोहनलाल, पुत्र द्वारिका प्रसाद	,,	3	0	0
30	30/2	फुलवासा, बेवा फत्ते	,,	10	0	0
31	31	राजाराम, पुत्र फत्ते	,,	2	0	0
32	32	सम्पत्ति, पुत्र बेचू	,,	2	0	0
33	33	नरायन, पुत्र टीका	,,	5	0	0

विधान सभा सचिवालय

1	2	3		4		
34	34	देवी, पुत्र पूसे	राम निहालपुर	2	7	0
35	35	रामसरन, पुत्र मुन्नू	,,	5	0	0
36	36	रामश्री स्त्री देवी गुलाम	,,	5	0	0
37	37	कृष्ण कुमार, पुत्र जवाहर	,,	2	10	0
38	38	मोती लाल, पुत्र हीरालाल	,,	2	0	0
39	39	मन्नू लाल पुत्र मन्ना	,,	2	10	0
40	40	डोरी पुत्र बिहारी	,,	2	0	0
41	41	देवीगुलाम, पुत्र बिहारी	,,	5	0	0
42	42	रामकुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद	,,	6	0	0
43	43	रकीमन, जौजे मैकू	,,	5	0	0
44	44	सूरजबली, पुत्र छेद्दू	,,	4	0	0
45	45	रामबली, पुत्र छेद्दू	,,	2	0	0
46	46	प्यारे लाल, पुत्र मंगली	सकिन परमिट	2	0	0
47	47	जगंली पुत्र गंगू	,,	1	10	0
48	48	कन्हैया लाल, पुत्र चिरंजुलाल	,,	2	0	0
49	49	बुध्वा, पुत्र पुन्नालाल	,,	2	0	0
50	50	महाबीर पुत्र चन्दन	,,	1	0	0
51	51	मुन्नी लाल, पुत्र शिवदयाल	,,	2	0	0
52	52	रामदीन, पुत्र गुरूदीन	,,	2	0	0
53	53	सुन्दर, पुत्र गुरूदीन	,,	1	0	0
54	54	गुरूदीन, पुत्र चिरंजीलाल	,,	2	0	0
55	55	दुर्गा, पुत्र कन्धई	,,	2	0	0
56	56	सूरज मिश्रा, पुत्र गंगाचरन	,,	1	0	0
57	57	शिवप्रसाद, पुत्र खरगो	,,	1	0	0
58	58	गंगा, पुत्र खरगी	,,	2	0	0
59	59	सिद्धे, पुत्र गंगू	,,	0	10	0
60	60	होरी लाल, पुत्र गंगाचरन	,,	0	10	0
61	61	गोपाल पन्डा, पुत्र राजाराम	,,	1	10	0
62	62	झम्मन, पुत्र भा ऊ	,,	0	10	0
63	63	द्वारिका, पुत्र तुलसी	,,	1	0	0
64	64	विन्देश्वरी, स्त्री भाऊ	,,	1	0	0
65	65	हीरा, पुत्र जोधा	,,	0	10	0
66	66	मथुरा पुत्र भीखा	साकिन राम निहालपुर	0	10	0
67	67	श्रीराम पुत्र मोहकम	,,	0	10	0
68	68	बाबूलाल पुत्र तुलसी	,,	0	15	0
69	69	गंगू पुत्र कुन्चा	,,	0	10	0
70	70	छोटा, पुत्र बन्दी कुन्जी, पुत्र मैकू	13/24 परमट	1	0	0
71	71/1	गणेश, पुत्र तुरई	,,	2	0	0
72	71/2	बसन्त पुत्र जियालाल	,,	1	0	0
73	72	रामनरायन, पुत्र लाला	,,	1	0	0
74	73	सुन्दर, पुत्र मोहकम	,,	1	0	0

1	2	3		4		
75	74	प्रताप, पुत्र तरई	13/24 परमट	1	0	0
76	75	सगम, पुत्र राम चरन	,,	1	0	0
77	76	ब्रह्मदत्त मिश्र, पुत्रऋषीचरन	,,	4	10	0
78	77	कन्हैया लाल, पुत्र सद्धनलाल	,,	5	0	0
79	78	बाबूलाल, पुत्र तुलसी	,,	1	0	0
80	79	सुक्खू, पुत्र गंगा दीन	,,	1	0	0
81	80	सुन्दर, पुत्र मोहकम	,,	0	10	0
82	81	छोटा, पुत्र दीना	,,	0	15	0
83	82	सुक्खू, पुत्र गंगादीन	,,	1	0	0
84	83	श्रीराम, पुत्र मोहकम	,,	0	15	0
85	84	प्रेम पुत्र, कल्लू	,,	2	0	0
86	85	द्वारिका, पुत्र तुलसी	,,	1	0	0
87	86	धनी राम, पुत्र ललतू	,,	1	0	0
88	87	शीतला, पुत्र भाऊ	,,	1	0	0
89	88	श्रीपाल, पुत्र कछिया	,,	1	0	0
90	89	गंगू, पुत्र कुच्चा	,,	1	0	0
91	90	प्रताप, पुत्र तरई	,,	1	0	0
92	91	मथुरा, पुत्र भीखा	,,	1	0	0
93	92	बरसाती, पुत्र महादेव	,,	1	0	0
94	93	रामसुख, पुत्र सरजू	,,	1	0	0
95	94	राधे; पुत्र द्वारिका	साकिन 13/24 परमट।	1	0	0
96	95	विन्देश्वरी, स्त्री भाऊ	,,	1	0	0
97	96	रमेश, पुत्र गनेश	,,	0	10	0
98	97	मैकू, पुत्र जियालाल	निवासी परमट	1	0	0
99	98	छोटे लाल, पुत्र दीना	,,	1	0	0
100	99/1	गनेश दत्त, पुत्र रविदत्त	विनासी सिविल लाइन	5	0	0
101	99/2	बरसाती, पुत्र हरगोपाल	,,	5	0	0
102	99/3	राम किशुन, पुत्र शिवपूजन	,,	5	0	0
103	99/4	सुन्दर, पुत्र अनन्तू	,,	5	0	0
104	100	तेज नरायन, पुत्र रामकृष्ण	निवासी परमट	2	0	0
105	101	मनउवा, पुत्र जमुना प्रसाद	निवासी सरसैया घाट	2	10	0
106	102	राम किशुन, पुत्र जमुना प्रसाद	,,	4	0	0
107	103	पुलिस लाईन	,,	24	0	0
108	104	नन्दू, पुत्र नारायन	निवासी चौक कानपुर	2	15	0
109	105/1	जगदीश, पुत्र राजरानी	निवासी सिविल लाइन	5	0	0
110	105/2	प्रदीप, पुत्र करनदेव	,,	3	12	0
111	106	ब्रजेन्द्र, पुत्र एस० एन० मिश्रा	,,	10	0	0
112	107	सुरेन्द्र, पुत्र ,,	,,	9	16	0
113	108	महन्त ओंकार सिंह	निवासी बाबव घाट	5	13	0

विधान सभा

1	2	3	4	5
114	109	राम फेर सिंह पुत्र चोहराज सिंह	11/285 जाजमऊ	5–0–0
115	110	राम सरन सिंह पुत्र चोहराज सिंह	,,	5–0–0
116	111	महादेव सिंह पुत्र चोहराज सिंह	,,	4–5–0
117	112	भृगुदत्त पुत्र ऋषीचरन	परमट	2–6–0
118	113	जयशंकर पुत्र शिवकुमार	,,	5–0–0
119	114	गुर दत्त पुत्र ऋषीचरन	,,	5–0–0
120	115	गंगा पुत्र बद्री	13/20 परमट	2–0–0
121	116	कन्हई गुरुदीन पुत्र चिरंजीलाल, रमेश पुत्र गनेश।	,,	4–8–0
122	117	शिवनाथ पुत्र जीवन	11/6-ए अस्पताल घाट	5–0–0
123	118	शिवशंकर पुत्र राधेलाल	नि0 बंगाली मुहाल	4–0–0
124	119	मन्नू पुत्र बड़कऊ निवासी	नि0 सरसैया घाट,	2–0–0
125	120	रसूल बक्श पुत्र मजरूल	11/30 ग्वालटोली	4–18–0
126	121	साधु पुत्र भगोले	नि0 अस्पताल घाट	7–0––0
127	122/1	द्वारिका पुत्र काशी ,,	,,	10–0–0
128	122/2	रामस्वरुप पुत्र काशी, रामलखन पुत्र द्वारिका।	,,	4–0–0
129	123/1	हनीफ (एलगिन के क्वार्टरों में सूटर गंज)।	,,	1–10–0
130	123/2	बृज पाण्डे ,,	,,	1–10–0
131	123/3	रईस अहमद ,,	,,	1–10–0
132	123/4	त्रिभुवन ,,	,,	1–10–0
133	123/5	रामजीवन ,,	,,	1–10–0
134	123/6	माता प्रसाद ,,	,,	1–10–0
135	124	दुर्गा शंकर पुत्र रामकृष्ण	नि0 परमट	2–0–0
136	125	राम सुन्दर पुत्र रामकृष्ण	,,	2–0–0
137	126	राम स्वरूप पुत्र चन्द्र गोपाल	,,	2–0–0
138	127	मदन मोहन पुत्र शिवपाल	,,	2–0–0
139	128	सीताराम सिंह पुत्र जुवराज सिंह	,,	2–0–0
				422–15–0

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 779 पर।)

तालिका

विकास क्षेत्र का नाम	वितरण की तिथि	वितरित सामग्री							अन्य सहायता
		मोटा अनाज (कु० में)	चना (कु० में)	नमक (कु० में)	मिट्टी का तेल (लिटर में)	दियासलाई (अदद)	आपदा तकावी (रू० में)	गृह निर्माण (रु० में)	कम्बल (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सहजनवां	7-8-74 से 15-3-75 तक	284-60-900	4-32-0	24-0	809	3590	1,02,000	11,990	107
पाली	4-8-74 से 31-3-75 तक	503-75-800	18-0-0	52-72-900	1559	6519	34,000	86,790	137
खजनी	10-8-74 से 15-3-75 तक	122-01-400	..	11-23	638-50	2292	13,850	300	40
कोड़ियां	5-8-74 से 31-3-75 तक	975-19-400	36-18	124-29-500	4554	15613	1,22,400	1,40,140	264

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 780 पर।]

विवरण

क्रम-संख्या	नाम ग्राम		तहसील	गांव सभा में निहित भूमि जो आवंटन हेतु उपलब्ध थी	सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि	आवंटित भूमि
1	2		3	4	5	6
1	गुजर बलिया	..	फरेन्दा	173 एकड़	कुछ नहीं	173 एकड़
2	कजरी तप्पा तेहड़ा	..	फरेन्दा	कुछ नहीं	75–97 एकड़	75–97 एकड़
3	पैसिया बाबू तप्पा मिर्चवार	..	फरेन्दा	कुछ नहीं	24–15 एकड़	24–15 एकड़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 788 पर।)

ग्रामों के नामों की सूची

1—नरखड़ा
2—गोधी
3—शाहलमपुर
4—रमनावाला
5—याकूतपुर
6—कायमपुर करारनगर
7—शेरपुर एतमादपुर
8—आलमपुर उर्फ अहमदनगर
9—अकबरपुर सकैनिया
10—गैसला
11—भोतोड़ा
12—पीपलखाना
13—आवला घाट
14—रामनगर
15—भौजपुर
16—भैसली जमालपुर
17—मधपुरी उर्फ इनायतपुर
18—शतमपुर
19—मोडी हजरतपुर
20—मिश्रीपुर
21—रसूलपुर चौरा
22—बेगमपुर
23—खेमपुर सैदुल्लापुर
24—सिहौष बाजे
25—माननगर उर्फ कांठ
26—कुतुबपुर हमीरपुर
27—फरीदाबाद उर्फ नसीरपुर
28—सिर सहमनिहार
29—औरंगाबाद
30—भटपुरा सकैनिया
31—नगली मिरानशाह
32—छजलेट
33—रामपुर
34—बगियापुरी
35—किरतपुरी
36—ऐदलपुर सियासी
37—निधि
38—संजयपुर सुल्तानपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 798 पर।)

ब्यौरा

दुद्धी वन प्रभाग में भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट के रक्षित (प्रोटेक्टेड) वन क्षेत्रों के निवासियों को दी गई सुविधाओं का ब्योरा।

1—लकड़ी—मकान बनाने तथा मरम्मत एवं कृषि उपकरणों के लिये निम्न सुविधा दी जाती है :—

पेड़ों की किस्म	पेड़ों की संख्या जो 5वें साल प्रति घर दी जायेगी।
मकान बनाने तथा मरम्मत के लिये—	
(क) साल, असना, तेंदू या सिद्ध के पेड़ 60 सें0 मी0 से 90 सें0 मी0 की गोलाई।	1 पेड़
(ख) अन्य प्रजातियों 30 से0 मी0 से 45 सें0 मी0 की गोलाई।	12 पेड़
खेती के औजार के लिये पेड़ों की किस्म	

पेड़ों की किस्म	पेड़ों की संख्या जो प्रति वर्ष दी जायेगी।
(क) खेर या साल 45 सें0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई ..	2 पेड़
(ख) लुकाट प्रजातियां 45 से0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई	2 पेड़

2—उपरोक्त सुविधा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रार्थी प्रति वर्ष अगस्त तथा अक्तूबर के बीच में अपनी आवश्यकता का प्रार्थना-पत्र रेंज आफीसर के माध्यम से उप अरण्यपाल को भेज दें। उप अरण्यपाल की स्वीकृति मिल जाने पर रेंज आफीसर पेड़ों की कटान के लिये फरमान जनवरी के अन्त तक कर देंगे। उसके पश्चात पेड़ों का कटान 31 मार्च के पहले हो जाना चाहिये। इस प्रकार प्राप्त लकड़ी को गांव वालों में बांटने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होगी। लकड़ी रियायती दर से दी जायगी।

3—भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट के मकानों के लिये आवश्यक लकड़ी मुफ्त देने का प्राविधान है। इसके लिये मांग पत्र कलेक्टर, मिर्जापुर के माध्यम से माह नवम्बर तक आ जाना चाहिये।

4—बांस—भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट के निवासियों को मकान बनाने तथा मरम्मत के लिये बांस निम्न दर से देने का प्राविधान है :—

बांस की संख्या	प्रति 100 बांस दर
	रु0
(क) 100 बांस तक	1.50
(ख) 101 से 500 बांस तक	3.00
(ग) 500 से ऊपर।	4.00

5—डोम तथा धरकारों के लिये प्रति 100 बांस 50 पैसे पर देने का प्राविधान है।

6—भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट के मकानों के लिये मुफ्त बांस देने का प्राविधान है जिसके लिये मांग पत्र जिलाधिकारी, मिर्जापुर के माध्यम से नवम्बर तक आ जाना चाहिये।

7—अन्य गौड बन उपज—गिरी पड़ी सूखी लकड़ी, कटीली झाड़ियां, झाकड़, छप्पर खाली घास, मसुलाइन का वक्कल, बमई घास, खाने वाले फल-फूल तथा बड़े निवासियों को मुफ्त तथा बिना परमिट पाने की सुविधा है।

8—चराई—स्थानीय निवासियों को चराई की सुविधा निम्न प्रकार दी गई है :—

जानवरों की किस्म		चराई की दर (रियायती)
(क) गाय तथा बैल	..	0.12 पैसे प्रति वर्ष राशि प्रति वर्ष
(ख) भैंस	..	0.25 ,, ,,
(ग) घोड़े तथा बछड़े	..	0.25 ,, ,,
(घ) ऊंट	..	1.00 ,, ,,
(ङ) भेड़ तथा बकरी	..	1.50 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष
(च) हाथी	..	1.00 प्रति राशि प्रति दिन

पी0एस0यू0पी0—एल0 132 वि0 सभा —(547)—1976—8401